आर्थिक सर्वेक्षण
2023-2024

अर्थ एवं संख्या निदेशालय
नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार

आर्थिक सर्वेक्षण
उत्तराखण्ड
वर्ष 2023–24

अर्थ एवं संख्या निदेशालय
नियोजन विभाग
उत्तराखण्ड सरकार
37A, आई. टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून (उत्तराखण्ड) 248013
दूरभाष / फैक्स: 0135–2712604
ई–मेल: dirdesuk@gmail.com | dir-des-uk@nic.in
वेबसाइट: www.des.uk.gov.in

राधा रतूड़ी
आई.ए.एस.
मुख्य सचिव

उत्तराखण्ड शासन
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस भवन,
सचिवालय, 4 सुभाष मार्ग,
देहरादून (उत्तराखण्ड)

उत्तराखण्ड शासन

प्राक्कथन

उत्तराखण्ड सरकार प्रत्येक वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित करती है, जो राज्य सरकार के कार्यक्रमों नीतियों तथा राज्य के विकास को प्रदर्शित करता है। आर्थिक सर्वेक्षण राज्य की आर्थिक एवं विकास की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करता है तथा भविष्य हेतु नवीन नीतियां बनाने तथा नये अवसरो हेतु मार्गदर्शन प्रदान करता है।

आर्थिक सर्वेक्षण में वर्ष के दौरान विकास की प्रवृति के संबंध में अनुमान, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रवार हालातों की रूपरेखा और सुधार के उपायों को बताने का प्रयास किया गया है। राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड की आर्थिक विकास दर को अगले पांच वर्षों में दोगुनी करने तथा सशक्त उत्तराखण्ड @25 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये विभिन्न विभागों के सहयोग से रोडमैप तैयार किया जा रहा है। जिसमें राज्य की आय में वृद्धि, आय के नये संसाधनों की खोज, अवस्थापना विकास, औद्योगिक निवेश, पर्यटन, शहरी विकास आदि सेक्टर की अधिकतम संसाधनों का उपयोग, जैविक कृषि, उद्यानीकरण, तथा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिये माइक्रो प्लानिंग जैसी योजनाओं पर ध्यान दिया जा रहा है। राज्य में नीति आयोग की तर्ज पर थिंक टैंक बनाना, परिसम्पतियों के मुद्रीकरण, पीपीपी परियोजनाओं आदि के लिये पृथक ईकाई विकसित करना, आदि योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ किया गया है जिससे सशक्त उत्तराखण्ड @25 की परिकल्पना को साकार किया जा सकेगा।

आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2023–24 में वित्तीय वर्ष 2023–24 की माह दिसम्बर तक की विभिन्न विभागों की वास्तविक उपलब्धियों तथा माह मार्च तक की प्रस्तावित कार्यक्रमों/योजनाओं का उल्लेख करने का प्रयास किया गया है। यह प्रकाशन अर्थ एवं संख्या निदेशालय के अधिकारी एवं कर्मचारियों के द्वारा ससमय तैयार किया गया है, जो कि सराहनीय है।

आशा है कि प्रस्तुत प्रकाशन राज्य की सामाजार्थिक स्थिति एवं विकासात्मक गतिविधियों का आंकलन करने के अपने उद्देश्य में सफल होगा। उक्त प्रकाशन नीति–निर्धारकों, योजना निर्माताओं, सांख्यिकीविदों एवं शोधकर्ताओं के लिये उपयोगी सिद्ध होगा। आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2023–24 को और अधिक प्रभावी एवं उपयोगी बनाने हेतु प्राप्त सुझावों का स्वागत है।

(राधा रतूड़ी)
मुख्य सचिव

आर0 मीनाक्षी सुन्दरम
आई.ए.एस
सचिव

नियोजन विभाग
उत्तराखण्ड शासन
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस भवन,
सचिवालय, 4 सुभाष मार्ग,
देहरादून (उत्तराखण्ड)

उत्तराखण्ड शासन

प्रस्तावना एवं आभार

उत्तराखण्ड राज्य का सप्तम आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2023-24 को अर्थ एवं संख्या निदेशालय, द्वारा तैयार किया गया है। विगत वर्षो की भांति इस संस्करण में राज्य की अर्थव्यवस्था से संबंधित विभिन्न उतार चढ़ावों, विगत वर्षों की उपलब्धियों के साथ–साथ चालू वर्ष में राज्य द्वारा आर्थिक सामाजिक क्षेत्र की उपलब्धियों को तथ्यात्मक रूप से प्रस्तुत किये जाने का प्रयास किया गया है।

आर्थिक सर्वेक्षण में वर्ष के दौरान विकास की प्रवृति के संबंध में अनुमान, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रवार हालातों की रूपरेखा और सुधार के उपायों को बताने का प्रयास किया गया है। मा0 प्रधानमंत्री जी द्वारा देश के 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी किये जाने के विजन के दृष्टिगत राज्य सरकारों को दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा भी राज्य की आर्थिकी को आगामी पांच वर्षों में दोगुना करने हेतु सशक्त उत्तराखण्ड मिशन पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। राज्य द्वारा जहां एक ओर अवस्थापना सुविधाओं में निवेश पर बल दिया जा रहा है वहीं दूसरी ओर राज्य के आर्थिकी के प्रमुख **Growth Driver** पर्यटन, औद्यानीकरण, आयुष, उद्योगीकरण तथा अन्य सर्विस सेक्टर पर विशेष रूप से फोकस किया जा रहा है। इस क्रम में निजी निवेश को बढ़ावा देने हेतु गत एक वर्ष में लगभग 100 से अधिक **initiative** लिये गये हैं जिनमें विभिन्न क्षेत्रों की 18 नीतियां लायी गयी हैं तथा 90 से अधिक **Investible Projects** चिन्हित किये गये हैं। नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट के आधार पर पांच वर्षों के अन्तराल में राज्य में कुल 9,17,290 लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। सीमान्त जनपद चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ तथा चम्पावत में भी बहुआयामी गरीबी से क्रमशः 9.97 प्रतिशत, 14.74 प्रतिशत, 7.48 प्रतिशत तथा 12.82 प्रतिशत लोग वर्ष 2015-16 के सापेक्ष बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा चलाये गये विभिन्न विकास कार्यक्रमों का ही असर है कि सीमान्त जनपदों में भी बहुआयामी गरीबी में बहुत कमी आयी है, साथ ही राज्य की बेरोजगारी दर गत वर्ष 8.4 प्रतिशत के सापेक्ष घटकर 4.9 प्रतिशत रह गई है।

अवस्थापना विकास के सन्दर्भ में जहां उत्तराखण्ड राज्य में केन्द्र सरकार के सहयोग से श्री केदारपुरी का पुनर्निर्माण, पावन बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान एवं ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर गतिमान है। भारत सरकार एवं नीति आयोग की अपेक्षा के अनुसार बेहतर योजना संरचना, प्रभावी नीति निर्धारण, नवाचारों को प्रोत्साहन एवं अन्तर्विभागीय समन्वयन तथा विकास कार्यों के सटीक अनुश्रवण एवं गहन मूल्यांकन हेतु नीति आयोग, भारत सरकार की तर्ज पर राज्य में **"State Institute for Empowering and Transforming Uttarakhand" (SETU)** का गठन किया जा चुका है। राज्य में अवस्थापना सुविधाओं के सृजन हेतु घरेलू एवं अन्तर्राष्ट्रीय निवेशकों को आकर्षित करने के लिए **Uttarakhand Investment and Infrastructure Development Board (UIIDB)** का भी गठन किया गया है।

उत्तराखण्ड में पर्यटन सेक्टर राज्य का प्रमुख Growth Engine है जिससे रोजगारपरक एवं निवेशोन्मुखी बनाने हेतु राज्य सरकार द्वारा राज्य में पर्यटन नीति प्रख्यापित की गयी है, जिसके अन्तर्गत Accommodation Projects हेतु 25 से 50 प्रतिशत तक की Capital Subsidy एवं Tourism Products हेतु 100 प्रतिशत सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। इस नीति के अन्तर्गत Capital Subsidy में किसी भी प्रकार का ऊपरी सीमा (Cap) नही रखी गयी है तथा SGST से भी जोड़ा गया है। वर्ष 2027 तक 70 परियोजनाओं में ₹ 30,000 हजार करोड़ का निवेश लक्षित है। चार धाम धार्मिक पर्यटन की भांति राज्य के कुमाऊं क्षेत्र में स्कन्द पुराण में उल्लिखित प्रमुख पौराणिक स्थलो में से 48 मन्दिरों तथा गुरुद्वारों को मानसखण्ड मंदिर माला मिशन के अन्तर्गत सर्किट के रूप में जोड़ने का कार्य किया जाना है, जिसके प्रथम चरण में 16 मंदिरों का सर्किट बनाने हेतु अवस्थापना विकास किया जायेगा। राज्य में जी–20 के अंतर्गत अंतर्विभागीय बैठको एवं द्वितीय निवेशक सम्मेलन उत्तराखण्ड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का सफल आयोजन किया गया है। राज्य के स्थानीय उत्पादों के प्रोसेसिंग एवं पैकेजिंग/ ब्रांडिंग हेतु अम्ब्रेला ब्रांड के रुप में **हाउस आफ हिमालयाज** ब्रांड बनाया गया है। राज्य के विकास को और अधिक गति प्रदान करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है।

आर्थिक सर्वेक्षण के निर्माण में अर्थ एवं संख्या निदेशालय द्वारा विभागीय अधिकारियों के सहयोग से अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गयी है। आर्थिक सर्वेक्षण के संकलित अध्यायों के परिमार्जन, परिवर्द्धन, परिनिरीक्षण एवं सम्पादन हेतु श्री सुशील कुमार, निदेशक की अध्यक्षता तथा अपर निदेशक श्री पंकज नैथानी एवं डॉ0 मनोज कुमार पंत के पर्यवेक्षण में गठित कोर टीम के सदस्यों–संयुक्त निदेशक डॉ0 दिनेश चन्द्र बडोनी, अर्थ एवं संख्याधिकारी श्री ललित मोहन जोशी तथा अपर सांख्यिकीय अधिकारी– श्री संदीप पाण्डेय, श्री रितेश कुमार एवं श्री रितेश शर्मा, श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह तथा अध्याय लेखन हेतु कोर कमेटी के सदस्यों के अतिरिक्त संयुक्त निदेशक, श्री जी0एस0पाण्डेय, सुश्री चित्रा, श्री तिलोक सिंह अन्ना, उप निदेशक– श्री मनीष राणा, डॉ0 इला पन्त बिष्ट, श्री अमित पुनेठा, श्रीमती रश्मि हलधर, श्री निर्मल कुमार शाह एवं अर्थ एवं संख्याधिकारी– श्री ललित आर्य, श्री सतेन्द्र कुमार, श्रीमती ज्योति जोशी, श्री संजय शर्मा, श्री गोपाल गुप्ता, श्री अतुल आनन्द, डॉ0 मोनिका श्रीवास्तव शोध अधिकारी श्री महेश चन्द्र कपिल, चीफ कार्टोग्राफर श्री जे0सी0 चन्दोला तथा सहयोग हेतु अपर सांख्यिकीय अधिकारी– श्री राजेन्द्र सिंह रावत, श्री अशोक कुमार, श्रीमती गायत्री, श्री आलोक कुमार, श्री बृजेश कुमार, सुश्री सीमा धीमान, श्रीमती शालिनी राठौर, श्री सुन्दर सिंह तोमर, श्री योगेन्द्र सिंह चौहाण, श्री अरविन्द कुमार, मनोज कुमार एवं विशेषज्ञ सी.पी.पी.जी.जी. श्री शैलेन्द्र का विशेष धन्यवाद ज्ञापित करते हुए टंकण एवं अन्य कार्यों में सहयोग देने हेतु श्री दीपक सिंह गुसाईं तथा अन्य समस्त डाटा एण्ट्री ऑपरेटरों / अन्वेषक–कम–संगणकों एवं पी0आर0डी0 कर्मचारियों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।

अन्त में अर्थ एवं संख्या निदेशालय की ओर से श्री पुष्कर सिंह धामी, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा, एवं मुख्य सचिव महोदया का आर्थिक सर्वेक्षण को बनाने में प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इसके अतिरिक्त समस्त विभागों के विभागाध्यक्षों तथा विभागीय अधिकारियों का विभाग से सम्बन्धित आवश्यक तथ्य, सूचनायें, ऑकड़े तथा विवरण उपलब्ध कराने के लिए धन्यवाद करता हूँ। मैं समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव तथा प्रभारी सचिवों का उनके सहयोग तथा मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देता हूँ।

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव

आर्थिक सर्वेक्षण
वर्ष 2023–24
विषय सूची

क्रम संख्या	अध्याय विवरण	पृष्ठ संख्या
	शब्द संक्षेप	i-xiv
	राज्य की अर्थव्यवस्था	
1	उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था का सिंहावलोकन	01–16
2	राज्य आय एवं लोक वित्त	17–35
3	कराधान	36–48
4	भाव संचलन	49–52
	कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र	
5	कृषि, गन्ना एवं उद्यान	54–86
6	पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य	87–102
7	सहकारिता	103–114
8	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	115–120
9	वन एवं पर्यावरण	121–129
	सेवा क्षेत्र	
10	परिवहन एवं संचार	131–142
11	पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन	143–158
12	बैंकिंग एवं संस्थागत वित्त	159–175
	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास	
13	विद्युत	177–191
14	जल संसाधन एवं प्रबन्धन	192–214
15	सड़क एवं रेल	215–221
16	उद्योग	222–247
17	श्रम रोजगार एवं कौशल विकास	248–257
	ग्रामीण एवं शहरी विकास	
18	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज	259–274
19	शहरी विकास एवं आवास	275–287

क्रम संख्या	अध्याय विवरण	पृष्ठ संख्या
	मानव विकास	
20	शिक्षा	288–309
21	स्वास्थ्य	310–327
22	महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास	328–335
23	सतत विकास लक्ष्य	336–344
24	खेल एवं युवा कल्याण	347–356
25	समाज कल्याण	357–375
	ई–सुशासन	
26	सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी	377–398
27	राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन	399–406
	परिशिष्ट	407–421

शब्द संक्षेप (Abbreviations)

AAI-	Airports Authority of India
ABC-	Animal Birth Control
AE-	Actual Estimates
ADB-	Asian Development Bank
AIC-	Artificial Insemination Centres
AICTE-	All India Council for Technical Education
AIDS-	Acquired Immune Deficiency Syndrome
AIF-	Agri Infrastructure Fund
AIIB-	Asian Infrastructure Investment Bank
AIIMS-	All India Institute of Medical Sciences
ALS-	Advance Life Support
AMRUT-	Atal Mission for Rejuvenation And Urban Transformation
AMR-	Automatic Meter Reading
ANC-	Ante Natal Care
ANM-	Auxiliary Nurse Midwifery
AMI-	Agricultural Marketing Infrastructure
ANC-	Absolute Neutrophil Count
APEDA-	Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority
APMC-	Agricultural Produce Marketing Committee
APO-	Annual Plan of Action
APY-	Atal Pension Yojana
ARC-	Advance Release Calendar
ART-	Anti-Retroviral Therapy
ASCAD-	Assistance To State For Control Of Animal Diseases
ASER-	Annual Status of Education Report
ASHA-	Accredited Social Health Activist
AT&C-	Aggregate Technical and Commercial
ATF-	Aviation Turbine Fuel
ATM-	Automated Teller Machine
AYUSH-	Ayurvedic, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homeopathy
BADP-	Border Area Development Programme
B to C-	Business to Customer
BAIF-	Bharatiya Agro Industries Foundation
BBBP-	Beti Bachao Beti Padhao
BBPS-	Bharat Bill Payment System
BCARLIP-	Bio-Diversity Conservation and Rural Livelihood Improvement Plan
BCC-	Basic Computer Course
BE-	Budget Estimates
BHMCT-	Bachelor of Hotel Management and Catering Technology
BIS-	Bureau of Indian Standards
BLC-	Beneficiary Led Construction

BLS-	Basic Life Support
BPL-	Below Poverty Line
BPO-	Business Process Outsourcing
BRAP-	Business Reforms Action Plan
BRO-	Border Roads Organisation
BRTF-	Border Roads Task Force
BSNL-	Bharat Sanchar Nigam Limited
BSUP-	Basic Service for Urban Poor
BVS-	Block vaccine store
CAD-	Computer-aided Design
CAF-	Common Application Form
CAGR-	Compound Annual Growth Rate
CALC-	Computer aided Learning Centre
CAMPA-	Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority
CAP-	Centre for Aromatic Plants
CAS-	Common Application Software
CBAC-	Context Based Access Control
CBE-	Community Based Events
CBOs-	Community Based Organisations
CBS-	Core Banking System
CCMP-	Cyber Crisis Management Technology
CCPs-	Cold chain Points
CCTNS-	Crime and Criminal Tracking Network & System
CCTV-	Closed Circuit Television
CD RATIO-	Credit Deposit Ratio
CDTP-	Community Development Through Polytechnics
CEA-	Central Electricity Authority
CEMB-	Center of Excellence in Mountain Biology
CGHS-	Central Government Health Scheme
CGSSD-	Credit Guarantee Scheme for Subordinate Debt
CGST-	Centre Goods & Services Tax
CHCs -	Community Health Centres
CII-	Critical Information Infrastructure
CIPET-	Central Institute of Plastics Engineering & Technology
CISF--	Central Industrial Security Force
CISO-	Chief Information Security Officer
CITIIS-	City Investment Innovation Integrated and Sustain
CLR-	Commissionerate of Land Revenue
CMERI-	Central Mechanical Engineering Research Institute
CMO-	Chief Medical Officer
CMP-	Comprehensive Mobility Policy
COVID-	Corona Virus Disease
CPCB-	Central Pollution Control Board

CPI-	Consumer Price Index
CSCs-	Common Service Centres
CSIR-	Council of Scientific & Industrial Research
CSO-	Central Statistics Office
CSP-	City Sanitation Plan
CSR-	Corporate Social Responsibility
CWC-	Central Water Commission
CWSN-	Children With Special Needs
DARC-	Drone Application and Research Centre
DAY-NRLM-	Deendayal Antodaya Yojana - National Rural Livelihood Mission
DBT-	Direct Benefit Transfer
DCCC-	Dedicated Covid Care Centre
DCH-	Dedicated Covid Hospital
DCHC-	Dedicated Covid Health Centre
DCUs-	Departmental Commercial Undertakings
DDRC-	District Disability Rehabilitation Centre
DDUGJY-	Deen Dayal Upadhyay Gram Jyoti Yojana
DEA-	Department of Economic Affair
DEDS-	Dairy Entrepreneurship Development Scheme
DES-	Directorate of Economics & Statistics
DGCA-	Directorate General of Civil Aviation
DGCIS-	Directorate of General of Commercial Intelligence and Statistics
DGFT-	Director General of Foreign Trade
DGPS-	Differential Global Positioning System
DIC-	District Industries Center
DIDF-	Dairy Infrastructure Development Fund
DIET-	District Institute of Education & Training
DILRMP-	Digital India Land Record Modernisation Programme
DIPP-	Department of Industrial Policy and Promotion
DMRC-	Delhi Metro Rail Corporation
DMS-	Distribution Management System
DMS-	Document Management System
DPA-	Direct Productive Activities
DPR-	Detailed Project Report
DPS-	District Project Societies
DQAS-	Daily Quick Audit System
DRI-	Differential Rate of Interest
DRIP-	Dam Rehabilitation Improvement Program
DSI-	Dynamic Systems Initiative
DST-	Department of Science & Technology
DSUCP-	Development of Smart Urban Cluster Project
DTH-	Direct To Home
DVS-	District Vaccine Store

DVS-	Dynamic Vapor Sorption
DWSM-	District Water and Sanitation Mission
EBB-	Educationally Backward Blocks
ECHS-	Ex-servicemen Contributory Health Scheme
EIA-	Environmental Impact Assessment
ECLGS-	Emergency Credit Line Guarantee Scheme
EEPC-	Engineering Export Promotion Council of India
EMI-	Equated Monthly Installment
E-NAM-	E-National Agriculture Market
EODB-	Ease Of Doing Business Score
EPI-	Export Preparedness Index
E-POS-	Electronic Point of Sale
ERP-	Enterprise Resource Planning
ESI-	Employees State Insurance
ETS-	Electronic Total Station
eVIN-	Electronic Vaccine Intelligence Network
EV-	Electric Vehicles
EWS-	Economically Weaker Section
FC-	Fitness Certificate
FCI-	Food Corporation of India
FDR-	Fixed Deposit Receipt
FHTC-	Functional Household Tap Connection
FIDF-	Fisheries and Aquaculture Infrastructure Development Fund
FIEO-	Federation of Indian Export Organization
FLCs-	Financial Literacy Centers
FMD-	Foot and Mouth Disease
FMS-	Facility Management Service
FPF-	Food Processing Fund
FPO-	Food Process Order
FPS-	Fair Price Shop
FRBMA-	Fiscal Responsibility and Budget Management Act
FRP-	Fibre-Reinforced Plastic
FRTU-	Feeder Remote Terminal Unit
FSA-	Food Security Allowance
FSD-	Foundation for Sustainable Development
FSI-	Forest Survey of India
FSSAI-	Food and Safety Standards Authority of India
G to C-	Government to Citizen
GBPS-	Gigabits per second
GCF-	Green Climate Fund
GDI-	Gender Development Index
GDP-	Gross Domestic Product
GER-	Gross Enrolment Ratio

GFCF-	Gross Fixed Capital Formation
GIS-	Geographic Information System
GIS-	Gas Insulated Switchgear
GIHM-	Government Institute of Hotel Management
GLOF-	Glacial Lake Outburst Flood
GMVN-	Garhwal Mandal Vikas Nigam
GoI-	Government of India
GPDP-	Gram Panchayat Development Plan
GPS-	Global Positioning System
GSDP-	Gross State Domestic Product
GST-	Goods & Services Tax
GSVA-	Gross State Value Added
GVA-	Gross Value Added
GVO-	Gross Value Output
H-	Hectare
HARC-	Himalayan Action Research Centre
HCI-	Hyper Convergent Infrastructure
HDI-	Human Development Index
HDPE-	High Density Polyethylene
HDR-	Human Development Report
HIV-	Human Immunodeficiency Virus
HLDSC-	High Level Data Standard Committee
HMIS-	Health Management Information System
HOPE-	Helping Out People Everywhere
HP-	Horse Power
HPSEBL-	Himachal Pradesh State Electricity Bill
HPPCL-	Himachal Pradesh Power Corporation Limited
HT-	High Tension
HTLS-	High Temperature Low Sag
HUF-	Hindu Undivided Family
HVDS-	High Voltage Distribution System
IAS-	Indian Administrative Services
ICAP-	Integrated Cluster Action Plan
ICDP-	Integrated Co-operative Development Programme
ICDS-	Integrated Child Development Scheme
ICT-	Information and Communications Technology
ICU-	Intensive Care Unit
IDA-	International Development Association
IEC-	Information, Education and Communication
IFAD-	International Fund for Agriculture Development
IFSR-	Indian Forest Survey Report
IGNOU-	Indira Gandhi National Open University
IGST-	Integrated Goods & Services Tax

IHM-	Institute of Hotel Management
IIFM-	Indian Institute of Forest Management
ILSP-	Integrated Livelihood Support Project
ILR-	Ice Line Refrigerators
IMA-	Integrated Modal Agriculture
IMD-	Indian Meteorological Department
IMR-	Infant Mortality Rate
IMIS-	Integrated Management Information System
INDCs-	Intended Nationally Determined Contributions
ISBT-	Inter-State Bus Terminus
ISRO-	Indian Space Research Organization
IT-	Information Technology
IIT-	Indian Institute of Technology
ITDA-	Information Technology Development Agency
IPCC-	International Panel on Climate Change
IPD-	In-Patient Departments
IPDS-	Integrated Power Development Scheme
IPHS-	Indian Public Health Standards
IPR-	Intellectual Property Rights
IRCTC-	Indian Railways Catering and Tourism Corporation
IRC-	India Roads Congress
IRS-	Incident Response System
ISAM-	Integrated Scheme for Agricultural Marketing
ISFR-	India State of Forest Report
ISM-	Indian School of Mines
ISO-	International Standards Organization
IVDP-	Integrated Village Development Project
IWMP-	Integrated Watershed Management Programme
JEE-	Joint Entrance Examination
JICA-	Japan International Cooperation Agency
JJM-	Jal Jeevan Mission
JLG-	Join Liability Group
JNNURM-	Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission
KCC-	Kisan Credit Card
KGBV-	Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya
KMS-	Knowledge Management System
KMVN-	Kumaon Mandal Vikas Nigam
KPIs-	Key Performance Indicators
KRC-	Key Resource Centre
KSY-	Kishori Shakti Yojana
KV-	Kilo Volt
KVIC-	Khadi and Village Industries Commission
LAN-	Local Area Network

LAP-	Local Area Plan
LBW-	Low Birth Weight
LED-	Light Emitting Diode
LFPR-	Labor Force Participation Rate
LGD-	Local Government Directory
LIG-	Low-Income Group
LPCD-	Liters Per Capita Daily
LT-	Low Tension
MAP-	Medicinal Aromatic Plants
MBA-	Master of Business Administration
MBBS-	Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery
MBPS-	Megabits Per Second
MCP Card-	Mother & Child Protection Card
MDF-	Moderately Dense Forest
MDM-	Mid day Meal
MDT-	Multi Drug Therapy
MGNREGA-	Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act
MIF-	Micro Irrigation Fund
MIG-	Middle Income Group
MIS-	Management Information System
MLD-	Millions of Liters per Day
MLHP-	Mid Level Health Providers
MM-	Millimeter
MMR-	Maternal Mortality Rate
MMS-	Miracle Mineral Solution
MNRE-	Ministry of New and Renewable Energy
MoRD-	Ministry of Rural Development
MOSPI-	Ministry of Statistics & Programme Implementation
MoU-	Memorandum of Understanding
MPCE-	Monthly Per Capita Expenditure
MPI-	Multidimensional Poverty Index
MPLS-	Multiprotocol label switching
MSBY-	Mukhyamantri Swasthya Bima Yojan
MSC-	Multi-Service Center
MSE-	Micro Small Enterprises
MSME-	Micro Small & Medium Enterprises
MSP-	Minimum Support Price
MSW-	Municipal Solid Waste
MTR-	Mass Transit Railway
MU-	Mega Unit
MVA-	Mega Volt Ampere
MV Tax-	Motor Vehicle Tax
MW-	Mega Watt

NAAC-	National Assessment and Accreditation Council
NABCONS-	Nabard Consultancy Services
NABH-	National Accreditation Board for Hospital
NABL-	National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories
NACO-	National AIDS Control Organisation
NAD-	National Asset Directory
NAMP-	National Air Quality Monitoring Programme
NAPDDR-	National Action Plan for Drug Demand Reduction
NAPSrC-	National Action Plan for Welfare of Senior Citizens
NAS-	National Assessment Survey
NCDC-	National Cooperative Development Corporation
NCDs-	Non-Communicable Diseases
NCERT-	National Council of Educational Research and Training
NCF-	National Curriculum Framework
NCIIPC-	National Critical Information Infrastructure Protection Centre
NCVT-	National Council of Vocational Training
NDMA-	National Disaster Management Authority
NDP-	Net Domestic Product
NDSI-	Normalized Difference Snow Index
NERS-	National Emergency Response System
NHAI-	National Highway Authority of India
NHM-	National Health Mission
NEET-	National Eligibility cum Entrance Test
NEFT-	National Electronic Fund Transfer
NEGP-	National e-Governance Plan
NFHS-	National Family Health Survey
NFSA-	National Food Security Act
NFSM-	National Food Security Mission
NHA-	National Health Authority
NHIDCL-	National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited
NHM-	National Health Mission
NIC-	National Informatics Centre
NIDA-	NABARD Infrastructure Development Assistance
NIE-	National Implementing Entity
NIELIT-	National Institute of Electronics and Information Technology
NIFT-	National Institute of Fashion Technology
NIH-	National Institute of Hydrology
NII-	National Information Infrastructure
NIMHANS-	National Institute of Mental Health and Neuro-Sciences
NIOS-	National Institute of Open Schooling
NIP-	National Infrastucture Pipeline
NIRD-	National Institute of Rural Development
NIT-	National Institutes of Technology

NITI-	National Institution for Transforming India
NITRA-	Northern India Textile Research Association
NKN-	National College Network
NMAET-	National Mission on Agricultural Extension & Technology
NMET-	National Mineral Exploration Trust
NMHP-	National Mental Health Programme
NMHS-	National Mission on Himalayan Studies
NMOOP-	National Mission on Oilseeds and Oil Palm
NMR-	Neo-Natal Mortality Rate
NMSA-	National Mission for Sustainable Agriculture
NOFN-	National Optical Fiber Network
NOHP-	National Oral Health Programme
NPA-	Non Performing Assets
NPCB-	National Programme for Control Blindness
NPCC-	National Project Construction Corporation
NPCDCS-	National Programme For Prevention and Control of Cancer, Diabetes, Cardiovascular Disease and Stroke
NPEGEL-	National Programme for Education of Girls at Elementary Level
NPHCE-	National Programme for Health Care of the Elderly
NPP-	National Panchayat Portal
NPPCD-	National Programme for Prevention and Control of Deafness
NPS-	National Pension Scheme
NPV-	Net Present Value
NQM-	National Quality Monitors
NRDWP-	National Rural Drinking Water Programme
NRLM-	National Rural Livelihood Mission
NSS-	National Service Scheme
NSRMP-	National Seismic Risk Management Project
NSQF-	National Skills Qualifications Framework
NSSO-	National Sample Survey Office
NTEP-	National Type Evaluation Programme
NTFP-	Non-Timber Forest Products
NTPC-	National Thermal Power Corporation
NTRO-	National Technical Research Organisation
NUHM-	National Urban Health Mission
NULM-	National Urban Livelihood Mission
NWMP-	National Water Quality Monitoring Programme
ODF-	Open Defecation Free
OF-	Open Forest
OFC-	Optical Fiber Cable
OMMAS-	Online Management Monitoring and Accounting System
OPD-	Out Patient Department
OPGW-	Optical Ground Wire

OPS-	Other Priority Sector
OTS-	One Time Settlement
PACCS-	Primary Agricultural Cooperative Credit Society
PACS-	Primary Agricultural Credit Societies
PAN-	Permanent Account Number
PCO-	Public Call Office
PCS-	Provincial Civil Services
PDF-	Portable Document Format
PE-	Provisional Estimates
PEQ-	Post Entry Quarantine
PESA-	Panchayats (Extension to the Scheduled Areas) Act
PFC-	Power Finance Corporation
PFMS-	Public Financial Management System
PGCIL-	Power Grid Corporation of India Limited
PGS-	Participatory Guarantee System
PHCs-	Primary Health Centres
PhD-	Doctor of Philosophy
PIC-	Patent Information Centre
PIU-	Project Implementation Unit
PKVY-	Prampragat Krishi Vikas Yojana
PLFS-	Periodic Labor Force Survey
PMA-	Project Management Agency
PMAGY-	Pradhan Mantri Aadarsh Gram Yojana
PMEGP-	Prime Minister's Employment Generation Programme
PMFBY-	Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana
PMFME-	Pradhan Mantri Formalization of Micro food processing Enterprises
PMGDISHA-	Pradhan Mantri Gramin Digital Saksharta Abhiyan
PMGSY-	Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana
PMJAY-	Pradhan Mantri Jan Arogya Yojna
PMJDY-	Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana
PMJJBY-	Pradhan Mantri Jivan Jyoti Bima Yojana
PM-KMY-	Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojna
PMKSY-	Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana
PMKUSUM-	Pradhan Mantri Kissan Urja Suraksha evam Utthan Mahaabhiyaan
PMKVY-	Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana
PMMVY-	Pradhan Mantri Matri Vandana Yojana
PMMY-	Pradhan Mantri Mudra Yojana
PMSBY-	Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana
PM-SYM-	Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan
PMU-	Project Management Unit
PNB-	Punjab National Bank
PODF-	Producers Organization Development Fund
POP-	Point Of Presence

PPD- Prearranged Payment Deposit
PPP- Public Private Partnership
PRASAD- Pilgrimage Rejuvenation And Spiritual Augmentation Drive
PRD- Prantiya Raksha Dal
PRT- Personal Rapid Transit
PSB- Public Sector Banks
PTCUL- Power Transmission Corporation Limited of Uttarakhand
PURNA- Providing Ultra-Rich Nutrition to Adolescent Girls
PVC- Poly Vinyl Chloride
PWD- Person With Disability
RAD- Rapid Application Development
RAFTAR- Remuneration Approaches for Agriculture and Allied sector Rejuvenation
RAP- Rural Authorized Person
RAPDRP- Restructured Accelerated Power Development and Reforms Programme
RAS- Recirculation Aquaculture System
RBF- River Bank Filtration
RBSK- Rashtriya Bal Swasthya Karyakram
RC- Registration Certificate
RCH- Reproductive and Child Health
RE- Revised Estimates
RET- Rare Endangered Threats
RERA- Real Estate Regulatory Act
RFA- Recorded Forest Area
RFID- Radio Frequency Identification Data
RIDF- Rural Infrastructure Development Fund
RKVY- Rashtriya Krishi Vikas Yojana
RMSA- Rashtriya Madhyamik Sikhsha Abhiyan
RMU- Ring Main Unit
ROB- Railway Over Bridge
ROR- Records of Rights
ROT- Receive Only Terminal
RPL- Recognition of Prior Learning
RRB- Regional Rural Banks
RSETI- Rural Self Employment Training Institutes
RT-DAS- Real Time Data Acquisition System
RTE- Right To Education
RTGS- Real Time Gross Settlement
RTI- Research Triangle Institute
RTO- Regional Transport Office
RUSA- Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan
RUTF- Ready to Use Therapeutic Food
RVs- Recreational Vehicles
RVS- Regional Vaccine Store

RVS- Rapid Visual Screening
SAC- Space Application Center
SAPCC- State Action Plan on Climate Change
SBA- Skill Birth Attendant
SC- Scheduled Castes
SCADA- Supervisory Control And Data Acquisition
SCERT- State Council of Educational Research & Training
SCSP- Special Component Sub Plan
SCVT- State Council of Vocational Training
SDGs- Sustainable Development Goals
SDI- Strategic Defense Initiative
SDMIS- School District Management Information System
SDRF- State Disaster Response Fund
SECC- Socio Economic Cast Census
SECI- Solar Energy Corporation of India
SFS- State Food Scheme
SGFI- School Games Federation of India
SGHS- State Government Health Scheme
SGST- State Goods & Services Tax
SJVNL- Satluj Jal Vidyut Nigam Limited
SHC- Soil Health Card
SHG- Self Help Group
SIDCUL- State Industrial Development Corporation of Uttarakhand
SIEMAT- State Institute of Educational Management & Training
SIT- Satellite Interactive Terminal
SLBC- State Level Bankers Committee
SMA- Special Mention Account
SMAE- Sub Mission on Agriculture Extension
SMAM- Sub Mission on Agriculture Mechanization
SMPP- Sub Mission on Plant Protection
SMSP- Sub Mission for Seed and Planting
SNF- Solids Non Fat
SNUSP- Support to National Urban Sanitation Policy
SOC- Social Overhead Capital
SOP- Standard Operations Procedures
SPCB- State Pollution Control Board
SPMRM- Shyama Prasad Mukherji Rurban Mission
SPS- Specialist Pharmacy System
SQM- State Quality Monitors
SRB- Sex Ratio at Birth
SRLM- State Rural Livelihood Mission
SRS- Sample Registration System
SSA- Sarv Shiksha Abhiyan

SSDG- State Service Delivery Gateway
SSIs- Small Scale Industries
ST- Scheduled Tribes
STIs- Sexually Transmitted Infections
STP- Sewerage Treatment Plant
STPI- Software Technology Parks of India
STSAO- Short Term Seasonal Agriculture Operation
SVEP- Startup Village Entrepreneurship Programme
SVS- State vaccine store
SWAN- State Wide Area Networks
SWIS- Sheep and Wool Improvement Scheme
SWSM- State Water and Sanitation Mission
TAC- Technical Assistance Center
TB- Tuberculosis
TEQIP- Technical Education Quality Improvement Programme
TERT- Tata Energy Research Institute
TFR- Total Fertility Rate
THDC- Tehri Hydro Development Corporation
TMP- Training Management Portal
ToR- Term of Reference
TPS- Town Planning Scheme
TRC- Technical Resource Centre
TSP- Tribal Sub Plan
U5MR- Under Five Mortality Rate
UA-URIP- Uttaranchal-Urban Reform Incentive Programme
UAV- Unmanned Aerial Vehicle
UBRI- Uttarakhand Biotechnology Research Institute
UBSE- Uttarakhand Board of School Education
UCADA- Uttarakhand Civil Aviation Development Authority
UCB- Uttarakhand Council for Biotechnology
UCOST- Uttarakhand Council of Science & Technology
UDID- Unique Disability ID
UDISE- Unified District Information System for Education
UDRP- Uttarakhand Disaster Recovery Project
UDWDP- Uttarakhand Decentralised Watershed Development Project
UGCIS- Uttarakhand Geo-Special Constituency Information System
UHND- Urban Health and Nutrition Day
UIDAI- Unique Identification Authority of India
UJS- Uttarakhand Jal Sansthan
UJVNL- Uttarakhand Jal Vidyut Nigam Limited
UKAVP- Uttarakhand Awas and Vikas Parishad
UKHDR- Uttarakhand Human Development Report
UKHSDP- Uttarakhand Health System Development Programme

UKPFMS-	Uttarakhand Public Financial Management System
UKSDI-	Uttarakhand Special Data Infrastructure
UKSDM-	Uttarakhand Skill Development Mission
UKSSSC-	Uttarakhand Subordinate Service Selection Commission
ULDB-	Uttarakhand Livestock Development Board
UMANG-	Unified Mobile Application for New-age Governance
UMTC-	Urban Mass Transit Company
UNDP-	United Nation Development Programme
UPCL-	Uttarakhand Power Corporation Limited
UPHC-	Urban Primary Health Centre
UPNRM-	Umbrella Programme for Natural Resources Management
UPSIDC-	Uttar Pradesh State Industrial Development Corporation
UREDA-	Uttarakhand Renewable Energy Development Agency
URIF-	Urban Reform Incentive Programme
URMIS-	Uttarakhand River Morphological Information System
URRDA-	Uttarakhand Rural Roads Development Agency
USAC-	Uttarakhand Space Application Centre
USAATA-	Uttarakhand Social Audit Accountability and Transparency Agency
USDMA-	Uttarakhand State Disaster Management Authority
USERC-	Uttarakhand Science Education and Research Centre
USRLM-	Uttarakhand State Rural livelihood Mission
USWAN-	Uttarakhand State Wide Area Network
USWDB-	Uttarakhand Sheep and Wool Development Board
UTDB-	Uttarakhand Tourism Development Board
UTGST-	Union Territory Goods and Service Tax
UTIITSL-	UTI Infrastructure Technology and Service Limited
VAT-	Value Added Tax
VDF-	Very Dense Forest
VHSNC-	Village Health, Sanitation and Nutrition Committee
VLTD-	Vehicle Location Tracking Device
VRA-	Vulnerability and Risk Analysis
VWSM-	Village Water and Sanitation Mission
WASH-	Wash Sanitation and Hygiene
WLL-	Wireless Local Loop
WPI-	Wholesale Price Index

राज्य की अर्थव्यवस्था

अध्याय–1
उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था का सिंहावलोकन
Overview of the Economy of Uttarakhand

1. राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था

1.1 भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्ष 2022–23 में अनन्तिम अनुमान के अनुसार 7.2 प्रतिशत की वृद्धि आंकी गई है जबकि वर्ष 2023–24 में विकास दर 7.3 प्रतिशत रहने की सम्भावना है।

1.2 प्रचलित भावों पर सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वर्ष 2022–23 में ₹ 272.40 लाख करोड़ तथा वर्ष 2023–24 में लगभग ₹ 296.57 लाख करोड़ आंका गया है। स्थिर भावों (आधार वर्ष 2011–12) पर GDP वर्ष 2022–23 में ₹ 160.06 लाख करोड़ की तुलना में वर्ष 2023–24 में लगभग ₹ 171.78 लाख करोड़ रहने का अनुमान है।

1.3 वर्ष 2023–24 के दौरान मूल्य संवर्धन में वृद्धि मुख्यतः निर्माण उद्योग (10.7 प्रतिशत), वित्त, रियल स्टेट एवं पेशेवर सेवाएं (8.9 प्रतिशत), बिजली, गैस, पानी और अन्य उपयोगी सेवायें (8.3 प्रतिशत), खनन एवं उत्खनन (8.1 प्रतिशत), लोक प्रशासन एवं अन्य सेवा (7.7 प्रतिशत), विनिर्माण क्षेत्र (6.5 प्रतिशत), तथा व्यापार, होटल, परिवहन एवं संचार सेवाएं, (6.3 प्रतिशत), में अनुमानित है।

1.4 संरचनात्मक दृष्टि से वर्ष 2022–23 में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 20.32 प्रतिशत, द्वितीयक क्षेत्र का योगदान 25.56 प्रतिशत तथा तृतीयक क्षेत्र का योगदान 54.13 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

1.5 देश में प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2022–23 में ₹ 1,72,276 थी, जो वर्ष 2023–24 में 7.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए ₹ 1,85,854 होने का अनुमान है।

राज्य की अर्थव्यवस्था

1.6 राज्य अर्थव्यवस्था में वर्ष 2022–23 में अनन्तिम अनुमान के अनुसार 7.63 प्रतिशत की वृद्धि आंकी गई है जबकि वर्ष 2023–24 में विकास दर 7.58 प्रतिशत रहने की सम्भावना है।

1.7 प्रचलित भावों पर सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वर्ष 2022–23 में ₹ 303.78 हजार करोड़ तथा वर्ष 2023–24 में लगभग ₹ 346.20 हजार करोड़ अनुमानित किया गया है। स्थिर भावों (आधार वर्ष 2011–12) पर GDP वर्ष 2022–23 में ₹ 198.34 हजार करोड़ की तुलना में वर्ष 2023–24 में लगभग ₹ 213.37 हजार करोड़ रहने का अनुमान है।

1.8 वर्ष 2023–24 के दौरान मूल्य संवर्धन में वृद्धि मुख्यतः विनिर्माण क्षेत्र (13.86 प्रतिशत), परिवहन एवं संचार सेवाएं (10.64 प्रतिशत), वित्त, सेवाएं (8.90 प्रतिशत), निर्माण उद्योग (8. 20 प्रतिशत), व्यापार एवं होटल सेवाएं (7.76 प्रतिशत), लोक प्रशासन एवं अन्य सेवा (6.75 प्रतिशत) तथा बिजली, गैस, पानी और अन्य उपयोगी सेवाएं (7.12 प्रतिशत) में अनुमानित है।

1.9 संरचनात्मक दृष्टि से वर्ष 2023–24 में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 9.99 प्रतिशत, द्वितीयक क्षेत्र का योगदान 46.84 प्रतिशत तथा तृतीयक क्षेत्र का योगदान 43.17 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

1.10 राज्य में प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2022–23 में ₹ 2,30,994 थी, जो वर्ष 2023–24 में 12.64 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए ₹ 2,60,201 होने का अनुमान है।

2. राज्य आय एवं लोक वित्त

2.1 वर्ष 2021–22 (अनन्तिम अनुमानों में) में हरिद्वार का सकल घरेलू उत्पाद (GDP) सब से अधिक ₹ 85,636.20 करोड़ तथा जनपद रूद्रप्रयाग का सकल घरेलू उत्पाद सब से कम ₹2,838.67 करोड़ है

2.2 वर्ष 2021–22(अनन्तिम) अनुमानों में मैदानी जनपदों यथा हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर तथा देहरादून की प्रति व्यक्ति आय जो कि क्रमशः ₹ 3,62,686, ₹ 2,69,070 तथा ₹ 2,35,707 है, उत्तराखण्ड राज्य की प्रति व्यक्ति आय ₹ 2,05,246 से अधिक है। अन्य सभी पर्वतीय जनपदों की प्रति व्यक्ति आय राज्य की प्रति व्यक्ति आय से कम है।

2.3 वर्ष 2023–24 के बजट अनुमानों के अनुसार कुल राजस्व प्राप्तियां ₹ 57,067.26 करोड़ है जबकि वर्ष 2022–23 के पुनरीक्षित अनुमान के अनुसार ₹ 52044.86 करोड़ है। राजस्व प्राप्तियां में वर्ष 2023–24 (बजट अनुमान) अनुसार वर्ष 2022–23 की तुलना में 09.63 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है।

2.4 वर्ष 2023–24 (बजट अनुमान) के अनुसार राज्य कर ₹ 31402.48 करोड़ तथा वर्ष 2022–23 (पुनरीक्षित अनुमान) में ₹ 27519. 83 करोड़ में आंकी गई है। राज्य कर वर्ष 2023–24 (बजट अनुमान) में वर्ष 2022–23 (पुनरीक्षित अनुमान) की अपेक्षा 14.10 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है।

2.5 केन्द्रीय करों में राज्य का भाग वर्ष 2023–24 (बजट अनुमान) में ₹ 11419.80 करोड़ आंका गया है जो कि वर्ष 2022–23में ₹ 10568.11 करोड़ थी।

3–करापान

3.1 राज्य की सकल प्राप्तियों में व्यापार कर / मूल्य वर्धित कर का योगदान लगभग 60 प्रतिशत होने के कारण यह राज्य की आय का प्रमुख एवं महत्वपूर्ण स्रोत है।

3.2 दिनांक 09 नवम्बर, 2000 को राज्य के अस्तित्व में आने के पश्चात वर्ष 2000–2001 में प्राप्त कर संग्रह ₹ 233 करोड़ था, जो कि वर्ष 2022–23 तक लगभग 52 गुना बढ़कर ₹ 12,028.68 करोड़ (₹ 2,136.60 करोड़ प्रतिकर धनराशि सहित) हो गया है। वर्ष 2023–24 में माह दिसम्बर, 2023 तक कुल राजस्व संग्रह ₹ 8,496.82 करोड़ (₹ 476.62 करोड़ प्रतिकर धनराशि सहित) रहा है।

3.3 राज्य कर विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 में (पेट्रोलियम प्रोडक्ट एवं नैचुरल गैस तथा शराब पर प्राप्त कर को छोड़ते हुये) माह दिसम्बर, 2022 तक कुल ₹ 7,418.33 करोड़ (₹ 1,790.53 करोड़ प्रतिकर की धनराशि सहित) का राजस्व अर्जित किया गया था, जबकि इसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2023–24 में (पेट्रोलियम प्रोडक्ट एवं नैचुरल गैस तथा शराब पर प्राप्त कर को छोड़ते हुये) माह दिसम्बर, 2023 तक विभाग द्वारा कुल ₹ 6,660.71 करोड़ (₹ 476.62 करोड़ प्रतिकर की धनराशि सहित) का राजस्व प्राप्त किया गया है।

3.4 वित्तीय वर्ष 2022–23 में माह दिसम्बर, 2022 तक राज्य को प्रतिकर अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त प्रतिकर की धनराशि ₹ 1790. 53 करोड़ है, जिसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2023–24 में राज्य को प्रतिकर अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त प्रतिकर की धनराशि ₹ 476.62 करोड़ रही है। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2023–24 के अन्तर्गत शासन द्वारा 01 अप्रैल, 2023 से शराब पर कर की दर 20 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत कर दी गयी है।

3.5 वित्तीय वर्ष 2022–23 में माह दिसम्बर, 2023 तक राज्य को प्रतिकर अधिनियम के

अन्तर्गत प्राप्त प्रतिकर की धनराशि, 1790.53 करोड़ है, जिसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2023–24 में राज्य को प्रतिकर अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त प्रतिकर की धनराशि ₹ 476.62 करोड़ रही है। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2022–23 के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2023–24 (माह दिसम्बर, 2022 तक) में राज्य के कुल राजस्व संग्रहण में कमी प्रदर्शित हो रही है। यदि राज्य को प्राप्त कुल राजस्व में प्रतिकर अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त प्रतिकर की धनराशि को सम्मिलित न किया जाय तो वित्तीय वर्ष 2022–23 के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2023–24 में राज्य के कुल राजस्व संग्रहण में लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि हुयी है।

3.6 वित्तीय वर्ष 2022–23 में माह दिसम्बर, 2023 तक राज्य को IGST Settlement के अन्तर्गत कुल ₹1,860.79 करोड़ राजस्व प्राप्त हुआ था, जब कि वित्तीय वर्ष 2023–2024 की इसी अवधि में कुल IGST Settlement ₹ 2,241.44 करोड़ रहा, जो कि गत वर्ष के सापेक्ष 20 प्रतिशत अधिक है।

3.7 वित्तीय वर्ष 2022–23 में 31 दिसम्बर, 2022 तक स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग को प्राप्त आय (कोषागार से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर) ₹1484.24 करोड़ थी, जबकि वित्तीय वर्ष 2023–24 में 31 दिसम्बर, 2023 तक प्राप्त आय ₹ 1828.50 करोड़ रही, जो कि गत वर्ष की तुलना में 23.19 प्रतिशत अधिक है।

4– भाव संचलन

4.1 राज्य स्तर पर जनवरी 2023 से मार्च 2023 तक सूचकांक में निरन्तर वृद्धि हुई है। अप्रैल 2023 में कमी के उपरान्त मई 2023 में वृद्धि, जून 2023 में कमी एवं जुलाई 2023 एवं अगस्त 2023 में वृद्धि, सितम्बर 2023 तथा अक्टूबर में कमी एवं नवम्बर 2023 में पुनः वृद्धि के बाद दिसम्बर में कमी परिलक्षित हुई है।

4.2 राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2023 के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) माह जनवरी 2023 में मुद्रास्फीति की दर (+) 6.52 प्रतिशत थी जो दिसम्बर 2023 माह में 5.69 स्तर प्रतिशत पर अवस्थित रही। इसके सापेक्ष राज्य में वर्ष 2023 के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जनवरी 2023 माह में मुद्रास्फीति की दर (+) 6.37 प्रतिशत के स्तर पर थी, जो दिसम्बर माह में 4.73 प्रतिशत पर अवस्थित रही।

5–कृषि, गन्ना एवं उद्यान

5.1 **"प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पी. एम–किसान)"** योजना के अन्तर्गत पात्र किसान परिवारों के बैंक खातों में प्रति वर्ष ₹ 6000 (रूपये छः हजार मात्र) की धनराशि ₹. 2000 (रूपये दो हजार मात्र) की तीन समान किश्तों में प्रदान की जा रही है। प्रदेश में दिनांक 31 दिसम्बर, 2023 तक 9.52 लाख कृषक पंजीकृत हो चुके हैं तथा ₹ 2395.79 करोड़ धनराशि उपलब्ध करायी जा चुकी है।

5.2 भारत सरकार द्वारा देश के सभी भू–धारक लघु एवं सीमान्त किसानों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा कवच सृजित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY) नामक वृद्धावस्था पेंशन योजना शुरु की गई है, जो एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन स्कीम है तथा इसमें शामिल होने की आयु 18 से 40 वर्ष है। यह योजना 09 अगस्त, 2019 से प्रभावी है। योजनान्तर्गत प्रदेश में कुल 2121 कृषक पंजीकृत है।

5.3 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वर्ष 2023–24 में माह दिसम्बर, 2023 तक 86376 कृषकों का बीमा किया गया। वर्ष 2023–24 में 23712.98 हे. क्षेत्रफल के अन्तर्गत ₹ 174.68 करोड़ का बीमा किया गया है।

5.4 मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजनान्तर्गत मृदा

स्वास्थ्य में सुधार हेतु प्रदेश के समस्त कृषकों के खेतों की मिट्टी की जांच करते हुये उन्हें निःशुल्क मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराये जाते है।

5.5 राज्य में यूरोपियन वेजिटेबल को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अन्तर्गत मुख्य रूप से चेरी टोमेटो, ब्रोकली, ब्रेसेल्स बुश स्क्वेश, स्प्राउटस, चायनीज कैबेज, लाल पत्तागोभी, न्यूजीलैण्ड पालक, एसपरेगर्स, विलायती पालक, व स्टेम लेटयूसे के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। वर्तमान में राज्य में लगभग 80 है० में यूरोपियन वेजिटेबल की खेती की जा रही है।

5.6 सगन्ध पौधा केन्द्र (कैप), सेलाकुई के तकनीकी सहयोग से उत्तराखण्ड में 109 ऐरोमा कलस्टर विकसित किये गये है, जिनमें लगभग 24454 कृषकों द्वारा 8802 है० क्षेत्रफल में सगन्ध फसलों का कृषिकरण किया जा रहा है, जिससे 1708 टन सगन्ध तेल, हर्ब, फूल एवं पत्तियों का उत्पादन हो रहा है। सगन्ध फसलों के प्रसंस्करण हेतु 196 आसवन सयंत्रों की स्थापना की गयी है।

6 पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य

6.1 नेशनल डिजीटल लाइवस्टॉक मिशन के अर्न्तगत भारत सरकार द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में योजना जनपद देहरादून एवं हरिद्वार में अप्रैल, 2021 से कियान्वित की जा रही है। अप्रैल, 2023 से कार्यक्रम को सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में क्रियान्वित किया जा रहा है।

6.2 भारत सरकार द्वारा सहायतित नेशनल लाईवस्टाक मिशन योजना के अन्तर्गत स्थानीय भेड़ों की नस्ल सुधार हेतु विदेश (आस्ट्रेलिया) से मेरिनो नस्ल की 199 भेड़ें तथा 41 नर भेंढे कय किये गये है तथा वर्ष माह दिसम्बर 2022 में आस्ट्रेलिया से आयातित मैरीनों भेड़ों से अतिथि तक 407 Pure line एवं 2510 Cross line उच्च गुणवत्ता की संतति प्राप्त हुई है। आयातित मैरीनों के जर्म प्लाज्म को शीघ्रता से व्यापक स्तर पर राज्य के भेड़ पालकों के भेड़ो में प्रसारित करने के उद्देश्य से भेड़ों में Heat Synchronization and Artificial Insemination योजना प्रारम्भ की गयी है।

6.3 भारत सरकार की मोबाईल वेटनेरी यूनिट (MVU) योजनान्तर्गत 60 मोबाईल वेटनरी वाहनों का लोकार्पण किया गया है। भारत सरकार की सहायता से 60 मोबाईल वेटनरी यूनिट (वैन) के माध्यम से पशुपालकों के द्वार पर पशुचिकित्सा, टीकाकरण, रोग परीक्षण आदि सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। पशुपालकों की सुविधा हेत विभागीय हेल्पलाइन नम्बर (1962) प्रारम्भ किया गया है।

6.4 राज्य में मत्स्य पालन हेतु उपलब्ध जल क्षेत्रों के अन्तर्गत नदियों के रूप में 2686 कि०मी०, वृहद जलाशयों के रूप में 20687 हैक्टेयर, प्राकृतिक झीलों के रूप में 297 हैक्टेयर तथा तालाब/टैंक एवं पोखरों के रूप में लगभग 900 हैक्टेयर जल क्षेत्र उपलब्ध है।

7–सहकारिता

7.1 उत्तराखण्ड राज्य में सहकारिता विभाग द्वारा 671 बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों (एमपैक्स), 10 जिला सहकारी बैंकों व उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि० की कुल 327 बैंक शाखाओं के माध्यम से सहकारी सदस्यों को आर्थिक व सामाजिक रूप से सशक्त किये जाने का एक महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में राज्य में विभिन्न प्रकार की 4267 सहकारी समितियाँ संचालित है।

7.2 संकल्प से सिद्धि–सहकारिता से समृद्धि के

आवाहन से सीमान्त किसानों की आय में वृद्धि के स्तर में सुधार एवं पलायन की रोकथाम के उद्देश्य पूर्ति हेतु मुख्यतः सहकारिता, डेरी विकास, भेड़–बकरी एवं मत्स्य पालन गतिविधियों द्वारा संचालित की जा रही है।

8– खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले

8.1 राशन कार्डों को और सुविधाजनक बनाये जाने के उद्देश्य से राज्य में पुराने बुकलेट राशन कार्डों के स्थान पर नवीन सुविधाजनक QR Code तथा यूनिक नम्बर के साथ राशन कार्ड बनाये जा रहे हैं.

8.2 राज्य में पहली बार पी0डी0एस0 के अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (अन्त्योदय व प्राथमिक परिवार) के राशनकार्ड धारकों को रागी (मंडुआ) वितरण किये जाने हेतु क्रय नीति तैयार कर भारत सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत मंडुवा क्रय की अनुमति प्राप्त की गयी।

8.3 उत्तराखण्ड राज्य में अन्त्योदय अन्न योजना के राशनकार्ड धारकों को वित्तीय वर्ष 2022–23 में तीन गैस सिलिंडर निःशुल्क उपलब्ध कराया गया है। वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु उक्त योजना में ₹ 55 करोड़ का बजट प्राविधानित किया गया है। उक्त योजना में राज्य के लगभग 1.83 लाख अन्त्योदय राशनकार्ड धारकों को लाभ दिया जा रहा है।

9– वन एवं पर्यावरण

9.1 भारतीय वन सर्वेक्षण (Forest Survey of India) रिपोर्ट के अनुसार वनावरण 24,303 वर्ग किमी0 पाया गया। भारतीय वन सर्वेक्षण (Forest Survey of India) की वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार वनावरण 24,305 वर्ग किमी0 पाया गया। दो वर्षों की अवधि में वनावरण में 2 वर्ग किमी0 की वृद्धि पायी गयी है।

9.2 ईको टूरिज्म को बढ़ावा देने एवं इससे अतिरिक्त आजीविका के अवसर उपलब्ध कराये जाने हेतु मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी का गठन किया गया है, ईको टूरिज्म से प्राप्त आय को ईको टूरिज्म के विकास में उपयोग किये जाने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान में 12 ईको टूरिज्म गन्तव्यों को विकसित किया जा रहा है।

10–परिवहन एवं संचार

10.1 देहरादून, नैनीताल तथा टनकपुर में निगम के तीन डिवीजनल कार्यालय तथा 19 डिपो कार्यरत हैं। निगम 358 रूटों पर 971 सेवायें प्रदान कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में माह दिसम्बर, 2023 तक निगम द्वारा संचालित 1351 यात्री बसों में 1161.78 लाख किमी0 की संचालन से 344.56 लाख यात्रियों ने यात्रायें की। वर्तमान में निगम की 1309 बसों में से 553 बसें पर्वतीय तथा 756 बसें मैदानी क्षेत्रों में संचालित हो रही हैं।

10.2 उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बसों में ऑन लाईन टिकट बुकिंग की सुविधा प्रदान की गयी है। ऑनलाइन बुकिंग हेतु यात्री **यूजर लॉगिन** कर, website एवं App. के माध्यम तथा कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) से विभिन्न सेवाओं **(Non-Stop/Volvo /AC/ Ordinary/ Hill)** द्वारा निगम की बसों का टिकट बुक किया जा सकता है।

10.3 राज्य में इलैक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए एवं स्वच्छ व प्रदूषण मुक्त वायु उपलब्ध कराने हेतु नई ई–व्हीकल पॉलिसी प्रस्तावित की गई है। वर्तमान में देहरादून शहर में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत 30 इलैक्ट्रिक बसें संचालित हो रही हैं। इलैक्ट्रिक वाहन क्रय करने पर टैक्स में छूट का प्रस्ताव किया गया है।

10.4 चालकों की लापरवाही से होने वाली दुर्घटनाओं पर रोक लगाने की दृष्टि से माइक्रोसॉफ्ट कम्पनी के साथ मिलकर **(HAMS) Harnessing Automobile Safety** सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। उक्त सॉफ्टवेयर के माध्यम से चालकों की परीक्षा ऑटोमेटेड रूप से लिए जाने की व्यवस्था है तथा परीक्षा की रिकॉर्डिंग हेतु सीसीटीवी की व्यवस्था की गई है।

10.5 चारधाम यात्रा पर आने वाले व्यावसायिक यात्री वाहनों को परिवहन विभाग द्वारा निर्गत किये जाने वाले ग्रीन कार्ड एवं ट्रिप कार्ड की व्यवस्था ऑनलाईन कर दी गई है।

10.6 दिनांक 24–05–2022 से उत्तराखण्ड राज्य में आई–रैड (Integrated Road Accident Database) परियोजना को लागू कर दिया गया है। उक्त परियोजना के लागू होने से राज्य में घटित सड़क दुर्घटनाओं का डाटा एक ही पोर्टल पर उपलब्ध हो सकेगा, जिससे दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु भविष्य की कार्ययोजना बनाने में सहायता मिलेगी। उक्त सॉफ्टवेयर में पुलिस, परिवहन, लो0नि0वि0 एवं चिकित्सा विभाग द्वारा सूचनाएं अंकित की जा रही है।

11– पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन

11.1 प्रदेश में पर्यटन की आर्थिकी का मुख्य आधार होने के फलस्वरूप आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, निवेश आकर्षित करने, रोजगार के अवसर पैदा करने और बुनियादी ढांचे के विकास को उत्प्रेरित करने के लिए उत्तराखण्ड सरकार द्वारा दिनांक 8 और 9 दिसंबर 2023 को उत्तराखंड में वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का सफल आयोजन कराया गया। पर्यटन क्षेत्र पर फोकस इस वृहद आयोजन के माध्यम से राज्य ने पर्यटन क्षेत्र के भविष्य के लिए एक मजबूत नींव रखी है।

11.2 पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन एवं आतिथ्य क्षेत्र में कौशल विकास करने हेतु समस्त जनपदों के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये, जिनमें डैस्टिनेशन टूरिस्ट गाइड कार्यक्रम के अन्तर्गत, हैरिटेज टुअर गाइड, नेचर गाइड, ढाबा संचालकों को प्रशिक्षण, टैक्सी संचालक (टूर ड्राईवर) का प्रशिक्षण, हुनर से रोजगार तक प्रशिक्षण कार्यक्रम, स्किल टैस्टिंग एवं सर्टिफिकेशन्स, होम–स्टे संचालकों को होम–स्टे प्रशिक्षण एवं मेक माई ट्रिप के माध्यम से भी होम–स्टे संचालकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा

11.3 भारत के प्रथम महा सर्वेक्षक सर जार्ज एवरेस्ट हाउस मसूरी का जीर्णोद्धार करते हुये म्यूजियम की स्थापना की गई है, हवाई क्रीडाओं हेतु एयरो स्पोर्ट हब/फ्लाईग, ट्रैनिंग कार्यक्रम की सुविधाओं को विकसित किया जाना है । जार्ज एवरेस्ट से हिमालय दर्शन हेलीकाप्टर सेवा का शुभारम्भ किया गया है

12–बैंकिंग एवं संस्थागत वित्त

12.1 वर्ष 2023–24 में 30 सितम्बर 2023 तक राज्य में कुल 2,507 बैंक शाखाओं का नेटवर्क है जिनमें से 46.67 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों, 24. 02 अर्द्ध शहरी क्षेत्रों तथा 29.31 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में कार्य कर रही है। वर्तमान में 1170 शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में, 602 शाखाएं अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में तथा 735 शहरी क्षेत्र में स्थित हैं।

12.2 जनगणना, 2011 के अनुसार राज्य में प्रति शाखा औसत जनसंख्या 4035 है जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 11271 है। 30 सितम्बर 2023 तक राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कुल 1395 शाखाओं का नेटवर्क है। एस. बी.आई की सबसे ज्यादा 445, पी.एन.बी. की 291 और बैंक ऑफ बड़ौदा की 134 शाखाएं

हैं। निजी क्षेत्रों के बैंकों का 454 शाखाओं का नेटवर्क हैं। शेष शाखायें अन्य बैंकों से सम्बन्धित है।

12.3 जिलेवार बैंक शाखाओं के प्रसार के संदर्भ में देहरादून जिले में सबसे अधिक 607 बैंक शाखाएं तथा रुद्रप्रयाग में सबसे कम 54 बैंक शाखाएं हैं। विभिन्न बैंकों द्वारा 30 सितम्बर 2023 तक 2676 ए.टी.एम. स्थापित किए गए हैं।

12.4 प्रधानमंत्री जन–धन योजना (PMJDY) बैंको द्वारा इस योजना के आरम्भ 28.08.2014 से लेकर 30 सितम्बर 2023 तक 34.76 लाख खाते खोले गये है, जिसमें से 2.74 लाख शून्य शेष खाते हैं, 24.41 लाख खाता धारकों को रुपे (Rupay) डेबिट कार्ड जारी किये गये हैं तथा 27.19 लाख खातों को आधार संख्या से जोड़ा गया है।

12.5 प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अन्तर्गत 01.04.2023 से 30.09.2023 तक 32.42 लाख ग्राहकों को आच्छादित किया गया है।

12.6 प्रधानमन्त्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) के अन्तर्गत 01.04.2023 से 30.09.2023 तक 9.17 लाख ग्राहकों को आच्छादित किया गया है।

12.7 प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के अन्तर्गत बैंकों द्वारा उत्तराखण्ड में 30-09-2023 तक चालू वित्त वर्ष 2023–24 में इस योजना में 1,14,154 नए सूक्ष्म उद्यमियों को ₹ 1471.34 करोड़ का नए ऋण स्वीकृत किये गये है।

13–विद्युत

13.1 वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु एम0एन0आर0ई0, भारत सरकार द्वारा प्रदेश में बायोगैस से विद्युत उत्पादन संयंत्र की स्थापना करायी जानी है। जिसके अन्तर्गत 3–60 कि0वा0 क्षमता के संयंत्र हेतु ₹ 45,000/– प्रति कि0वा0 की केन्द्रीय सहायता प्रदान की जा रही है।

13.2 यूजेवीएन लिमिटेड एवं वैकल्पिक जल ऊर्जा केन्द्र, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की के मध्य सतही विद्युत टरबाईन के शोध एवं विकास हेतु समझौता प्रपत्र हस्ताक्षरित किया गया, जिसमें कैनालों एवं नहरों में सतही टरबाईन लगाकर विद्युत उत्पादन किया जायेगा।

14– जल संस्थान एवं प्रबन्धन

14.1 जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित JJM-MIS वेबसाइट के अनुसार राज्य में दिनांक 01.04.2023 को कुल 38,553 बस्तियां हैं, जिसमें 14,53,700 ग्रामीण परिवार है।

14.2 जल जीवन मिशन शुभारम्भ पश्चात् मिशन अन्तर्गत हर घर जल (100% FHTCs Coverage) में राज्यान्तर्गत भारत सरकार द्वारा संचालित पोर्टल के अनुसार दिनांक 01.04.2023 को जनपदवार कुल 7,783 ग्राम पंचायतों के अन्तर्गत कुल 14,961 राजस्व ग्राम दर्शाये गये है, जिसके सापेक्ष जेजेएम के अन्तर्गत दि0 29.12.2023 तक जनपदवार 6885 राजस्व ग्रामों को एवं 2812 ग्राम पंचायतों को 100% FHTCs से आच्छादित किया जा चुका है। हर घर जल के अन्तर्गत इन ग्रामों को Online Certified किए जाने की कार्यवाही गतिमान है।

14.3 पेयजल की आपूर्ति का निर्धारित मानक शहरी क्षेत्र में 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (litre Per Capita Daily- LPCD) है। उत्तराखण्ड में कुल 102 स्थानीय निकाय है, इनमें से 77 नगरों में जलापूर्ति 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (litre Per Capita Daily- LPCD) से कम है, जिस हेतु नियोजित

रूप से नगरों को पेयजल सुविधा से संतृप्ति किये जाने की कार्ययोजना है।

14.4 वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु परियोजना पर कुल अनुमोदित परिव्यय 5603.33 करोड़ (केन्द्रांश–₹ 5043.00 करोड़ व राज्यांश–₹ 560.33 करोड़) के सापेक्ष दिनांक 29.12.2023 तक पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से ₹ 1712. 54 करोड़ की धनराशि परियोजना पर व्यय की जा चुकी है।

14.5 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत वार्षिक क्रियान्वयन योजना के अनुसार कुल 8260 व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों के निर्माण लक्ष्य के सापेक्ष 8402 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है।

14.6 स्वच्छ भारत मिशन–ग्रा0 के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में विगत वर्षों सहित क्रमिक कुल 15047 ग्रामों की डी.पी.आर. तैयार की गयी है, जिसके सापेक्ष क्रमिक 7199 ग्रामों में कार्य पूर्ण, 4534 ग्रामों में निर्माणाधीन एवं शेष ग्रामों में कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ किया जाना है।

14.7 सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के क्रम में नलकूप निर्माण एवं लघुडाल निर्माण की योजनाओं स्प्रिंकलर प्रणाली से सिंचाई किये जाने हेतु जनपद देहरादून, चमोली एवं जनपद पौड़ी में स्प्रिंकलर आधारित Lift Scheme से सिंचाई सुविधा प्रदान किये जाने (लागत ₹ 22.79 करोड़) हेतु निर्माण कार्य किया जा रहा है।

14.8 नाबार्ड वित्तपोषित, लघु सिंचाई योजनाओं के निर्माण मद में सोलर लिफ्ट योजना, सोलर बोरिंग पम्पसेट, छोटे चैक डेम, हौज, जियोलाईन टैंक तथा पाईप लाईन योजना आदि का निर्माण कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में नाबार्ड वित्तपोषित योजना RIDF-XXIX के अन्तर्गत ₹ 6806.17 लाख लागत की 88 योजनायें स्वीकृत हुई हैं, जिस पर कार्यवाही गतिमान है।

14.9 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना– हर खेत को पानी (भूजल) मद के अन्तर्गत, 9424.24 लाख लागत की 24 योजनाओं का प्रस्ताव स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित किया गया है, जिसके अन्तर्गत 1022 सोलर पम्पसेट योजनाओं के निर्माण से 4643 हैक्टेयर सिंचन क्षमता के सृजन का प्रस्ताव है।

15–सड़क एवं रेल

15.1 लोक निर्माण विभाग ने 31 मार्च 2023 तक 33196 किमी0 वाहन चलने योग्य सड़कें (जिसमें जीप योग्य एवं ट्रैक भी सम्मिलित हैं), का निर्माण कर लिया है।

15.2 प्रदेश में वर्तमान तक 3608 किमी0 लम्बे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, जिसमें शहरी लिंक रोड तथा बाईपास सम्मिलित हैं, इनमें से लोक निर्माण विभाग के अधीन 2095 किमी0 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, जिनके सुधार के कार्य वर्ष 2023–24 में भी जारी रहे। नवम्बर 2023 तक ₹ 146.46 करोड़ का व्यय किया गया।

15.3 भारत सरकार की महत्वाकांक्षी चार धाम परियोजना के अन्तर्गत राज्य में चारों धामों को जोड़ने वाले राजमार्गों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य किया जाना है, जिसके अन्तर्गत प्रदेश में ऑल वैदर रोड के अन्तर्गत 46 कार्य, 737 किमी0 लम्बाई हेतु ₹ 9971 करोड़ के कार्य स्वीकृत हैं।

15.4 जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत वर्ष 1929 में निर्मित लक्ष्मणझूला सेतु के समीप 132.30 मीटर स्पान के वैकल्पिक सेतु (बजरंग सेतु) का निर्माण कार्य प्रगति पर है, कार्य भौतिक रूप से 36 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। कार्य पूर्ण करने की लक्षित तिथि माह जुलाई 2024 है।

15.5 केन्द्रीय सड़क अवस्थापना निधि (Central Road Infrastructure Fund) योजना के अन्तर्गत आतिथि तक कुल 161 कार्य, लागत ₹1743 करोड़ के स्वीकृत किये गये हैं, जिनके सापेक्ष वर्तमान तक 140 कार्य, लागत ₹1163 करोड़ के पूर्ण किये जा चुके हैं। अवशेष 21 कार्यों में से 17 कार्य, लागत ₹ 568 करोड़ के प्रगति पर है।

16– उद्योग

16.1 राज्य गठन के समय 14163 इकाईयां स्थापित थी, जो वर्ष 2023–24 (माह दिसम्बर, 2023 तक) में बढ़कर 83356 हो गई हैं। इन वर्षों में इनमें 6 गुना की वृद्धि हुई है, जबकि इसके सापेक्ष निवेश में 20 गुना तथा रोजगार में 8 गुना की वृद्धि हुई है।

16.2 "उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन व्यवस्था" ऑनलाईन एक संयुक्त पोर्टल (www.investmentuttarakhand.com) विकसित किया गया है। **"निवेशक सुविधा एवं सहायता केन्द्र"** के माध्यम से विभाग में संचालित विभिन्न योजनाओं, नीतियों एवं कार्यक्रमों की जानकारी प्रदान की जा रही है।

16.3 वर्ष 2022–23 में जी–20 समूह के अन्तर्गत भारत की अध्यक्षता में विभिन्न राज्यों में अलग–अलग अन्तर्विभागीय बैठकें आयोजित की गई। राज्य में गढ़वाल मण्डल में 02 बैठकें एवं कुमांऊ मण्डल में 01 बैठक आयोजित की गई। राज्य में एन्टी करप्शन वर्किंग ग्रुप एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठकें माह मई एवं जून, 2023 में टिहरी जनपद में आयोजित बैठक में प्रौद्योगिकी, इन्फ्राटेक और डिजिटलीकरण की भूमिका की खोज के साथ–साथ जलवायु परिवर्तन से लेकर बुनियादी ढांचे के लचीलेपन और तेज शहरीकरण और समावेशन पर चर्चा हुई।

16.4 राज्य में **"मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना"** में विनिर्माणक, सेवा तथा व्यवसाय की स्थापना के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण सुविधा उपलब्ध कराकर स्वीकृत परियोजना पर 15 से 25 प्रतिशत तक मार्जिन मनी के रूप में अनुदान सहायता दी जायेगी।

16.5 उत्तराखण्ड राज्य शिल्प रत्न पुरस्कार योजना संचालित की जा रही है। शिल्प रत्न पुरस्कार योजना के अंतर्गत राज्य के 54 शिल्पियों को पुरस्कार प्रदान किये गये। वर्ष 2023–24 के 314 सिद्ध हस्तशिल्पियों को पुरस्कार दिया जाना प्रस्तावित है।

16.6 राज्य के बी0पी0एल0 श्रेणी के ऐसे शिल्पी जो 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर समाज कल्याण विभाग से पेंशन प्राप्त कर रहे है को प्रोत्साहित किये जाने हेतु प्रोत्साहन के रूप में विभाग द्वारा शिल्पियों हेतु **"शिल्पी पेंशन योजना"** प्रारंभ की गयी है।

16.7 दिनांक 8–9 दिसम्बर, 2023 को देहरादून में आयोजित उत्तराखण्ड ग्लोबल इनवेस्टर्स समिट में प्रमुख क्षेत्रों जैसे ऊर्जा, विनिर्माण, पर्यटन, रिएल एस्टेट, वेलनेस–आयुष, स्वास्थ्य आदि में लगभग 3.5 लाख करोड़ रूपये की धनराशि के एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित हुये।

16.8 अवैध खनन, अवैध परिवहन की प्रभावी रोकथाम एवं राजस्व वृद्धि हेतु Mining Digital Transformation and Surveillance System (MDTSS) भारत सरकार के उपक्रम आ0टी0आई0 लि0 के माध्यम से विकसित किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

16.9 वर्ष 2024–25, 2025–26 एवं 2026–27 हेतु विजन तथा रणनीति का विवरण वर्ष 2026–27 तक खनिजों से राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य लगभग ₹ 1500 करोड़ होने का अनुमान है तथा खनन प्रशासन के अन्तर्गत क्षेत्रीय

निरीक्षण कार्यों एवं अवैध खनन भण्डारण, परिवहन के 6000 प्रकरणों के निष्पादन का लक्ष्य प्रस्तावित है।

17–श्रम रोजगार एवं कौशल विकास

17.1 असंगठित क्षेत्र के कामगारों का नेशनल डाटा बेस निर्मित करने हेतु भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ ई–श्रम पोर्टल में 16 से 59 आयु वर्ग के कामगारों द्वारा पंजीकरण प्रक्रिया सतत रूप से गतिमान है। भारत सरकार द्वारा उत्तराखण्ड मे पंजीकरण हेतु निर्धारित लक्ष्य 31,50,240 के सापेक्ष दिनांक 05.01.2024 तक 30,04,154 श्रमिकों का पंजीकरण कराते हुए 95.36% लक्ष्य की पूर्ति हुई है। भविष्य में पंजीकृत कामगारों को उनकी सामाजिक सुरक्षा हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित होने वाली योजनाओं से आच्छादित किया जाएगा।

17.2 रोजगार, शिक्षा तथा प्रशिक्षण प्रदान कर युवा बेरोजगारों के प्रतिशत को कम करने हेतु सेवायोजन कार्यालय की सक्रिय पंजिका (Live Register) में कुल 890338 बेरोजगार अभ्यर्थी पंजीकृत है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में माह दिसम्बर 2023 तक 131 रोजगार मेलों का आयोजन किया गया। जिनमें कुल 12351 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया तथा इन मेलों के माध्यम से 2161 युवाओं को रोजगार/ प्रशिक्षणोपरान्त रोजगार हेतु चयन किया गया।

17.3 प्रदेश के सार्वजनिक क्षेत्र मे कुल कामगारो की संख्या की संख्या 203810 है, वही निजी क्षेत्र में कामगारो की संख्या 119799 है। सार्वजनिक क्षेत्र के नियोजकों की संख्या 3000 है तो निजी क्षेत्र में कुल नियोजकों की संख्या 928 है।

17.4 नाबार्ड योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में 16 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 19 निर्माण कार्यों हेतु नाबार्ड से ₹ 5349.54 लाख की योजना स्वीकृत की जा चुकी है जिसके क्रम ₹ 1444.34 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

17.5 पी एल एफ एस (PLFS) 2022-23 के अनुसार राज्य में वर्ष 2021-22 की बेरोजगारी दर 8.4 प्रतिशत के सापेक्ष वर्ष 22-23 में घट कर 4.9 प्रतिशत रह गयी है

17.6 राज्य के युवाओं को उनकी रूचि एवं योग्यता के अनुसार रोजगारपरक जॉबरोल्स मे कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें बाजार की मांग के अनुरूप तैयार करने हेतु रोजगार एवं कौशल विकास योजना जैसी महत्त्वकांक्षी परियोजना का प्रारम्भ किया गया

18– ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज

18.1 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत वर्तमान तक 65358 स्वयं सहायता समूह की 505012 लाख गरीब परिवारों की महिलाओं को संगठित कर 6744 ग्राम संगठन तथा 417 कलस्टर स्तरीय संगठन का गठन किया गया है। 50240 समूहों को अब तक कुल ₹ 5903.27 लाख परिक्रामी निधि (रिवोल्विंग फण्ड) के रूप में उनकी छोटी जरूरतों की पूर्ति तथा आपसी लेन–देन करने हेतु उपलब्ध करायी गयी है।

18.2 दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत वर्ष 2019 से 2024 तक 25000 ग्रामीण गरीब युवाओं को विभिन्न कौशल विकास के सेक्टरों में प्रशिक्षित किया जाना है। माह दिसम्बर, 2023 तक 20649 अभ्यर्थियों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त कर 15765 अभ्यर्थियों को रोजगार में स्थापित किया गया तथा 10556 अभ्यर्थियों द्वारा तीन माह या उससे अधिक का रोजगार किया जा चुका है।

18.3 प्रधानमन्त्री आवास योजना–ग्रामीण योजना अन्तर्गत द्वितीय फेज वर्ष 2020–21 से

2023–24 में 58456 का लक्ष्य प्राप्त हुए हैं एवं आवास प्लस सूची में 57481 लाभार्थी सम्मिलित हैं। जिसके सापेक्ष 56750 आवासों को स्वीकृत करते हुए 31232 आवासों को पूर्ण कराया जा चुका है। योजनान्तर्गत वर्ष 2023–24 हेतु माह अगस्त, 2023 में 24227 आवास निर्माण का लक्ष्य प्राप्त हुआ जिसके सापेक्ष राज्य में आवास प्लस स्थाई प्रतीक्षा सूची में उपलब्ध 23366 के सापेक्ष 22637 आवासों को आवास आवंटित करते हुए 20167 लाभार्थियों को प्रथम किश्त अवमुक्त की जा चुकी है तथा 301 आवासों को पूर्ण कराया जा चुका है।

18.4 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में माह दिसम्बर, 2023 तक भारत सरकार द्वारा ₹ 399.03 करोड़ तथा प्रदेश सरकार के राज्यांश के रूप में ₹ 29.85 करोड़ अवमुक्त हुआ, जिसके सापेक्ष ₹423.08 करोड़ की धनराशि व्यय की जा चुकी है। 6506 परिवारों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाकर 139.48 लाख मानव दिवस सृजित किये गए हैं।

18.5 राज्य मे वर्ष 2025 तक 1.25 लाख लखपति दीदी बनाये जाने लक्ष्य के सापेक्ष वर्तमान तक कुल 68569 लखपति दीदी बनाई जा चुकी है

18.6 अमृत सरोवर के अन्तर्गत राज्य द्वारा लक्ष्य 975 (75 सरोवर प्रति जनपद) का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसके सापेक्ष 1983 अमृत सरोवर स्थल चिह्नित किये गये। माह दिसम्बर 2023 तक चिह्नित स्थलों में से 1380 स्थलों पर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है एवं 1282 अमृत सरोवर निर्मित किये जा चुके हैं।

19— शहरी विकास एवं आवास

19.1 वर्तमान में राज्य में 9 नगर निगम, 44 नगर पालिका परिषद और 49 नगर पंचायतों सहित कुल 102 शहरी स्थानीय नगर निकाय हैं। राज्य के शहरी क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं के विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 में ₹ 914.22 करोड़ धनराशि प्राविधान की गई है और दिसम्बर, 2023 तक ₹ 557.63 करोड़ का व्यय हुआ।

19.2 शहरी विकास अन्तर्गत दीन दयाल अंत्योदय योजना– राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डे0–एन0यू0एल0एम0)के अन्तर्गत आवासन और शहरी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 में Spark Ranking में उत्तराखण्ड राज्य द्वारा पूरे भारत वर्ष में <u>**तृतीय स्थान**</u> प्राप्त किया।

19.3 कौशल विकास एवं प्लेसमेन्ट द्वारा रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 2023–24 में 308 लाभार्थियों को निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करने के लक्ष्य के सापेक्ष 180 लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु प्रशिक्षण संस्थाओं को कार्यादेश जारी किया जा चुका है।

19.4 भागीदारी में किफायती आवास घटक अन्तर्गत 20 परियोजनायें 15960 आवासों की भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हैं। जिनमें से 1344 आवासो पर कार्य पूर्ण कर लिये गये है व शेष आवासों पर कार्य प्रगति पर है।

19.5 देहरादून में विकसित किये जाने वाले मेट्रो को नियो मेट्रो के नाम से जाना जायेगा। यह टीयर 2/3 के शहरों के लिए उपयुक्त होता है। दून मेट्रो में दो कॉरिडोर होंगे जिसमें पहला आई0एस0बी0टी0 से गाँधी पार्क तथा दूसरा कॉरिडोर एफ0आर0आई0 से रायपुर तक होगी। परियोजना की कुल लम्बाई 22.50 किमी0 होगी तथा 25 स्टेशन होंगे. परियोजना की कुल लागत ₹ 1850 करोड़ अनुमानित है। वर्तमान में परियोजना भारत सरकार के स्तर पर विचाराधीन है।

19.6 राज्य में प्रथम बार टनल/केविटी पार्किंग की परियोजनाओं को विकसित किया जा रहा है, जिसमें बागेश्वर में 01, नैनीताल में 02, पौड़ी में 01, टिहरी में 03, रूद्रप्रयाग में 02 तथा उत्तरकाशी में 02 स्थानों को टनल/केविटी पार्किंग हेतु चिन्हित किया गया है। जिनमें रूद्रप्रयाग में 02, उत्तरकाशी में 02 तथा पौड़ी में 01 में टनल पार्किंग की डी0पी0आर0 बनाये जाने का कार्य गतिमान है, बागेश्वर में 01, नैनीताल में 02 तथा टिहरी में 02 परियोजना की तकनीकी व्यवहारिकता का कार्य गतिमान है, तथा टिहरी के कैम्पटी टनल पार्किंग निर्माण हेतु धनराशि दिनांक 04.12.23 को अवमुक्त कर दी गयी है। उक्त में निविदा किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

20– शिक्षा

20.1 प्रदेश में 13923 राजकीय विद्यालय हैं, जिनमें 472662 विद्यार्थी नामांकित हैं तथा 30927 शिक्षक कार्यरत हैं, जबकि निजी/प्राइवेट विद्यालय 3971 हैं, जिनमें 434346 विद्यार्थी नामांकित है तथा 29862 शिक्षक कार्यरत है।

20.2 राज्य में 1406 राजकीय इण्टर कालेज, 340 सहायता प्राप्त इण्टर कालेज, 907 राजकीय हाईस्कूल, 63 सहायता प्राप्त हाईस्कूल तथा 1169 असहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय, इस प्रकार कुल 3885 माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं।

20.3 कस्तूरबा गाँधी बालिका आवासीय छात्रावासों के माध्यम से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग एवं बी0पी0एल0 परिवारों की छात्राओं हेतु शिक्षा व्यवस्था के लिए 40 के0जी0बी0वी0 संचालित हैं। वर्ष 2023–24 हेतु के0जी0बी0वी0 में 3724 छात्राओं को निःशुल्क भोजन, आवास एवं शिक्षा व्यवस्था की गयी है।

20.4 राज्य में वर्तमान में कुल 14947 आंगनवाड़ी केन्द्र हैं जिनमें से 5868 केन्द्र राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के परिसर में स्थित हैं। माह जुलाई 2023 से कुल 5868 आंगनवाड़ी केन्द्रों जो कि प्राथमिक विद्यालयों के परिसर में स्थित हैं, में बालवाटिका प्रारम्भ की गयी हैं।

20.5 वर्ष 2023–24 में एडुनेट फाउण्डेशन गुड़गाँव के द्वारा **जॉब रेडीनेन्स बूट कैम्प** का आयोजन ऑनलाइन माध्यम से किया गया, जिसमें छात्र–छात्राओं को व्यक्तित्व विकास एवं कम्युनिकेशन स्किल के बारे में जानकारी दी गई।

21– स्वास्थ्य

21.1 जनसामान्य की सुविधा के लिए राज्य के सभी प्रमुख चिकित्सालयों में ऑन लाईन रोगी रजिस्ट्रेशन सुविधा प्रारम्भ कर दी गयी है। इस व्यवस्था के परिणाम स्वरूप अब रोगी को घर बैठे ही चिकित्सक का Appointment प्राप्त हो सकेगा और उन्हें लाईन में लगकर इन्तजार करने की आवश्यकता नहीं होगी।

21.2 भारत सरकार की कार्ययोजना के अन्तर्गत समस्त स्वास्थ्य केन्द्रों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर में उच्चीकरण किया जाना है एवं वित्तीय वर्ष 2023–24 में राज्य के 13 जनपदों में कुल 2024 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों को स्थापित किया गया है। एन0एच0एम0 के अन्तर्गत कुल 1607 में से 1310 उपकेन्द्रों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में वर्ष 2023-24 में उच्चीकृत किया गया है।

21.3 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वर्तमान में राज्य के अन्तर्गत कुल 12018 आशा कार्यकत्रियों के सापेक्ष 11994 कार्यरत है। वर्तमान में 11456 आशा कार्यकत्रियों के द्वारा नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ ओपन स्कूल के द्वारा आयोजित करायी गयी आशा सर्टिफिकेशन की लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की

गयी है। आशा सपोर्ट स्ट्रक्चर में आशा कार्यकत्रियों के कार्यों में सहयोगात्मक सुपरविजन हेतु 606 आशा फैसिलिटेटरों, 101 ब्लाक कोर्डिनेटर व 13 जिला कम्यूनिटी मोबिलाइजर का चयन किया गया है।

21.4 उत्तराखण्ड में स्वास्थ्य सेवाओं में सुदृढ़ीकरण हेतु उत्तराखण्ड हैल्थ सिस्टम्स डेवलपमेंट परियोजना की कुल लागत 87.5 मिलियन यू0एस0 डॉलर (638 करोड़ रू0) है जिसमें से विश्व बैंक द्वारा 70 मिलियन यू0एस0 डॉलर के ऋण की स्वीकृति की गई है तथा शेष 17.5 मिलियन यू0एस0 डॉलर उत्तराखण्ड सरकार द्वारा वहन किया जायेगा एवं परियोजना की कुल अवधि 6 वर्ष है।

22– महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास

22.1 बच्चों में कुपोषण खत्म करने व महिलाओं के स्वास्थ्य सुधार हेतु वर्ष 2023–24 में प्राविधानित ₹1635.39 करोड़ के सापेक्ष ₹1045.43 करोड़ की धनराशि स्वीकृति की गयी जिसके सापेक्ष माह दिसम्बर 2023 तक ₹721.30 करोड़ व्यय किया गया है।

22.2 कुक्ड फूड योजना के अन्तर्गत 03 से 06 वर्ष तक के बच्चों को आंगनबाड़ी केन्द्रों पर माता समिति के माध्यम से पका भोजन (Hot Cooked Meal) प्रदान किया जा रहा है।

22.3 टेक होम राशन योजना के अन्तर्गत एकमुश्त साप्ताहिक राशन (माह में कुल 25 दिन) लाभार्थियों को उपलब्ध कराया जाता है। अति कुपोषित श्रेणी के बच्चों को स्वास्थ्य विभाग के परामर्श पर दोगुना पोषाहार एवं ऊर्जा आधारित–Ready to Use Therapeutic Food (RUTF) पोषाहार दिये जाने का प्राविधान है।

22.4 प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना (90%कें0सहा0) PMMVY के अन्तर्गत केवल प्रथम बच्चे के होने और द्वितीय प्रसव केवल बालिका के जन्म पर ही इस योजना का लाभ दिया जाता है। जो गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माता स्वंय केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक उपक्रम के नियमित रोजगार में है, को इस योजना से लाभ नहीं दिया जायेगा।

22.5 प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना के अन्तर्गत महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को टीकाकरण, आईएफए टेबलेट सेवन, प्रसवपूर्व एवं प्रसवोत्तर जाँच, स्तनपान, बच्चों का टीकाकरण आदि मापदण्डों की पूर्ति हेतु प्रति महिला तीन किश्तों में (प्रथम किश्त ₹1000, द्वितीय किश्त ₹2000, तृतीय किश्त ₹ 2000) कुल ₹ 5000/–की धनराशि प्रदान की जाती है।

22.6 राष्ट्रीय पोषण मिशन पोषण अभियान योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा राज्य के समस्त जनपदों में संचालित की गई है। योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य को कुपोषण मुक्त करना है। इस योजना के संचालन हेतु PoshanTracker के अन्तर्गत 20067 आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों को पॉवर बैंक सहित स्मार्ट फोन दिये गये है।

22.7 स्कीम फॉर एडोलसेन्ट गर्ल्स योजना के अन्तर्गत राज्य के आकांक्षी जनपद– हरिद्वार एवं ऊधमसिंहनगर की किशोरी बालिकाओं हेतु संचालित की गई है। योजनान्तर्गत किशोरियों को गेहूं एवं फोर्टिफाइड चावल दिया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2023–24 माह दिसम्बर तक 68409 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है।

23– सतत् विकास

23.1 सतत विकास लक्ष्यों को समयबद्ध प्राप्त करने के लिए अनुश्रवण एवं मूल्यांकन बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए राज्य द्वारा 2020 में State Indicator Framework ,or District

Indicator Framework बनाया, जिसे राज्य स्तरीय स्टेयरिंग कमेटी द्वारा अनुमोदित किया गया है।

23.2 नीति आयोग द्वारा हाल ही में बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 जारी किया गया है। उक्त सूचकांक NFHS 2015-16 एवं 2019–21 के आकड़ों पर आधारित है। उपरोक्त सूचकांक के अनुसार उत्तराखण्ड में बहुआयामी गरीबी के अन्तर्गत आने वाले व्यक्तियों का 2015–16 में राज्य की कुल जनसंख्या का 17.67 % था, जो 2019–21 में घटकर 9.67 % रह गया है। इन पांच साल के अन्तराल में राज्य के कुल 9,17,299 लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले है। यही नहीं राज्य में बहुआयामी गरीबी की तीव्रता 2015–16 में 44.35 % थी जो 2019–21 में घटकर 41.99 % रह गई है।

23.3 राज्य में 2015–16 से 2019–21 के अंतराल में सर्वाधिक, अल्मोड़ा जनपद में 16.18 % (प्रथम स्थान), उत्तरकाशी जनपद में 14. 74 % (द्वितीय स्थान) तथा चम्पावत जनपद में 12.82 % (तृतीय स्थान) लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले है।

24–खेल एवं युवा कल्याण

24.1 खिलाड़ियों के उत्साहवर्द्धन तथा भविष्य में होने वाले प्रतियोगिताओं के प्रोत्साहन हेतु राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त/प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों तथा उनके प्रशिक्षकों को नकद पुरस्कार स्वरूप धनराशि प्रदान की जाती है। खेल नीति–2021 के प्राविधानों के आधार पर वर्तमान वर्ष 2023 में पुरस्कार की धनराशि में पूर्व देय धनराशि के सापेक्ष 30 प्रतिशत से लेकर 100 प्रतिशत तक की वृद्धि की गयी है।

24.2 राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय स्तर के राज्य के खिलाड़ियों को राज्याधीन सेवाओं में श्रेणी–2 से श्रेणी– 3 तक आउट ऑफ टर्न नियुक्ति प्रदान किये जाने हेतु शासनादेश जारी किया गया।

24.3 प्रत्येक जनपद में 01–01 खेल हेतु खेलो इण्डिया सेन्टर संचालित किये जा रहे हैं एवं राज्य में बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल के निर्माण तथा विभाग में पूर्व निर्मित एथलेटिक्स, हॉकी एवं फुटबॉल मैदानों में एस्ट्रोटर्फ/सिंथेटिक बिछाये जाने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किये गये हैं।

24.4 युवक/महिला मंगल दलों के द्वारा किये गये उत्कृष्ट कार्यों के आधार पर अलग–अलग तीन श्रेणियों में वर्गीकृत कर विवेकानन्द यूथ एवार्ड के तहत नगद पुरस्कार राशि से सम्मानित किया जाता है।

24.5 युवाओं, महिला मंगल दलों एवं अन्य लोगों को रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ने हेतु व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

24.6 राज्य में दूरस्थ ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने हेतु विभाग द्वारा **"खेल महाकुम्भ"** का आयोजन किया जाता है। इसके माध्यम से न्याय पंचायत, विकास खण्ड व जनपद स्तर पर खेलों का आयोजन किया जाता है।

25–समाज कल्याण

25.1 अनुसूचित जाति के बी0पी0एल0 तथा ₹ 32,000 वार्षिक अथवा इससे कम आय वाले आवास विहीन परिवारों को आवास निर्माण के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में ₹ 38,500 एवं मैदानी क्षेत्रों में ₹ 35,000 की धनराशि प्रदान की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में माह–मार्च 2023 तक योजनान्तर्गत ₹171.00 लाख की धनराशि व्यय कर 285 परिवारों को लाभान्वित किया गया है।

25.2 वर्तमान में 15 बालक/बालिका राजकीय

अनुसूचित जाति छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है। इनमें कुल छात्र की पंजीकृत क्षमता 696 है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में ₹ 610.03 लाख बजट प्राविधान किया गया है।

25.3 अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के पैटर्न पर अनुसूचित जाति के बच्चों को आधुनिक शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु जनपद हरिद्वार में राजकीय आदर्श आवासीय विद्यालय की स्थापना की गयी है.

25.4 अल्पसंख्यक क्षेत्रों में उनकी माँग के अनुरूप अवस्थापना सुविधाऐं उपलब्ध कराने, आर्थिक/शैक्षिक विकास करने हेतु अल्पसंख्यक विकास निधि की स्थापना की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष ₹4.00 करोड़ की धनराशि आवंटित किये जाने का प्राविधान है।

26–सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी

26.1 राज्य के आई0टी0 अवस्थापना के साईबर सुरक्षा हेतु Cyber Crisis Management Plan (CCMP) एवं Critical Information Infrastructure (CII) Guidelines को उत्तराखण्ड कैबिनेट द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है। उत्तराखण्ड राज्य में साईबर हमलों से निपटने के लिये Sectoral Cert एवं Cert-UTK का गठन किया गया है।

26.2 वर्तमान में राज्य में 24100 कॉमन सर्विस सेंटर पंजीकृत हैं, जिनमें से 19003 कॉमन सर्विस सेंटर ग्राम पंचायतों में स्थापित है। 9461 सी0एस0सी0 ई–डिस्ट्रिक्ट सेवाओं हेतु अधिकृत किये गये हैं।

26.3 माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जनता से सीधा संवाद स्थापित करने तथा जन शिकायतों/समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु प्रारम्भ की गयी सी0एम0 हैल्पलाइन– 1905 के अन्तर्गत कुल 67 विभागों, 215 उप विभागों के 4800 अधिकारी मैप्ड हैं। सी0एम0 हैल्पलाइन–1905 के अन्तर्गत लगभग 452599 लाख शिकायतें प्राप्त हो चुकी हैं, जिसमें से 303173 लाख शिकायतों का सन्तुष्टिपूर्वक निराकरण किया जा चुका है।

26.4 आई0टी0 भवन में आई0टी0डी0ए0 द्वारा एस0टी0पी0आई0 **(Software Technolgy Park of India)** के साथ उत्तराखण्ड स्टार्टअप हब स्थापित किया गया है, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी प्रदत्त सेवाओं से सम्बन्धित विभिन्न स्टार्टअप इन्क्यूबेशन केन्द्र न्यूनतम लागत पर स्थापित किये गये हैं एवं एक उत्कृष्ठ केन्द्र "ड्रोन तकनीकी" हेतु स्थापित होगा।

26.5 उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र (यू–सैक) द्वारा प्रदेश के विभिन्न विभागों की भूमि/परिसम्पत्तियों एवं सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को रोके जाने एवं हटाये जाने हेतु उत्तराखण्ड गवर्नमेंट एसेट मैनेजमेन्ट सिस्टम (UKGAMS) पोर्टल तैयार किया जा रहा है, जिसमें समस्त विभागों एवं सरकारी परिसम्पत्तियों की पंजिका तैयार करा कर मौके की वास्तविक स्थिति का सैटेलाइट/ड्रोन/विडियो द्वारा सत्यापन करते हुए प्रत्येक सम्पत्ति की जी0आई0एस0 फेन्सिंग कर यूनिक नम्बर आवंटित किया जा रहा है।

27.–राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन

27.1 प्रदेश की गैर जमींदारी विनाश खतौनियों का कम्प्यूटरीकरण/डिजिटाईजे न सम्बन्धी कार्य पूर्ण किया जा चुका है, प्रदेश की नॉन जेड0ए0 खतौनियों को जनपदवार आमजन के उपयोगार्थ ऑनलाईन किया जा चुका है।

27.2 प्रदेश के 11 जनपदों के कैडस्ट्रल मैप्स डिजिटाईजेशन सम्बन्धी कार्य गतिमान है

जिसमें तक 70% कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

27.3 राज्य में मौसम पूर्वानुमान की सटीक जानकारी प्राप्त किये जाने हेतु 02 स्थानों यथा, मुक्तेश्वर नैनीताल एवं सुरकुन्डा, टिहरी में पूर्व से ही डॉप्लर रडार स्थापित है एवं माह दिसम्बर, 2023 में पौड़ी गढ़वाल के लैंसडॉउन में एक अन्य डॉप्लर रडार की स्थापना की गयी है।

27.4 उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण ने आपदा की स्थिति में त्वरित प्रतिवादन के लिये एवं आपदा जोखिम को न्यून करने के लिये ड्रोन एप्लीकेशन एण्ड रिसर्च सेन्टर (आई.टी.डी.ए.) के साथ समझौता ज्ञापन के अन्तर्गत यू.ए.वी. भारी क्षमता वाला ड्रोन खरीदा गया। जिसकी लागत धनराशि रू0 1.50 करोड़ है।

27.5 उत्तराखण्ड राज्य अन्तर्गत देहरादून में दिनांक 28 नवम्बर, 2023 से 01 दिसम्बर, 2023 तक 6th World Congress on Disaster Management (6th WCDM) सफलतापूर्वक सम्पन्न हुई।

27.6 राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, भारत सरकार के सहयोग से राज्य के पत्थर की चिनाई वाले भवनों को भूकम्प अवरोधी बनाये जाने के उद्देश्य से "Pilot Project to Improve Earthquake Masonry Lifeline Building" परियोजना संचालित है। उक्त परियोजना के सफल सम्पादन हेतु भारत सरकार द्वारा 3.03 करोड़ की आर्थिक सहायता प्रदान की गयी है, जिसमें से लगभग 2.00 करोड़ रुपये का व्यय कर 05 राजकीय भवनों की रेट्रोफिटिंग की गयी है।

अध्याय–2
राज्य आय एवं लोक वित्त
State Income and Public Finances

भूमिका : सकल राज्य घरेलू उत्पाद जिसे सामान्यतः राज्य आय (State Income) के नाम से भी जाना जाता है, किसी भी राज्य के आर्थिक विकास का सर्वोत्तम मापदण्ड है। यह अनुमान राज्य की अर्थव्यवस्था के आकार को प्रदर्शित करता है। अर्थव्यवस्था को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है – प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र तथा तृतीयक क्षेत्र। तीनों क्षेत्रों के आधार पर राज्य की अर्थव्यवस्था का आंकलन निम्नानुसार किया गया है:–

2.1 राज्य की अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान :

राज्य अर्थव्यवस्था के खण्डवार विश्लेषण के अनुसार वर्ष 2011–12 एवं 2023–24 के प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार राज्य का कुल राज्य सकल मूल्य वर्द्धन (प्रचलित भाव पर) प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्र का तुलनात्मक योगदान चार्ट 2.1.1 एवं 2.1.2 में दर्शाया गया है:–

चार्ट 2.1.1 : अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों का योगदान प्रचलित भाव पर (प्रतिशत में) वर्ष 2011–12

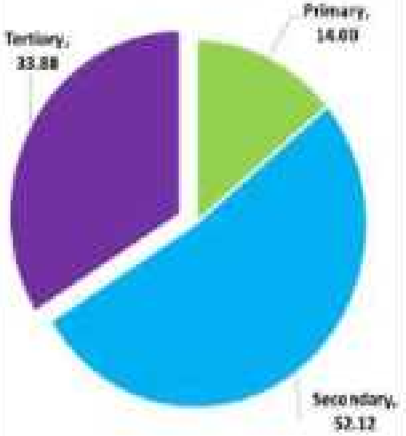

चार्ट 2.1.2 : अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों का योगदान प्रचलित भाव पर (प्रतिशत में) वर्ष 2023–24

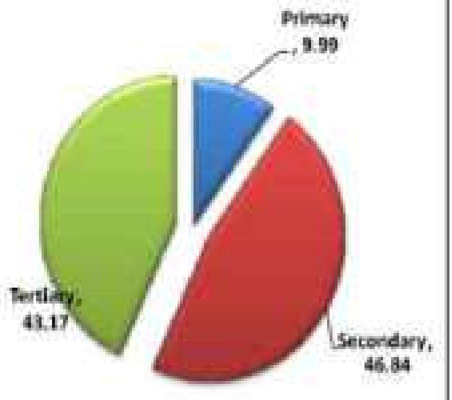

2.2 राज्य अर्थव्यवस्था की खण्डवार एवं उप–खण्डवार मूल्य वर्द्धन (Value Addition) एवं वृद्धि दरें :

वर्ष 2023–24 के प्रथम अग्रिम अनुमान के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों के योगदान को निम्नानुसार तालिका के माध्यम से दर्शाया गया है।

2.2.1 प्राथमिक क्षेत्र (Primary Sector):

प्राथमिक क्षेत्र की विभिन्न मदों की स्थिर एवं चालू मूल्यों पर मदवार उपलब्धियां (मूल्य वर्द्धन तथा वृद्धि दरें) तालिका–2.1 एवं चार्ट 2.2 में प्रदर्शित है–

तालिका–2.1

प्रचालित मूल्यों पर प्राथमिक क्षेत्र के विभिन्न उप–खण्डों के GDP के अनुमान तथा वृद्धि दरें

प्राथमिक क्षेत्र	प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2023–24		वर्ष 2023–24
मदे	कुल मूल्य वर्द्धन (₹ करोड़ में)	वृद्धि दर (प्रतिशत में)	प्रतिशत अंश
1	2	3	4
1. कृषि	12835	5.17	39.29
2. पशुपालन	7922	9.62	24.25
3. वानिकी एवं लठ्ठा बनाना	8446	8.63	25.86
4. मत्स्य पालन	116	9.81	0.36
5. खनन तथा उत्खनन	3346	9.55	10.24
कुल प्राथमिक क्षेत्र	**32665**	**7.57**	**100.00**

चार्ट 2.2 : वर्ष 2023–24 में प्रचलित भावों पर प्राथमिक क्षेत्र में उप क्षेत्रों का योगदान

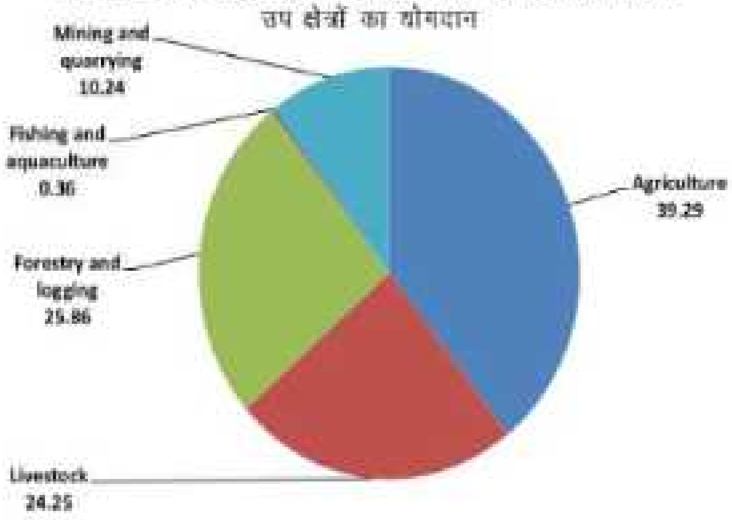

उक्त चार्ट के अनुसार वर्ष 2023–24 में प्रचलित मूल्यों पर प्राथमिक क्षेत्र की उप मदों के अन्तर्गत कृषि का योगदान सर्वाधिक 39.29 प्रतिशत रहा है।

2.2.2 द्वितीयक क्षेत्र (Secondary Sector): द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण, निर्माण तथा विद्युत, गैस, जल सम्पूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएं सम्मिलित हैं। विनिर्माण के अन्तर्गत खाद्य, कपड़ा, लकड़ी, रबड़, आयरन व स्टील आदि विभिन्न वस्तुओं के विनिर्माण की आर्थिक गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है। वर्ष 2023–24 में द्वितीयक क्षेत्र की 17.28 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। प्राथमिक क्षेत्र के खनन तथा उत्खनन की आर्थिक गतिविधियों को द्वितीयक क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों में सम्मलित करने पर औद्योगिक क्षेत्र की स्थिर भाव पर 17.10 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। स्थिर मूल्यों पर (2011–12) तथा प्रचलित मूल्यों पर द्वितीयक क्षेत्र के विभिन्न उप–खण्डों के मूल्य वर्द्धन के अनुमान तथा वृद्धि दरें तालिका–2.2 एवं चार्ट 2.3 में प्रदर्शित हैः–

तालिका –2.2

द्वितीयक क्षेत्र	प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2023–24		वर्ष 2023–24
मदें	कुल मूल्य वर्द्धन (₹ करोड़ में)	वृद्धि दर (प्रतिशत में)	प्रतिशत अंश
1	2	3	4
1. विनिर्माण	104540	14.23	68.23
2. विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएं	13105	21.30	8.55
3. निर्माण	35576	25.60	23.22
उप योग द्वितीयक क्षेत्र	**153221**	17.28	100.00
औद्योगिक क्षेत्र	**156567**	17.10	

चार्ट 2.3 : वर्ष 2023–24 में प्रचलित भावों पर द्वितीयक क्षेत्र में उप क्षेत्रों का योगदान

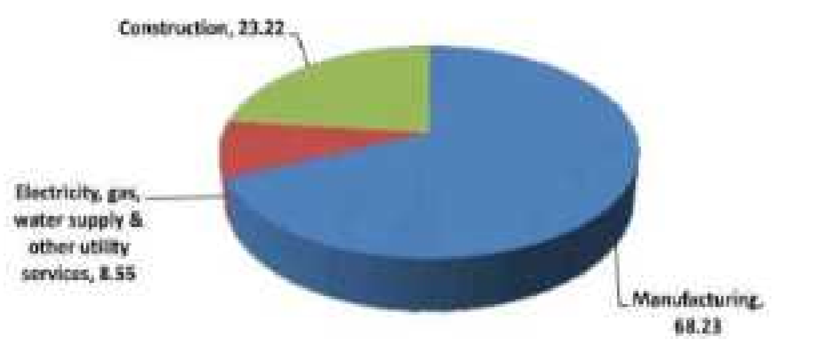

उक्त चार्ट के अनुसार वर्ष 2023–24 में प्रचलित मूल्यों पर द्वितीयक क्षेत्र की उप मदों के अन्तर्गत विनिर्माण का योगदान सर्वाधिक 68.23 प्रतिशत रहा है।

2.2.3 तृतीयक क्षेत्र (Tertiary Sector):

तृतीयक क्षेत्र में परिवहन, भण्डारण, संचार एवं प्रसारण सम्बन्धित सेवाएं व्यापार, होटल एवं जलपान गृह, वित्तीय सेवाएं, स्थावर सम्पदा, व्यावसायिक सेवाएं, लोक प्रशासन तथा अन्य सेवाएं सम्मिलित हैं। वर्ष 2023–24 में प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार समग्र तृतीयक क्षेत्र में 12.28 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। स्थिर मूल्यों पर (2011–12) तथा प्रचालित मूल्यों पर तृतीयक क्षेत्र के विभिन्न उप–खण्डों के मूल्य वर्द्धन के अनुमान तथा वृद्धि दरें तालिका–2.3 एवं चार्ट 2.4 मे प्रदर्शित है:-

तालिका –2.3

तृतीयक क्षेत्र	प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2023–24		वर्ष 2023–24
मदें	कुल मूल्य वर्द्धन (₹ करोड़ में)	वृद्धि दर (प्रतिशत में)	प्रतिशत अंश
1	2	3	4
1. परिवहन, भण्डारण, संचार एवं प्रसारण से संबंधित सेवायें	30419	15.87	21.54
1.1 रेलवे	558	16.90	0.40
1.2 रेलवे के अतिरिक्त अन्य परिवहन साधन	9000	21.22	6.37
1.3 भंडारण	15	11.28	0.01
1.4 संचार एवं प्रसारण से संबंधित सेवायें	20846	13.68	14.76
2. व्यापार, होटल एवं जलपान गृह	49130	12.70	34.79
3. वित्तीय सेवायें	10283	9.90	7.28
4. स्थावर सम्पदा, आवास का स्वामित्व एवं व्यावसायिक सेवायें	16491	10.30	11.68
5. लोक प्रशासन	13328	9.95	9.44
6. अन्य सेवायें	21578	10.60	15.28
उप योग तृतीयक क्षेत्र	141229	12.28	100.00

चार्ट 2.4 : वर्ष 2023–24 में प्रचलित भावों पर तृतीयक क्षेत्र में उप क्षेत्रों का योगदान

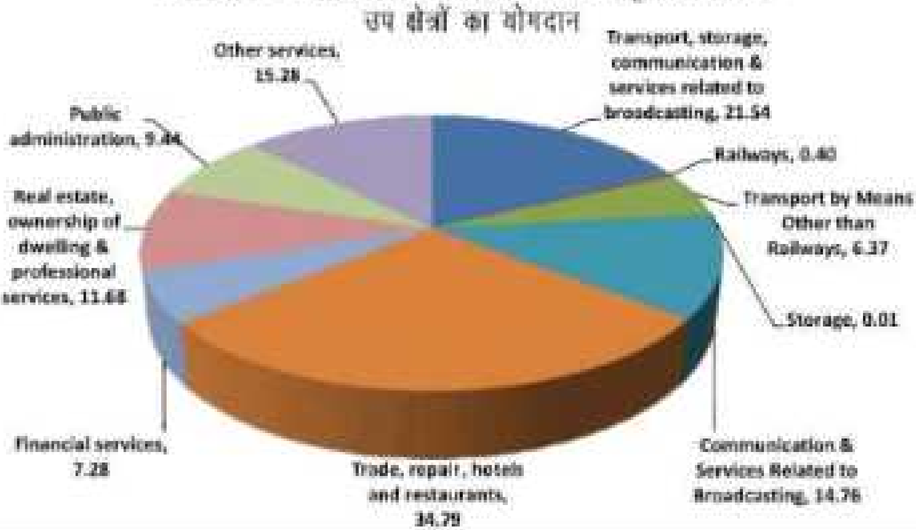

उक्त चार्ट के अनुसार वर्ष 2023–24 में प्रचलित मूल्यों पर तृतीयक क्षेत्र की उप मदों के अन्तर्गत व्यापार, होटल एवं जलपान गृह का योगदान सर्वाधिक 34.79 प्रतिशत रहा है।

2.3 सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रचलित भाव पर) Gross State Domestic Product (at Current Prices) :

वर्ष 2023–24 के प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार प्रचलित भाव पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद पिछले वर्ष 2022–23 (संशोधित) के ₹ 3,03,781 करोड़ की तुलना में ₹ 3,46,206 करोड़ अनुमानित है, राज्य की विकास दर वर्ष 2023–24 में 7.58 प्रतिशत अनुमानित है। वर्ष 2023–24 राज्य की अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से योगदान विनिर्माण (31.98%), निर्माण (10.88%), व्यापार होटल एवं जलपान गृह (15.02%) तथा परिवहन, भंडारण, संचार एवं प्रसारण (9.30%) से संबंधित सेवा आदि आर्थिक गतिविधियों को जाता है। राज्य आय के अनुमान विभिन्न वित्तीय संस्थाओं, गैर वित्तीय संस्थाओं, सरकारी, निजी, गैर सरकारी उपक्रमों, स्थानीय निकायों, पारिवारिक उद्यमों आदि की आर्थिक गतिविधियों का आंकलन कर राज्य उत्पाद के आंकड़े तैयार किये जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2011–12 से वर्ष 2023–24 तक सकल घरेलू उत्पाद (प्रचलित भाव पर) निम्न चार्ट–2.5 के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है–

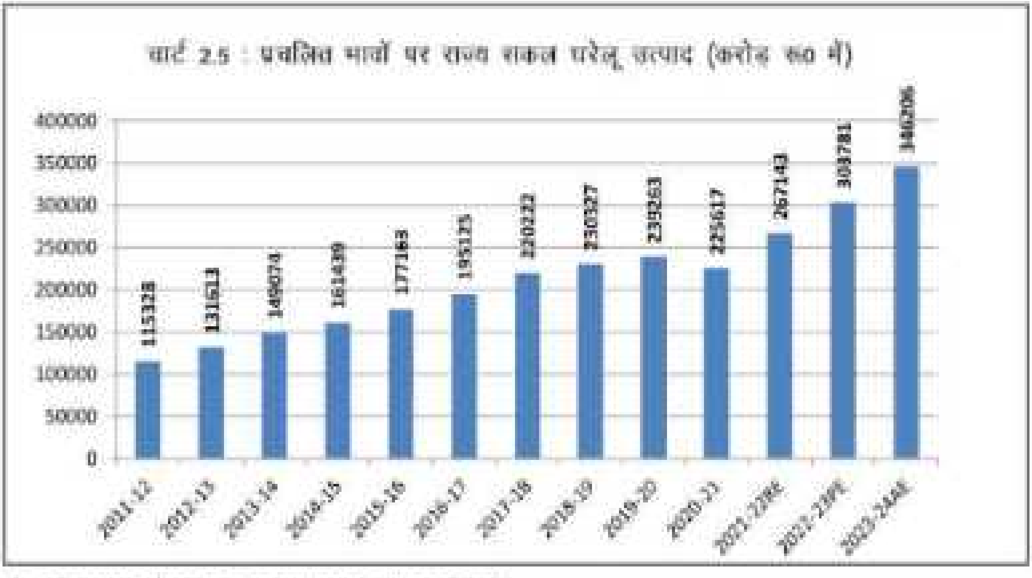

नोट–वर्ष 2021-22, वर्ष 2022-23 एवं वर्ष 2023-24 के अनुमान अनंतिम हैं।

2.5 स्थिर भावों पर आधार वर्ष 2011–12 के अनुसार वर्ष 2012–13 से 2023–24 तक की प्रदेश व देश की आर्थिक विकास दर चार्ट – 2.6 में दर्शायी गई है–

चार्ट 2.6
स्थिर भावों पर उत्तराखण्ड व भारत की आर्थिक विकास दर प्रतिशत में

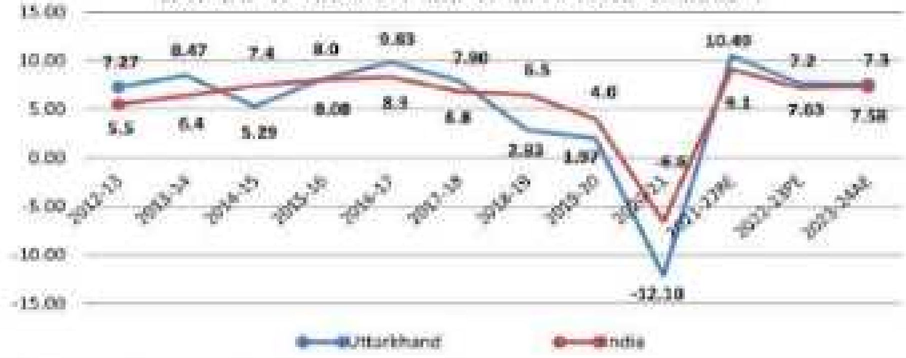

नोट– वर्ष 2021–22, वर्ष 2022–23 एवं वर्ष 2023–24 के अनुमान अनंतिम हैं।

2.6 प्रति व्यक्ति आय (Per Capita Income):

राज्य निवल घरेलू उत्पाद (Net State Domestic Product) के आधार पर वर्ष 2023–24 प्रथम अग्रिम अनुमानों में उत्तराखण्ड की प्रति व्यक्ति आय प्रचलित भावों पर ₹ 2,60,201 अनुमानित है। भारत की प्रति व्यक्ति आय ₹ 1,85,854 अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 2022–23 (संशोधित) में अखिल भारतीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय ₹ 1,72,276 अनुमानित है जबकि उत्तराखण्ड राज्य की प्रति व्यक्ति आय ₹ 2,30,994 अनुमानित है। वर्षवार प्रति व्यक्ति आय उत्तराखण्ड, हिमाचल एवं भारत का तुलनात्मक चार्ट 2.7 में दिखाया गया है–

2.7 जनपदवार सकल घरेलू उत्पाद (प्रचलित भाव पर) (District Wise GDDP - at Current Prices)

वर्ष 2021–22 (अनन्तिम अनुमानों में) में हरिद्वार का सकल घरेलू उत्पाद (GDP) सब से अधिक ₹ 85,636.20 करोड़ तथा जनपद रूद्रप्रयाग का सकल घरेलू उत्पाद सब से कम ₹ 2,838.87 करोड़ है। वर्ष 2011–12 की तुलना में वर्ष 2021–22 में जनपदवार सकल घरेलू उत्पाद (प्रचलित भाव पर) में आय परिवर्तन को निम्न चार्ट–2.8 में अंकित है–

चार्ट 2.7
प्रति व्यक्ति आय का तुलनात्मक ग्राफ

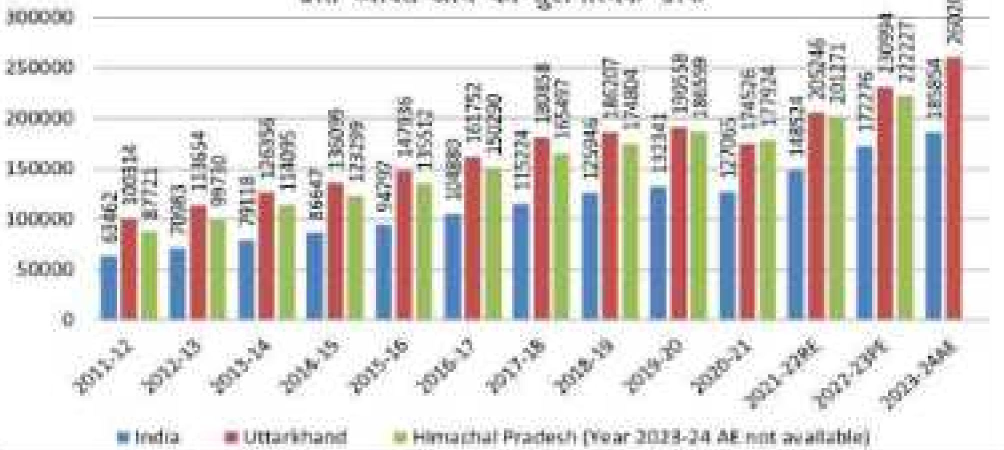

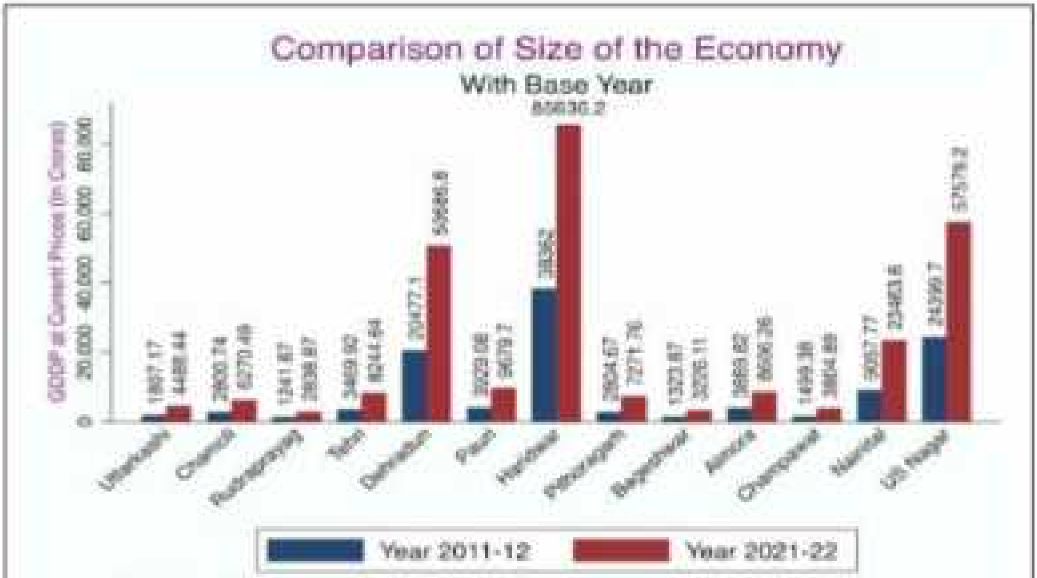

Uttarakhand District
Graph 2.8

2.8 जनपद की अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान:-

राज्य अर्थव्यवस्था के जनपदवार विश्लेषण के अनुसार वर्ष 2011–12 की तुलना में वर्ष 2021–22 (अनन्तिम) में कुल सकल मूल्य वर्द्धन (प्रचलित भाव पर) प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्र में आये परिवर्तन का तुलनात्मक अनुमान मण्डलवार निम्न चार्ट 2.9 से चार्ट 2.12 में दर्शाया गया है:-

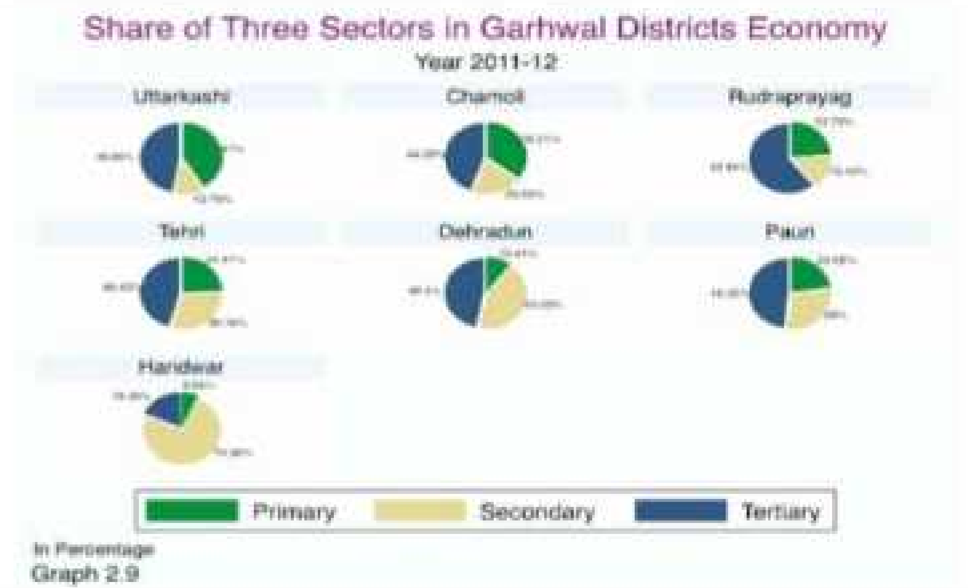

In Percentage
Graph 2.9

Share of Three Sectors in Garhwal Districts Economy

Year 2021-22

In Percentage

Graph 2.10

Share of Three Sectors in Kumaon Districts Economy

Year 2011-12

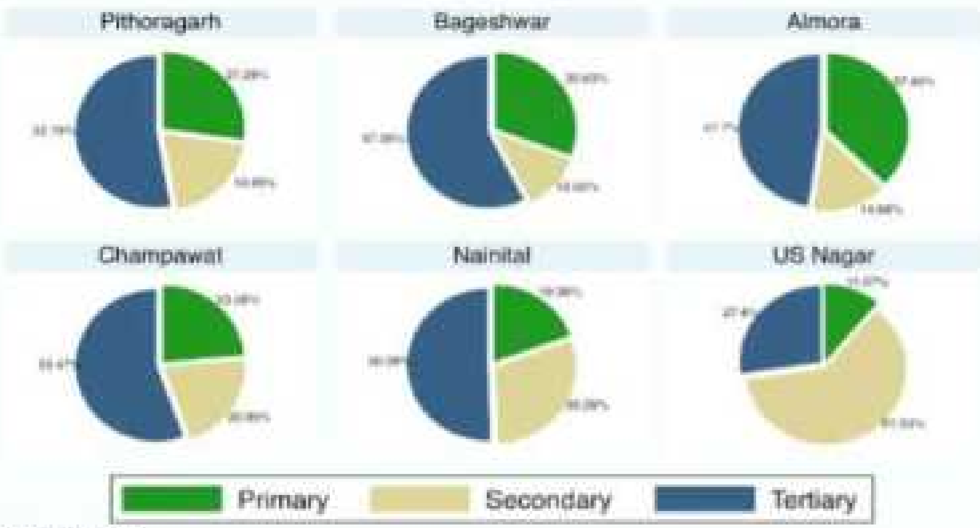

In Percentage

Graph 2.11

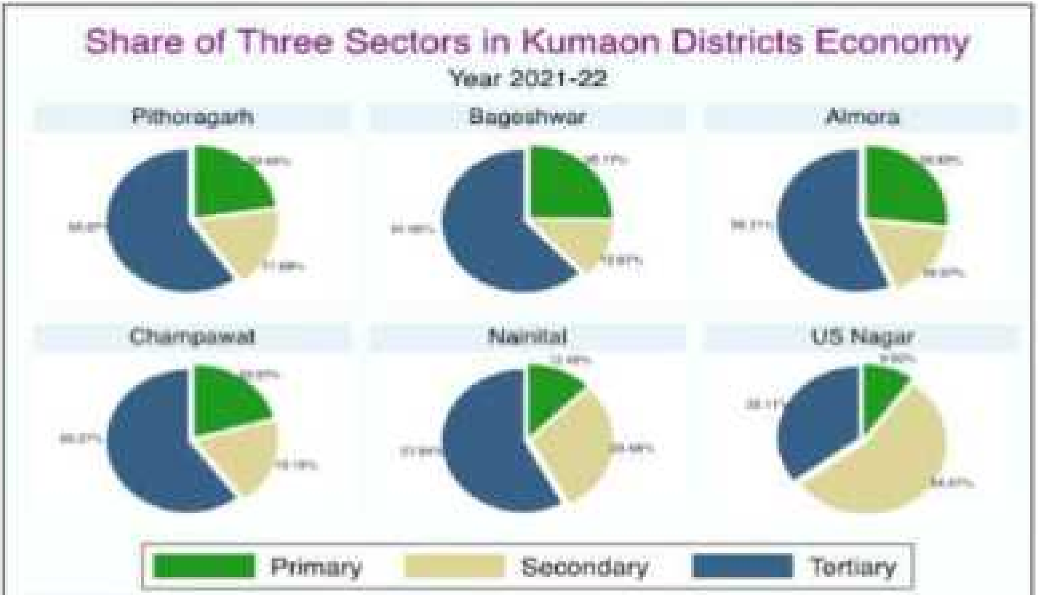

In Percentage
Graph 2.12

2.9 जनपदवार प्रति व्यक्ति आय (Districtwise Per Capita Income)

वर्ष 2021–22 (अनन्तिम) अनुमानों में मैदानी जनपदों यथा हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर तथा देहरादून की प्रति व्यक्ति आय जो कि क्रमशः ₹3,62,688, ₹2,69,070 तथा ₹2,35,707 है, उत्तराखण्ड राज्य की प्रति व्यक्ति आय ₹ 2,05,246 से अधिक है। अन्य सभी पर्वतीय जनपदों की प्रति व्यक्ति आय राज्य की प्रति व्यक्ति आय से कम है। वर्ष 2011–12 की तुलना में वर्ष में 2021–22 में जनपदवार प्रति व्यक्ति आय (प्रचलित भाव पर) की तुलनात्मक चार्ट 2.13 में अंकित है:–

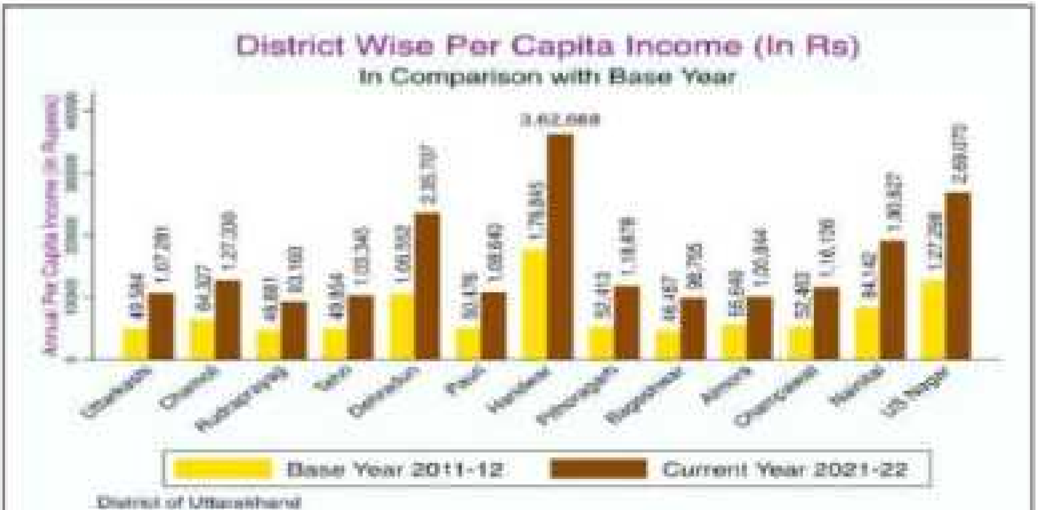

District of Uttarakhand
Graph 2.13

2.10 जनपदवार अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों की रैंकिंग– जनपद की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्र में वर्ष 2021–22 (अनन्तिम) अनुमानों के अनुसार सकल मूल्य वर्द्धन (प्रचलित भाव में) का जनपदवार तुलनात्मक योगदान चार्ट 2.14 से चार्ट 2.16 में दर्शाया गया है–

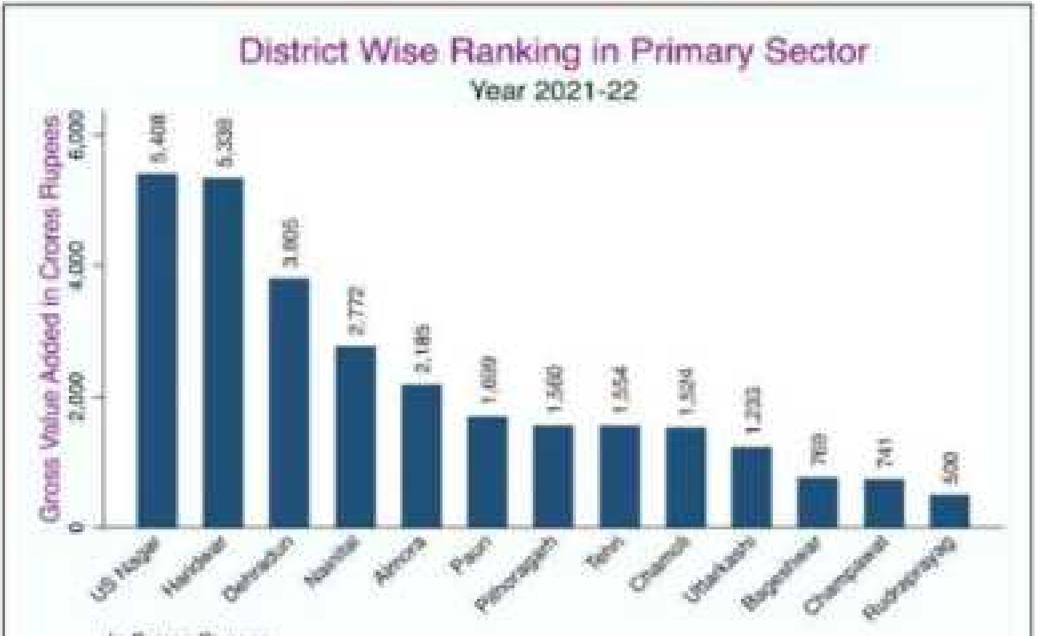

In Crores Rupees
Graph 2.14

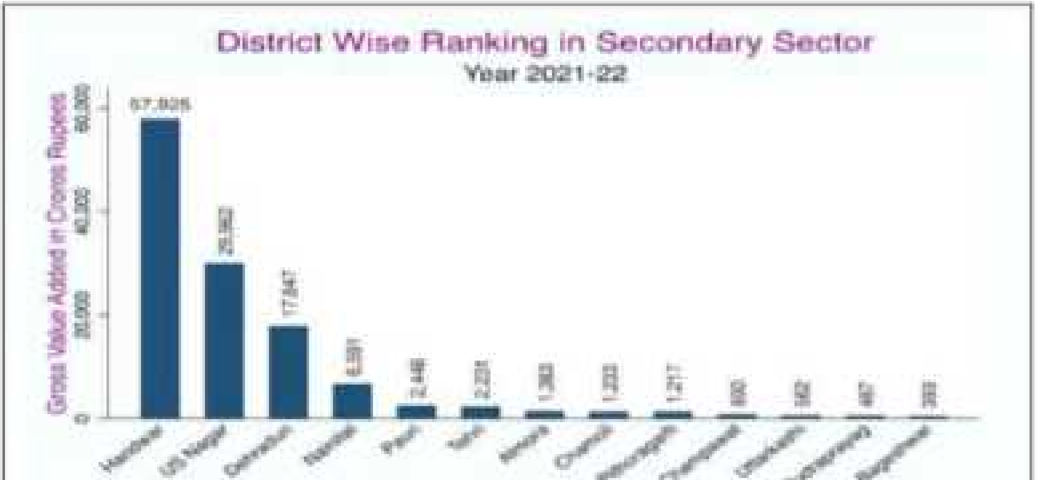

In Crores Rupees
Graph 2.15

In Crores Rupees
Graph 2.16

2.11 सकल मूल्य वर्द्धन (प्रचलित भाव पर) में आर्थिक गतिविधियों की मण्डलवार हिस्सेदारी:– मण्डल की अर्थव्यवस्था में विभिन्न आर्थिक गतिविधियों का वर्ष 2021–22 (अनन्तिम) अनुमानों के अनुसार मण्डल की सकल मूल्य सम्वर्द्धन (प्रचलित भाव में) का मण्डवार विश्लेषण निम्न चार्ट 2.17 व चार्ट 2.18 में दर्शाया गया है:–

In Percent
Graph 2.17

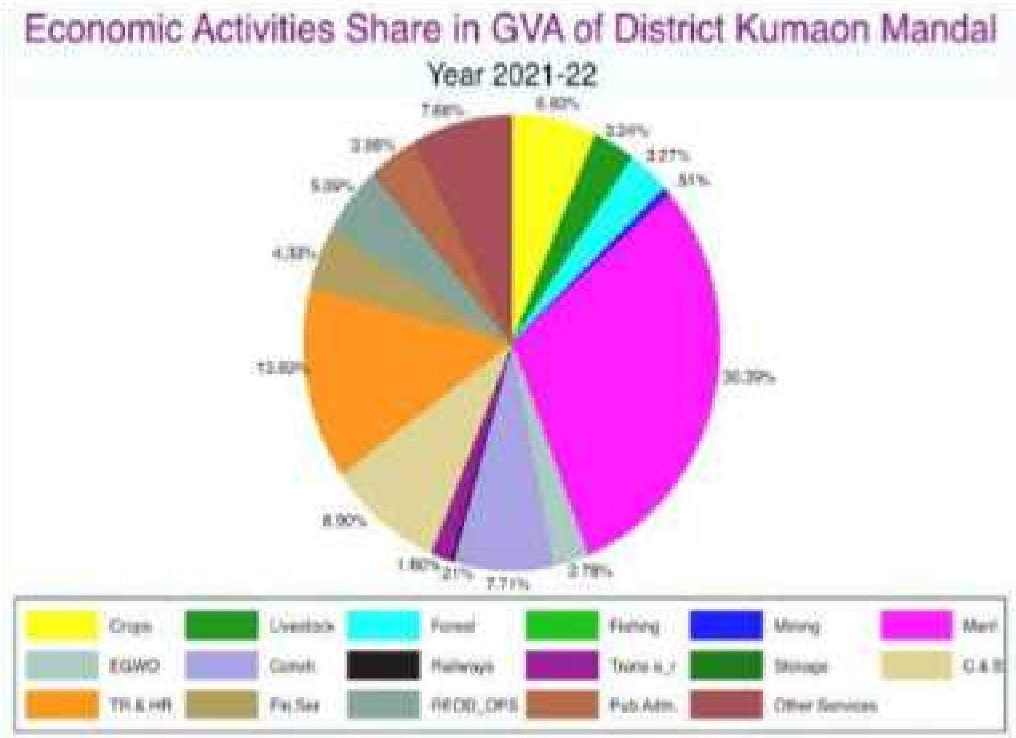

In Percent
Graph 2.18

लोक वित्त (Public Finance)

2.7 प्रशासन व विकासात्मक कार्यों के व्यय हेतु सरकार के मुख्य वित्तीय साधन प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर, कर रहित राजस्व केन्द्रीय करों में भाग तथा केन्द्र से प्राप्त सहायता अनुदान आदि हैं। वर्ष 2023–24 के बजट अनुमानों के अनुसार कुल राजस्व प्राप्तियां ₹57,057.26 करोड़ है जबकि वर्ष 2022–23 के पुनरीक्षित अनुमान के अनुसार ₹ 52044.86 करोड़ है। राजस्व प्राप्तियां में वर्ष 2023–24 (बजट अनुमान) अनुसार वर्ष 2022–23 की तुलना में 09.63 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है।

2.8 राजस्व प्राप्तियों में करों से कुल प्राप्त आय वर्ष 2023–24 (बजट अनुमान) के अनुसार ₹31402.48 करोड़ तथा वर्ष 2022–23 (पुनरीक्षित अनुमान) में ₹27519.83 करोड़ में आंकी गई है। राज्य कर वर्ष 2023–24 (बजट अनुमान) में वर्ष 2022–23 (पुनरीक्षित अनुमान) की अपेक्षा 14.10 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है।

2.9 राज्य के करेत्तर राजस्व जिसमें विशेष कर ब्याज प्राप्ति, ऊर्जा परिवहन तथा अन्य प्रशासनिक सेवाओं इत्यादि से प्राप्त आय सम्मिलित हैं, वर्ष 2023–24 (बजट अनुमान) में ₹4761.63 करोड़ आंकी गयी हैं। जो कि वर्ष 2022–23 में ₹4976.05 करोड़ थी।

2.10 केन्द्रीय करों में राज्य का भाग वर्ष 2023–24 (बजट अनुमान) में ₹11419.80 करोड़ आंका गया है जो कि वर्ष 2022–23 में ₹10568.11 करोड़ थी।

2.11 राज्य के स्वयं के कर राजस्व की मद में

2022–23 के पुनरीक्षित अनुमानों की तुलना में वर्ष 2023–24 (बजट अनुमान) में ₹3030.95 करोड़ की अधिक प्राप्ति अनुमानित है। जो कि पुनरीक्षित अनुमानों से लगभग 17.88 प्रतिशत अधिक है। यह वृद्धि मुख्यतः जी०एस०टी० तथा वैट की मद में ₹1641.63 करोड़, राज्य उत्पादन शुल्क की मद में ₹344.59 करोड़ की अनुमानित है।

2.12 वर्ष 2011–12 से 2022–23 तक राज्य का राजकोषीय घाटा व प्रारंभिक घाटा की तुलना राज्य सकल घरेलू उत्पाद (अर्थव्यवस्था आकार) के सापेक्ष निम्न चार्ट–2.19 के माध्यम से प्रस्तुत की गयी है:–

चार्ट 2.19
राजकोषीय एवं प्राथमिक घाटे का राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष वर्षवार चित्रण

2.13 बजट विश्लेषण :– अर्थ एवं संख्या निदेशालय द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष विधानसभा से पारित बजट का विश्लेषण किया जाता है। यह विश्लेषण मात्र सरकारी क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान ज्ञात करने के लिए नही किया जाता है, अपितु सरकार की विभिन्न स्रोत से आय तथा विभिन्न आर्थिक गतिविधियों मे व्यय का भी विश्लेषण करता है। यद्यपि विधानसभा में प्रस्तुत बजट में भी उक्तानुसार वर्गीकरण किया जाता है किन्तु इस विश्लेषण के माध्यम से आय व व्यय को उनके उद्देश्यों के अनुरूप वर्गीकृत किया जाता है न कि मात्र लेखाशीर्षक अनुसार। विभिन्न राज्य स्तरीय अनुमान उदाहरणतः सकल स्थिर पूंजी निर्माण, पूंजी व्यय, कुल बजट आदि का ज्ञात बजट विश्लेषण के माध्यम से ही किया जाता है। अर्थ एवं संख्या द्वारा राज्य के बजट विश्लेषण में प्राप्तियों का विश्लेषण करते हुये मात्र राजस्व प्राप्तिया जोकि आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से प्राप्त होती है, उक्त प्राप्तियों को ही विश्लेषण में लिया जाता है। इस विश्लेषण में पूंजीगत प्राप्तियों को – जोकि ऋणों की वसूली या उधार या अन्य देनदारियों के माध्यम से प्राप्त होती है, उक्त प्राप्तियों को ही विश्लेषण में नही लिया जाता है। इसी प्रकार राज्य के व्यय विश्लेषण में ऋण भुगतान हेतु व्यय धनराशि को बजट विश्लेषण के दौरान ध्यान में नही लिया जाता है। सरकारी विभागों को प्रशासनिक इकाइयों व विभागीय उद्यमों मे वर्गीकृत किया जाता है। विभागीय उद्यमों में ऐसे विभाग जो सरकार को राजस्व प्रदान करते है, उदाहरणतः सिंचाई, वन निगम, स्टेशनरी व

मुद्रण लीथो प्रेस सम्मलित है। शेष अन्य विभागों को प्रशासनिक इकाइयों में वर्गीकृत किया जाता है। वर्ष 2023–24 के बजट विश्लेषण अनुरूप विश्लेषणों को चार्ट के माध्यम से प्रस्तुत किये जाने का प्रयास किया गया है।

2.14 प्राप्तियों का विश्लेषण:– बजट विश्लेषण में राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप, प्रत्येक बजट प्राप्तियों को उसकी आर्थिक गतिविधि अनुसार उचित आर्थिक कोडिंग दी जाती है। कोडिंग के आधार पर राज्य की प्राप्तियों को उत्पाद कर (Txt), गैर सरकारी निकायों से प्राप्त ब्याज (Into), शुल्क और विविध प्राप्तियाँ (Mr), आय व परिसंपत्ति पर कर (Txo), उत्पादन कर (Txn), संपत्ति कर (Pr), वस्तु व सेवाओं की बिक्री से प्राप्त आय (G), स्थानीय निकायों से ब्याज से प्राप्तियाँ (Intl), वाणिज्य प्राप्तियाँ (Cr), पुरानी वस्तुओं की बिक्री से प्राप्तियाँ (Ssh), धन निकासी से प्राप्तियाँ (F), पेंशन से प्राप्तियाँ (Pn), भूमि की बिक्री से प्राप्तियाँ (Sl), गैर लाभकारी संस्थानों से प्राप्त हस्तांतरण (Tn), वित्तीय संपत्तियों की बिक्री से प्राप्तियाँ (Sfa), केन्द्र सरकार से प्राप्त हस्तांतरण (Tc) आदि मदों में वर्गीकृत किया जाता है। उक्त वर्गीकरण के आधार पर वर्ष 2021–22, 2022–23 व 2023–24 में प्राप्त राजस्व प्राप्तियों को चार्ट 2. 20, 2.21, 2.22, के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। चार्ट से स्पष्ट है कि राज्य को सबसे अधिक प्राप्तियाँ केन्द्र सरकार से, उत्पाद कर से, आय व संपत्ति कर से व उत्पादन कर से हो रही है।

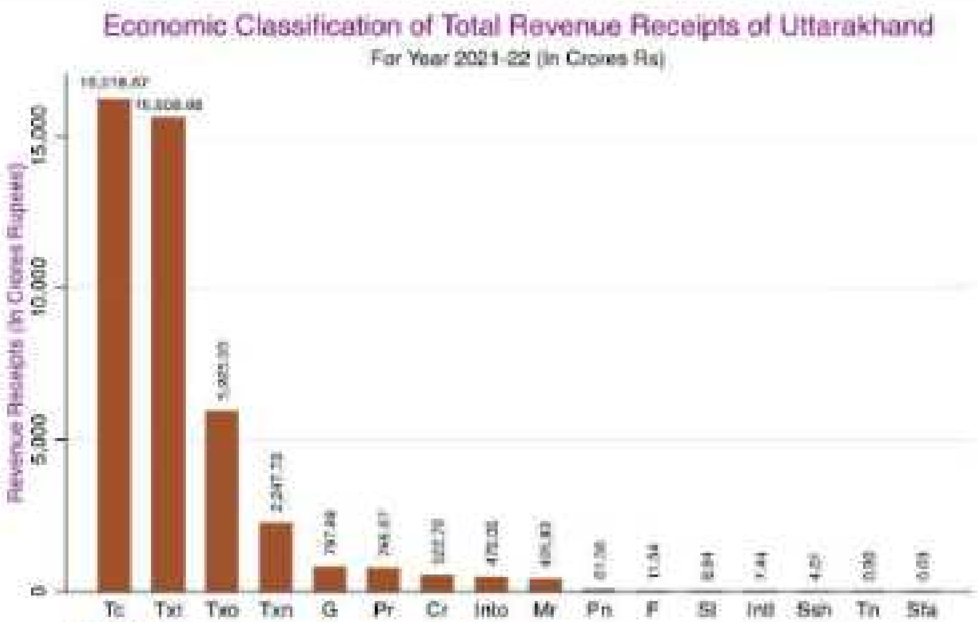

Graph 2.20
Actual Estimates

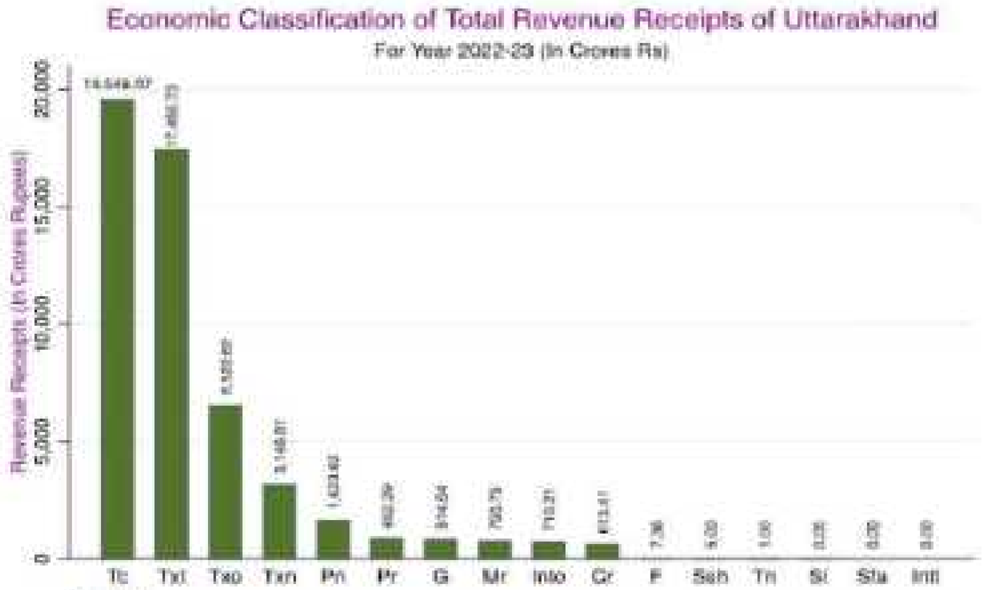

Graph 3.21

Revised Estimates

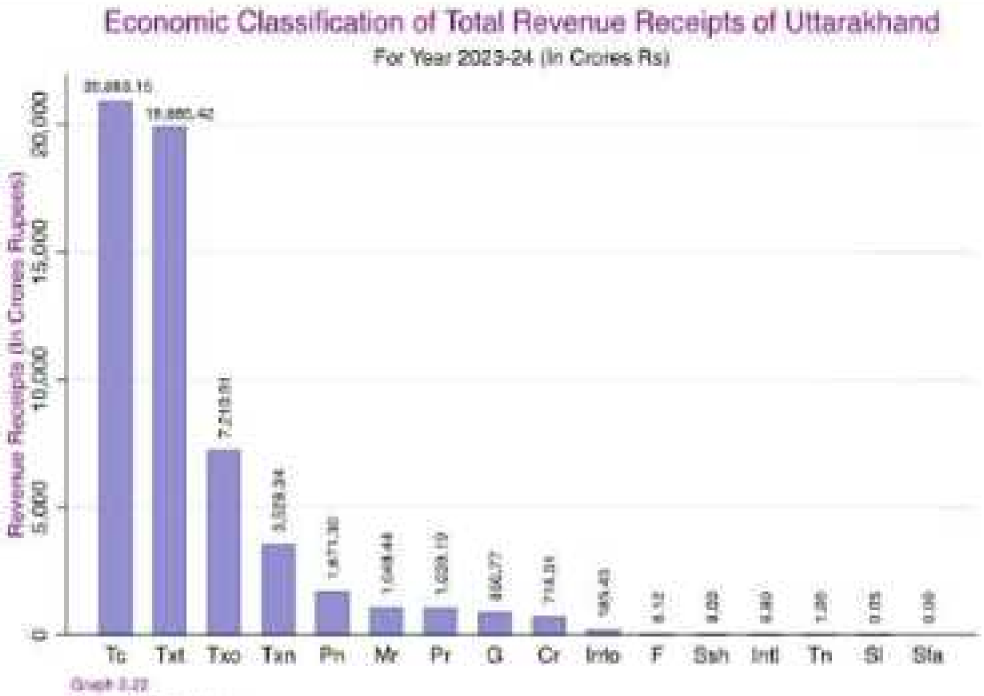

Graph 3.22

Budget Estimates

2.15 व्यय का विश्लेषण:– व्यय का आर्थिक आधार पर चिन्हांकन करते प्रत्येक व्यय की प्रविष्टियों को कर्मचारियों के पारिश्रमिक हेतु व्यय (CoE), सकल पूंजी निर्माण हेतु व्यय (GCF), मध्यवर्ती उपभोग हेतु व्यय (IC), पूंजी हस्तांतरण हेतु व्यय (Trnfr), फन्ड हेतु व्यय (F), वित्तीय परिसंपत्तियो की खरीदारी हेतु व्यय (PFA), कर्ज पर ब्याज हेतु भुगतान पर व्यय (Int. Paid), सब्सिडी हेतु व्यय (Subs), गैर सरकारी संगठनों को अग्रिम हेतु व्यय (Advance) मदों में विभाजित किया जाता है। उक्त वर्गीकरण के आधार पर वर्ष 2021–22, 2022–23 व 2023–24 में व्यय धनराशि को क्रमशः चार्ट 2.23, 2.24, 2.25, के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। चार्ट से स्पष्ट है कि राज्य सरकार द्वारा सबसे अधिक धनराशि कर्मचारियों के पारिश्रमिक व पूंजी हस्तांतरण में व्यय हो रही है। पूंजी हस्तांतरण में अनुदान के रूप में अन्य संस्थाओं व व्यक्ति विशेष को दी जानी वाली धनराशि को सम्मिलित किया गया है। उदाहरणार्थ छात्रवृत्ति, समाज कल्याण हेतु वितरित पेंशन, स्वायत्त संस्थाओं व स्थानीय निकायों को हस्तांतरित धनराशि आदि। चार्ट 2.26, 2.27, 2.27 के माध्यम से क्रमशः वर्ष 2021–22, वर्ष 2022–23 व वर्ष 2023–24 में प्रतिशत व्यय का विश्लेषण उद्देश्यवार दर्शाये जाने का प्रयास किया गया है। व्यय का उद्देश्यवार चिन्हांकन करते हुये, प्रत्येक व्यय की प्रविष्टियों को सार्वजनिक सेवाओं, शिक्षा सम्बन्धी सेवाओं, स्वास्थ्य सेवाओं, सामाजिक और कल्याण सेवाओं, आर्थिक सेवाओं, पर्यावरण संरक्षण सम्बन्धी सेवाओं, ब्याज पेंशन और निधि संबंधी सेवाओं और अन्य सेवाओं में वर्गीकृत किया जाता है। अन्य सेवाओं में बाढ़ राहत, सूखा राहत व अन्य प्राकृतिक आपदाओं पर व्यय धनराशि को सम्मिलित किया जाता है।

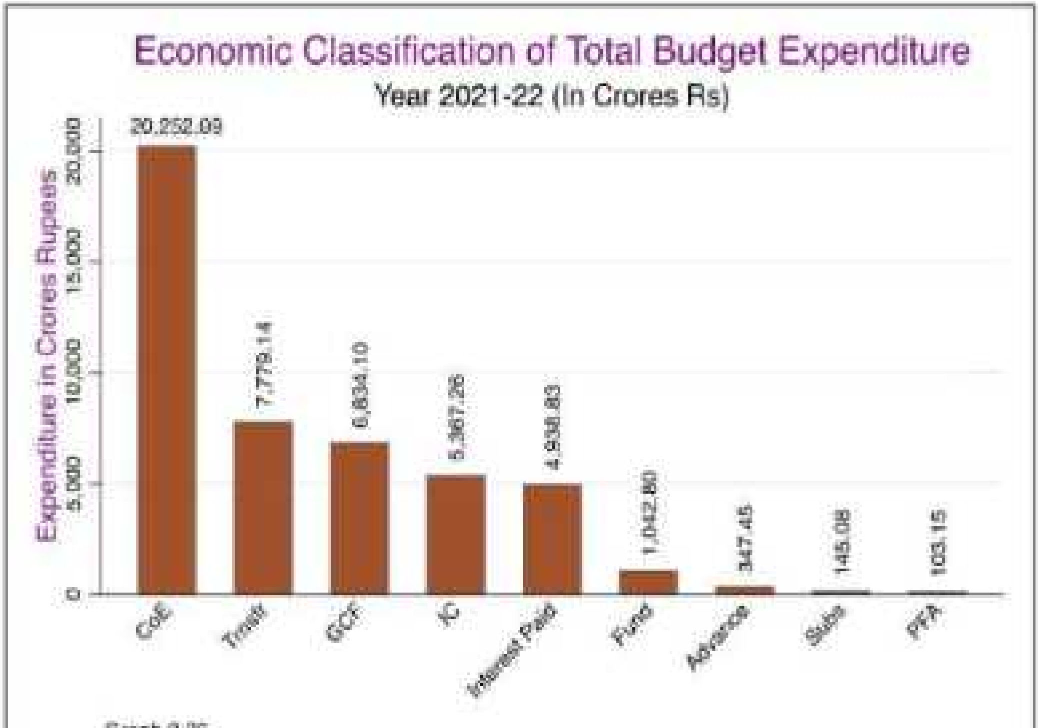

Graph 2.23
Budget Expenditure Excludes Loan Payments

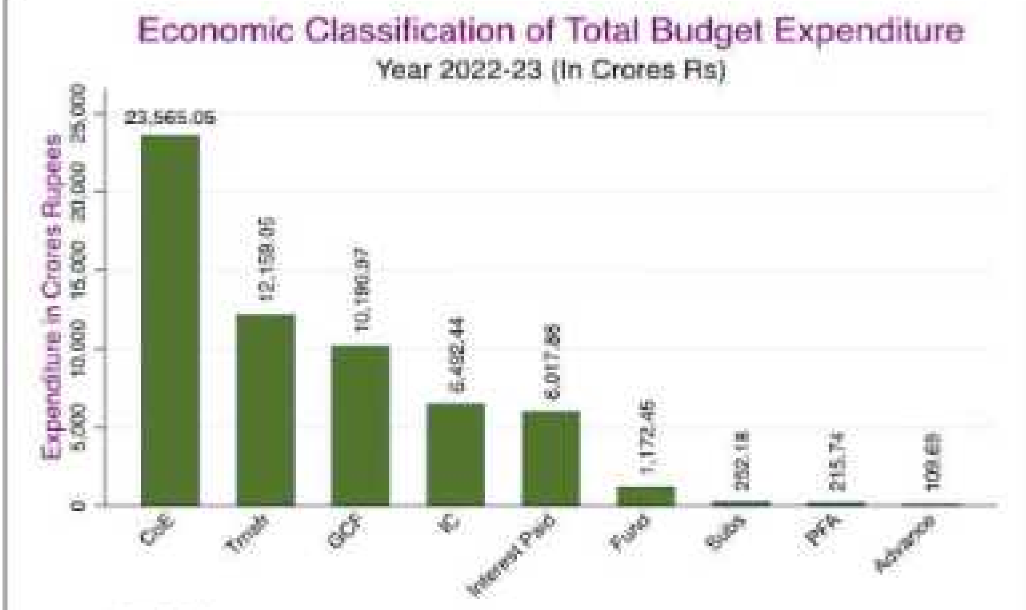

Graph 2.24

Budget Expenditures Excludes Loan Payments

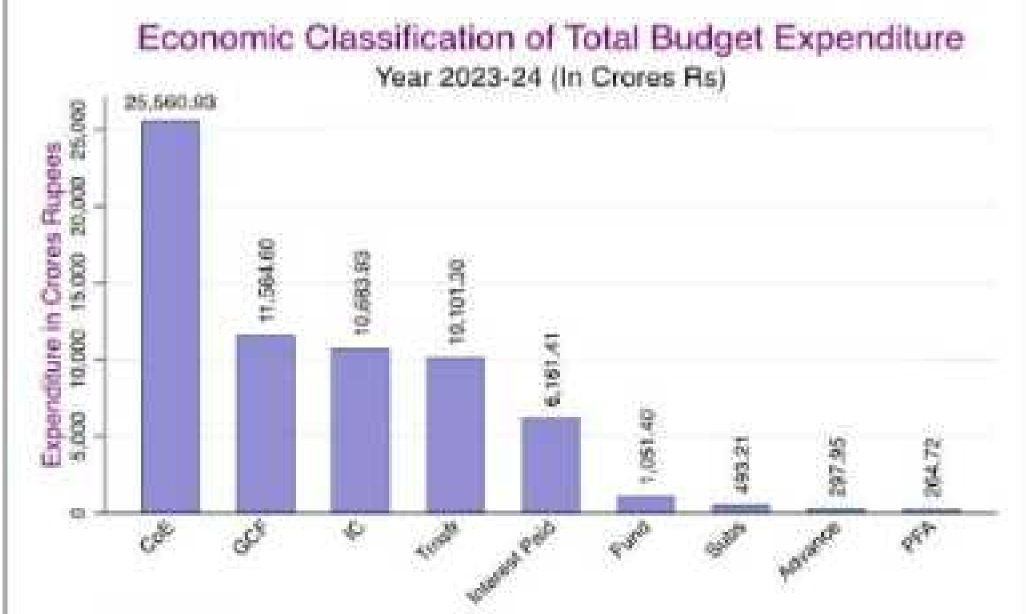

Graph 2.25

Budget Expenditures Excludes Loan Payments

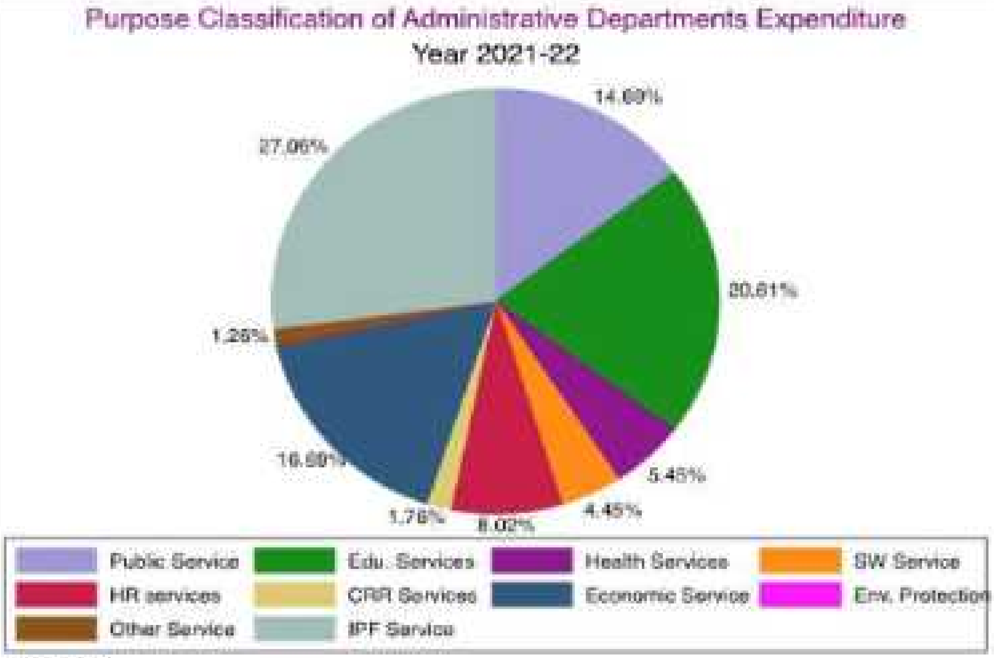

Graph 2.26

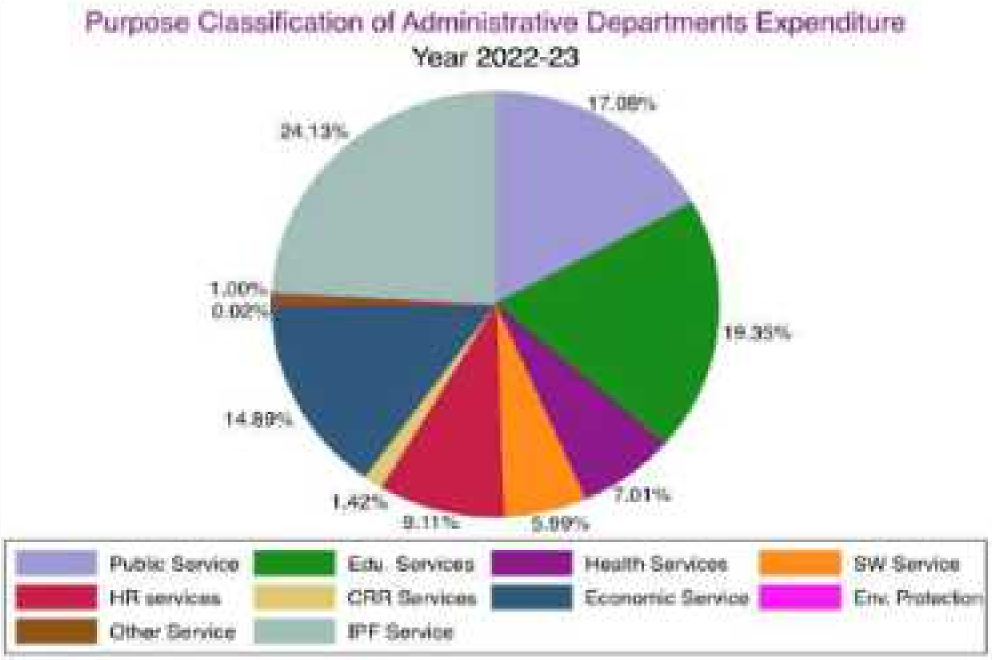

Graph 2.27

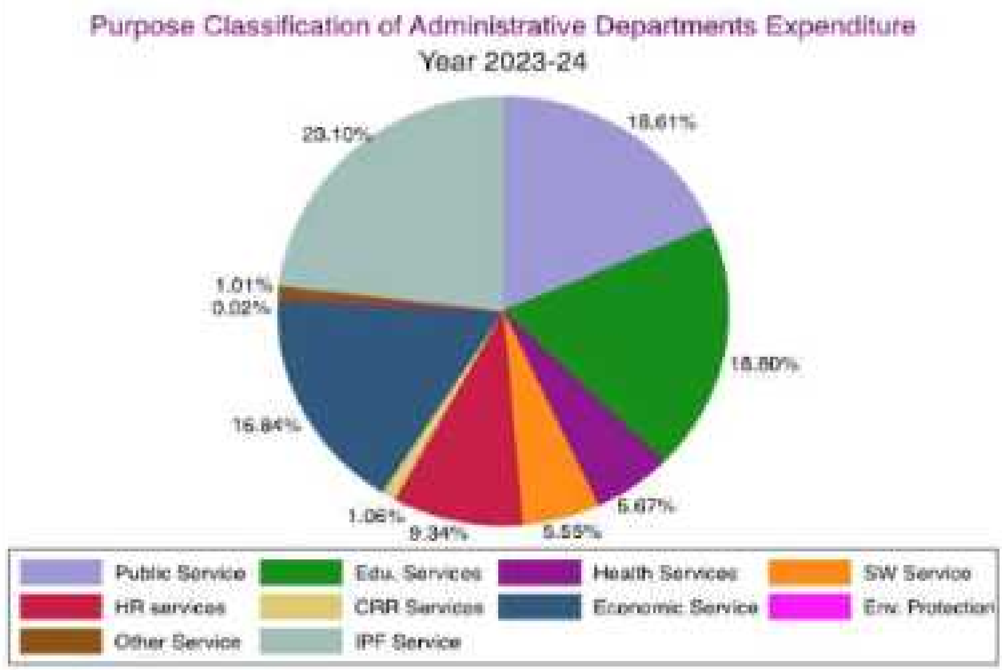
Purpose Classification of Administrative Departments Expenditure
Year 2023-24
18.61%
18.80%
5.67%
5.55%
9.34%
1.06%
16.84%
0.02%
1.01%
23.10%
Public Service
Edu. Services
Health Services
SW Service
HR services
CRR Services
Economic Service
Env. Protection
Other Service
IPF Service

Graph 2.28

अध्याय–3
कराधान
Taxation

राज्य कर (State Tax)

राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड राज्य के वित्त विभाग के अन्तर्गत कार्य करता है। राज्य की सकल प्राप्तियों में व्यापार कर/मूल्य वर्धित कर का योगदान लगभग 60 प्रतिशत होने के कारण यह राज्य की आय का प्रमुख एवं महत्वपूर्ण स्रोत है।

3.1 कर संग्रह:– दिनांक 09 नवम्बर, 2000 को राज्य के अस्तित्व में आने के पश्चात वर्ष 2000–2001 में प्राप्त कर संग्रह ₹233 करोड़ था, जो कि वर्ष 2022–23 तक लगभग 52 गुना बढ़कर ₹12,028.68 करोड़ (₹2,135.60 करोड़ प्रतिकर धनराशि सहित) हो गया है। वर्ष 2023–24 में माह दिसम्बर, 2023 तक कुल राजस्व संग्रह ₹8,496.82 करोड़ (₹476.62 करोड़ प्रतिकर धनराशि सहित) रहा है। इसे चार्ट– 3.1 में दर्शाया गया है–

चार्ट–3.1

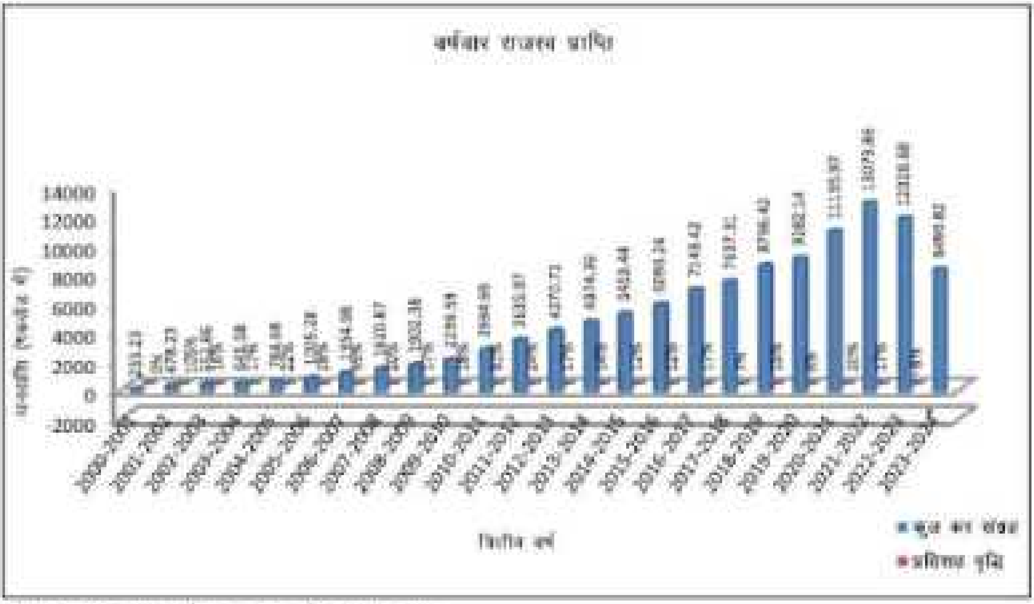

*दिसम्बर 2023 तक   स्रोत: राज्य कर विभाग उत्तराखण्ड

3.2 राज्य कर विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 में (पेट्रोलियम प्रोडक्ट एवं नेचुरल गैस तथा शराब पर प्राप्त कर को छोड़ते हुये) माह दिसम्बर, 2022 तक कुल ₹7,418.33 करोड़ (₹1,790.53 करोड़ प्रतिकर की धनराशि सहित) का राजस्व अर्जित किया गया था, जबकि इसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2023–24 में (पेट्रोलियम प्रोडक्ट एवं नेचुरल गैस तथा शराब पर प्राप्त कर को छोड़ते हुये) माह दिसम्बर, 2023 तक विभाग द्वारा कुल ₹6,660.71 करोड़ (₹476.62 करोड़ प्रतिकर की धनराशि सहित) का राजस्व प्राप्त किया गया है, जिसे तालिका 3.1 में दर्शाया गया है–

तालिका–3.2

गत वर्ष के सापेक्ष पेट्रोलियम प्रोडक्ट एवं नैचुरल गैस तथा शराब पर प्राप्त कर को छोड़ते हुये राजस्व प्राप्तियां (SGST) (धनराशि ₹करोड़ में)

	वित्तीय वर्ष 2022–23									वित्तीय वर्ष 2022–23									
माह का नाम	VAT Amt	SGST	पूर्व के वर्ष SGST Settlement	Advance apportionment from IGST	योग (2+3+4+5)	कुल GST वापसी	कुल राजस्व (6-7)	प्रतिकर अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त प्रतिकर धनराशि	कुल प्राप्त राजस्व (8+9)	VAT Amt	SGST	Tax receive from IGST Settlement	Advance apportionment from IGST	योग (11+12+13+14)	कुल GST वापसी	कुल राजस्व (15-16)	प्रतिकर अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त प्रतिकर धनराशि	कुल प्राप्त राजस्व (17+18)	गत वर्ष के सापेक्ष वृद्धि/कमी का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
अप्रैल	5.07	580.83	177.8	0	767.71	17.44	750.27	0	750.27	0.91	558.31	308.17	0.6	858.01	47.78	803.03	0	803.03	12%
मई	0.60	250.22	275.33	0	530.04	20.8	510.21	[illegible]	1963.71	1.26	411.49	258.10	0.6	666.27	17.85	646.42	0	646.42	-67%
जून	0.86	333.99	568.08	316.99	703.16	26.43	678.63	0	678.63	3.27	808.5	378.68	0.6	663.06	21.34	640.77	0	640.77	-5%
जुलाई	10.97	389.12	235.00	0	635.09	23.1	612.30	0	612.30	2.36	431.18	230.15	0.6	647.88	5.07	642.62	0	642.62	2%
अगस्त	3.26	335.35	236.35	0	560.25	30.4	535.81	0	535.81	5.82	282.06	254.67	0.6	543.08	9.79	533.07	0	533.07	0%
सितम्बर	3.82	362.87	327.03	26.08	529.80	32.87	506.90	0	506.90	76.82	307.27	223.85	0.6	617.74	55.6	612.14	476.62	1098.76	117%
अक्टूबर	7.02	404.58	264.02	136.89	812.57	20.36	791.83	0	791.83	4.44	336.24	285.53	0.6	646.71	25.49	615.22	0	615.22	3%
नवम्बर	8.5	387.54	256.02	0	644.01	2.39	641.46	541.53	982.99	6.75	445.11	209.58	0.6	644.37	22.74	663.63	0	663.63	-33%
दिसम्बर	7.82	375.65	235.83	0	620.50	28.93	586.47	0	586.47	88.07	421.38	280.73	0.6	718.16	47.9	702.26	0	702.26	21%
योग	33.74	3568.26	1860.83	529.38	1990.87	162.17	1827.8	1790.13	7416.34	62.83	4096.28	2311.46	0.00	6098.67	365.58	6184.09	476.62	6660.71	10%

नोट– वित्तीय वर्ष 2022–23 में माह दिसम्बर, 2022 तक राज्य को प्रतिकर अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त प्रतिकर की धनराशि रू0 1790.13 करोड़ है जिसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2023–24 में राज्य को प्रतिकर अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त प्रतिकर की धनराशि रू0 476.62 करोड़ रही है। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2022–23 के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2023–24 (माह दिसम्बर, 2022 तक) में राज्य के कुल राजस्व संग्रहण में कमी प्रदर्शित हो रही है। यदि राज्य को प्राप्त कुल राजस्व में प्रतिकर अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त प्रतिकर की धनराशि को सम्मिलित न किया जाय तो वित्तीय वर्ष 2022–23 के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2023–24 में राज्य के कुल राजस्व संग्रहण में लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि हुयी है। उल्लेखनीय है कि 30 जून, 2022 को राज्य को भारत सरकार से प्राप्त होने वाली प्रतिकर की धनराशि की व्यवस्था समाप्त हो चुकी है तथा उक्त तिथि तक राज्य को प्राप्त होने वाले प्रतिकर की अवशेष धनराशि हो अंतिम माह में प्राप्त हुयी है।

स्रोत– राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड।

3.3 राज्य कर विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 में जी0एस0टी0 की परिधि से बाहर रखे गये वस्तुओं (पेट्रोल, डीजल, ए0टी0एफ0 एवं नैचुरल गैस तथा शराब) पर माह दिसम्बर, 2022 तक कुल ₹1,909.31 करोड़ का राजस्व अर्जित किया गया है, जबकि इसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2023–24 में माह दिसम्बर, 2023 तक उक्त वस्तुओं पर कुल ₹1,836.11 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है, जिसे तालिका–3.2 में दर्शाया गया है–

तालिका– 3.3

राज्य कर विभाग उत्तराखण्ड द्वारा प्राप्त कुल राजस्व (Non-GST) (धनराशि ₹करोड़ में)

माह का नाम	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वृद्धि / कमी का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)
अप्रैल	229.78	212.18	-7.66%
मई	216.07	201.62	-6.69%
जून	239.08	223.21	-6.64%
जुलाई	240.77	229.5	-4.68%
अगस्त	196.59	179.5	-8.69%
सितम्बर	192.77	179.21	-7.03%
अक्टूबर	182.22	189.1	3.78%
नवम्बर	201.74	212.65	5.41%
दिसम्बर	210.29	209.15	-0.54%
योग	**1909.31**	**1836.12**	**-3.83%**

नोट– । वित्तीय वर्ष 2023–24 के अन्तर्गत शासन द्वारा 01 अप्रैल, 2023 से शराब पर कर की दर 20 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत कर दी गयी है, जिसके कारण Non-GST के राजस्व संग्रहण में कमी प्रदर्शित हो रही है।

स्रोत– । राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड।

3.4 राज्य कर विभाग उत्तराखण्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 तथा वर्ष 2023–24 में माह दिसम्बर, तक प्राप्त कर संग्रह की स्थिति को सारणी– 3.3 में दर्शाया गया है। तालिका 3.3 से स्पष्ट है कि वित्तीय वर्ष 2022–23 में माह दिसम्बर, 2022 तक विभाग को कुल ₹ 9,327.65 करोड़ (₹1,790.53 करोड़ प्रतिकर की धनराशि सहित) राजस्व प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2023–24 में माह दिसम्बर, 2023 तक विभाग द्वारा ₹8,496.82 करोड़ (₹476.62 करोड़ प्रतिकर धनराशि सहित) का राजस्व प्राप्त किया गया है, जिसे तालिका 3.3 में दर्शाया गया है–

तालिका 3.4

राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा माहवार प्राप्त कुल राजस्व (GST+Non GST+Compensation) का विवरण

(धनराशि ₹ करोड़ में)

माह का नाम	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वृद्धि / कमी का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)
अप्रैल	980.05	1053.21	7.46%
मई	2179.31	848.04	-61.09%
जून	913.71	863.42	-5.50%
जुलाई	852.87	852.12	-0.09%
अगस्त	752.44	812.57	7.99%
सितम्बर	699.75	1277.97	82.63%
अक्टूबर	974.03	1004.32	3.11%
नवम्बर	1184.73	873.76	-26.25%
दिसम्बर	790.76	911.41	15.26%
योग	**9327.65**	**8496.82**	**-8.91%**

नोट– । वित्तीय वर्ष 2022–23 में माह दिसम्बर, 2022 तक राज्य को प्रतिकर अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त प्रतिकर की धनराशि ₹ 1790.53 करोड़ है, जिसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2023–24 में राज्य को प्रतिकर अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त प्रतिकर की धनराशि ₹ 476.62 करोड़ रही है। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2023–24 के अन्तर्गत शासन द्वारा 01 अप्रैल, 2023 से शराब पर कर की दर 20 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत कर दी गयी है। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2022–23 के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2023–24 (माह दिसम्बर, 2022 तक) में राज्य के कुल राजस्व संग्रहण में कमी प्रदर्शित हो रही है।

स्रोत– । राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड।

3.5 राज्य कर विभाग द्वारा जी0एस0टी0 की परिधि से बाहर रखी गयी वस्तुओं पर कर संग्रह :–

3.5.1 राज्य कर विभाग द्वारा जी0एस0टी0 की परिधि से बाहर रखी गयी वस्तुओं (पेट्रोल व डीजल) पर कर संग्रह का विवरण तालिका– 3.4 में दर्शाया गया है–

तालिका–3.5

पेट्रोल–डीजल पर प्राप्त कर का विवरण (धनराशि ₹ करोड़ में)									
माह का नाम	वित्तीय वर्ष 2022–23			वित्तीय वर्ष 2023–24			वृद्धि/कमी का प्रतिशत		
	पेट्रोल पर प्राप्त कर	डीजल पर प्राप्त कर	पेट्रोल एवं डीजल पर प्राप्त कर (2+3)	पेट्रोल पर प्राप्त कर	डीजल पर प्राप्त कर	पेट्रोल एवं डीजल पर प्राप्त कर (5+6)	पेट्रोल पर गत वर्ष के सापेक्ष कमी/वृद्धि का प्रतिशत	डीजल पर गत वर्ष के सापेक्ष कमी/वृद्धि का प्रतिशत	पेट्रोल एवं डीजल पर गत वर्ष के सापेक्ष कमी/वृद्धि का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
अप्रैल	61.1	113.16	174.26	63.49	103.2	166.69	3.91%	-8.80%	-4.34%
मई	66.58	122.21	188.79	63.92	112.04	175.96	-4.00%	-8.32%	-6.80%
जून	73.1	123.86	196.96	73.82	119.27	193.09	0.98%	-3.71%	-1.96%
जुलाई	76.78	124.33	201.11	80.81	115.52	196.33	5.25%	-7.09%	-2.38%
अगस्त	62.16	97.53	159.69	63.55	86.35	149.9	2.24%	-11.46%	-6.13%
सितम्बर	68.14	89.04	157.18	65.65	84.53	150.18	-3.65%	-5.07%	-4.45%
अक्टूबर	60.39	88.25	148.64	68.90	92.28	161.18	14.09%	4.57%	8.44%
नवम्बर	66.16	95.09	161.25	72.66	110.94	183.6	9.82%	16.67%	13.86%
दिसम्बर	62.95	105.63	168.58	71.06	103.51	174.57	12.88%	-2.01%	3.55%
योग	**597.36**	**959.1**	**1556.46**	**623.86**	**927.64**	**1551.5**	**4.44%**	**-3.28%**	**-0.32%**

स्रोत– राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड।

3.5.2 राज्य कर विभाग द्वारा जी0एस0टी0 की परिधि से बाहर रखी गयी वस्तुओं (शराब) पर कर संग्रह का विवरण तालिका–3.6 में दर्शाया गया है–

तालिका–3.6

शराब पर प्राप्त कर (धनराशि ₹ करोड़ में)			
माह का नाम	वित्तीय वर्ष 2022–23 शराब पर प्राप्त कर	वित्तीय वर्ष 2023–24 शराब पर प्राप्त कर	वृद्धि/कमी का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)
अप्रैल	53.08	41.92	-21.02%
मई	24.41	21.87	-10.41%
जून	37.47	26.69	-28.77%
जुलाई	34.64	29.36	-15.24%
अगस्त	33.14	26.58	-19.79%
सितम्बर	31.96	25.5	-20.21%
अक्टूबर	30.5	24.98	-18.10%
नवम्बर	36.89	25.15	-31.82%
दिसम्बर	38.25	30.86	-19.32%
योग	**320.34**	**252.91**	**-21.05%**

नोट– : वित्तीय वर्ष 2023–24 के अन्तर्गत शासन द्वारा 01 अप्रैल, 2023 से डीजल पर कर की दर 20 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत कर दी गयी है, जिसके कारण राजस्व संग्रहण में कमी प्रदर्शित हो रही है।

स्रोत– : राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड।

3.5.3 राज्य कर विभाग द्वारा जी०एस०टी० की परिधि से बाहर रखी गयी वस्तुओं (नेचुरल गैस एवं एविऐशन टरबाईन फ्यूल) पर कर संग्रह का माहवार विवरण तालिका–3.7 में दर्शाया गया है–

तालिका–3.7

नैचुरल गैस एवं एवियेशन टरबाईन फ्यूल पर प्राप्त कर

(धनराशि ₹ करोड़ में)

माह का नाम	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वृद्धि / कमी का प्रतिशत	वर्ष 2022–23	वर्ष 2023–24	वृद्धि / कमी का प्रतिशत
	नैचुरल गैस पर प्राप्त कर	नैचुरल गैस पर प्राप्त कर		एवियेशन टरबाईन फ्यूल पर प्राप्त कर	एविऐशन टरबाईन फ्यूल पर प्राप्त कर	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
अप्रैल	2.05	3.14	53.17%	0.39	0.43	10.26%
मई	2.38	3.41	43.28%	0.49	0.38	-22.45%
जून	3.52	2.98	-15.34%	1.13	0.45	-60.18%
जुलाई	3.99	3.5	-12.28%	1.03	0.31	-69.90%
अगस्त	3.23	2.69	-16.72%	0.53	0.33	-37.74%
सितम्बर	3.16	3.19	0.95%	0.47	0.34	-27.66%
अक्टूबर	2.52	2.46	-2.38%	0.56	0.48	-14.29%
नवम्बर	2.98	3.31	11.07%	0.62	0.59	-4.84%
दिसम्बर	3.04	3.27	7.57%	0.42	0.45	7.14%
योग	**26.87**	**27.95**	**4.02%**	**5.64**	**3.76**	**-33.33%**

3.6 वित्तीय वर्ष 2023–24 में राज्य कर विभाग द्वारा जी०एस०टी० व वैट (Non GST) में क्रमशः ₹8,787 करोड़ तथा ₹2,603 करोड़, इस प्रकार कुल ₹11,390 करोड़ राजस्व प्राप्ति का अनुमान लगाया गया है। जिसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2023–24 में माह दिसम्बर, 2023 तक जी०एस०टी० व वैट में क्रमशः ₹6,122 करोड़ तथा ₹1,898 करोड़, इस प्रकार कुल ₹8,020 करोड़ का राजस्व राज्य को प्राप्त हो चुका है।

3.7 जी०एस०टी० लागू होने के उपरान्त 01 जुलाई, 2017 से 31 दिसम्बर, 2023 तक की अवधि में कुल 1,86,935 नये व्यापारी पंजीकृत हुए हैं। इसके अतिरिक्त 58,242 पंजीकृत व्यापारियों को वैट प्रणाली से जी०एस०टी० में प्रवर्जित किया जा चुका है। इस प्रकार वर्तमान तक राज्य में कुल पंजीकृत व्यापारियों की संख्या 2,45,177 हो चुकी है।

Number of Registerd Dealer in GST (Data as of 31 December, 2023)		
Sr.No.	Dealers	Number
1	Number of Migrated Dealers (State)	46833
2	Number of Migrated Dealers (Centre)	11409
3	New Registration (State)	81866
4	New Registration (Centre)	105069
5	Total Dealers (State+Centre)	**245177**
6	Composition Dealer (State)	24821
7	Composition Dealer (Centre)	17215
8	**Total Composition Dealer**	**42036**

Source:- CTD

3.8 राज्य कर विभाग की प्रवर्तन इकाईयों द्वारा करापवंचनरोधी प्रयास:–

राज्य कर विभाग की सचलदल इकाईयों द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 में माह दिसम्बर, 2023 तक कुल ₹54.86 करोड़ कर / अर्थदण्ड के रूप में जमा कराये गये, जो कि गत वर्ष इसी अवधि मे जमा कराये गये लगभग ₹38.44 करोड़ से 42 प्रतिशत अधिक है। राज्य कर विभाग की विशेष कार्यबल इकाईयों द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 मे माह दिसम्बर, 2023 तक कुल 132 सर्वेक्षण करते हुये लगभग ₹344 करोड़ की अपवंचित टर्नओवर प्रकाश में लाई गई तथा सुनवाई के दौरान ही ₹34.55 करोड़ जमा कराये गये।

3.9 वित्तीय वर्ष 2023–24 में माह दिसम्बर, 2023 तक राज्य कर विभाग द्वारा कुल ₹14,359.28 करोड़ का कर (CGST+IGST+SGST+CESS) संग्रह किया गया जो कि वित्तीय वर्ष 2022–23 की इसी अवधि में किये गये कर (CGST+IGST+SGST+CESS) संग्रह ₹12,405.74 करोड़ से 16 प्रतिशत अधिक है। राज्य कर विभाग द्वारा कुल कर (CGST+IGST+SGST+CESS) संग्रह का माहवार विवरण तालिका–3.8 में दर्शाया गया है–

तालिका–3.8

माह	CGST			SGST			IGST			CESS			Total		
	2022-23	2023-24	%+/-	2022-23	2023-24	%+/-	2022-23	2023-24	%+/-	2022-23	2023-24	%+/-	2022-23	2023-24	%+/-
अप्रैल	426.27	387.32	-9%	584.84	554.33	-5%	863.93	1191.84	38%	11.55	14.94	29%	1886.59	2148.43	14%
मई	257.42	307.40	19%	358.22	411.49	15%	680.9	702.97	3%	12.07	9.32	-23%	1308.61	1431.18	9%
जून	257.79	327.17	27%	359.99	428.6	19%	602.75	705.08	16%	10.39	11.5	11%	1280.92	1522.5	19%
जुलाई	269.02	318.28	18%	389.22	415.18	7%	722.23	863.17	20%	9.43	10.49	11%	1389.90	1607.12	16%
अगस्त	222.87	309.16	38%	335.35	382.06	14%	527.01	653.02	24%	7.98	8.68	9%	1094.21	1352.92	24%
सितम्बर	237.84	268.34	13%	362.87	387.27	7%	688.88	725.58	5%	10.78	11.17	4%	1300.37	1392.36	7%
अक्टूबर	280.59	379.42	35%	404.58	550.34	36%	918.38	894.56	-3%	9.06	10.1	11%	1612.61	1834.42	14%
नवम्बर	243.52	313.35	29%	387.54	485.55	25%	639.08	791.52	24%	9.89	10.21	3%	1280.03	1600.63	25%
दिसम्बर	250.66	294.06	17%	375.65	421.38	12%	616.83	744.4	21%	9.26	9.83	5%	1252.50	1469.67	17%
योग	**2446.98**	**2906.7**	**19%**	**3568.26**	**4036.2**	**13%**	**6299.99**	**7312.14**	**16%**	**90.51**	**96.24**	**6%**	**12405.74**	**14359.28**	**16%**

वित्तीय वर्ष 2022–23 व वर्ष 2023–24 का तुलनात्मक GST (CGST+IGST+SGST+CESS) संग्रह विवरण (धनराशि ₹ करोड़ में)

3.10 वित्तीय वर्ष 2022–23 में माह दिसम्बर, 2023 तक राज्य को IGST Settlement के अन्तर्गत कुल ₹1,860.79 करोड़ राजस्व प्राप्त हुआ था, जब कि वित्तीय वर्ष 2023–2024 की इसी अवधि में कुल IGST Settlement ₹ 2,241.44 करोड़ रहा, जो कि गत वर्ष के सापेक्ष 20 प्रतिशत अधिक है। राज्य कर विभाग द्वारा कुल IGST Settlement का विवरण तालिका–3.9 में दर्शाया गया है–

तालिका–3.9

Sanction of provisional Settlement of IGST for the Return Filing (Fig in ₹ Crore)

Months	IGST Liability adjusted against SGST/UTGST ITC (ITC Cross Utilisation) 2022-23 (outward)	IGST Liability adjusted against SGST/UTGST ITC (ITC Cross Utilisation) 2023-24 (outward)	%+/-	SGST/UTGST Liability adjusted against IGST ITC (ITC Cross Utilisation) 2022-23 (inward)	SGST/UTGST Liability adjusted against IGST ITC (ITC Cross Utilisation) 2023-24 (inward)	%+/-	Apportionment of IGST to the State/UT (2022-23)	Apportionment of IGST to the State/UT (2023-24)	%+/-	Adjustment of Adv. Apportionment of IGST to State/UT (2022-23)	Adjustment of Adv. Apportionment of IGST to State/UT (2023-24)	Total 2022-23	Total 2023-24	%+/-
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13) [illegible]	(14) [illegible]	(15)
April	405.43	410.40	1.23%	303.30	306.22	10.24%	90.23	123.33	00.21%	0	0	-177.80	-303.17	69.29%
May	362.36	341.36	5.79%	473.52	479.51	1.40%	64.96	115.99	78.61%	0	0	-175.12	254.14	45.12%
June	360.46	355.38	2.25%	458.95	466.21	6.30%	66.46	101.81	53.24%	0	0	-164.93	221.68	34.38%
July	381.26	423.46	10.49%	533.16	521.49	2.19%	85.51	112.77	31.20%	0	0	-135.00	210.15	-10.58%
August	286.38	316.79	10.40%	461.67	446.74	3.23%	55.52	124.92	110.59%	0	0	-174.21	-254.87	8.82%
September	385.22	387.84	-1.29%	446.81	439.39	5.89%	60.51	142.44	131.41%	0	0	-127.08	223.05	75.06%
October	375.24	430.5	14.73%	549.55	547.56	8.52%	90.57	168.47	86.01%	0	0	-164.66	285.33	7.89%
November	354.90	456.64	28.63%	502.07	531.85	5.87%	109.53	173.74	58.64%	0	50.80	-216.60	-209.56	-10.53%
December	393.86	361.31	1.54%	470.74	525.77	11.69%	110.53	116.27	5.18%	0	0	-215.44	-280.71	24.52%
Total	**3235.16**	**3484.9**	**6.73%**	**4298.28**	**4536.41**	**4.56%**	**727.47**	**1189.33**	**63.49%**	**0**	**59.8**	**-1860.79**	**-2241.44**	**20.46%**

स्रोत– राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड।

3.11 व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना:– जनहित में शासन द्वारा व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना दिनांक 19.11.2023 से दिनांक 18.11.2024 तक के लिए लागू की गयी है, जिसमें विभाग में पंजीकृत व्यापारियों की दुर्घटना में मृत्यु की दशा में मृतक आश्रित को तात्कालिक आर्थिक सहायता के रूप में ₹10.00 लाख का भुगतान बीमा कम्पनी के माध्यम से करने की व्यवस्था की गयी है।

3.12 राज्य कर विभाग उत्तराखण्ड द्वारा वर्ष 2023–24 एवं वर्ष 2024–25 के लिए सुनिश्चित राजस्व व राजस्व अनुमान निम्न तालिका–3.10 में दर्शाया गया है।

तालिका– 3.10

Assured revenue and revenue projections for forthcoming years are as below -

(आगामी वर्षों के लिए सुनिश्चित राजस्व तथा राजस्व अनुमान)

(धनराशि ₹ करोड़ में)

S.N.	Financial year	Assured Revenue (Under GST)	Achieved/ Projected GST (without compensation)	Achieved/ Projected Non-GST	Total Projected Tax	Projected Growth if GST was not implemented
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**6= (3 + 5) or (4+5)**	**(7)**
1.	2023-24	-	8800	2600	11400	23311
2.	2024-25	-	9676	2858	12534	27621

स्रोत– राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड।

बिल लाओ ईनाम पाओ' योजना– ग्राहकों को खरीद का बीजक/बिल लेने हेतु प्रोत्साहन दिये जाने एवं बिक्री पर बीजक/बिल नहीं देने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के उद्देश्य से राज्य कर विभाग के द्वारा ''बिल लाओ, ईनाम पाओ'' योजना लागू की गयी है। यह योजना 01 सितम्बर, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक लागू की गयी थी। वर्तमान में उक्त योजना को 31 मार्च, 2024 तक विस्तारित किया गया है। बिल लाओ, ईनाम पाओ योजना के अन्तर्गत ग्राहकों के द्वारा BLIPUK App के माध्यम से खरीद के बिल अपलोड किये जा सकते हैं। उक्त योजना के अन्तर्गत विजेताओं को लकी ड्रॉ के माध्यम से मासिक पुरस्कार दिये जा रहे हैं तथा योजना की समाप्ति पर मेगा पुरस्कार दिये जायेंगे।

3.13 स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग (Stamp and Registration):– स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग, उत्तराखण्ड राज्य सरकार की एक प्रमुख राजस्व शाखा है, जो नागरिकों के विभिन्न संपत्ति संबंधी लेनदेन की रिकॉर्डिंग और सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी के साथ कार्यरत है। ई–पंजीकरण पहल के साथ स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग हितधारकों को नागरिक अनुकूल, परेशानी मुक्त और पारदर्शी सेवायें प्रदान कर रहा है। पंजीकरण के कानून का मुख्य उद्देश्य दस्तावेज की वास्तविकता का एक निर्णायक प्रमाण प्रदान करना, लेनदेन के लिए प्रचार करना और धोखाधड़ी को रोकना है। विभाग

एक "रॉयल रिकॉर्ड कीपर" के रूप में कार्य कर रहा है, जो पुराने रिकॉर्डों को संरक्षित करता है और विधि न्यायालय में वास्तविकता के प्रमाण के रूप में प्रदान करने के लिए इसके द्वारा रखे गए रिकॉर्ड की प्रतियां प्रदान करता है।

3.13.1 वित्तीय वर्ष 2022–23 में 31 दिसम्बर, 2022 तक स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग को प्राप्त आय (कोषागार से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर) ₹1484.24 करोड़ थी, जबकि वित्तीय वर्ष 2023–24 में 31 दिसम्बर, 2023 तक प्राप्त आय ₹1828.50 करोड़ रही, जो कि गत वर्ष की तुलना में 23.19 प्रतिशत अधिक है।

3.13.2 स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग उत्तराखण्ड द्वारा वर्ष 2013–14 से वर्ष 2022–23 तक वित्तीय वर्षवार आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष प्राप्त आय का विवरण निम्न तालिका–3.11 में दर्शाया गया है।

तालिका–3.11

स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग, उत्तराखण्ड को वित्तीय वर्षवार आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष प्राप्त आय का प्रतिशत विवरण

(धनराशि ₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	वित्तीय वर्ष	आवंटित लक्ष्य	प्राप्त आय (कोषागार से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर)	लक्ष्य के सापेक्ष प्राप्ति प्रतिशत	गत वर्ष के सापेक्ष प्राप्ति प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	2013–2014	643.00	690.00	107.28	(+) 5.80
2	2014–2015	708.79	713.78	100.70	(+) 3.36
3	2015–2016	777.21	872.17	112.21	(+) 22.19
4	2016–2017	1203.00	779.50	64.80	(–) 10.81
5	2017–2018	1100.00	860.16	78.19	(+) 10.34
6	2018–2019	1168.00	1035.25	88.64	(+) 20.37
7	2019–2020	1340.73	1071.40	79.92	(+) 3.49
8	2020–2021	1248.23	1107.04	88.69	(+) 3.31
9	2021–2022	1200.00	1487.88	123.99	(+) 34.40
10	2022–2023	1590.05	1992.64	125.21	(+) 33.92
11	2023–2024	2062.93	**1828.50** (01 अप्रैल, 2023 से 31 दिसम्बर, 2023 तक प्राप्त आय)	88.63	गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में 01 अप्रैल, 2022 से 31 दिसम्बर, 2022 तक प्राप्त आय ₹1484.24 करोड़ के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2023–24 में दिनांक 31 दिसम्बर, 2023 तक **23.19%** की वृद्धि हुई।

3.13.3 सर्किल दरों हेतु GIS Application प्रणाली:–आम जनता की सुविधा हेतु विभागों की कार्यप्रणाली सरल बनाने की दिशा में विभाग में सम्पत्तियों के मूल्यांकन हेतु प्रवृत्त सर्किल दरों को ऑनलाईन प्रदर्शित किये जाने के सम्बन्ध में G.I.S. Application प्रणाली प्रवृत्त की गयी है। इससे आम जन को सम्पत्ति की स्थिति के अनुसार सर्किल दर मूल्यांकन करने से आसानी होगी। इससे आम जन को निम्नलिखित लाभ होंगे–

- प्रदेश के समस्त जनपदों में दिनांक 16.02.2023 से सम्पत्तियों के मूल्यांकन हेतु पुनरीक्षित सर्किल दर सूची प्रवृत्त की गयी है। उक्त प्रणाली के माध्यम से सम्पत्ति पर पहुंच की सुविधा के माध्यम से सम्पत्ति का सर्किल रेट ज्ञात होगा। उक्त पारदर्शी व्यवस्था से ऐसे बिचौलियों, जो कि आम जनता को सर्किल दरों के सम्बन्ध में भ्रमित जानकारी देते हैं, पर प्रभावी अंकुश लगेगा।

- पी0एम0 स्वनिधि योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों / वेन्डरों को स्वीकृत किये जाने वाले लोन की राशि ₹10,000 / – तक के ऋण की स्वीकृति हेतु निष्पादित विलेख पर स्टाम्प ड्यूटी समाप्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

- स्वामी विवेकानन्द हेल्थ मिशन सोसाइटी, उत्तराखण्ड देहरादून को धमार्थ चिकित्सालय हेतु ग्राम बन्द्राणी, तहसील भटवाड़ी जिला उत्तरकाशी में तालिका में उल्लिखित विवरणानुसार भूमि क्रय किये जाने हेतु प्रभार्य स्टाम्प शुल्क ₹12,68,750 (बारह लाख अड़सठ हजार सात सौ पचास मात्र) की छूट प्रदान की गयी है।

- निःशक्त व्यक्तियों के पक्ष में ₹25.00 लाख तक मूल्य की स्थावर सम्पत्ति के अन्तरण पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में पच्चीस प्रतिशत की छूट किसी भी निःशक्त व्यक्ति को उसके जीवनकाल में अधिकतम 02 बार अनुमन्य किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

- उत्तराखण्ड सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग नीति 2015 (यथा संशोधित व प्रवृत्त) के अन्तर्गत, उत्तराखण्ड राज्य में मैन्यूफैक्चरिंग (विनिर्माण क्षेत्र) के अन्तर्गत आच्छादित उद्योग स्थापित करने के लिये, ऐसे मामलों में जिनमें उद्यमियों / विधिक व्यक्ति द्वारा Single window system पर आवेदन किया गया है, भूमि क्रय किये जाने पर क्षेत्र विशेष की निर्धारित अकृषि दर की 50 प्रतिशत दरें प्रभावी होंगी, परन्तु ऐसे विलेखों के माध्यम से अन्तरित भूमि का मूल्यांकन उक्त क्षेत्र हेतु निर्धारित कृषि दर के अनुसार आंकलित मूल्यांकन से 50 प्रतिशत से न्यून / अधिक नहीं होगा। अग्रेत्तर यह कि जिन क्षेत्रों में अकृषि भूमि की 50 प्रतिशत दरें, उक्त क्षेत्र में कृषि भूमि हेतु निर्धारित दरों से न्यून होंगी, तो ऐसे प्रकरणों में कृषि भूमि हेतु निर्धारित सामान्य दर से 50 प्रतिशत अधिक दरें प्रयुक्त होंगी, परन्तु किसी भी दशा में अकृषि दरों से अधिक नहीं होंगी।

- प्रदेश में बैंकों के साथ ऐसे लेखपत्र जिनको पंजीकरण किया जाना अनिवार्य नहीं था, को डिजिटल / विधिक रूप में लागू किये जाने हेतु उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त ई–स्टाम्प सम्बन्धी नियमों में संशोधन किया गया है।

- दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण हेतु आधार प्रमाणीकरण ऐच्छिक रूप से लागू किया गया है।

आबकारी (Excise)

3.14 आबकारी विभाग की मौलिक नीति मादक वस्तुओं के अनौषधियों उपयोग के निषेध का उन्नीयन, प्रवर्तन एवं प्रभावीकरण है। मद्यनिषेध की इस बात को प्रमुखता देते हुए आबकारी विभाग ये सुनिश्चित करता है कि उपर्युक्त पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण द्वारा मादक वस्तुओं की वैधानिक बिक्री से अधिकतम राजस्व प्राप्त किया जाये।

चार्ट–3.2

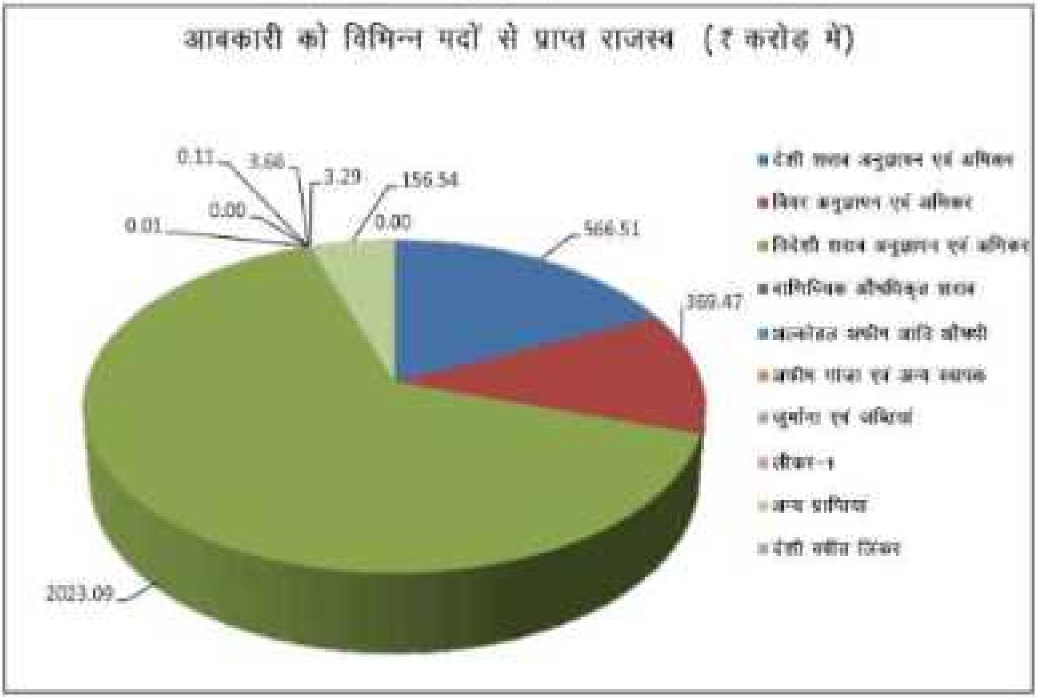

3.15 आबकारी नीति में गुणात्मक सुधार करने के लिए वर्ष 2023–24 आबकारी नीति दिनांक 22.03.2023 को जारी की गयी।

3.16 वर्ष 2022–23 के दौरान आबकारी विभाग द्वारा ₹3,501.35 करोड़ का राजस्व संग्रह किया गया। वर्ष 2023–24 में 31 दिसम्बर, 2023 तक निर्धारित वार्षिक लक्ष्य ₹4,000.00 करोड़ के सापेक्ष ₹3,122.69 करोड़ का संग्रह किया जा चुका है।

आबकारी विभाग द्वारा संग्रह किये जाने वाला राजस्व उत्तराखण्ड राज्य को प्राप्त राजस्व का 18 से 19 प्रतिशत के मध्य रहता है।

3.16.1 आबकारी विभाग को विदेशी शराब अनुज्ञापन एवं अभिकर से 31 दिसम्बर 2023 तक ₹2,023 करोड़ से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है।

3.16.2 देशी शराब अनुज्ञापन एवं अभिकर से 31 दिसम्बर 2023 तक ₹566 करोड़ से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है।

3.16.3 बियर अनुज्ञापन एवं अभिकर से 31 दिसम्बर 2023 तक ₹369 करोड़ से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है।

3.16.4 लीकर–1 से 31 दिसम्बर 2023 तक ₹3.29 करोड़ से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है।

3.16.5 वाणिज्यिक औषधिक से 31 दिसम्बर 2023 तक ₹75 हजार से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है।

3.16.6 अफीम गांजा एवं अन्य स्वापक से 31 दिसम्बर 2023 तक ₹10.63 लाख से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है।

3.16.7 जुर्माना एवं शास्तियों के अन्तर्गत 31 दिसम्बर 2023 तक ₹3.66 करोड़ से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है।

3.16.8 अन्य प्राप्तियों के अन्तर्गत 31 दिसम्बर 2023 तक ₹156.54 करोड़ से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है।

3.17 वित्तीय वर्ष 2022–23 में आबकारी विभाग द्वारा निर्धारित वार्षिक लक्ष्य ₹3,600.00 करोड़ के सापेक्ष कुल ₹3,501.93 करोड़ का राजस्व प्राप्त हो चुका है। वर्ष 2001–02 से वर्ष 2023–24 तक आबकारी विभाग द्वारा प्राप्त राजस्व प्राप्ति का विवरण तालिका–3.12 व (चार्ट–3.2) में दर्शाया गया है।

तालिका – 3.12

राजस्व बढ़ोत्तरी आबकारी विभाग (धनराशि ₹करोड़ में)		
वित्तीय वर्ष	निर्धारित लक्ष्य	प्राप्त राजस्व
(1)	(2)	(3)
2001–02	222.38	231.69
2002–03	256.36	246.46
2003–04	286.05	272.69
2004–05	282.76	292.09
2005–06	357.96	292.81
2006–07	360.00	372.84
2007–08	417.00	441.71
2008–09	501.00	528.32
2009–10	598.21	703.71
2010–11	686.93	755.98
2011–12	727.67	843.57
2012–13	942.00	1117.80
2013–14	1150.00	1269.04
2014–15	1500.00	1486.80
2015–16	1800.00	1736.60
2016–17	2100.00	1906.00
2017–18	2310.00	2262.02
2018–19	2650.00	2705.38
2019–20	3047.50	2729.15
2020–21	3481.37	3017.34
2021–22	3202.00	3260.35
2022–23	3600.00	3501.93
2023–24*	4000.00	3122.69

* वास्तविक प्राप्तियाँ दि0 31.12.2023 तक।

तालिका – 3.13

* वास्तविक प्राप्तियाँ दि0 31.12.2023 तक।

अध्याय–4
भाव संचलन
Price Movement

4.1 मूल्य सूचकांक (Price Index):– मूल्य सूचकांक अर्थव्यवस्था के सामान्य मूल्य स्तर (Price Level) या लोगों की जीवन शैली की लागत (Cost of Living) मापने का कार्य करता है। यह विभिन्न समयावधि में अथवा भिन्न भौगोलिक स्थानों के बीच के सापेक्ष मूल्यों का तुलनात्मक अध्ययन करता है। एक निश्चित समयांतराल के दौरान किसी दिए गए समूह की वस्तुओं या सेवाओं के मूल्यों के सापेक्ष यह एक सामान्यीकृत औसत (आमतौर पर एक भारित औसत) मूल्य है। इसका उपयोग उत्पादकों के उत्पादक योजना बनाने एवं उत्पादित वस्तुओं के मूल्य निर्धारण हेतु किया जाता है।

4.2 थोक मूल्य सूचकांक (Wholesale Price Index): थोक मूल्य सूचकांक कुछ चुनी हुई वस्तुओं के समूह (Basket) के सामूहिक औसत मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। भारत में यह बास्केट 3 समूहों से बना है: प्राथमिक वस्तुएं (कुल भार 22.62%), ईंधन और शक्ति (कुल भार 13.15%) तथा विनिर्माण उत्पाद (कुल भार 64.23%)। प्रतिनिधि बास्केट में कुल 697 वस्तुएं शामिल हैं, जिनमें से प्राथमिक समूह में 117 वस्तुएं, ईंधन व शक्ति समूह में 16 वस्तुएं तथा विनिर्माण समूह में 564 वस्तुएं सम्मिलित हैं। थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा मासिक अंतराल पर जारी किया जाता है। भारत में थोक मूल्य सूचकांक (Wholesale Price Index) मुद्रास्फीति के मापन के रूप में प्रयोग किया जाता रहा है।

4.3 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Index): राष्ट्रीय स्तर पर अप्रैल 2014 से मुद्रास्फीति मापने के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) (आधार 2012 = 100) को नये मानक के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। उत्तराखण्ड राज्य में वर्ष 2017–18 को आधार वर्ष निर्धारित करते हुए राज्य की कुल 74 चयनित बाजारों (34 ग्रामीण एवं 40 नगरीय) से नगरीय बाजारों हेतु 190 एवं ग्रामीण बाजारों हेतु 192 वस्तुओं का भाव संग्रह करते हुए उपभोक्ता भाव सूचकांक तैयार किया जा रहा है।

क्र०सं०	जनपद का नाम	ग्रामीण	नगरीय
1	उत्तरकाशी	2	2
2	चमोली	3	2
3	रूद्रप्रयाग	1	2
4	टिहरी	3	2
5	देहरादून	3	5
6	पौड़ी	4	2
7	पिथौरागढ़	2	2
8	बागेश्वर	1	2
9	अल्मोड़ा	3	2
10	चम्पावत	1	2
11	नैनीताल	3	4
12	यू एस नगर	3	6
13	हरिद्वार	5	7
योग उत्तराखण्ड		**34**	**40**

माह जनवरी 2023 से दिसम्बर 2023 का नगरीय उपभोक्ता भाव सूचकांक निम्नवत् है :–

नगरीय उपभोक्ता भाव सूचकांक आधार वर्ष (2017–18=100)

राज्य– उत्तराखण्ड			जनवरी 2023	फरवरी 2023	मार्च 2023	अप्रैल 2023	मई 2023	जून 2023	जुलाई 2023	अगस्त 2023	सितम्बर 2023	अक्टूबर 2023	नवम्बर 2023	दिसम्बर 2023
क्र0 सं0	समूह / उप समूह	भार	भाव सूचकांक											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	(i) खाद्य वस्तुएं समस्त	4.12	139.07	138.84	140.59	140.04	141.45	140.11	143.29	143.15	142.25	140.55	141.36	140.78
(i)	खाद्य वस्तुएं	36.31	135.71	135.39	138.23	137.58	139.21	140.67	144.37	144.25	143.18	141.49	142.50	142.05
	(i) अनाज, उससे उत्पन्न व तत्संबंधित चीजें	2.46	133.58	131.68	131.92	133.58	135.26	134.64	136.01	137.63	141.70	136.30	137.27	136.57
	(ii) मांस व मछली	4.54	136.02	136.62	138.79	136.56	137.63	137.17	135.82	138.29	139.42	136.61	136.16	136.88
	(iii) अण्डा	0.25	131.41	127.56	120.90	119.54	116.36	117.75	117.02	131.21	113.74	116.29	127.77	141.45
	(iv) दूध व उससे उत्पाद	2.71	126.40	125.04	128.30	126.73	131.57	131.47	130.14	131.05	132.71	132.41	132.38	132.24
	(v) खाद्य तेल	2.17	149.56	148.46	148.40	144.13	139.45	137.60	136.11	137.53	136.56	137.13	137.37	137.13
	(vi) फल व मेवा	7.33	115.76	116.37	122.77	122.10	125.25	128.07	133.24	127.60	126.47	121.98	128.25	126.91
	(vii) साग–सब्जी, दालें / तरकारी व उनसे तैयार अचार आदि	2.56	118.37	113.97	119.36	113.56	123.09	138.41	176.08	179.62	159.32	154.78	147.02	140.22
	(viii) दालें व उनसे उत्पाद	0.95	128.21	126.30	127.66	129.64	129.50	130.67	134.97	135.90	137.42	138.38	142.07	142.93
	(ix) चीनी, शक्कर आदि	0.84	115.44	112.90	113.52	111.42	112.94	112.95	115.48	114.53	114.90	115.67	116.01	117.63
	(x) नमक व मसाले	0.82	150.74	149.67	150.43	158.73	153.37	154.76	154.71	155.60	155.46	155.11	155.90	156.82
	(xi) चाय व कॉफी	1.97	133.62	133.54	133.45	133.78	133.55	133.52	133.74	133.65	133.74	134.19	134.28	134.29
	(xii) खान–पान / जलपान	9.76	155.26	155.09	158.78	159.67	160.64	163.52	161.05	160.98	161.07	161.47	161.56	161.56
(2)	धूम्रपान आदि	7.80	154.51	154.50	151.81	151.47	151.48	137.60	138.04	138.02	138.00	136.19	136.11	134.99
(3)	अखाद्य वस्तुएं	55.88	180.34	181.31	181.94	181.53	181.29	182.76	181.49	181.60	181.90	163.55	163.54	163.72
	(iii) कपड़ा, जूते इत्यादि	3.19	112.16	113.26	113.60	113.19	114.73	115.57	115.81	115.92	116.22	116.93	117.41	118.33
	(iv) भवन किराया / निवास किराया आदि	8.84	123.23	128.65	128.18	124.96	129.60	131.96	131.34	131.34	131.34	131.34	131.34	131.83
	(v) विद्युत व ईंधन	6.90	171.45	170.28	171.52	173.62	174.20	174.28	174.84	174.20	162.44	160.30	160.52	160.96
	(vi) विविध व अन्य	37.55	200.19	200.75	201.19	201.46	202.59	201.20	199.50	199.70	199.78	175.42	175.34	175.39
भाव सूचकांक		100.00	161.89	162.47	161.53	162.89	164.42	165.53	164.20	164.32	163.83	154.22	155.62	153.49

राज्य स्तर पर जनवरी 2023 से मार्च 2023 तक सूचकांक में निरन्तर वृद्धि हुई है। अप्रैल 2023 में कमी के उपरान्त मई 2023 में वृद्धि, जून 2023 में कमी एवं जुलाई 2023 एवं अगस्त 2023 में वृद्धि, सितम्बर 2023 तथा अक्टूबर में कमी एवं नवम्बर 2023 में पुनः वृद्धि के बाद दिसम्बर में कमी परिलक्षित हुई है।

4.4 CPI (संयुक्त) तैयार करने हेतु सभी वस्तुओं को 6 उप समूहों (Sub-groups) में वर्गीकृत करते हुये भारित (Weighted) किया गया है, जो इस प्रकार है: खाद्य एवं पेय पदार्थ (कुल भार 45.86%); पान, तम्बाकू और मादक पदार्थ (कुल भार 2.38%); कपड़े और जूते (कुल भार 6.53%); आवास (कुल भार 10.07%); ईंधन और प्रकाश (कुल भार 6.84%) तथा अन्य वस्तुएं (कुल भार 28.32%)। सूचकांक निर्माण में खाद्य एवं पेय पदार्थों का भार सर्वाधिक होने के कारण इनके भावों में परिवर्तन मुद्रास्फीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

NSSO के क्षेत्र संचालन प्रभाग द्वारा सीपीआई (शहरी) हेतु 310 चयनित शहरों / कस्बों में तथा सीपीआई (ग्रामीण) हेतु 1,114 ग्रामीण बाजारों से मासिक मूल्य डाटा एकत्रित किया जाता है। साथ ही विशिष्ट राज्य / संघ शासित प्रदेशों के अर्थ एवं संख्या

निदेशालय तथा डाक विभाग द्वारा चयनित 1,181 गांवों से वेब पोर्टल के जरिये कीमतें एकत्रित की जाती हैं।

मुद्रास्फीति के कारण

4.5 विगत कई वर्षों से सरकारी व्यय में निरंतर वृद्धि के कारण अर्थव्यवस्था में अधिक मुद्रा का प्रवाह हुआ है, जो सामान्य जन की क्रय क्षमता को बढ़ाता है। यह मुख्य रूप से गैर योजना व्यय (Non-plan expenditure) में बढ़ोतरी करता है, जोकि अनुत्पादक प्रकृति का होता है तथा केवल क्रय क्षमता एवं मांग में वृद्धि करता है। इसी क्रम में समय–समय पर वेतन आयोग की संस्तुतियों के कारण कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होने से भी महंगाई दर में वृद्धि हुई है।

साथ ही पैट्रोल व डीजल के दामों में हो रही दैनिक वृद्धि भी महंगाई के प्रमुख कारणों में से एक है, क्योंकि अधिकांश दैनिक उपभोग की वस्तुओं व सेवाओं की ढुलाई व आपूर्ति यातायात माध्यमों से होती है, जोकि ईंधन हेतु पैट्रोल व डीजल पर आधारित है।

राज्य में मंहगाई नियंत्रण एवं वित्तीय प्रबंधन हेतु प्रदेश सरकार द्वारा भारतीय संसद् में वित्तीय अनुशासन (राजकोषीय घाटे को कम करना तथा संतुलित बजट की दिशा में अग्रसर होना) एवं व्यापक आर्थिक प्रबंधन की दृष्टि से पारित Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2003 (FRBMA) का अनुपालन करते हुये राजकोषीय घाटे को GDP के अधिकतम 3 प्रतिशत की सीमा में निरन्तर रखा जा रहा है।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) Consumer Price Index (Combined)

4.6 सरकार द्वारा उठाए गए प्रभावी कदमों के फलस्वरूप राज्य में वस्तुओं की कीमतें नियंत्रित रही है,फिर भी उत्तराखण्ड का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) राष्ट्रीय सूचकांक की तुलना में अधिक रहा है।

राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2023 के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) का अध्ययन करने पर दृष्टिगत होता है कि माह जनवरी 2023 में मुद्रास्फीति की दर (+) 6.52 प्रतिशत थी जो दिसम्बर 2023 माह में 5.69 स्तर प्रतिशत पर अवस्थित रही।

इसके सापेक्ष राज्य में वर्ष 2023 के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का अध्ययन करने पर यह दृष्टिगत होता है कि जनवरी 2023 माह में मुद्रास्फीति की दर (+) 6.37 प्रतिशत के स्तर पर थी, जो दिसम्बर माह में 4.73 प्रतिशत पर अवस्थित रही।

जनवरी 2023 से दिसम्बर 2023 तक राष्ट्रीय एवं प्रदेश की मुद्रास्फीति दर का अध्ययन करने पर यह दृष्टिगत होता है कि राष्ट्रीय स्तर पर माह मई 2023 तक कमी होती रही। तत्प श्चात् जून 2023 एवं जुलाई 2023 तक वृद्धि हुई। अगस्त 2023 से अक्टूबर 2023 तक मुद्रास्फीति में लगातार कमी दृष्टिगत हुई। तत्पश्चात् नवम्बर 2023 एवं दिसम्बर 2023 में वृद्धि परिलक्षित हुई। प्रदेश में माह मार्च 2023 तक मुद्रास्फीति की दर निरंतर बढ़ती रही। अप्रैल 2023 एवं मई 2023 में इसमें कमी परिलक्षित हुई। जून 2023 में मुद्रास्फीति की दर 6.32 थी, जो कि जुलाई 2023 तक निरन्तर बढ़ती रही। तत्पश्चात् अगस्त 2023 से अक्टूबर 2023 तक कमी आई। नवम्बर 2023 मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि एवं दिसम्बर, 2023 माह में वृद्धि की दर परिलक्षित हुई। उत्तराखण्ड की मुद्रास्फीति दर माह जनवरी 2023, अक्टूबर 2023 एवं नवम्बर 2023 को छोड़कर समस्त महीनों में राष्ट्रीय दर से अधिक रही है।

तालिका 4.1

अखिल भारतीय एवं उत्तराखण्ड का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक(संयुक्त)CPI(Combined)
(आधार 2012 = 100)

माह	2019		2020		2021		2022		2023		मुद्रास्फीति की दर (2023)	
	भारत	उत्तराखण्ड	भारत	उत्तराखण्ड	भारत	उत्तराखण्ड	भारत	उत्तराखण्ड	भारत	उत्तराखण्ड	भारत	उत्तराखण्ड
जनवरी	139.6	134.9	150.2	145.4	156.3	153.5	166	163.3	176.5	173.7	6.52	6.37
फरवरी	139.9	135.0	149.1	145.0	156.6	153.9	166	164	176.8	174.9	6.44	6.65
मार्च	140.4	136.0	148.6	145.4	156.8	154.7	168	165	177.2	176.1	5.66	6.73
अप्रैल	141.2	136.3	151.4	-	157.8	156.5	170	167.1	178.1	177.1	4.7	5.98
मई	142.0	137.7	150.9	-	160.4	159.0	172	168.6	179.1	178.3	4.31	5.75
जून	142.9	138.4	151.8	150.4	161.3	158.4	173	169.3	181	180	4.87	6.32
जुलाई	144.2	140.2	153.9	151.6	162.5	160.4	173	170.2	186.3	184.8	7.44	8.58
अगस्त	145.0	141.3	154.7	152.5	162.9	160.5	174	172.2	186.2	185.5	6.83	7.72
सितम्बर	145.8	142.4	156.4	154.2	163.2	160.9	175	172.6	184.1	182.2	5.02	5.56
अक्टूबर	147.2	144.3	158.4	156.3	165.5	163.5	177	173.6	185.3	181.6	4.87	4.61
नवम्बर	148.6	145.3	158.9	156.4	166.7	165.0	177	174.2	186.3	183.5	5.55	5.34
दिसम्बर	150.4	146.3	157.3	154.4	168.1	163.4	176	173.5	185.7	181.7	5.69	4.73

Source: CSO, MoSPI, GoI

चार्ट 4(अ)

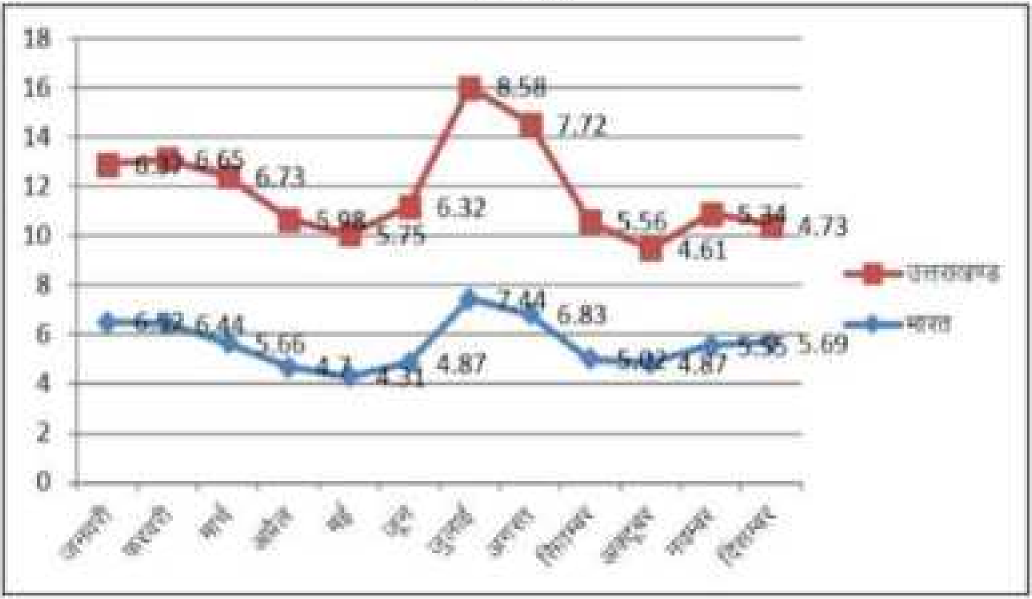

कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र

अध्याय–5
कृषि, गन्ना एवं उद्यान
(Agriculture, Sugar Cane & Horticulture)

5.1 कृषि (Agriculture)

देश की 70 प्रतिशत से अधिक आबादी ग्रामीण है तथा कोविड–19 के दौरान अधिकांश शहरी क्षेत्रों में कार्यरत कार्यबल का ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन हुआ है। अतः वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका संवर्धन की व्यवस्था अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं आवश्यक है। उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में यदि मात्र कृषि क्षेत्र को ही देखा जाये तो, यहां वर्ष 2001 की तुलना में कुल जनसंख्या के सापेक्ष कुल कार्यबल वर्ष 2011 में 27.48 प्रतिशत से बढ़कर 30.98 प्रतिशत हुआ है, जो भारत के 30.39 प्रतिशत (2001) तथा 33.24 प्रतिशत (2011) के सापेक्ष कम है।

चूंकि राज्य के अधिकांश क्षेत्र में कृषि जोत छोटी व बिखरी होने के कारण कृषि कार्य अत्यन्त चुनौतीपूर्ण है। 70 प्रतिशत ग्रामीण आबादी को आजीविका संवर्द्धन तथा अन्य सहवर्गीय क्रियाकलापों यथा उद्यानीकरण, दुग्ध उत्पादन, जड़ी बूटी उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, पशुपालन, जैविक कृषि, सगन्ध पादप, मौन पालन, सब्जी उत्पादन तथा इनसे संबन्धित लघु उद्योगों पर निर्भर करता है। कोविड–19 के दौरान एक रैपिड सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 25 : व्यक्तियों द्वारा कृषि तथा सहवर्गीय क्षेत्रों में कार्य करने पर अपनी सहमति जतायी है, जो निश्चित रुप से यह दर्शाता है कि प्रवासी कामगार जो सामान्यतः शहरी क्षेत्रों मे होटल, रैस्टोरेन्ट तथा आतिथ्य (HOSPITALITY) क्षेत्र में कार्य करते थे, इस क्षेत्र में कार्य करने को तैयार है।

5.1.1 उत्तराखण्ड के कृषि एवं सम्बन्धित क्षेत्रों हेतु बजट आवंटन एवं सकल घरेलू उत्पाद में योगदान– चार्ट 5.1 से स्पष्ट है कि वर्ष 2011–12 से 2022–23 तक राज्य में कृषि एवं सहवर्गीय क्षेत्र में बजट आवंटन कुल बजट का 3.80 प्रतिशत से 3.54 के मध्य रहा है। वर्ष 2022–23 में कृषि एवं सहवर्गीय क्षेत्र का GSDP में योगदान 0.79 प्रतिशत रहा। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2021–22 में राज्य सरकार द्वारा कुल बजट में कृषि एवं सहवर्गीय क्षेत्र हेतु लगातार वृद्धि की है, जोकि निसंदेह कृषि क्षेत्र को बढ़ावा दिये जाने की ओर इंगित करता है।

चार्ट 5.1

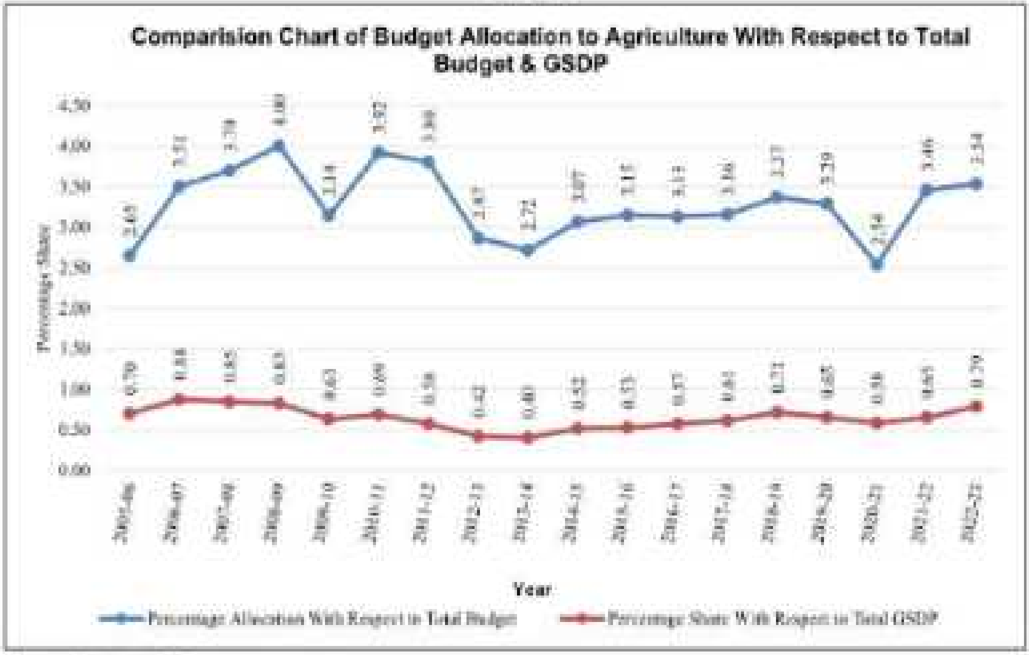

स्रोत: अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उत्तराखण्ड

5.1.2 कृषि जोतें

वर्ष 2015–16 की कृषि गणना के आधार पर प्रदेश में कुल 881305 जोतें हैं। विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत जोतों की संख्या एवं क्षेत्रफल का विवरण निम्नलिखित सारणी में दिया जा रहा है–

तालिका सं0–5.1

क्षेत्रफल– हेक्टेयर में

क्र0 सं0	क्रियात्मक जोतों की श्रेणी	अनुसूचितजाति		अनुसूचितजनजाति		अन्य		योग	
		संख्या	क्षेत्रफल	संख्या	क्षेत्रफल	संख्या	क्षेत्रफल	संख्या	क्षेत्रफल
1	सीमान्त (1.0 हे0 से कम)	109266	40279	15878	6081	533920	237081	659064	283442
2	लघु (1.0 हे0 से 2.0 हे0 तक)	11182	15299	4374	6348	133261	184582	148817	206228
3	सीमान्त व लघु जोतों का योग	120448	55578	20252	12429	667181	421663	807881	489670
4	कुलजोतों के सापेक्ष सीमान्त व लघु जोतों का प्रतिशत	97.29	85.25	71.98	26.79	91.47	66.33	91.67	65.52
5	अर्द्ध–मध्यम (2.0 हे0 से 4.0 हे0 तक)	2997	7714	4570	13097	50473	134721	58040	155532
6	मध्यम (4.0 हे0 से 10.0 हे0 तक)	346	1787	3085	17872	11065	59176	14496	78834
7	बृहत (10.0 हे0 से अधिक)	9	114	228	2996	651	20174	888	23284
	कुल योग–(3+5+6+7)	123800	65192	28135	46393	729370	635734	881305	747320

तालिका 5.2

मानसून– वित्तीय वर्ष– 2022

वर्षा के सामान्य एवं वास्तविक आंकड़े (अप्रैल, 2023 से दिसम्बर,2023 तक) इकाई– मि0मी0 में।

जनपद		अल्मोड़ा	बागेश्वर	चमोली	चम्पावत	देहरादून	पौड़ी	टिहरी	हरिद्वार	नैनीताल	पिथौरागढ़	रूद्रप्रयाग	ऊधमसिंहनगर	उत्तरकाशी	औसत उत्तराखण्ड	%
अप्रैल, 2023	सामान्य	18.4	18.4	27.8	14.4	22.3	7.3	20.4	11.2	21.1	29.7	37	3.7	28.5	21.7	32
	वास्तविक	42.6	29.3	27.9	14.7	37.2	21.7	39	8.9	57.1	22.4	31.8	36.8	36.5	32	
मई, 2023	सामान्य	50.3	50.3	64	51.2	56.9	33.3	50.1	28.6	72.2	113.1	105.7	37.1	70.4	64.6	54
	वास्तविक	70.3	76.5	76.4	102.7	102.1	54.2	126.5	105.9	111	101.8	127.3	78.9	135.3	98.3	
जून, 2023	सामान्य	146.3	146.3	104.7	211.9	193.4	150.8	129.5	134.3	265.8	248.9	220	174.5	176.6	176.8	-16
	वास्तविक	76.7	245.7	143	110.9	247.7	85.2	181.2	233.2	92.3	157.6	182.6	141.8	170.2	152.6	
जुलाई, 2023	सामान्य	289.1	289.1	285.8	501.8	575.9	482.4	359.9	364.4	598	575.7	994.1	422.7	453.7	447.4	22
	वास्तविक	357.8	946.3	576.4	450.4	864.2	419.1	523.4	834.4	476.6	488.7	635	601.3	600.2	570.9	
अगस्त, 2023	सामान्य	241.8	241.8	248.2	397.6	498.4	472.1	333.1	355.7	444.3	475.7	568.8	375.5	380.9	385.7	-9
	वास्तविक	146.8	692.7	253.4	312.7	737.4	375.2	391.7	258.3	453	424	279.7	499.1	134.1	353.9	
सितम्बर, 2023	सामान्य	130	130	105	230.5	217.5	205	152.8	166.2	161.7	235.7	207.6	185.3	168.3	182.4	-20
	वास्तविक	185	287.9	110	182.3	139.4	77.7	111.3	78.3	280.2	219.3	127.3	203.5	80.7	151.8	
अक्टूबर, 2023	सामान्य	20.4	20.4	20.5	43.9	36.4	23.6	22.8	16	39	48.2	20.4	35.3	38	31	-55
	वास्तविक	26.4	14.3	20.3	11.3	20.8	10.1	14.1	14.8	20.5	33.9	18.4	4.6	24.5	20	
नवम्बर, 2023	सामान्य	25.5	25.5	27.8	48.5	48.1	26.2	27.9	19.5	44.1	57.9	28.8	36.2	46.3	37.4	-40
	वास्तविक	29.3	16.9	24.6	11.5	22.7	10.5	16.1	18.1	24.2	35.4	21	4.6	26.9	22.2	
दिसम्बर, 2023	सामान्य	18.3	18.3	20.6	15	21.1	11.5	18.2	13.6	15.8	15.2	21.2	7.9	23.7	17.6	-300
	वास्तविक	2.7	1.7	5.3	1.5	1.9	2.2	5.4	1.1	4.7	2.2	9.9	1	9.8	4.4	

कृषि कार्यकलापों का मानसून से गहन सम्बन्ध है। उत्तराखण्ड में वर्ष 2023 के मानसून के मौसम (अप्रैल से दिसम्बर, 2023) में सामान्य से लगभग 160.8 मि0मी0 कम वर्षा हुई।

5.1.3 क्रॉपिंग पैटर्न– वर्ष 2021–22 के अनुसार कुल बोये गये क्षेत्रफल का 29 प्रतिशत क्षेत्र गेहूं के अन्तर्गत है, जिस कारण यह प्रदेश की मुख्य फसल है। धान के अन्तर्गत 24 प्रतिशत, मंडुवा के अंतर्गत 8 प्रतिशत, गन्ना के अन्तर्गत 10 प्रतिशत, सांवा के अन्तर्गत 4 प्रतिशत, कुल दालों के अंतर्गत 6 प्रतिशत, कुल तिलहन के अन्तर्गत 3 प्रतिशत, मक्का के अन्तर्गत 2 प्रतिशत, जौ के अन्तर्गत 2 प्रतिशत, फल एवं सब्जियों के अन्तर्गत 5 प्रतिशत चारा 3 प्रतिशत एवं अन्य फसलों के अन्तर्गत 4 प्रतिशत क्षेत्र आच्छादित है। शेष कृषि क्षेत्र अन्य कृषि उत्पादों, सब्जियां, मसाले आदि के अन्तर्गत है।

कुल तिलहन के अन्तर्गत 2 प्रतिशत, मक्का के अन्तर्गत 2 प्रतिशत, जौ के अन्तर्गत 2 प्रतिशत, फल एवं सब्जियों के अन्तर्गत 5 प्रतिशत, चारा 3 प्रतिशत एवं अन्य फसलों के अन्तर्गत 4 प्रतिशत क्षेत्र आच्छादित है। शेष कृषि क्षेत्र अन्य कृषि उत्पादों, सब्जियों, मसालों आदि के अन्तर्गत है।

तालिका 5.3

क्र0सं0	फसल का नाम	क्षेत्रफल (प्रतिशत में)
1	गेहूं	29
2	धान	24
3	मण्डुवा	8
4	सांवा	4
5	गन्ना	10
6	मक्का	2
7	जौ	2
8	कुल दालें	6
9	कुल तिलहन	3
10	फल तथा सब्जियां	5
11	चारा	3
12	अन्य फसलें	4

स्रोतः कृषि विभाग

चार्ट 5.2

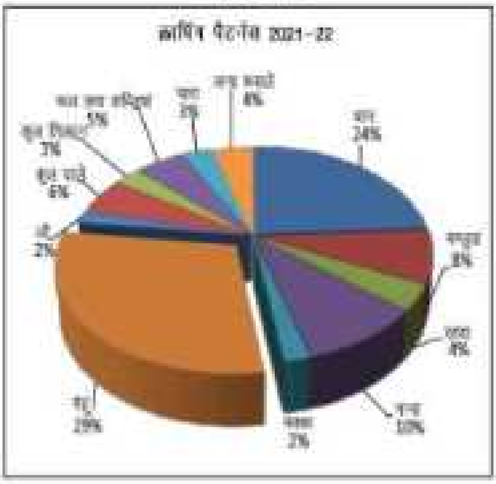

5.1.5 उत्तराखण्ड में खाद्यान्न उत्पादन तथा खाद्यान्न के अन्तर्गत क्षेत्रफल

तालिका– 5.4

वर्ष	क्षेत्र ('000हैक्टेयर)	उत्पादन ('000मी.टन)	प्रति हैक्टेयर उत्पादन (मी.टन)
2011–12	909.305	1804.03	1.98
2012–13	898.974	1811.84	2.02
2013–14	872.75	1775.08	2.03
2014–15	875.38	1612.98	1.84
2015–16	866.78	1756.38	2.03
2016–17	867.88	1874.50	2.16
2017–18	842.389	1920.590	2.28
2018–19	814.833	1860.206	2.283
2019–20	806.681	1892.029	2.345
2020–21	782.960	1978.631	2.525
2021–22	751.384	188.652	2.511
2022–23	753.014	177.473	2.367

स्रोतः कृषि विभाग

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि राज्य में कृषि भूमि लगातार कम होने के बावजूद भी खाद्यान्न उत्पादकता बढ़ी है। खाद्यान्न उत्पादन में औसत उत्पादकता बढ़ने का मुख्य कारण उन्नत किस्म के बीजों का वितरण तथा कृषि में नयी–नयी तकनीकों के उपयोग से हुआ है। सतत् विकास लक्ष्य दो को विभिन्न चरणों में पूर्ण करने हेतु राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा जो योजनायें चलायी जा रही है उसका विवरण निम्नानुसार है:–

केन्द्रपोषित योजनायें–

5.1.6 प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN): भारत सरकार द्वारा किसानों को आय सम्बन्धी सहायता दिये जाने हेतु शत–प्रतिशत सहायता के साथ दिनांक 01 दिसम्बर, 2018 से "प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पी.एम–किसान)" योजना लागू की गई है जिसके अन्तर्गत पात्र किसान परिवारों के बैंक खातों में प्रति वर्ष रु. 6000 (रूपये छः हजार मात्र) की धनराशि ₹ 2000 (रूपये दो हजार मात्र) की तीन समान किश्तों में प्रदान की जा रही है। योजना की किश्तों हेतु निर्धारित समयावधि निम्नानुसार है :–

- प्रथम किश्त की समयावधि – 01 अप्रैल से 31 जुलाई
- द्वितीय किश्त की समयावधि– 01 अगस्त से 30 नवम्बर
- तृतीय किश्त की समयावधि– 01 दिसम्बर से 31 मार्च

प्रदेश में योजना के संचालन हेतु शासनादेश संख्या: 232 दिनांक 08 फरवरी, 2019 के द्वारा कृषि विभाग को नोडल विभाग तथा शासनादेश संख्या: 233 दिनांक 08 फरवरी, 2019 के द्वारा आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड को नोडल अधिकारी नामित किया गया है।

1. योजना के उद्देश्य–

(1) देश में समस्त किसानों को प्रत्यक्ष आय सम्बन्धी सहायता दिए जाने के प्रयोजनार्थ एक सुव्यवस्थित कार्य व्यवस्था कायम करने के लिए भारत सरकार द्वारा केन्द्र से शतप्रतिशत सहायता के साथ (पीएम–किसान) नाम की एक योजना आरम्भ की गई है।

(2) यह योजना समस्त किसानों को उनके निवेश और अन्य जरूरतों के लिए एक सुनिश्चित आय सहायता सुनिश्चित करते हुए पूरक आय प्रदान करेगी, जिससे उनकी उभरती जरूरतों को तथा विशेष रूप से फसल कटाई के पश्चात सम्भावित आय प्राप्त होने से पूर्व होने वाले संभावित व्ययों की पूर्ति सुनिश्चित होगी।

(3) यह योजना उन्हें ऐसे खर्चों को पूरा करते हुए उन्हें साहूकारों के चंगुल में पड़ने से भी बचाएगी और खेती के कार्यकलापों में उनकी निरंतरता सुनिश्चित करेगी। यह योजना उन्हें अपनी कृषि पद्धतियों के आधुनिकीकरण के लिए सक्षम बनाएगी और उनके लिए सम्मानजनक जीवनयापन करने का मार्ग प्रशस्त करेगी।

2. योजना की प्रगति–

प्रदेश में दिनांक: 31 दिसम्बर, 2023 तक 9.62 लाख कृषक पंजीकृत हो चुके है तथा ₹ 2395.79 करोड़ धनराशि निम्नानुसार उपलब्ध करायी जा चुकी है।

तालिका 5.5

क्र सं	वित्तीय वर्ष	आंवटित धनराशि (करोड़ ₹ में)
1.	2018–19	82.82
2.	2019–20	432.03
3.	2020–21	522.16
4.	2021–22	547.77
5.	2022–23	481.10
6.	2023–24	329.91
	कुल योग	2395.79

तालिका 5.6

वर्ष 2023–24 में योजना से लाभान्वित कृषकों का जनपदवार विवरण

क्र. सं.	जनपद का नाम	कुल पंजीकृत कृषक (06.01. 2024)	प्रथम ट्राईमेस्टर (अप्रैल से जुलाई 2023)		द्वितीय ट्राईमेस्टर (अगस्त से नवम्बर 2023)		कुल आवंटित धनराशि (लाख ₹ में)
			कृषकों की संख्या	देय किश्तों की संख्या	कृषकों की संख्या	देय किश्तों की संख्या	
1	अल्मोड़ा	116958	92764	99278	83591	95028	3886.12
2	बागेश्वर	43416	36429	40055	34948	38595	1573.00
3	चमोली	53364	45645	44726	41360	46040	1896.12
4	चम्पावत	42753	33086	37879	30454	38057	1518.72
5	देहरादून	55439	40199	44920	36252	45609	1814.58
6	हरिद्वार	137823	102164	121717	82118	103233	4499.00
7	नैनीताल	56933	46604	50031	44310	53566	2071.94
8	पौड़ी गढ़वाल	70492	59090	62221	52749	58742	2419.26
9	पिथौरागढ़	65658	53512	58890	49965	58910	2352.00
10	रूद्रप्रयाग	42343	37114	41197	32750	39118	1606.30
11	टिहरी गढ़वाल	124618	100728	114986	91434	110290	4505.52
12	उधमसिंहनगर	86301	68238	71977	57765	67158	2782.70
13	उत्तरकाशी	55953	44675	53151	42339	50131	2065.64
	महायोग:–	**952251**	**760148**	**844828**	**679935**	**804717**	**32990.90**

5.1.7 प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पी. एम.के.एम.वाई.)– भारत सरकार द्वारा देश के सभी भू–धारक लघु एवं सीमान्त किसानों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा कवच सृजित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY) नामक वृद्धावस्था पेंशन योजना शुरु की गई है, जो एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन स्कीम है तथा इसमें शामिल होने की आयु 18 से 40 वर्ष है। यह योजना 09 अगस्त, 2019 से प्रभावी है। योजनान्तर्गत प्रदेश में कुल 2121 कृषक पंजीकृत हैं।

5.1.8 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना–वर्ष 2023–24 में माह दिसम्बर, 2023 तक 86376 कृषकों का बीमा किया गया। वर्ष 2023–24 में 23712.98 है. क्षेत्रफल के अन्तर्गत ₹ 174.68 करोड़ का बीमा किया गया है। माह फरवरी में बीमा कम्पनी द्वारा औसत उपज के आंकड़ों के आधार खरीफ 2023 की क्षति का आंकलन कर क्षतिपूर्ति की जायेगी। खरीफ 2023 में योजना ग्रामपंचायत स्तर पर संचालित की जा रही है।

किसान क्रेडिट कार्ड (KCC)- रू. किसान क्रेडिट कार्ड योजना कृषि के लिए ऋण वितरण का सरल माध्यम है जिसे अगस्त 1998 से शुरू किया गया है इसमें वित्तीय संस्थाओं द्वारा किसानों को जमीन तथा फसल के आधार पर फसल से सम्बन्धित समस्त व्यय हेतु ऋण दिया जाता है जिसे किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार धनराशि निकाल सकता है। के0सी0सी0 कार्ड की ऋण सीमा 3 से 5 वर्ष (वित्तीय संस्थावार पृथक–पृथक) होती है।

वित्तीय संस्थाओं द्वारा 3 लाख रुपए तक के लिए 7 प्रतिशत (वित्तीय संस्थाओं के द्वारा निर्धारित पृथक–पृथक) ब्याज पर ऋण वितरित किया जाता है। निर्धारित समयावधि मे ऋण भुगतान पर भारत सरकार द्वारा 2 से 3 प्रतिशत तक वार्षिक ब्याज सहायता प्रदान की जाती है। किसान क्रेडिट कार्ड धारक के लिए व्यक्तिगत जीवन बीमा/दुर्घटना बीमा की सुविधा भी उपलब्ध है। कार्ड धारक की मृत्यु/स्थायी विकलांगता की स्थिति में ₹ 50 हजार एवं आंशिक विकलांगता की स्थिति में ₹ 25 हजार का बीमा प्रदान किया जाता है। भारत सरकार द्वारा पी0एम0–किसान योजना के समस्त लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये जाने हेतु दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं तथा 3.00 लाख रुपये तक के ऋण पर प्रोसेसिंग, डाक्यूमेन्टेशन, इन्सपेक्शन, लेजर फोलियो चार्जेज तथा सर्विस चार्जेज नही लिये जाने का निर्णय लिया गया है। 30 सितम्बर, 2023 तक प्रदेश में 5.74 लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किये गये है।

5.1.9 न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support price):- रबी फसलों के वर्ष 2021–22 से 2023–24 मे विपणन हेतु भारत सरकार द्वारा निम्नानुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया गया है–

तालिका–5.7

खाद्य सामाग्री	एम0एस0पी0 2021–22	एम0एस0पी0 2022–23	एम0एस0पी0 2023–24
गेहूँ	2015	2125	2275
जौ	1635	1735	1850
चना	5230	5335	5440
मसूर	5500	6000	6425
सरसों/तोरिया	5050	5450	5650
कुसुम (Safflower)	5441	5650	5800

5.1.10 राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई–नाम) (E-National Agricultural Market (e-NAM):- राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई–नाम) एक पैन इण्डिया इलैक्ट्रानिक व्यापार पोर्टल है, जो कृषि से सम्बन्धित उपजों के लिए एक एकीकृत बाजार का निर्माण करने के लिए मौजूदा ए0पी0एम0सी0 मण्डी का एक प्रसार है। ई–नाम पोर्टल सभी ए0पी0एम0सी0 (Agriculture Produce Marketing Committee) से सम्बन्धित सूचनाओं एवं सेवाओं के लिए सेवा प्रदान करता है। कृषि बाजार को राज्यों द्वारा उनके कृषि व्यवसाय विनियमन द्वारा संचालित किया जाता है। वर्तमान में कुल 20 मण्डी समितियां ई–नाम पोर्टल से जुडी हैं। माह दिसम्बर, 2023 तक 90893 कृषक, 5797 व्यापारियों एवं 2696 कमिशन एजेंटो का पंजिकरण ई–नाम पोर्टल पर किया जा चुका है। ई–नाम के अर्न्तगत 50.01 लाख कुन्तल कृषि उत्पाद का ई–ट्रेड किया गया है। वर्तमान तक कुल 230175 लाट की लैब टेस्टिंग की गयी है। इसके अन्तर्गत कुल 130.75 करोड़ के 22900 ई–भुगतान किये गये हैं।

अ) ग्रोथ सेन्टर (GROWTH CENTRE)- उत्तराखण्ड शासन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग की अधिसूचना संख्या–1800, दिनांक 28 सितम्बर, 2018 के द्वारा ग्रोथ सेन्टर के सम्बन्ध में अधिसूचना जारी की गयी है। ग्रोथ सेन्टर हेतु MSME विभाग नोडल विभाग घोषित है।

वर्तमान में कृषि विभाग एवं आजीविका के सहयोग से जनपद बागेश्वर में एक ग्रोथ सेन्टर संचालित किया जा रहा है।

5.1.11 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY)-

कृषि उत्पादकता मे निरन्तर वृद्धि करने के प्रयास हेतु भारत सरकार के माध्यम से "प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) प्रदेश में संचालित की जा रही है। यह योजना 90 प्रतिशत, केन्द्रपोषित है।

निम्न कार्यक्रम इस योजना के घटक है:–

(अ) पर ड्रॉप मोर क्राप (Per Drop More Crop)

"पर ड्रॉप मोर क्राप" का मुख्य लक्ष्य क्षेत्र स्तर पर सिंचाई मे निवेश के अभिसरण प्राप्त करना, सुनिश्चित सिंचाई के अन्तर्गत कृषि योग्य क्षेत्र का विकास करना, खेत में सिंचाई की विधि मे सुधार करना ताकि पानी के अपव्यय को कम किया जा सके। सिंचाई की व्यवस्था सुनिश्चित करने एवं अधिक क्षेत्र को सिंचाई के अन्तर्गत लाने का कार्य योजना में किया जा रहा है, जिसमें जल संचय हेतु टैंक, तालाब, चैक डैम संरचनाओं के निर्माण स्प्रिंकलर सिंचाई एवं टपक सिंचाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2023–24 मे ₹ 4000.00 लाख धनराशि का प्राविधान भारत सरकार से प्राप्त हुआ है। जिसके सापेक्ष ₹ 1111.11 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ है तथा माह दिसम्बर 2023 तक ₹ 701.11 लाख का उपयोग किया गया है। योजनान्तर्गत वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर (सामुदायिक)– 70, चैक डैम (सामुदायिक)– 21, जल पम्प– 27, नलकूप (उथले, मध्यम, एवं गहरे वाटर टेबल)– 74 के कार्य निष्पादित कर कुल 1109 कृषकों को लाभान्वित किया गया है।

(ब) हर खेत को पानी

सिंचन क्षमता का विकास करने हेतु लघु सिंचाई के माध्यम से नये भूमिगत एवं सतही जल श्रोतों का विकास करना, जल श्रोतों का नवीनीकरण, मरम्मत, जीर्णोद्धार करना, परम्परागत जल श्रोतों का विकास, वर्षा जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण, कमाण्ड एरिया को बढ़ाना, प्रक्षेत्र में जल वितरण प्रणाली का सुदृढीकरण करना, जल वितरण एवं जल प्रबन्धन को बढ़ाना क्रमाण्ड एरिया का कम से कम 10 प्रतिशत क्षेत्र माइक्रो/ प्रिसिसियन सिंचाई में लाना, विभिन्न श्रोत्रों से जल संचय को बढ़ाना तथा परम्परागत जल संचय श्रोतों को बढ़ाना

(स) समेकित जलागम विकास कार्यक्रम

इसके अन्तर्गत जल संरक्षण संरचनाओं जैसे चैकडेम, नाला, बन्ध, तालाब, टैंक आदि, क्षमता विकास ई.पी.ए., रिज क्षेत्र को ट्रीटमेन्ट, ड्रेनएज का ट्रीटमेंन्ट, भूमि एवं नमी संरक्षण, नर्सरी लगाना, वनीकरण, उद्यानीकरण, बंजर भूमि विकास, लाईवलीहुड एक्टीविटी (समूह गठन, क्षमता विकास आदि), लघु एवं सीमान्त कृषकों के लिये माइक्रो इन्टर प्राईजेस कार्य सम्मिलित हैं।

5.1.12 राष्ट्रीय सम्पोशणीय कृषि मिशन (National Mission वित Sustainable Agriculture-NMSA):

वर्षा सिंचित क्षेत्रों मे सतत कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिय (NMSA) के तहत मुख्य कार्यक्रम/योजनाओं संचालित है–

(अ) वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम (RAD):-

वर्षा सिंचित क्षेत्रों मे सतत् कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के तहत भारत सरकार द्वारा वर्ष 2023–24 हेतु कुल 59

क्लस्टर हेतु ₹ 1228.91 लाख की कार्ययोजना अनुमोदित की गयी हैं तथा ₹ 846.00 लाख का केन्द्रांश आवंटित हुआ है। अनुमोदित कार्ययोजना के सापेक्ष राज्यांश सहित कुल ₹ 250.00 लाख अवमुक्त किये गये है, जिसके सापेक्ष ₹ 245.00 लाख PFMS के माध्यम से माह दिसम्बर, 2023 तक व्यय किया गया। योजना के अन्तर्गत विभिन्न फसल पद्धति आधारित 4189 है0 प्रदर्शनों के लक्ष्य निर्धारित है, जिसके सापेक्ष 1500 है0 क्षेत्रफल में कार्य किये गये है।

(ब) मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना (Soil Health Card Scheme-SHC)– (90 प्रतिशत, केन्द्रपोषित)

योजनान्तर्गत मृदा स्वास्थ्य में सुधार हेतु प्रदेश के समस्त कृषकों के खेतों की मिट्टी की जांच करते हुये उन्हें निःशुल्क मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराये जाते हैं। योजना के प्रथम चक्र (वर्ष 2015–2016 एवं 2016–17) में 7,65,410 मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किये गये है। योजना के द्वितीय चक्र (वर्ष 2017–18 एवं 2018–19) में 8,62,797 मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किये गये हैं।

वर्ष 2020–21 में योजना के लिये ₹ 705.21 लाख का प्राविधान किया गया था। वर्ष 2020–21 में समस्त जनपदों से कुल 2609 ग्राम चयनित किये गये थे। जिनमें पूर्व में वितरित मृदा स्वास्थ्य कार्ड में प्रदत्त उर्वरक संस्तुतियों पर आधारित एक–एक फसल प्रर्दशन व कृषकों को मृदा स्वास्थ्य की महत्ता व मृदा स्वास्थ्य से सम्बन्धित अन्य जानकारी प्रदान करने हेतु कृषक प्रशिक्षण आयोजित किये गये। वर्ष 2021–22 में भारत सरकार द्वारा योजना का संचालन नही किया गया। वर्ष 2022–23 में भारत सरकार द्वारा योजना को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में सम्मिलत करते हुए योजना का नाम मृदा स्वास्थ्य कार्ड के स्थान पर मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता कर दिया गया है। वर्ष 2022–23 में 57424 मृदा नमूनों का एकत्रण एवं विश्लेषण करते हुए कृषकों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किय गये है। वर्ष 2023–24 में ₹ 366.18 लाख धनराशि की कार्ययोजना पर जनपदों द्वारा कार्य किया जा रहा है। इस वर्ष से मोबाईल ऐप के माध्यम से जनपदों द्वारा मृदा नमूनों का एकत्रण किया जा रहा है। 52368 (संख्या) के लक्ष्य के सापेक्ष 40885 मृदा नमूनों का एकत्रण करते हुए 5347 परीक्षण परिणामों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड पोर्टल पर अंकित किया गया हैं।

(स) परम्परागत कृषि विकास योजना (PKVY):- परम्परागत कृषि को बढावा देने के लिये एवं जैविक उत्पादन प्राप्त करने हेतु विगत वर्षों से योजना प्रदेश के 13 जनपदों के 3900 कलस्टरों में संचालित की जा रही है। जिसके अन्तर्गत 7800 है0 में जैविक कृषि कार्यक्रम योजनान्तर्गत जैविक खेती पर प्रशिक्षण, जैविक प्रमाणीकरण, एकीकृत खाद प्रबन्धन, मृदा परीक्षण, जैविक उत्पादों का विपणन एवं कृषि यंत्रों हेतु वित्तीय सहायता दी जा रही है। वर्ष 2023–24 हेतु ₹ 13127.40 लाख की कार्ययोजना स्वीकृत की गयी है, जिसके सापेक्ष वर्ष 2023–24 में ₹ 4139.56 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है। जिसके सापेक्ष ₹ 3483.66 लाख का उपयोग कर लिया गया है।

5.1.13 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY-RAFTAR):- योजना में कृषि, उद्यान, रेशम उत्पादन, सगंध पौध की खेती, एम0आई0आर0डी0 आदि विभागों की परियोजनायें सम्मिलित हैं। वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु अनुमोदित परिव्यय / प्राविधान ₹ 4008.89 लाख के सापेक्ष ₹ 1001.11 लाख की धनराशि प्राप्त हुयी है तथा प्राप्त धनराशि के सापेक्ष ₹ 736.50 लाख की धनराशि का उपयोग किया जा चुका है। 13 परियोजनाओं पर कार्य संचालित है जिसे 5 विभागो द्वारा किया जा रहा है। योजना में उत्पादन वृद्धि के साथ–साथ अवस्थापना विकास के कार्यों को किया जा रहा है।

5.1.14 कृषि विस्तार एवं प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय मिशन (National Mission on Agricultural Extension and Technology-NMAET):- इस मिशन को चार उप–मिशन में विभाजित किया गया है।

1. कृषि विस्तार उप–मिशन (SMAE)

2. कृषि यंत्रीकरण उप–मिशन (SMAM)

3. बीज एवं रोपण सामग्री उप–मिशन (SMSP)

4. पौध संरक्षण एव पादप संगरोध (SMPP)

5. नेशनल ई0– गवरनेंस प्लान एग्रीकल्चर (NeGPA):-

उक्त योजनान्तर्गत (SMPP) के अतिरिक्त अन्य तीनों उप मिशन राज्य में संचालित है।

(1) कृषि विस्तार उप–मिशन (Sub Mission on Agricultural Extension-SMAE):- कृषि प्रसार के सुदृढ़ीकरण के उददेश्य से वर्ष 2023–24 हेतु भारत सरकार द्वारा 1761.10 लाख की योजना स्वीकृत की गयी है। जिसमें अवमुक्त ₹ 962.41 लाख धनराशि के सापेक्ष ₹ 641.56 लाख की धनराशि का व्यय माह दिसम्बर, 2023 तक कर लिया गया है। योजनान्तर्गत माह दिसम्बर, 2023 तक 11998 मानव दिवस प्रशिक्षण, 2436 प्रदर्शन तथा 5083 मानव दिवस भ्रमण कार्यक्रम, 269 क्षमता विकास कार्यक्रम तथा 186 फार्म स्कूल आयोजित किये गये है।

(2) कृषि यन्त्रीकरण (Sub Mission on Agricultural Mechanization- SMAM):- इस योजना के अन्तर्गत किसानों में नए कृषि यंत्र/मशीनों को लोकप्रिय बनाया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2023–24 मे भारत सरकार द्वारा योजनान्तर्गत ₹ 845.62 लाख अवमुक्त हुआ। ₹ 535.00 लाख का उपयोग कर इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में 25 ट्रैक्टर, 614 पावर विडर तथा 615 अन्य पावर चालित एवं 240 मानव चालित आदि यंत्र अनुदान पर कृषकों को उपलब्ध कराया जा रहा है।

(3) बीज एवं रोपण सामाग्री उप–मिशन (Sub Mission for Seed Planting material SMSP):-

बीज ग्राम कार्यक्रमः– वर्तमान में 13919.00 कुं0 गुणवत्तायुक्त बीज कृषकों को अनुदान पर वितरित किये गये है।

पर्वतीय क्षेत्रों में बीज उत्पादन कार्यक्रम– हिल सीड बैंक (Hill Seed Bank):- पर्वतीय क्षेत्रों के परम्परागत फसलों को बढ़ावा दिये जाने तथा उनके बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु मण्डुवा, सांवा, गहथ, काला भट्ट, धान, मक्का, गेहूँ एवं मसूर आदि फसलों के बीजों का उत्पादन करने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में इसे सम्मिलित किया गया है। वर्ष 2023–24 में खरीफ सत्र में 47.00 है0 तथा रबी सत्र मे 366.00 है0 क्षेत्रफल में बीज उत्पादन कार्यक्रम सम्पादित किया गया है.

बीज प्रमाणीकरण (Seed Certification) -

कृषि मौसमीय स्थिति राज्य मे बीज उत्पादन के लिए काफी उपयुक्त है। बीज की गुणवता को बनाए रखने के लिए तथा उत्पादकों को बीज की कीमतें उपलब्ध कराने के लिए बीज प्रमाणीकरण योजना को अधिक महत्व दिया गया। राज्य के विभिन्न भागों मे बीज उत्पादन तथा उनके उत्पादन के प्रमाणीकरण के लिए "उत्तराखण्ड राज्य बीज एवं जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी" उत्पादकों को पंजीकृत कर रही है।

5.1.15 उर्वरक उपभोग – उर्वरक ही एक ऐसा आदान है जो काफी हद तक उत्पादन को बढ़ाने में योगदान देता है। उर्वरक उपभोग का स्तर वर्ष

2002–03 के 1,25,977 मै0टन स्तर से बढ़कर वर्ष 2019–20 में 161950 मै0टन हो गया। वर्ष 2022–23 में 150700 मै0टन के लक्ष्य के सापेक्ष लगभग 143751 मै0टन उर्वरक पोषक तत्वों के रूप में वितरित किया गया है। वर्ष 2023–24 हेतु 261000 मै0टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके सापेक्ष गतिमान वर्ष के माह जनवरी, 2024 तक 231800 मै0टन उर्वरक का वितरण किया गया है।

5.1.16 राज्य सैक्टर योजनायें:–

(क) अनुसूचित जाति एवं जनजाति बाहुल्य ग्रामों में कृषि विकास योजनान्तर्गत प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं 15 अनुसूचित जन–जाति बाहुल्य ग्रामों के लगभग 915 परिवार (6823 कृषक) लाभान्वित करने का लक्ष्य है, जिसे पूर्ण किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में कुल बजट प्राविधान ₹ 523.43 लाख अनुसूचित जाति एवं रु. 201.71 लाख अनुसूचित जनजाति हेतु कुल रु0 725.14 लाख की कार्ययोजना स्वीकृत की गयी है। शासन द्वारा स्वीकृत कार्ययोजना के अनुसार अवमुक्त शत–प्रतिशत धनराशि ₹ 725.14 लाख का आवंटन जनपदो को किया गया है। जिसके सापेक्ष ₹ 385.62 लाख की धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2023–24 माह दिसम्बर, 2023 तक किया गया है।

5.1.17 स्वच्छता ऐक्शन प्लान– नमामि गंगें क्लीन अभियान: उत्तराखण्ड राज्य में "स्वच्छता ऐक्शन प्लान–नमामि गंगें क्लीन अभियान" का क्रियान्वयन वर्ष 2017–18 से प्रथम चरण में गंगा बेसिन पर बसे प्रदेश के 05 जनपदों यथा चमोली (220 है0), उत्तरकाशी (300 है0), पौड़ी (60 है0), रूद्रप्रयाग (120 है0) एवं टिहरी (120 है0) में चिन्हीत 42 ग्राम पंचायतों मे परम्परागत कृषि विकास की गाईडलाईन के अनुसार किया गया है। भारत सरकार द्वारा दिये गये दिशा निर्देशानुसार प्रत्येक चयनित ग्राम पंचायत को एक कलस्टर के रूप में विकसित किया जा रहा है। योजना का मुख्य उद्देश्य कलस्टर अप्रोच के आधार पर चयनित गंगा बेसिन पर बसे ग्राम पंचायतो में पी0जी0एस0 सर्टिफिकेशन के अन्तर्गत जैविक कृषि का प्रोत्साहित करना है, जिससे की कृषि में प्रयोग किये जाने वाले रसायनों से होने वाले जल प्रदूषण से गंगा नदी के जल को प्रदूषित होने से रोका जा सके।

भारत सरकार द्वारा द्वितीय चरण में योजनान्तर्गत कुल 50000.00 है0 क्षेत्रफल में योजना के क्रियान्वयन स्वीकृति प्रदान की गयी है। जिसके अन्तर्गत वर्ष 2020–21 से जनपद हरिद्वार में 10000 है0, टिहरी में 20000 है0, चमोली में 5000 है0, उत्तरकाशी में 5000 है0, रूद्रप्रयाग में 5000 है0, पौड़ी में 5000 है0 एवं देहरादून में 500 है0 क्षेत्रफल आच्छादित किया जा रहा है। योजनान्तर्गत उत्पादित जैविक उत्पादों का विपणन नमामि गंगे ब्रांड के अन्तर्गत किया जा रहा है। योजनान्तर्गत जैविक कृषि के साथ–साथ औद्यानिकी, सूक्ष्म–सिचाई एवं कृषि वानिकी से सम्बन्धित कार्यों को भी सम्मलित कर फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्वि करते हुए कृषकों की आय बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखण्ड को जैविक प्रदेश बनाने की दिशा में इस कार्यक्रम का महत्वपूर्ण योगदान है।

5.1.18 मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना: राज्य सरकार द्वारा शत प्रतिशत वित्त पोषित यह योजना वर्ष 2020–21 से संचालित की जा रही है। वर्ष 2023–24 हेतु ₹ 2500.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है।

5.1.19 उत्तराखण्ड स्टेट मिलेट मिशन: मिलेट्स के पोषण गुणों और जलवायु लचीलेपन के बावजूद, मिलेट्स की खपत में गिरावट आई है। खपत में गिरावट का मुख्य कारण राशन वितरण

प्रणाली के माध्यम से चावल और गेहूं की आसान उपलब्धता है, जिससे भोजन से मिलेट्स की खपत कम हो गई है। परिणामस्वरूप, हमने अपने आहार में विविधता खो दी है। राज्य में मिलेट्स की बढ़ती हुई मांग और उच्च उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए कई मुद्दों को संबोधित करने की आवश्यकता है। मिलेट्स के प्राथमिक प्रसंस्करण में कठिन परिश्रम के कारण भी मिलेट्स की खपत में कमी आई है। गुणवत्तायुक्त मिलेट्स की उत्पादकता बढ़ाने के साथ–साथ उद्यमियों द्वारा उनके विपणन के लिए मिलेट्स के छोटे व सीमांत किसानों को मार्केटिंग प्लेटफॉर्म से जोड़ने की सख्त आवश्यकता है। किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) की स्थापना घरेलू और वैश्विक दोनों बाजारों में मिलेट्स उत्पादकों की सौदेबाजी की शक्ति को भी बढ़ा सकती है। पर्याप्त पोषण सुरक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने वाले मिलेट्स की मांग अमीरों और विदेशों में बढ़ रही है। बेहतर विपणन सुविधाओं का विकास कर स्थानीय स्तर पर ही उनका प्रसंस्करण कर किसानों को अधिक मूल्य प्रदान किया जा सकता है। ये कृषि विविधता की रक्षा करने के साथ–साथ किसानों की आय में वृद्धि करेंगे।

इस संदर्भ में, उत्तराखंड सरकार द्वारा उत्तराखंड मिलेट्स मिशन शुरू किया जाएगा, जिसका उद्देश्य राज्य भर के छोटे और सीमांत किसानों को मिलेट्स उगाने के लिए इनपुट के साथ–साथ विपणन आवश्यकताओं को पूरा करना है। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष कार्यक्रम उत्तराखंड मिलेट्स मिशन के रूप में लागू किया जाएगा, जिसका उद्देश्य खेतों में और प्लेटों पर मिलेट्स के पुनरुद्धार के माध्यम से घरेलू स्तर पर पोषण में सुधार करना है।

मिशन के अन्तर्गत उन्नत प्रौद्योगिकियों की शुरुआत के साथ लक्षित मिलेट्स फसलों (मण्डुवा व सांवा) के तहत क्षेत्र विस्तार के साथ–साथ उत्पादकता वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करना, लक्षित मिलेट्स फसलों (मण्डुवा व सांवा) के प्रसंस्करण और विपणन के लिए उपलब्ध प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के सुविधाजनक रूप में मूल्यवर्धन पर समर्पित है। इसके साथ–साथ इससे जोड़े कृषक समूहों/एफ0पी0ओ0/कृषकों को प्रोत्साहित करना तथा क्षमता विकास के कार्य किये जायेंगे। मिलेट्स की फसलों की उत्पादकता, प्रसंस्करण और मूल्य गारंटी में निवेश कर उत्तराखंड में मिलेट्स को मुख्य धारा में लाया जाएगा। उत्तराखंड एक नई कृषि नीति शुरू करने की प्रक्रिया में है जिसका उद्देश्य मिलेट्स को बढ़ावा देकर किसानों की आय बढ़ाना है। कार्यक्रम में मिट्टी के स्वास्थ्य, गुणवत्ता वाले बीज, उन्नत कृषि पद्धतियों में निवेश को प्रोत्साहित करके और राज्य एजेंसियों द्वारा खरीद और लाभकारी बाजारों की खोज के माध्यम से मूल्य गारंटी प्रदान करके मिलेट्स उत्पादकों की बाधाओं को कम करने की परिकल्पना की गई है। कार्यक्रम का उद्देश्य पोषक–अनाज फसलों को बढ़ावा देने के माध्यम से खाद्य और पोषण सुरक्षा के मुद्दों का समाधान करना भी है। इस हेतु प्रदेश सरकार द्वारा ₹ 73.16 करोड़ का पांच वर्ष (वर्ष 2023–24 से 2027–28 तक) हेतु स्टेट मिलेट मिशन का संचालन किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

मिलेट मिशन की अवधि– मिलेट फसलों को प्रोत्साहित करने हेतु विशेष प्रयास/ध्यान दिये जाने की आवयकता है। इस हेतु उत्तराखण्ड स्टेट मिलेट मिशन पाँच वर्षों (वर्ष 2023–24 से वर्ष 2027–28) तक के लिये प्रस्तावित किया गया है।

मिशन का प्रमुख उद्देश्य

- घरेलू स्तर की खपत को बढ़ावा देना।
- विकेन्द्रीकृत प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना

- लक्षित मिलेट्स फसलों (मण्डुवा व सांवा) की उत्पादकता में सुधार लाना।
- किसान सामूहिक और विपणन को बढ़ावा देना।
- विपणन स्वीकार्यता, लोकप्रियकरण और उत्पादों के प्रचार की योजना बनाना।
- मिलेटस को सार्वजनिक वितरण प्रणाली में शामिल करना।
- कृषक समूहों का क्षमता विकास।
- एफ0पी0ओ0 को प्रोत्साहन एवं सुदृढ़ीकरण।
- **मिलेट फसलों का अन्तःग्रहण**– प्रदेश में खाद्य विभाग, मिड डे मिल, आँगनबाडी तथा बाल विकास विभाग की माँग के क्रम में मण्डुवा एवं साँवा फसलो का अन्तःग्रहण कृषकों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सहकारिता विभाग द्वारा किया जा रहा है। जिस हेतु निम्न व्यवस्था बनाई गई है–

1. पर्वतीय क्षेत्र में PACS पर मंडुवा क्रय केन्द्र स्थापित किये गये। जिन न्यायपंचायत में मंडुवा की उपलब्धता अधिक होगी ऐसे स्थानों पर एक से अधिक क्रय केन्द्र भी स्थापित किये गये।

2. मंडुवा उत्पादक कृषक लघु कृषक हैं, अतः ग्राम स्तर पर समूह/एल0सी0/एल0सी0एफ0 को उपक्रय केन्द्र के रूप में स्थापित किया गया।

3. कृषक समूह/एल0सी0/एल0सी0एफ0 स्तर पर अथवा PACS स्तर पर स्थापित क्रय केन्द्र पर मंडुवा विक्रय हेतु देने के लिए स्वतन्त्र होंगे।

4. समूह द्वारा अपने से सम्बन्धित कृषकों से मंडुवा क्रय किया जायेगा, जिसके मानक उनको सम्बन्धित PACS द्वारा अवगत कराये जायेंगे।

5. समूह को मंडुवा क्रय कार्य के लिए प्रोत्साहित करने हेतु ₹ 150.00 प्रति कु0 की दर से प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रस्ताव है।

- 6. विगत पॉच वर्षों में मिलेट फसलों का अन्तःग्रहण के लक्ष्य निम्नवत है–

तालिका 5.8

मात्रा–मी0 टन में

क0 सं0	फसल	वर्ष 2023–24	वर्ष 2024–25	वर्ष 2025–26	वर्ष 2026–27	वर्ष 2027–28
1	मण्डुवा	10000	10000	12000	14000	18200
2	सॉवा	320	320	320	320	320
कुल योग		**1320**	**10320**	**12320**	**14320**	**18520**

5.2 गन्ना विकास एवं चीनी (Sugar and Cane)

5.2.1 चीनी मिलें– पेराई सत्र 2023–24 में राज्य में कुल 08 चीनी मिलें (02 सहकारी क्षेत्र 02 सार्वजनिक क्षेत्र एवं 04 निजी क्षेत्र) संचालित हैं। चीनी मिलों द्वारा पेराई सत्र 2023–24 हेतु कुल 140.90 लाख कुन्तल गन्ने की पेराई करते हुऐ 13. 13 लाख कुन्तल चीनी का उत्पादन किया गया। (04.01.2023 तक) पेराई सत्र 2022–23 में राज्य की समस्त चीनी मिलों का औसत चीनी परता 10.07 प्रतिशत है।

पेराई सत्र 2023–24 हेतु अद्यावधिक तक अंकन ₹ 494.03 करोड़ के सापेक्ष अंकन ₹ 348.62 करोड़ गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा चुका है।

5.2.2 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु अंकन ₹ 254.00 लाख के सापेक्ष अंकन ₹ 44.30 लाख की धनराशि प्राविधानित की गई है। जिसके सापेक्ष विभाग को प्रथम किस्त के रूप में अंकन ₹ 11.08 लाख अवमुक्त किये गये, जिसका उपयोग योजनान्तर्गत शतप्रतिशत कर लिया गया है।

5.2.3 मुख्यमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना : राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु अंकन 54.75 लाख की कार्ययोजना को समिति द्वारा सहमति प्रदान की गयी है।

1. गन्ना कृषकों को अवशेष गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु अंकन ₹ 21500.00 लाख की धनराशि प्राविधानित की गई है। प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अंकन ₹ 20982.51 लाख की धनराशि अवमुक्त हो चुकी है। जिसके सापेक्ष अंकन ₹ 20982.51 लाख व्यय हो चुका है।

2. चीनी मिलों को जल एवं वायु प्रदूषण रोके जाने हेतु वर्ष 2023–24 हेतु अंकन ₹ 0.01 लाख की धनराशि का बजट प्राविधानित है।

3. अर्न्तग्रामीण सड़क निर्माण योजना के अर्न्तगत कार्यरत कार्मिकों के लम्बित देयकों का भुगतान मद में वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु अंकन ₹ 139.12 लाख की धनराशि प्राविधानित है। प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अंकन ₹ 139.12 लाख की धनराशि अवमुक्त हो चुकी है। जिसके सापेक्ष अंकन ₹ 76.22 लाख व्यय हो चुका है।

5.2.4 गन्ना कृषकों को ऋण वितरण : सहकारी गन्ना विकास समितियों के माध्यम से कृषि निवेशों के रूप में अंकन ₹ 935.44 लाख का नाबार्ड ऋण कृषकों को वितरित किया गया है। (31.12.2023 तक)

5.2.5 गन्ना कृषकों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण :– गन्ना विकास विभाग द्वारा संचालित गन्ना किसान संस्थान एवं प्रशिक्षण केन्द्र काशीपुर द्वारा गन्ना शोध से सम्बन्धित विशेषज्ञ वैज्ञानिकों के द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 में अद्यावधिक तक ग्राम स्तरीय 59 कृषक प्रशिक्षण कर 2629 कृषकों को एवं 59 कर्मचारी प्रशिक्षण कर 707 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है। एक शरदकालीन गोष्ठ में 81 कृषक एवं 123 कर्मचारी/अधिकारी कुल 204 को प्रशिक्षित किया गया है।

5.2.6 शरदकालीन गन्ना बुवाई हेतु प्रजनक बीज गन्ना का आवंटन : वित्तीय वर्ष 2023–24 वास्ते वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु गन्ना शोध केन्द्रों से प्रजनक गन्ना बीज की चीनी मिल परिक्षेत्रों द्वारा उपलब्ध कराई गई मांग 17640.00 कुन्तल के सापेक्ष गन्ना शोध केन्द्रों पर गन्ना बीज की उपलब्धता के अनुसार 6275.00 कुन्तल प्रजनक गन्ना बीज का आवंटन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु राज्य में गन्ना क्षेत्रफल 1.00 लाख हेक्टेयर किये जाने का लक्ष्य है।

5.2.7 गन्ना पेराई एवं चीनी उत्पादन : पेराई सत्र 2023–24 में राज्य में कुल 08 चीनी मिलें (02 सहकारी क्षेत्र, 02 सार्वजनिक क्षेत्र एवं 04 निजी क्षेत्र) संचालित है। राज्य की चीनी मिलों द्वारा पेराई सत्र 2023–24, 2022–23, 2021–22 एवं पेराई सत्र 2020–21 में की गई गन्ना पेराई, चीनी उत्पादन एवं चीनी परता का तुलनात्मक विवरण निम्नवत प्रस्तुत है :–

तालिका 5.9

क्र0 सं0	विवरण	इकाई	पेराई सत्र 2023—24 (04 .01 . 2023 तक)	पेराई सत्र 2022—23	पेराई सत्र 2021—22	पेराई सत्र 2020—21
1	2	3	4	4	5	6
1-	गन्ना पेराई	लाख कुन्तल	140.90	484.06	436.42	378.09
2-	चीनी उत्पादन	लाख कुन्तल	13.13	48.76	44.16	41.55
3-	औसत चीनी परता	प्रतिशत	—	10.07	10.12	10.99

5.3 उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग:— राज्य की जलवायु एवं भौगोलिक स्थिति विभिन्न प्रकार के औद्यानिक फसलों (फल, सब्जी, मसाला, पुष्प, मशरूम तथा मौनपालन) के उत्पादन हेतु अत्यधिक अनुकूल है। विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत इन फसलों के विकास हेतु व्यापक प्रयास किये जा रहे हैं।

राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल 53.48 लाख हैक्टेयर में से लगभग 6.96 लाख हैक्टेयर भू—भाग कृषि फसलों के अन्तर्गत है तथा औद्यानिकी के अन्तर्गत लगभग 2.97 लाख है0 क्षेत्र आच्छादित है। औद्यानिकी में लगभग 4.50 लाख कृषक जुड़े हुए है, जिसमें 88 प्रतिशत लघु एवं मझोले कृषक है। राज्य मे औद्यानिकी फसलों का वार्षिक व्यवसाय लगभग रू0 3350 करोड़ का किया जा रहा है तथा राज्य के कृषि क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद मे औद्यानिकी क्षेत्र का (खाद्य प्रसंस्करण सहित) 30 प्रतिशत से अधिक भागेदारी है।

राज्य में कुल 1.76 लाख है0 क्षेत्रफल में औद्यानिकी फसलें की जा रही है, जिसके अन्तर्गत लगभग 11.52 लाख मै0 टन उत्पादन किया जा रहा है, जिसमें से फलों के अन्तर्गत 0.82 लाख है0 क्षेत्रफल में 3.69 लाख मै0टन उत्पादन, सब्जियों के अन्तर्गत 0.58 लाख है0 में 5.02 लाख मै0टन उत्पादन, आलू के अन्तर्गत 0.17 लाख है0 में 1.84 लाख मै0टन उत्पादन, मसालों के अन्तर्गत 0.18 लाख है0 में 0.97 लाख मै0टन उत्पादन किया जा रहा है। इसके साथ ही फूलों की खेती 669 है0 में की जाती है, जिसमें लगभग 2347 मै0टन खुले पुष्प व 6.07 करोड़ डंडीयुक्त एवं बल्बयुक्त पुष्पों का उत्पादन किया जाता है। इसके अतिरिक्त राज्य में लगभग 1600 मै0टन शहद का उत्पादन तथा लगभग 19,500 मै0टन मशरूम का उत्पादन किया जाता है। (वर्ष 2022—23 के आंकड़ो के अनुसार)

तालिका 5.10
जनपदवार फल, सब्जी, आलू, मसाला तथा पुष्पों के अन्तर्गत आच्छादित क्षेत्रफल एवं उत्पादन के आंकड़े
(वर्ष 2020–21 एवं 2022–23)

(क्षेत्रफल है० में, उत्पादन–मै०टन में, स्पाईक/कटफ्लावर लाख संख्या में)

क्र० सं०	जनपद	2020–21											2022–23										
		फल		सब्जी		आलू		मसाला		पुष्प			फल		सब्जी		आलू		मसाला		पुष्प		
		क्षे०	उत्पादन	क्षे०	उत्पादन	क्षे०	उत्पादन	क्षे०	उत्पादन	क्षे०	उत्पादन स्पाईक	उत्पादन लूज	क्षे०	उत्पादन	क्षे०	उत्पादन	क्षे०	उत्पादन	क्षे०	उत्पादन	क्षे०	उत्पादन स्पाईक	उत्पादन लूज
1.	नैनीताल	11033	101283	5914	60503	1946	20597	1442	6801	42	133	54	9694	96768	5366	40943	1440	10211	2343	12499	52	73	190
2.	ऊधमसिंहनगर	7647	47674	6367	38266	2820	62617	1264	10250	137	459	216	7985	63198	9094	117366	2443	50736	1436	11997	148	65	660
3.	अल्मोड़ा	24324	159101	4646	43309	2473	51806	1350	9215	25	10	49	8020	28451	3508	17224	758	4436	1988	5605	19	1	52
4.	बागेश्वर	3703	12744	1578	7969	3510	9647	450	3547	16	4	0	2459	7998	1284	6452	735	4574	447	2753	7	0.03	5
5.	पिथौरागढ़	1621	49561	5700	75501	1850	46064	712	5580	16	10	0	5886	15990	3134	27120	1098	6954	661	4234	15	0.55	9
6.	चम्पावत	6302	13770	3223	21466	1110	11712	770	4808	8	2	14	4118	7941	2374	19881	880	8639	1220	6421	7	6	7
7.	देहरादून	27136	41643	11970	74103	2694	19617	1198	9795	218	555	90	9528	32794	5323	46475	590	9906	2501	14412	84	0	146
8.	पौड़ी	21767	19795	5945	46853	1080	16102	942	6239	36	126	7	9047	21474	3422	22718	834	3920	1670	8240	32	1	58
9.	टिहरी	21123	29923	6268	64138	2535	49210	2171	14646	19	113	0	5138	21476	5776	53213	1828	16779	2012	15301	66	2	337
10	चमोली	4649	12632	2150	12306	672	6164	571	2759	62	15	0	3390	7161	1323	11862	693	4509	572	1527	21	0.36	17
11	रुद्रप्रयाग	3403	2594	1270	3560	734	9592	642	2477	60	79	10	2256	2689	1279	1822	717	1046	659	495	13	0	9
12	उत्तरकाशी	15785	39483	10337	56769	3951	207690	1486	4069	143	94	3	8644	38837	10770	58061	3900	30983	1511	3862	3	0	4
13	हरिद्वार	16054	104460	4426	81760	1688	36398	1263	10917	803	1417	1002	6548	34972	5069	84344	1263	22631	1024	9509	195	434	844
	योग	**181970**	**645895**	**72958**	**658528**	**26887**	**567388**	**14280**	**95999**	**1606**	**3022**	**1442**	**81682**	**369447**	**58268**	**501786**	**17063**	**183821**	**18030**	**96849**	**669**	**666**	**2348**

नोट– वर्ष 2020–21 के आंकड़ों का जनपद स्तर से सर्वे उपरान्त वर्ष 2022–23 के औद्यानिक उपजों के क्षेत्रफल/उत्पादन के आंकड़े तैयार कर प्रकाशित किये गये हैं।

5.3.1 . औद्यानिक क्लस्टर:–

बागवानी मिशन के अन्तर्गत राज्य की भौगोलिक एवं कृषि जलवायु के अनुसार क्लस्टरों का चयन कर क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत कुल 1050 क्लस्टर चयनित किये गये हैं, जिनमें 6,563 ग्राम सम्मिलित हैं, जिनमें से 384 क्लस्टर फलों के, 437 क्लस्टर सब्जियों के 179 क्लस्टर मसालों तथा 50 क्लस्टर फूलों के चयनित किये गये हैं। वर्तमान में चयनित क्लस्टरों एवं गाँवों में कुल 37,435 है0 क्षेत्रफल आच्छादित किया जा चुका है, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है:–

तालिका 5.11

क्र0 सं0	जनपद	फल			सब्जी			मसाला		
		क्लस्टरों की संख्या	सम्मिलित ग्रामों की संख्या	आच्छादित क्षेत्रफल (है0)	क्लस्टरों की संख्या	सम्मिलित ग्रामों की संख्या	आच्छादित क्षेत्रफल (है0)	क्लस्टरों की संख्या	सम्मिलित ग्रामों की संख्या	आच्छादित क्षेत्रफल (है0)
01	ऊधमसिंहनगर	10	56	569	10	63	357	12	35	193
02	नैनीताल	18	140	5157	5	34	705	4	40	325
03	अल्मोड़ा	70	670	387	56	576	418	29	232	359
04	बागेश्वर	14	128	313	10	107	288	9	87	182
05	पिथौरागढ़	25	101	444	33	381	495	32	408	250
06	चम्पावत	38	145	831	48	155	736	41	165	431
07	हरिद्वार	26	78	640	26	95	833	3	18	191
08	देहरादून	19	159	4620	27	155	2577	9	101	741
09	टिहरी	6	53	470	10	66	571	2	15	258
10	पौड़ी	26	167	657	59	158	642	6	70	171
11	चमोली	13	155	477	9	103	376	4	43	219
12	रूद्रप्रयाग	26	176	498	24	169	822	20	139	183
13	उत्तरकाशी	61	307	4904	122	255	3618	8	82	373
	कुल योग	**384**	**2425**	**20187**	**437**	**2307**	**12488**	**179**	**1535**	**3801**

तालिका 5.11 क्रमशः

क्र0 सं0	जनपद	पुष्प			कुल		
		क्लस्टरों की संख्या	सम्मिलित ग्रामों की संख्या	आच्छादित क्षेत्रफल (है0)	क्लस्टरों की संख्या	सम्मिलित ग्रामों की संख्या	आच्छादित क्षेत्रफल (है0)
01	ऊधमसिंहनगर	11	28	50	43	182	1175
02	नैनीताल	3	23	34	30	237	6301
03	अल्मोड़ा	3	14	38	157	1592	1202
04	बागेश्वर	1	7	35	34	329	816

05	पिथौरागढ़	-	-	-	100	980	1386
06	चम्पावत	-	-	-	127	465	1998
07	हरिद्वार	6	17	352	60	208	2016
08	देहरादून	10	96	351	65	511	8289
09	टिहरी	1	7	55	21	131	1364
10	पौड़ी	3	15	35	94	410	1505
11	चमोली	1	10	64	27	311	1136
12	रूद्रप्रयाग	10	79	258	80	563	1771
13	उत्तरकाशी	1	0	182	212	644	8977
	कुल योग	**50**	**296**	**1454**	**1050**	**6563**	**37930**

तालिका 5.12

परम्परागत कृषि विकास योजना के अन्तर्गत चयनित कलस्टर

क्र० सं०	जनपद	फल		सब्जी		मसाला	
		कलस्टर	क्षे० (है०)	कलस्टर	क्षे० (है०)	कलस्टर	क्षे० (है०)
1	टिहरी	23	460	188	2360	93	1855
2	देहरादून	0	0	66	1320	34	680
3	हरिद्वार	0	0	25	500	0	0
4	पौड़ी	0	0	50	487	35	1046
	कोटद्वार	0	0	29	580	51	1020
5	उत्तरकाशी	0	0	48	949.52	2	38.48
6	रूद्रप्रयाग	0	0	30	600	5	100
7	चमोली	9	180	18	360	10	200
8	पिथौरागढ़	49	980	56	1120	8	160
9	अल्मोड़ा	14	280	76	1520	37	740
10	बागेश्वर	26	520	11	220	13	260
11	चम्पावत	8	160	26	520	6	120
12	नैनीताल	0	0	44	880	9	180
13	ऊधमसिंहनगर	10	200	13	260	0	0
	योग	**139**	**2780**	**680**	**11676.52**	**303**	**6399.48**

तालिका 5.12 क्रमशः

क्र0 सं0	जनपद	आलू		पुष्प		जड़ी–बूटी		कुल योग	
		कलस्टर	क्षे0 (है0)	कलस्टर	क्षे0 (है0)	कलस्टर	क्षे0 (है0)	कलस्टर	क्षे0 (है0)
1	टिहरी	66	1325	0	0	0	0	300	6000
2	देहरादून	0	0	0	0	0	0	100	2000
3	हरिद्वार	0	0	0	0	0	0	25	500
4	पौड़ी	15	467	0	0	0	0	100	2000
	कोटद्वार	14	280	0	0	0	0	94	1880
5	उत्तरकाशी	26	532	0	0	0	0	76	1520
6	रूद्रप्रयाग	5	100	5	100	0	0	45	900
7	चमोली	11	220	6	120	9	180	63	1260
8	पिथौरागढ़	1	20	0	0	4	80	118	2360
9	अल्मोड़ा	0	0	1	20	0	0	128	2560
10	बागेश्वर	3	60	0	0	0	0	53	1060
11	चम्पावत	10	200	0	0	0	0	50	1000
12	नैनीताल	13	260	0	0	0	0	66	1320
13	ऊधमसिंहनगर	0	0	0	0	0	0	23	460
	योग	**164**	**3464**	**12**	**240**	**13**	**260**	**1241**	**24820**

5.3.3 उत्तराखण्ड में फल उत्पादनः– राज्य में विभिन्न प्रकार की कृषि जलवायु होने के कारण शीतोष्ण एवं समशीतोष्ण फलों का उत्पादन किया जाता है। फलों के विस्तार हेतु प्रतिवर्ष लगभग 4000 है0 में बागान स्थापित किये जाते हैं।

5.3.3.1 शीतोष्णः– राज्य में मुख्य रूप से शीतोष्ण फल सेब, आड़ू, नाशपाती, अखरोट, प्लम, खुबानी आदि का उत्पादन किया जाता है, जिनमें मुख्य रूप से सेब 11327 है0 में खेती करते हुए 43329 मै0टन, आड़ू 5519 है0 में खेती करते हुए 36239 मै0टन, प्लम 2625 है0 में खेती करते हुए 12619 मै0टन, खुबानी 2304 है0 में खेती करते हुए 8763.00 मै0टन, नाशपाती 3745 है0 में खेती करते हुए 20607मै0टन व अखरोट 5681 है0 में खेती करते हुए 9683 मै0टन उत्पादन किया जाता है। राज्य में जलवायु परिवर्तन के दृष्टिगत सेब की नवीनतम स्पर प्रजातियों के रोपण को बढ़ावा, अखरोट एवं अन्य गिरीदार फलों, रंगीन नाशपाती तथा आड़ू को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही हाई वैल्यू क्रॉप के रूप में कीवी आदि फसलों के लिये भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

5.3.3.2 समशीतोष्णः– राज्य में मुख्य रूप से समशीतोष्ण फल आम, लीची, अमरूद, आंवला, अनार व नीबू वर्गीय आदि का उत्पादन किया जाता है, जिनमें मुख्य रूप से आम 21050 है0 में खेती करते हुए 113410 मै0टन, नीबू वर्गीय फलों की 9992 है0 में खेती करते हुए 36912 मै0टन, लीची 5219 है0 में खेती करते हुए 19069 मै0टन, आंवला 988 है0 में खेती करते हुए 3919 मै0टन, अमरूद 4690 है0 में खेती करते हुए 37698 मै0टन उत्पादन किया जाता है। राज्य में जलवायु परिवर्तन के दृष्टिगत आम, लीची, अमरूद, आंवला, अनार आदि की नवीनतम प्रजातियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही गर्म घाटियों में भी समशीतोष्ण फलों

को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके साथ ही ड्रैगन फ्रूट, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रंगीन आम/अमरूद तथा पपीता को बढ़ावा दिया जा रहा है।

5.3.4 सब्जी उत्पादनः– राज्य में विभिन्न प्रकार की सब्जियों का उत्पादन किया जा रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों में जब सब्जी उत्पादन किया जाता है उस समय मैदानी क्षेत्रों में सब्जियों का उत्पादन बहुत कम होता है। इसलिये पर्वतीय क्षेत्रों की सब्जी मैदानी क्षेत्रों के लिये बेमौसमी सब्जी होती है, जिसका कृषकों को अच्छा मूल्य प्राप्त होता है। सब्जियों के विस्तार हेतु प्रतिवर्ष लगभग 4000 कु0 बीज कास्तकारों को निर्धारित राज सहायता पर वितरित किया जाता है।

राज्य में उत्पादित होने वाली मुख्य रूप से सब्जियों के अन्तर्गत मटर की खेती 11564 है0 में करते हुए 81510 मै0टन उत्पादन, मूली की खेती 4146 है0 में करते हुए 37158 मै0टन उत्पादन, फ्रासबीन की खेती 4433 है0 में करते हुए 23352मै0टन उत्पादन, बन्दगोभी की खेती 4779 है0 में करते हुए 46854 मै0टन उत्पादन, फूलगोभी की खेती 2776 है0 में करते हुए 28485 मै0टन उत्पादन, प्याज की खेती 4011 है0 में करते हुए 41761 मै0टन उत्पादन, सगिया मिर्च की खेती 2167 है0 में करते हुए 11439 मै0टन उत्पादन, भिण्डी की खेती 2970 है0 में करते हुए 19445 मै0टन उत्पादन, टमाटर की खेती 5275 है0 में करते हुए 62856 मै0टन उत्पादन, बैगन की खेती 2046 है0 में करते हुए 22536 मै0टन उत्पादन व अन्य सब्जियों की खेती 12949 है0 में करते हुए 115411 मै0टन उत्पादन किया जा रहा है।

राज्य में यूरोपियन वेजिटेबल को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अन्तर्गत मुख्य रूप से चेरी टोमेटो, ब्रोकली, ब्रेसेल्स बुश स्क्वेश, स्प्राउटस, चायनीज कैबेज, लाल बन्दगोभी, न्यूजीलैण्ड पालक, एस्परेगस, विलायती पालक, व स्टेम लेटयूसे के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसकी मांग बड़े शहरों में काफी अधिक है तथा कृषकों को इसकी उपज का अच्छा मूल्य प्राप्त होता है। वर्तमान में राज्य में लगभग 80 है0 में यूरोपियन वेजिटेबल की खेती की जा रही है।

5.3.5 आलू उत्पादनः– राज्य में आलू मुख्यतः दो मौसमों रबी एवं खरीफ में उत्पादित किया जाता है। मैदानी क्षेत्रों में रबी मौसम में तथा पर्वतीय क्षेत्रों में खरीफ मौसम में आलू उत्पादन होता है। पर्वतीय क्षेत्रों का आलू मैदानी क्षेत्रों हेतु बेमौसमी होने के कारण कृषकों को अच्छा मूल्य प्राप्त होता है। वर्तमान में आलू की खेती 17083 है0 में करते हुए 183922 मै0टन उत्पादन किया जा रहा है। आलू के क्षेत्र विस्तार हेतु प्रतिवर्ष लगभग 4200 कु0 बीज कास्तकारों को वितरित किया जाता है।

5.3.6 मसाला उत्पादनः– राज्य में मुख्य रूप से हल्दी, अदरक, मिर्च, लहसुन, धनिया, बड़ी इलायची आदि की खेती की जाती है। मसाला विस्तार हेतु प्रतिवर्ष लगभग 7000 कु0 बीज कास्तकारों को वितरित किया जाता है। मसालों के अन्तर्गत हल्दी की खेती 3145 है0 में करते हुए 28161 मै0टन उत्पादन, अदरक की खेती 4596 है0 में करते हुए 33379 मै0टन उत्पादन, मिर्च की खेती 3724 है0 में करते हुए 10745 मै0टन उत्पादन, लहसुन की खेती 2953 है0 में करते हुए 14247 मै0टन उत्पादन, धनिया की खेती 1851 है0 में करते हुए 3474 मै0टन उत्पादन, बड़ी इलायची की खेती 49 है0 में करते हुए 37 मै0टन उत्पादन, मेथी की खेती 856 है0 में करते हुए 2885 मै0टन उत्पादन व अन्य मसालों की खेती 856 है0 में करते हुए 3943 मै0टन उत्पादन किया जाता है।

5.3.7 पुष्प उत्पादनः– राज्य में पुष्पों की खेती को बढ़ावा देने का मुख्य उद्देश्य इसकी बढ़ती हुई मांग तथा दिल्ली/चण्डीगढ़ का बाजार नजदीक होना है। वर्तमान में लगभग 669 है0 हो गयी है।

इसके अन्तर्गत मुख्य रूप से कट फ्लावर के अन्तर्गत मुख्य रूप से जरबेरा, कारनेशन, ग्लेडियोलाई व लिलियम तथा लूज फ्लावर के अन्तर्गत गेंदा, गुलाब, रजनीगंधा व अन्य पुष्पों का उत्पादन किया जाता है, जिसके अन्तर्गत जरबेरा की खेती 45 है० में करते हुए 488 लाख स्पाईक, कारनेशन की खेती 5 है० में करते हुए 16 लाख स्पाईक, ग्लेडियोलाई की खेती 58 है० में करते हुए 92 लाख स्पाईक व लिलियम की खेती 2 है० में करते हुए 12 लाख स्पाईक उत्पादित की जा रही है। साथ ही लूज फ्लावर के अन्तर्गत गेंदा की खेती 336 है० में करते हुए 1886 मै०टन उत्पादन, गुलाब की खेती 107 है० में करते हुए 210 मै०टन उत्पादन, रजनीगंधा की खेती 0.29 है० में करते हुए 3.00 मै०टन उत्पादन व अन्य पुष्पों की खेती 116 है० में करते हुए 248 मै०टन उत्पादन किया जा रहा है।

5.3.8 संरक्षित खेती:– कम जोत में अधिक एवं गुणवत्तायुक्त उत्पादन के दृष्टिगत राज्य में सब्जी तथा पुष्पों की खेती पॉलीहाउस, शेडनेट हाउस के अन्तर्गत की जा रही है। वर्तमान में लगभग 17.50 लाख वर्गमीटर क्षेत्र में पॉलीहाउस स्थापित हैं, जिसमें से लगभग 60 प्रतिशत पुष्पों के अन्तर्गत व शेष सब्जी के अन्तर्गत आच्छादित है। संरक्षित खेती को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्रतिवर्ष लगभग 1.00 लाख वर्गमीटर पॉलीहाउस की स्थापना की जा रही है। साथ ही फलों को ओलावृष्टि से होने वाली क्षति से बचाव हेतु प्रतिवर्ष लगभग 30 लाख वर्गमीटर एन्टी हेलनेट कृषकों को निर्धारित राज सहायता पर उपलब्ध कराया जाता है।

5.3.9 मौनपालन उत्पादन:– राज्य में शहद उत्पादन तथा पर परागण द्वारा फलों एवं सब्जियों के उत्पादकता बढ़ाने के लिये मौनपालन विकास का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मधुमक्खी पालन के अन्तर्गत व्यक्तिगत मौनपालकों को फलोत्पादन में वृद्धि हेतु मौनवंशो को परागण हेतु उद्यानों में रखने हेतु राजसहायता दी जा रही है। परपरागण को निजी क्षेत्रों में प्रोत्साहित करने हेतु ज्योलीकोट (नैनीताल) में मौनपालन विधा में अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन प्रशिक्षण दिया जाता है। नई इकाई स्थापित करने के लिये अधिक मधु उत्पादन देने वाली एपीस इण्डिका तथा इटैलियन मधुमक्खी एपिस मैलीफेरा मौनवंश बक्सों को उचित मूल्य पर मौन पालको को उपलब्ध कराया जाता है। राज्य में 6162 मौनपालकों द्वारा लगभग 2.71 लाख मौनवंशों के माध्यम से वर्ष 2023–24 में लगभग 1600 मै०टन शहद का उत्पादन किया जा रहा है।

5.3.10 मशरूम उत्पादन:– मशरूम उत्पादन, लघु एवं सीमान्त कृषकों तथा पिछड़ी जातियों के भूमिहीन किसानों के लिए अत्यन्त लाभकारी योजना है, चूंकि इसमें कम जगह में ही अधिक आय ली जा सकती है। अतः इस योजना के अन्तर्गत काश्तकारों को 50 प्रतिशत राज सहायता पर स्पान (मशरूम बीज) एवं पाश्चुराइज्ड कम्पोस्ट वितरित किया जा रहा है, साथ ही ग्राम स्तर पर मशरूम उत्पादन, पैकिंग तथा विपणन सम्बंधी प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है। राज्य में मशरूम उत्पादन हेतु कुमाऊं मण्डल के जनपद नैनीताल के ज्योलीकोट तथा नवाली में 01–01 कम्पोस्ट इकाई स्थापित है एवं गढ़वाल मण्डल के जनपद देहरादून के शंकरपुर (सहसपुर) में एक कम्पोस्ट इकाई स्थापित है, जिसके माध्यम से कृषकों को कम्पोस्ट वितरित की जाती है। बटन मशरूम उत्पादन हेतु प्राकृतिक रूप से 170 इकाईयों, नियन्त्रित वातावरण में 13 इकाईयों तथा ऑयस्टर व मिल्की मशरूम उत्पादन हेतु 145 इकाईयाँ स्थापित हैं। वर्तमान तक राज्य में लगभग 19500 मै०टन मशरूम का उत्पादन किया जा रहा है।

6.1 फसल बीमा योजना:– भारत सरकार के दिशा निर्देशन में प्रदेश में पुर्नगठित मौसम

आधारित फसल बीमा योजना खरीफ (फसल–आलू, अदरक, टमाटर, मिर्च एवं फ्रैंचबीन) एवं रबी मौसम (सेब की अति सघन, आड़ू, नींबू वर्गीय (माल्टा, संतरा, मौसम्बी), कीवी, आम, लीची, आलू, टमाटर एवं मटर) हेतु संचालित है। जिसमें वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक 91000 कृषकों द्वारा अपनी फसलों का बीमा कराया गया है।

6.2 राष्ट्रीय उद्यान मिशन योजना (HMNEH)– भारत सरकार के 90 प्रतिशत वित्तीय सहयोग से संचालित इस योजना के अन्तर्गत औद्यानिकी के समग्र विकास हेतु नर्सरी स्थापना, फल, सब्जी, मसाला, पुष्पों का क्षेत्रफल विस्तार, संरक्षित खेती के अन्तर्गत पॉलीहाउस स्थापना, जीर्णोद्धार, सिंचाई सुविधाओं का सृजन, मशरूम उत्पादन, मौनपालन विकास, औद्यानिक यन्त्रीकरण, उत्तर फसल प्रबन्धन, विपणन, खाद्य प्रसंस्करण तथा प्रशिक्षण आदि घटकों का क्रियान्वयन भारत सरकार द्वारा निर्धारित राजसहायता पर किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में इस योजनान्तर्गत ₹ 3800.00 लाख की कार्य योजना स्वीकृत है, जिसके अन्तर्गत मुख्य रूप से 614 है0 में फलों, 25 है0 में सब्जियों, 189 है0 में मसाला व 48 है0 में पुष्पों का क्षेत्रफल विस्तार, 03 मशरूम उत्पादन इकाईयों की स्थापना, 83 है0 पुराने उद्यानों का जीर्णोद्धार, 04 इकाई जल स्त्रोतों का सृजन, 289 है0 क्षेत्रफल में प्लास्टिक मल्चिंग, 32 औद्यानिक यन्त्र की स्थापना भी की गई है।

6.3प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का Per Drop More Crop घटक:– भारत सरकार के 90 प्रतिशत वित्तीय सहयोग से संचालित इस योजनान्तर्गत सिंचाई की समुचित व्यवस्था करते हुए पौधों की आवश्यकतानुसार पानी व अन्य पोषक तत्वों को उचित मात्रा में सुनिश्चित करने हेतु उत्तराखण्ड में कृषि, औद्यानिक एवं गन्ना उत्पादकों को ड्रिप इरीगेशन व स्प्रिंकलर इरीगेशन निर्धारित राज सहायता पर काश्तकारों को उपलब्ध कराया जाता है। इसके साथ–साथ कृषकों के प्रक्षेत्रों पर जल संग्रहण व पानी की व्यवस्था हेतु भी Other Intervention घटक के अन्तर्गत भी राज सहायता प्रदान की जाती है। इससे प्रदेश में कृषि/औद्यानिक/गन्ना फसलों की उत्पादकता बढ़ने के साथ–साथ कृषकों का आर्थिक स्तर भी ऊँचा होगा। इसके लिए वर्ष 2023–24 में लगभग 5876.40 है0 क्षेत्र में टपक/फव्वारा सिंचाई की व्यवस्था की गयी।

6.4 औद्यानिकी के क्षेत्र में निवेश हेतु प्रयास:– राज्य में निवेश औद्यानिकी के क्षेत्र में लगभग ₹ 4679.11 करोड़ के निवेश हेतु कुल 100 निवेशकों द्वारा अनुबन्ध हस्ताक्षरित किये गये, जिसमें ₹ 43.60 करोड़ के प्रस्तावों की ग्राउन्डिंग की गयी है।

6.5 पैक हाउस:– राज्य में औद्यानिक उत्पादों के संग्रहण, ग्रेडिंग/पैकिंग व्यवस्था हेतु लगभग 1380 पैक हाउस स्थापित किये गये है।

6.5 कोल्ड चैन:– उत्तराखण्ड राज्य में वर्तमान में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से कुल 31 कोल्ड चैन इकाईया (जनपद उधमसिंहनगर में 22, नैनीताल में 03, हरिद्वार में 04 व देहरादून में 02) स्थापित है। इन कोल्ड चैन इकाईयों में 29 इकाईयाँ औद्यानिकी आधारित है, जिनकी वार्षिक क्षमता लगभग 70000 मै0टन है एवं दुग्ध आधारित 02 कोल्ड चैन इकाईयों की क्षमता 187.60 कि0लीटर प्रतिदिन है।

6.6 खाद्य प्रसंस्करण इकाईयाँ:– उत्तराखण्ड राज्य की स्थापना के समय प्रदेश में स्थापित प्रसंस्कृत इकाईयों की उत्पादन क्षमता लगभग 01 प्रतिशत थी, जो कि वर्तमान में लगभग 13 प्रतिशत चल रही है। राज्य में औद्यानिकी आधारित HMNEH योजनान्तर्गत 62 खाद्य प्रसंस्करण इकाई

स्थापित हो चुकी है, जिसकी उत्पादन क्षमता लगभग 2 लाख मै०टन है। इसके अतिरिक्त राज्य में भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजनान्तर्गत कोल्ड चैन घटक में 29 प्रस्ताव स्वीकृत हैं जो कि खाद्य प्रसंस्करण इकाईयां ही है। इसी योजनान्तर्गत हिमालयन काशीपुर में 06 खाद्य प्रसंस्करण इकाईयां स्थापित की जा चुकी है।

6.7 मेगा फूड पार्क:– राज्य में ₹ 100–100 करोड़ की लागत से पतंजली फूड एण्ड हर्बल पार्क जनपद हरिद्वार में 16 खाद्य प्रसंस्करण इकाईयां स्थापित है तथा दूसरा हिमालय मेगा फूड पार्क, महुआखेड़ा, काशीपुर, ऊधमसिंहनगर में 25 खाद्य प्रसंस्करण इकाईयां स्थापित किया गया है। तथा विभाग द्वारा मेगा फूड पार्क में स्थापित इकाईयों के लिए इन्सेंटिव दिये जाने का प्राविधान राज्य योजना से किया गया है।

6.8 मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास:– कोविड–19 के दौरान राज्य में वापस आये प्रवासियों एवं उत्तराखण्ड राज्य में पूर्व से औद्यानिकी से जुड़े कृषकों को कम समय में उत्पादन कर आय हेतु राज्य सरकार द्वारा "मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना" का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत ₹ 1700.00 लाख का प्राविधान किया गया है। इस योजनान्तर्गत कृषकों को फल–पौध, सब्जी–बीज, मसाला बीज, पुष्प बीज/बल्ब 50 प्रतिशत राजसहायता पर , कीटनाशन रसायन 60 प्रतिशत राजसहायता पर तथा कृषक समूह, कृषक उत्पादक संघ आदि को नियन्त्रित वातावरण में परिवहन एवं भण्डार हेतु कूल हाउस/रेफ्रिजरेटेड वैन पर 50 प्रतिशत राजसहायता उपलब्ध करायी जायेगी। वर्ष 2023–24 में लगभग 772.65 कुन्तल सब्जी, आलू बीज का वितरण किया गया है।

6.9 उत्तराखण्ड एकीकृत औद्यानिक विकास परियोजना:– आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ₹ 526.00 करोड़ की 'औद्यानिक विकास परियोजना' स्वीकृत की गयी है।

मुख्य पहलें:–

- **प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना (PMFME):–** असंगठित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को संगठित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजनान्तर्गत इकाई स्थापना करने हेतु पर्वतीय क्षेत्रों में 25 प्रतिशत अतिरिक्त (कुल 60 प्रतिशत) राजसहायता प्रदान करने हेतु शासनादेश जारी कराया गया, जिसके परिणामस्वरूप लगभग ₹ 40.35 करोड़ के निवेश से 544 सूक्ष्म खाद्य उद्यमों के ऋण स्वीकृत हो चुके हैं, जिसमें से 391 इकाईयों द्वारा स्थापना उपरान्त व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ किया जा चुका है। इन इकाईयों से लगभग 2000 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हो रहा है। वर्ष 2024–25 में योजनान्तर्गत 700 सूक्ष्म खाद्य इकाईयों की स्थापना किये जाने का लक्ष्य है।

- **सेब की अति सघन बागवानी:–** कम क्षेत्रफल में अधिक उत्पादन प्राप्त करते हुए कृषकों की आय में गुणात्मक वृद्धि हेतु सेब की अति सघन बागवानी को बढ़ावा देते हुए कृषकों को 60 प्रतिशत राज सहायता पर आगामी 08 वर्षों में 5000 सेब के अति सघन बागान स्थापित कराये जायेंगें, जिसके अन्तर्गत लगभग कुल ₹ 808.79 करोड़ व्यय किया जायेगा, जिससे लगभग 45,000 से 50,000 रोजगार सृजन होंगे।

- **कीवी उत्पादन:–** राज्य में कीवी उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु मुख्यमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (CMRKVY) का संचालन जनपद चमोली, रूद्रप्रयाग, पौढ़ी, बागेश्वर एवं चंपावत में किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत अनुमन्य लागत ₹ 12.00 लाख प्रति एकड़ का 60 प्रतिशत अर्थात्

₹ 9.60 लाख प्रति एकड़ प्रदान की जा रही है। बाजार में कीवी की अत्यधिक माँग, विभिन्न रोगों के उपचार एवं पौष्टिक गुणों के दृष्टिगत कीवी उत्पादन के माध्यम से कृषकों की आय में कई गुना वृद्धि संभव है।

• **पॉलीहाउस स्थापना:–** नाबार्ड की आर०आई०डी०एफ० योजनान्तर्गत क्लस्टर अवधारणा अपनाते हुए 50 से 500 वर्ग मी० आकार के छोटे पॉलीहाउस स्थापना हेतु 80 प्रतिशत राज सहायता अनुमन्य है। योजनान्तर्गत 21,398 क्लस्टर आधारित छोटे पॉलीहाउस (50 से 500 वर्गमी० (Natural Ventilated Tubular Structure) हेतु ₹ 304.43 करोड़ का प्रस्ताव नाबार्ड द्वारा स्वीकृत किया गया है। पॉलीहाउस में उच्च गुणवत्तायुक्त सब्जी (High Value Vegetable) एवं पुष्प (लीलियम, कारनेशन, जरबेरा, गुलाब आदि) उत्पादन कर कृषक अपनी आय में गुणात्मक वृद्धि कर सकते हैं।

• **फल पौध वितरण:–** उद्यान विभाग के अन्तर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत लगभग 20.00 लाख उच्च गुणवत्तायुक्त फल पौधों का वितरण किया जायेगा, जिससे फलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि होगी।

औद्यानिक विकास:–

• **मुख्य उपलब्धियाँ:–** विभाग द्वारा विभागीय योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2023–24 में (माह दिसम्बर 2023) 13.19 लाख फल पौध वितरण, 1156.22 कुन्तल सब्जी बीज वितरण, 962 कुन्तल आलू बीज वितरण, लगभग 6867.92 हैक्टर में पौध सुरक्षा कार्य तथा 6879 व्यक्तियों को औद्यानिक संयत्र वितरण किये गये।

• **मशरूम उत्पादन योजना:– योजनान्तर्गत**

(i) कम्पोस्ट व स्पॉन वितरण पर 50 प्रतिशत अधिकतम ₹ 4250.00 प्रति मी० टन अनुदान दिया जाता है।

(ii) 7 दिवसीय प्रशिक्षण ₹ 350.00 प्रति प्रशिक्षार्थी की दर से व्यय करते हुए ₹ 700.00 प्रति प्रशिक्षार्थी के खाते में भुगतान किया जाता है।

(iii) अन्य मशरूम उत्पादन के साथ–साथ गाइनोडर्मा मशरूम पर भी अनुदान दिया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में विभाग द्वारा मशरूम उत्पादन हेतु 166.80 मी०टन पाश्चुराईज्ड कम्पोस्ट का उत्पादन, स्पॉन 2070 कि०ग्रा० वितरण किया गया तथा 1149 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया।

• **फल सब्जियों का सुखाकर प्रसंस्करण:–** राज्य में स्थापित सामुदायिक फल संरक्षण केन्द्रों एवं प्रशिक्षण केन्द्र पर लगभग 990.36 कुन्तल फल एवं सब्जी प्रसंस्करण किया गया 5.35 लाख कोरोगेटेड बॉक्स वितरण, 10930 प्लास्टिक क्रेट्स वितरण किये गये तथा 3458 व्यक्तियों को इस विषय में प्रशिक्षण दिया गया।

• **उद्यान कार्ड वितरण:–** विभाग द्वारा औद्यानिक निवेशों के वितरण हेतु लगभग 698 किसानों को उद्यान कार्डों का वितरण कर पंजीकरण किया गया।

• **रोपण सामग्री का उत्पादन:–** राजकीय प्रक्षेत्रों में विभिन्न फल प्रजातियों के 1.61 लाख फल पौधों का उत्पादन 202.37 कुन्तल उन्नत किस्म के सब्जी बीजों का उत्पादन किया गया।

• **मौनपालन योजना:– परम्परागत योजनान्तर्गत**

(i) औद्यानिक फसलों में मौनवंशों/मौनगृहों को उद्यानों में रखने हेतु यातायात पर ₹ 350.00 प्रति मौनवंश अधिकतम 4 मौनवंश प्रति है० की दर से राजसहायता दी जा रही है। जिसके अन्तर्गत

वित्तीय वर्ष 2023–24 में 340 मौन बॉक्स/मौन कॉलोनी वितरण किये गये हैं व साथ ही 427 लाभार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया है।

(ii) ₹ 800.00 प्रति मौनगृह/मौनवंश राजसहायता के अन्तर्गत 1 व्यक्ति को अधिकतम 10 मौनगृह दिये जाने की योजना है।

(iii) मौनपालन में 7 दिवसीय प्रशिक्षण ₹ 350.00 प्रति प्रशिक्षार्थी की दर से व्यय करते हुए ₹ 700.00 प्रति प्रशिक्षार्थी के खाते में भुगतान किया जाता है।

- **घेरबाड़ योजना**:– राज्य में स्थापित बागानों को जंगली जानवरों से बचाने हेतु बागानों की घेरबाड़ योजनान्तर्गत कृषकों के प्रक्षेत्रों पर 50 प्रतिशत राजसहायता जिसकी अधिकतम सीमा 1.00 लाख प्रति हैक्टर राजसहायता प्रदान करते हुए 130.90 हैक्टर बागानों में घेरबाड़ की गयी है।

- **फल पौध रोपण की योजना**:– निःशुल्क वृहद् वृक्षारोपण के अन्तर्गत वर्ष 2023–24 (वर्षाकाल) एवं शीतकाल में 5.51 लाख निःशुल्क फल पौध वितरण किया गया है।

- **वर्मी कम्पोस्ट निर्माण की योजना**:– राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु वर्मी कम्पोस्ट इकाईयों की स्थापना से प्रदेश के बेरोजगार युवाओं, महिलाओं तथा स्वयं सहायता समूह को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ₹ 33,300 प्रति इकाई की लागत का 75 प्रतिशत अधिकतम एक इकाई हेतु राजसहायता प्रदान कर 178 इकाईयों की स्थापना की गई है।

- **मसाला मिर्च उत्पादन हेतु प्रोत्साहन राशि की योजना (₹ 7.00 प्रति किग्रा की दर से)**:– प्रदेश में उच्च गुणवत्तायुक्त मशाला मिर्च(लाल मिर्च) की खेती को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार द्वारा ₹ 7.00 प्रति कि॰ग्रा॰ की दर से काश्तकारों/कृषकों को प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जा रही है।

6.10 सगन्ध पौधा केन्द्र (कैप)– सगन्ध फसलों की खेती को Public-Private Partnership (PPP) मॉडल के रूप में अपनाया गया है, जिसमें कैप इन्कुबेटर के रूप में तथा कृषक एवं उद्यमी पार्टनर के रूप में कार्य करते है। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक किसानों को जोड़ना तथा उनके बीच नेतृत्व की भावना पैदा करना है। इस व्यवस्था में किसान बहुत छोटे उद्यमी के रूप में कार्य करता है, जिसका काम नर्सरी उगाना तथा फसलों की खेती करना है। इन्ही किसानो में से उन किसानों को चुना जाता है जो कि आसवन संयत्र की मदद से इन फसलों का तेल निकालने के इच्छुक होते है, इन्हे छोटे मध्यम उद्यमी का दर्जा दिया जाता है। इस प्रकार से ये उद्यमी, उद्योगों हेतु कच्चा माल, फूल–पत्ती, आसवन तथा सगन्ध उत्पाद व तेलों के विपणन इत्यादि हेतु धरातल तैयार करने में सहायता करते हैं तथा इस व्यवस्था में आखिरी भूमिका उद्योग की है, जो कैप के माध्यम से किसानों के समूह से जुड़कर अपनी आवश्यकतानुसार सुगन्धित तेल क्रय करते है।

1. एरोमैटिक सैक्टर का वर्तमान परिदृश्य:– सगन्ध पौधा केन्द्र (कैप), सेलाकुई के तकनीकी सहयोग से उत्तराखण्ड में 109 ऐरोमा कलस्टर विकसित किये गये है, जिनमें लगभग 24454 कृषकों द्वारा 8602 है० क्षेत्रफल में सगन्ध फसलो का कृषिकरण किया जा रहा है, जिससे 1708 टन सगन्ध तेल, हर्ब, फूल एवं पत्तियों का उत्पादन हो रहा है। सगन्ध फसलो के प्रसंस्करण हेतु 196 आसवन संयंत्रों की स्थापना की गयी है।

2. महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी (MGNREGA):– मनरेगा कार्यक्रम अन्तर्गत वर्ष 2023–24 में कुल 247.80 हेक्टेयर का लक्ष्य रखा

गया था, जिसके सापेक्ष अब तक कुल 243.30 है0 भूमि को लैमनग्रास, तेजपात, रोजमेरी से आच्छादित किया गया तथा कुल 1659 कृषकों को लाभान्वित करते हुये, 70 हजार मानव दिवसों का सृजन किया गया।

3. ऐरोमा पार्क की स्थापना :– काशीपुर (उधमसिंह नगर) में सिडकुल द्वारा निर्धारित औद्योगिक अस्थान की 40 एकड़ भूमि में 50 इकाईयों की स्थापना एरोमा पार्क में की जा रही है। वर्ष 2023–24 में 12 उद्यमियो द्वारा भू–खण्ड आरक्षित किये गये है। वर्तमान तक विभिन्न औद्योगिक संस्थानों द्वारा 37 प्लॉट आरक्षित किये, जिन्हे भौतिक नियंत्रण पत्र प्रदान किये जा चुके है। एरोमा पार्क की स्थापना से 1600 स्थानीय युवाओं को प्रत्यक्ष व 5000 लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

4. मिशन दालचीनी एवं मिशन तिमरू– राज्य मे मिशन दालचीनी एवं मिशन तिमरू लांच किया गया है। मिशन के सफल संचालन हेतु 10 वर्षीय कार्ययोजना तैयार की जा रही है

5. ऐरोमा वैली– सगन्ध फसल आधारित जनपद हरिद्वार में लैमनग्रास एवं मिन्ट वैली, चम्पावत व नैनीताल में सिनॉमन वैली, चमोली व अल्मोड़ा में डैमस्क रोज वैली, ऊधमसिंह नगर में मिन्ट वैली, पिथौरागढ़ में तिमूर वैली एवं पौड़ी में लैमनग्रास वैली को मिलाकर कुल 06 एरोमा वैलियों के माध्यम से 18,000 है. भूमि को सगन्ध फसलों से आच्छादित करने की योजना है। इससे कुल 72000 कृषक लाभान्वित होंगे व 90,000 रोजगार सृजित होंगे। वर्तमान मे इन एरोमा वैलियो के अतर्गत 3429 किसानों की 623 हेक्टेयर भूमि मे कृषिकरण प्रारम्भ कर दिया गया है।

7 सैटेलाईट सेन्टर:–ऐरोमा वैली में कृषकों को गुणवत्तायुक्त पौध सामग्री, प्रशिक्षण, प्रसंस्करण आदि की सुविधा क्वतं जमय पर प्रदान करने हेतु 5 सेटेलाईट सेन्टर विकसित किये जा रहे है।

8 सगन्ध फसलों की चयन प्रक्रिया :–

- सगन्ध पौधा केन्द्र, सेलाकुई द्वारा चयनित कलस्टर की कृषि जलवायु के अनुरूप निम्नुनसार सगन्ध फसलों का चयन कृषिकरण हेतु किया जाता है–

LOWER HILLS (Upto 4000 ft)	MIDDLE HILLS (4000-6000 ft)	UPPER HILLS (>6000 ft)
लैमनग्रास, सिट्रोनेला, पामारोजा, गैन्दा (टट्ला), पूजा तुलसी, मीठी तुलसी, मिन्ट, चंदन	डैमस्क गुलाब, तेजपात, कैमोमिल, तिमूर, रोजमेरी, ओरिगेनो, जिरेनियम, गैन्दा (माइन्यूटा)	डैमस्क गुलाब, कालाजीरा, कूठ, लैवेन्डर.

- कृषकों का चयन फील्ड कार्मिकों अथवा सीधे कृषकों अथवा उनके समूह द्वारा कैंप से सम्पर्क के आधार पर किया जाता है।
- कृषक के पास स्वयं अथवा नियमानुसार लीज पर भूमि का होना आवश्यक है।
- चयनित फसल के अनुसार उपलब्ध न्यूनतम क्षेत्रफल तथा आगामी विस्तार की सम्भावनाओं को मद्देनजर रखते हुये, कलस्टर का चयन किया जाता है।
- कलस्टर में पौध रोपण के 4 से 6 माह पश्चात् कृषक पंजीकरण का कार्य सम्पन्न किया जाता है।

9 प्रोत्साहन योजनाऐं:–सगन्ध पौधा केन्द्र द्वारा

राज्य में सगन्ध फसलों की ओर कृषकों के रुझान हेतु निम्न प्रोत्साहन योजनाएँ चलाई जा रही है:-

- सगन्ध पौधों के प्रोसेसिंग हेतु आवश्यक यंत्र/उपकरण, आसवन यूनिट आदि की स्थापना पर ₹ 10 लाख तक के व्यय पर पर्वतीय क्षेत्रों में 75 प्रतिशत तथा मैदानी क्षेत्रों में 50 प्रतिशत अनुदान।
- मनरेगान्तर्गत लैमनग्रास, डैमस्क गुलाब व तेजपात का कृषिकरण।
- कैप में पंजीकृत कृषकों को सुगन्धित तेलों की गुणवत्ता परीक्षण शुल्क पर 50 प्रतिशत छूट।
- कृषकों द्वारा उत्पादित सगन्ध उत्पाद/तेलों का बाजार सुनिश्चित करने हेतु 25 प्रजातियों का न्यूनतम समर्थन मूल्य।

उक्तानुसार निम्न कार्यक्रमों के द्वारा सगन्ध कृषिकरण से कृषकों को अतिरिक्त आय के साधन उपलब्ध कराये जा रहे है:-

- बंजर एवं असिंचित कृषि भूमि में लैमनग्रास की खेती।
- बाउन्ड्री फसल के रूप में डेमस्क गुलाब की खेती एवं गुलाब तेल उत्पादन।
- जापानीमिन्ट की एकल व इन्टरक्रापिंग।
- कृषि वानिकी के रूप में तेजपात की खेती।
- अन्य सगन्ध फसल जैसे–कैमोमाईल, गेन्दा, रोजमेरी, तिमरू, चन्दन, जिरेनियम आदि की खेती।

तालिका 5.13

क्र0 सं0	प्रजाति	प्रथम वर्ष	तृतीय वर्ष	कुल धनराशि (₹)
1.	सगन्ध घासें (लैमनग्रास, सिट्रोनेला, पामारोजा, खस आदि)	31250	10400	41650
2.	डेमस्क गुलाब	56100	18700	74800
3.	मिन्ट (जापानीमिन्ट को छोड़कर)	36650	–	36650
4.	जिरेनियम	44100	14700	58800
5.	कालाजीरा	25950	8650	34600
6.	रोजमेरी	44500	14850	59350
7.	तेजपात एवं तिमूर	34050	11350	45400
8.	चंदन	47150	15750	62900

तालिका 5.14

सगन्ध पौधा केन्द्र (कैप) की वर्ष 2018–19 से 2022–23 तक की भौतिक प्रगति

क्र. सं.	विवरण	इकाई	वर्ष 2018–19		वर्ष 2019–20		वर्ष 2020–21		वर्ष 2021–22		वर्ष 2022–23	
			लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति
1	सगन्ध कृषिकरण	हेक्टेयर	800	840	900	960	1000	1225	1100	1104	1200	1210
2	कृषक	संख्या	3000	3143	3500	3235	4000	4814	4500	4197	5000	4318
3	उत्पादन (सगन्ध तेल एवं हर्ब)	टन	600	1085	650	954	700	807	700	1389	750	1616
4	आसवित सगन्ध हर्ब	टन	60000	66144	65000	71623	60000	63666	60000	73922	70000	73810
5	सगन्ध उत्पादों का टर्न ओवर	₹ करोड़	70	77	80	80.26	80	85	80	85	85	85
6	रोजगार सृजन	संख्या	4000	4198	4500	4800	5000	6125	5500	5518	6000	6051
7	एग्रोनोमिकल ट्रायल	संख्या	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4
8	वेराइटल ट्रायल	संख्या	3	3	6	6	6	6	3	4	3	6
9	गुणवत्ता परीक्षण	नमूने संख्या	350	352	400	400	450	451	500	638	550	3007
10	पौध उत्पादन	संख्या लाख	31	32	32	32.78	33	33.48	34	32	35	38
11	पौध वितरण	संख्या लाख	22	58	30	91.25	30	119	100	128	100	130
12	जागरूकता कार्यक्रम	कैंप संख्या	85	86	95	157	115	162	125	212	135	268
13	प्रशिक्षित कृषक	संख्या		2320		4121	2900	3329	3200	4277	3500	5275
14	आसवन संयंत्र स्थापना	संख्या	12	17	12	2	12	13	12	6	12	9

अनुसंधान एंव तकनीकी विकास कार्यक्रम के तहत नवाचार

- तिमूर के व्यवसायिक महत्व को देखते हुये, कैप द्वारा तिमूर से "तिमरू द उत्तराखण्ड" परफ्यूम एवं अतर विकसित किये गये है, जिसको दिनांक 08 दिसम्बर, 2023 को देहरादून में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट–2023 के मुख्य अतिथि श्री नरेन्द्र मोदी, मा0 प्रधानमंत्री को भेंट किया गया।

- कुण्जा (आर्टिमिशया वल्गेरिस) का व्यवसायिक उपयोग बढ़ाने के उद्देश्य से इसके तेल की Anti-dandruff activity पर कार्य किया गया, जिसका पेटेंट प्राप्त करने हेतु कार्यवाही गतिमान है।

- सिनेमन के Cinnamaldehyde content, TPC, TFC के आधार पर एक एण्टी–ओबिसिटी कैप्सूल फार्मूलेशन तैयार किया गया है, जिसकी निर्माण प्रक्रिया का पेटेन्ट लेने हेतु भारतीय पेटेन्ट ऑफिस में आवेदन किया गया है।

5.5 चाय विकास बोर्ड– उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड द्वारा राज्य के 9 पर्वतीय जनपदों में चाय विकास कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, जिसके तहत वर्तमान तक 1432.00 हैक्टेयर क्षेत्रफल में सफलतापूर्वक चाय बागान विकसित किये जा चुके है। चाय विकास बोर्ड का मुख्य उद्देश्य राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में कृषकों की कृषि योग्य बंजर पड़ी भूमि में चाय विकास कार्यक्रम संचालित कर स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन व कृषकों की आय में वृद्धि करना है। वित्तीय वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 में निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण निम्नानुसार है–

तालिका 5.15

क्र.	कार्य विवरण	वित्तीय वर्ष 2022–23		वित्तीय वर्ष 2023–24	
		निर्धारित लक्ष्य	उपलब्धि	निर्धारित लक्ष्य	उपलब्धि
1	बागान रखरखाव (है0 में)	1432.00	1433.64	1344.00	1367.28
2	नया प्लान्टेशन (है0 में)	64.00	23.37	54.00	31.21
3	नर्सरी रखरखाव (पौध लाख में)	69.00	36.16	37.50	39.05
4	नई नर्सरी स्थापना (पौध लाख में)	36.00	10.54	18.00	4.17
5	चाय पत्तियों की तुड़ाई (किग्रा. में)	4,85,000.00	4,24,868.00	5,50,000.00	4,92,251.00
6	निर्मित चाय (किग्रा. में)	1,09,125.00	89,915.00	1,23,750.00	1,09,295.00
7	चाय बिक्री (किग्रा. में)	1,09,125.00	89,915.00	1,23,750.00	91,544.00
8	मानव दिवस सृजन	5,67,342.00	5,14,129.00	8,15,342.00	3,63,958.00

तालिका 5.15 क्रमशः
वित्तीय प्रगति

क्र.सं.	कार्य विवरण	वित्तीय वर्ष	
		2022–23	2023–24
1	कुल बजट प्राविधान	3509.73	3575.51
1	स्वीकृत बजट	2790.84	2635.97
3	अवमुक्त बजट	2601.09	1670.95
4	व्यय	2601.09	1510.15
5	आय / मनरेगा प्रतिपूर्ति	213.37	159.82

तालिका 5.16

वित्तीय वर्ष 2023–2024 में उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड को आवंटित बजट एवं व्यय का

क्र. सं.	कार्य का विवरण	बोर्ड योजना	एस0सी0एस0पी0	मनरेगा	कुल योग
1	कुल बजट प्रावधान	2,531.16	524.92	519.43	3,575.51
2	स्वीकृत बजट	1,862.50	254.04	519.43	2,636.97
3	अवमुक्त बजट	1,296.64	120.04	120.27	1,670.95
4	व्यय	1,170.65	219.23	120.27	1,510.15
5	आय	159.82	–		159.82

तालिका 5.17

विगत पाँच वर्षों के अन्तर्गत (2018–19 से 2022–23) विभागीय कार्यों की प्रगति से सम्बन्धित रिपोर्ट निम्नानुसार है:–

क्र. सं.	कार्य विवरण	वित्तीय वर्ष				
		2018–19	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23
1	बागान रखरखाव (है0 में)	1284.00	1360.00	1394.00	1429.00	1434.00
2	नया प्लान्टेशन (है0 में)	120.28	75.00	34.00	36.00	23.00
3	नर्सरी रखरखाव (पौध लाख में)	50.00	28.00	19.00	40.00	36.00
4	नई नर्सरी स्थापना (पौध लाख में)	–	–	43.00	25.00	11.00
5	चाय पत्तियों की तुड़ाई (कि0ग्रा0 में)	3,35,406.00	3,63,125.00	3,85,790.00	4,13,617.00	4,24,858.00
6	निर्मित चाय (कि0ग्रा0 में)	73,815.00	77,681.00	81,929.00	91,585.00	89,914.00
7	चाय बिक्री (कि0ग्रा0 में)	74,107.00	53,170.00	1,00109.00	84,131.00	80,997.00
8	मानव दिवस सृजन	5,29,561	5,11,786	5,21,051	5,50,154	5,14,129

5.6 विभाग द्वारा संचालित योजनायें :– वर्तमान में राज्य के 09 जनपदों के 28 विकास खण्डों में कलस्टर अवधारणा अपनाते हुए चाय की खेती की जा रही है । बोर्ड द्वारा स्वयं की 04 प्रसंस्करण इकाईयां (हरिनगरी, श्यामखेत, चम्पावत एवं भटोली) स्थापित कर, चाय का उत्पादन किया जा रहा है। वर्ष 2022–23 में लगभग 89,865.00 कि0ग्रा0 चाय का उत्पादन किया गया तथा वर्ष 2023–24 में 1,09,686.00 कि0ग्रा0 चाय उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।

5.7 आधुनिक मृदा परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना :– बोर्ड के अन्तर्गत एक आधुनिकतम मृदा परीक्षण प्रयोगशाला भवाली नैनीताल में स्थापित की गई है, जिसमें निजी कृषकों, वन पंचायत / ग्राम समाओं की भूमि के मृदा परीक्षण का कार्य किया जाता है।

राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु चाय बागानों को टी टूरिज्म के रूप में विकसित किया जा रहा है चाय बागान घोड़ाखाल में चाय बागान पर्यटन विकास स्वायत्तता सहाकारिता समिति गठित कर चाय बागान में भ्रमण पर आने वाले पर्यटकों से ₹ 40 प्रति पर्यटक शुल्क प्राप्त कर उन्हें बागान, चाय फैक्ट्री का भ्रमण करवाने के साथ–साथ चाय उत्पादन के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है तथा बागान परिसर में टी कैफे का निर्माण कर उक्त कैफे का संचालन महिला स्वंय सहायता समूह द्वारा किया जा रहा है। उक्त के अतिरिक्त जनपद बागेश्वर में कौसानी चाय बागान के अन्तार्गत जिला प्रशासन बागेश्वर के सहयोग से पयर्टकों के बागान भ्रमण हेतु ट्रैकिंग रूट, पथ प्रकाश व्यवस्था, विश्राम स्थल, जलपान गृह, सुलभ शौचालय आदि कार्य पूर्ण किये जा चुके है तथा चाय बागान कौसानी में भ्रमण पर आने वाले पर्यटकों से ₹ 25 प्रति पर्यटक शुल्क प्राप्त कर उन्हें बागान, चाय फैक्ट्री का भ्रमण करवाने के साथ–साथ चाय उत्पादन के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। चाय बागान चम्पावत में जिला प्रशासन चम्पावत के सहयोग से टी कैफेटेरिया व टूरिस्ट कॉटेजों का निर्माण कर उक्त कैफेटेरिया व टूरिस्ट कॉटेज लीज के आधार पर संचालित करवाये जा रहे है तथा बागान भ्रमण पर आने वाले पयर्टकों से ₹ 20.00 प्रति पयर्टक प्राप्त कर चाय बागानों का भ्रमण व चाय के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है।

5.6 रेशम विभाग

रेशम उत्पादन प्रचार प्रसार : जिला सेक्टर के अन्तार्गत संचालित की जा रही रेशम उत्पादन प्रचार प्रसार योजना के माध्यम से चॉकी कीटपालन केन्द्रों हेतु उच्च कोटि के रेशम कीटाण्डों की आपूर्ति, चॉकी कीटपालन सामग्री की आपूर्ति, विभागीय चॉकी उद्यानों की ट्रीमिंग/प्रूनिंग एवं रखरखाव, उर्वरकों की आपूर्ति, कृषि तथा विशुद्धीकरण उपकरणों की आपूर्ति इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जा रहे हैं।

राज्य सेक्टर

अ. रेशम कोया उत्पादों को प्रोत्साहन :

प्रदेश के रेशम कोया उत्पादकों को रेशम फसलों में प्राकृतिक आपदाओं तथा रोगों के कारण होने वाली फसल क्षति की प्रतिपूर्ति हेतु योजना संचालित की जा रही है जिसके अन्तार्गत प्रभावित कीटपालकों को फसल क्षति की प्रतिपूर्ति के रूप में ₹ 20/–प्रति कि0ग्रा0 की दर से सहायता उपलब्ध कराने का प्राविधान किया गया है।

ब. केन्द्र सरकार द्वारा संचालित योजनायें

सिल्क समग्र–2 योजना

वर्तमान में केन्द्र सरकार द्वारा सिल्क समग्र–2 योजना का संचालन प्रारम्भ किया गया है जिसके

अन्तर्गत अनुसूचित जाति तथा जनजाति के क्षेत्रों में नये क्लस्टर्स का विकास का कार्य करते हुए आर्थिक रूप से पिछड़े सीमांत किसानों की आर्थिकी में वृद्धि के लिए कोया उत्पादन कार्य हेतु कीटपालन उपकरण तथा कीटपालन भवन निर्माण आदि की सहायता प्रदान की जा रही है। भारत सरकार द्वारा अवमुक्त होने वाले केन्द्रांश के सापेक्ष निर्धारित राज्यांश की प्रतिपूर्ति हेतु राज्य सेक्टर के अन्तर्गत योजना संचालित की जा रही है। योजना में अवमुक्त केन्द्रांश के अनुरूप वान्छित राज्यांश धनराशि अवमुक्त कराई जा रही है। केन्द्रपोषित योजनाओं का संक्षिप्त विवरण निम्नप्रकार है--

(i). शहतूती रेशम क्लस्टर (एस0सी0एस0पी0) : अनुसूचित जाति के परिवारों को रोजगार के अवसर सुलभ कराने हेतु जनपद अल्मोड़ा में शहतूती रेशम क्लस्टर लमगढ़ा का विकास किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जाति के 100 परिवारों को लाभान्वित किया जा रहा है।

(iii). शहतूती रेशम क्लस्टर (सामान्य) : सामान्य वर्ग के 100 किसानों को शहतूत रेशम कीटपालन कार्यों से जोड़ने के लिए जनपद नैनीताल में एक शहतूती रेशम क्लस्टर की स्थापना की गई है योजनान्तर्गत वृक्षारोपण, कीटपालन कक्ष एवं कीटपालन उपकरण लाभार्थियों को उपलब्ध कराए जायेंगे, जिसके परिणामस्वरूप किसानों की आय में वृद्धि होगी।

स. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना : जनपद देहरादून एवं हरिद्वार के 200 भूमिहीन लाभार्थियों को रेशम कीटपालन कार्य अंगीकृत करने हेतु आर0के0वी0वाई0 योजना के अन्तर्गत परियोजना संचालित है। योजना के अन्तर्गत कुल 200 रेशम कृषक परिवारों को कीटपालन उपकरण व कीटपालन कक्ष निर्माण हेतु सहायता उपलब्ध कराई जा रही है, साथ ही राजकीय रेशम फार्मों के सुदृढ़ीकरण की योजना में प्रदेश के सात जनपदों में संचालित की जा रही है।

द. मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना : प्रदेश के पांच जनपदों देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, ऊधमसिंह नगर एवं नैनीताल में प्रगतिशील किसानों की क्षमता वृद्धि हेतु योजना का संचालन किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत किसानों को कीटपालन कार्यों के लिए ट्रे, माउण्टेज, बैड क्लीनिंग नैट, थर्मामीटर इत्यादि सुविधायें उपलब्ध करायी जा रही है। जिससे किसानों की कीटपालन क्षमता में वृद्धि की जा सके वर्ष में योजनान्तर्गत 275 किसानों को सहायता उपलब्ध करायी जा रही है।

य. परम्परागत कृषि विकास योजना : योजना के अन्तर्गत सात जनपदों में 59 क्लस्टरों के माध्यम से 2474 किसानों को जैविक कृषि कार्यो से जोड़ने के साथ ही रेशम उत्पादन कार्यों को करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि प्रदेश में कोया उत्पादन में बढ़ोत्तरी हो तथा किसानों को एक अतिरिक्त आय का साधन प्राप्त हो सके।

र. मनरेगा : वर्ष 2023--24 में मनरेगा योजनान्तर्गत विभिन्न संचालित व प्रस्तावित योजनाओं में रेशम कीट भोज्य पौधों के रोपण एवं विभागीय औद्यानिक श्रम बाहुल्य कार्यो के सम्पादन हेतु जनपदों द्वारा कुल ₹ 253.90 लाख की कार्ययोजना प्रस्तुत की गई जिसके माध्यम से विभिन्न योजनाओं की डवटेलिंग व मनरेगा कन्वरजेन्स प्रक्रिया को गतिशील किया गया है। योजनान्तर्गत आतिथि तक 48520 मानव दिवसों का सृजन किया गया है।

वर्ष 2023--24 की विशिष्ट उपलब्धियां :

अ. बीज संगठन : राज्य में ओक टसर रेशम कीटाण्ड उत्पादन हेतु कोई इकाई न होने के कारण केन्द्रीय रेशम बोर्ड (भारत सरकार) द्वारा

रेशम कीट बीज की आपूर्ति की जा रही है जिस पर अत्यधिक धनराशि राज्य को व्यय करनी पड़ रही है। इस समस्या के निराकरण हेतु विभाग को केन्द्रीय रेशम बोर्ड भारत सरकार द्वारा दो ओक टसर रेशम बीजागारों निर्माण हेतु सहायता उपलब्ध करायी गई है, जिसके अन्तर्गत अम्बाड़ी देहरादून में बीजगार का कार्यपूर्ण कर लिया गया है जबकि जगतपुर नैनीताल में बीजागार निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है जिसे शीघ्र ही प्रारम्भ कर लिया जायेगा। बीजागारों के गतिशील होने के उपरांत राज्य ओक टसर रेशम कीटाण्ड आपूर्ति में आत्मनिर्भर हो सकेगा।

ब. वन्या रेशम विकास : योजनान्तर्गत – ओकटसर, एरी, मूगा रेशम उत्पादन के प्रसार हेतु विभाग द्वारा पौधालयों की स्थापना व भोज्य पौधों का रोपण का कार्य व्यापक स्तर पर किया जा रहा है। राज्य में ओकटसर परियोजना का कार्य भारत सरकार की सहायता से प्रारम्भ किया गया है। योजनान्तर्गत अरण्डी एवं बांज प्रजातियों के पौधों का रोपण, निजी क्षेत्र में बीजागारों की स्थापना, बीजू कोया उत्पादकों को कीटपालन शेड व कीटपालन उपकरणों की आपूर्ति की जा रही है।

अध्याय– 6
पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य
Animal Husbandary, Dairy And Fisheries

राष्ट्रीय तथा उत्तराखण्ड राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि एवं पशुपालन का विशेष महत्व है। छोटे भूमिहीन तथा सीमान्त किसान जिनके पास फसल उगाने एवं बड़े पशुओं को पालने के अवसर सीमित हैं, छोटे पशुओं जैसे भेड़ बकरियों, सूकर एवं मुर्गीपालन रोजी–रोटी का साधन व गरीबी से निपटने का आधार है। भारत 121.8 मिलियन टन दुग्ध उत्पादन के साथ विश्व में प्रथम, अण्डा उत्पादन में ₹53200 करोड़ के साथ विश्व में तृतीय तथा मांस उत्पादन में सातवें स्थान पर है। इस तरह पशुपालन व्यवसाय में ग्रामीणों को रोजगार प्रदान करने तथा उनके सामाजिक एवं आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने की अपार सम्भावनायें हैं। उत्तराखण्ड राज्य में लगभग 14 लाख परिवार ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, जिनमें से अधिकांश का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है।

नेशनल डिजीटल लाइवस्टॉक मिशन

पशुपालन, डेरी एवं मत्स्य विभाग भारत सरकार द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में योजना जनपद देहरादून एवं हरिद्वार में अप्रैल, 2021 से क्रियान्वित की जा रही है। अप्रैल, 2023 से कार्यक्रम को सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में क्रियान्वित किया जा रहा है। **देश में प्रथम बार "भारत पशुधन ऐप"** पर कार्य करते हुए 10 अप्रैल, 2023 से 29 दिसम्बर, 2023 तक 27,49261 टीकाकरण, 270639 कृत्रिम गर्भाधान, 60663 गर्भ परीक्षण, 14784 पशु चिकित्सा, 23084 पशु सम्बन्धित सूचना एवं 19647 पशु स्वामी से सम्बन्धित सूचनाओं को सही करने के साथ अन्य मदों में कुल 3230462 संख्या की डाटा एण्ट्री माह दिसम्बर, 2023 तक की जा चुकी है। उपरोक्त के अतिरिक्त **देश में प्रथम बार "Real Time Digital Animal Details Pilot Poroject"** का संचालन भी उत्तराखण्ड राज्य में जनपद देहरादून में किया गया है, जिसमें पशुगणना के साथ–साथ 40221 परिवारों से सम्बन्धित सूचना भी भारत पशुधन ऐप पर सफलतापूर्वक अपलोड की गयी है।

6.1 वर्ष 2023–24 में विभाग द्वारा संचालित योजनाओं, कार्यक्रमों तथा अभियानों का विवरण–

स्वरोजगार परक योजनायें

1– महिला बकरी पालन योजना (राज्य सेक्टर)–परित्यक्ता, विधवा, निराश्रित तथा अकेली रह रही महिलाओं एवं आपदा प्रभावित महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर लाभान्वित किये जाने हेतु एक इकाई जिसमें 03 बकरी एवं 01 बकरा, 100 प्रतिशत अनुदान में उपलब्ध कराये जाने हेतु योजना संचालित की जा रही है, जिसमें वर्ष 2023–24 में कुल 300 महिला लाभार्थियों के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2023 तक 116 महिलाओं को लाभान्वित किया गया है तथा ₹ 105.00 लाख धनराशि अवमुक्त एवं व्यय की गयी।

2– कुक्कुट पालन योजना– अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों को कुक्कुट पालन योजना के माध्यम से इच्छुक लाभार्थियों का चयन कर 50 एक दिवसीय चूजें, 01 माह का राशन व जाली निःशुल्क दी जाती है, जिसमें वर्ष 2023–24 में कुल 13040 इकाईयों के सापेक्ष माह दिसम्बर,

2023 तक 4946 इकाईयाँ स्थापित की जा चुकी है।

3– भेड़ पालन योजना–अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने हेतु एवं पशुपालन को रोजगार के रूप में अपनाने हेतु 10 भेड़ एवं 01 मेढ़ा की एक इकाई 90 प्रतिशत अनुदान में उपलब्ध कराये जाने हेतु योजना संचालित की जा रही है, जिसमें वर्ष 2023–24 में कुल 141 लाभार्थियों के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2023 तक 28 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है।

4– गौ पालन योजना– अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों को आर्थिक रूप से सुदृढ करने एवं पशुपालन को स्वरोजगार के रूप मे अपनाने हेतु चतुर्थ ब्यात या इससे कम ब्यात की दुधारू गाय की इकाई 90 प्रतिशत अनुदान में उपलब्ध कराये जाने हेतु योजना संचालित की जा रही है, जिसमें वर्ष 2023–24 में कुल 886 लाभार्थियों के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2023 तक 420 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है।

5– गौ सदनों की स्थापना– उत्तराखण्ड गौवंश संरक्षण अधिनियम–2007 के अंतर्गत उत्तराखण्ड में 51 मान्यता प्रदत्त गौ सदन है। वर्ष 2023–24 में 45 पंजीकृत गौ सदनों को भरण पोषण मद में ₹ 1915.18 लाख का प्राविधान किया गया है।

6– बकरी पालन योजना– अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों को आर्थिक रूप से सुदृढ करने एवं पशुपालन को स्वरोजगार के रूप में अपनाने हेतु 10 बकरियाँ एवं 01 बकरे की एक इकाई 90 प्रतिशत अनुदान में उपलब्ध कराये जाने हेतु योजना संचालित की जा रही है, जिसमें वर्ष 2023–24 में कुल 1272 लाभार्थियों के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2023 तक 422 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है।

6.1.2 कुक्कुट विकास– वर्ष 2023–24 में 06 राजकीय प्रक्षेत्रों पर ब्रायलर चूजों का उत्पादन कर 8.29 लाख चूजे कुक्कुट पालकों को वितरित किये जा चुके है।

6.1.3 भेड़–बकरी विकास कार्यक्रम– भारत सरकार द्वारा सहायतित नेशनल लाईवस्टाक मिशन योजना के अन्तर्गत स्थानीय भेड़ों की नस्ल सुधार हेतु विदेश (आस्ट्रेलिया) से मेरिनो नस्ल की 199 भेड़ें तथा 41 नर मेढ़े क्रय किये गये है तथा वर्ष माह दिसम्बर 2022 में आस्ट्रेलिया से आयातित मैरीनों भेड़ों से आतिथि तक 407 Pure line एवं 2510 Cross line उच्च गुणवत्ता की संतति प्राप्त हुई है। आयातित मैरीनों के जर्म प्लाज्म को शीघ्रता से व्यापक स्तर पर राज्य के भेड़ पालकों के भेड़ों में प्रसारित करने के उद्देश्य से भेड़ों में Heat Synchronization and Artificial Insemination योजना प्रारम्भ की गयी है।

- **किसान क्रैडिट कार्ड**–

➢ किसान क्रैडिट कार्ड के अन्तर्गत पशुपालक कम ब्याज पर आसानी से ऋण ले सकता है।

➢ इसके अंतर्गत ₹ 50.00 हजार से ₹3.00 लाख तक का ऋण उपलब्ध होता है।

➢ किसान क्रैडिट कार्ड की वजह से किसान अपनी पशुधन का बीमा भी करा सकते है।

➢ इस योजना के अन्तर्गत 70 वर्ष तक कवर प्रदान किया जाता है।

➢ 01 लाख लक्ष्य के सापेक्ष 83 प्रतिशत उपलब्धि इस योजना में प्राप्त कर ली गयी है।

6.1.4 वर्ष 2023–24 में राज्य की अर्थव्यवस्था में रोजगार, आय तथा उत्पादन के संवर्धन हेतु नये निवेशों, तकनीकी तथा नवाचारों हेतु किये गये प्रयासों का विवरण–

1– ए–हैल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम– A-HELP (Accredited Agent for Health and Extension Livestock Production) पशुधन स्वास्थ्य सम्बन्धी मूलभूत आवश्यकताओं तथा पशुधन उत्पादन में वृद्धि के उद्देश्य से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत गठित स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्यों को स्वावलम्बी बनाने और रोजगार प्रदान करने हेतु दिनांक 12 अप्रैल, 2023 को राज्य में ए–हैल्प योजना का शुभारम्भ किया गया। ग्राम्य विकास विभाग से महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को पशुपालन विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता प्रदान करने हेतु प्रशिक्षण उपरान्त गाँव में प्राथमिक सेवायें प्रदान करने का उद्देश्य है। इस योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत पंजीकृत स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्यों को विभिन्न योजनाओं में भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होगा।

मुख्यमंत्री राज्य पशुधन मिशन योजना

- भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय पशुधन मिशन की तर्ज पर राज्य में योजना प्रारम्भ की जा रही है।
- योजना का मुख्य उद्देश्य पशुधन विकास एवं पशुपालन सम्बन्धी गतिविधियों हेतु संसाधनों की मांग व उपलब्धता के अंतर को दूर करना है।
- इस योजना के प्रथम चरण में वित्त वर्ष 2023–24 में उद्यमिता विकास घटक में लक्ष्यानुसार इकाईयां स्थापित की जानी प्रस्तावित है।
- "मुख्यमंत्री राज्य पशुधन मिशन" योजनान्तर्गत उद्यमिता विकास घटक में लघु, बड़े पशुओं तथा कुक्कुट विकास सम्मिलित है।
- इस योजना के अंतर्गत बैंको के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाकर 90 प्रतिशत ब्याज मुक्त ऋण (Interst Subvention) इस योजना में दिया जाना प्रस्तावित है।
- लाभार्थी द्वारा लिये गये ऋण की बैंक को पुर्नभुगतान की अवधि 03 वर्ष होगी।

2– **राष्ट्रीय पशुरोग नियन्त्रण कार्यक्रम**– वर्ष 2023–24 में 44.00 लाख गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं में खुरपका मुँहपका रोग के नियन्त्रण हेतु तथा माह दिसम्बर, 2023 तक 18.82 लाख पशुओं में टीकाकरण किया गया है।

3– **पशुधन बीमा योजना**– नेशनल लाईवस्टॉक मिशन रिस्क मेनेजमेन्ट एण्ड इंश्योरेंस योजनान्तर्गत राज्य के समस्त जनपदों में पशुधन बीमा योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के संचालन के लिए ओरियन्टल इंश्योरेंस कम्पनी, देहरादून एवं हिन्दुस्तान इंश्योरेंस ब्रोकर लि0 नई दिल्ली के साथ अनुबन्ध किया गया है। इस योजनान्तर्गत वर्ष 2023–24 के लिए निर्धारित 1.90 लाख एनिमल यूनिट बीमा के लक्ष्यों के सापेक्ष वर्तमान तक 78892 पशुओं का बीमा किया जा चुका है।

4– **पशु प्रजनन फार्म कालसी**– पशु प्रजनन फार्म, कालसी में 605 गोवंशीय (500 गाय, बछिया एवं 105 सांड/नर बछड़े) का प्रबन्धन किया जा रहा है। पशु प्रजनन फार्म कालसी में राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजनान्तर्गत देशी नस्ल की गायों के सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है, जिसमें रेड सिन्धी, साहिवाल एवं गिर नस्ल के पशुओं का संरक्षण एवं संवर्धन भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक के माध्यम से किया जा रहा है।

5– भारत सरकार द्वारा उत्तराखण्ड लाईवस्टॉक डेवलपमेन्ट बोर्ड को ब्राजील से रेड सिन्धी व गिर पशुओं के जर्मप्लाज्म के आयात हेतु राष्ट्रीय नोडल एजेन्सी नामित किया गया है।

6– पशु प्रजनन क्षेत्र नरियाल गांव– पशु प्रजनन क्षेत्र नरियाल गांव चम्पावत, में 417 बद्री नस्ल के गौ वंशीय पशुओं (381 गाय, बछियाँ एवं 36 सांड/नर बछड़े) का प्रबन्धन किया जा रहा है। फार्म में बद्री नस्ल के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए अतिहिमीकृत वीर्य एवं लिंग वर्गीकृत वीर्य का उपयोग किया जा रहा है।

7– गोट वैली की स्थापना– राज्य में बकरी पालन को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से दिनांक 16 नवम्बर, 2022 को गोट वैली परियोजना आरम्भ की गयी। प्रथम चरण में जनपद बागेश्वर व जनपद रूद्रप्रयाग में इस परियोजना को प्रारम्भ किया गया है। एक वैली के अंतर्गत न्यूनतम 100 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाना है। इस हेतु ₹30000 निर्धारित किया गया है। वर्तमान में 13 जनपदों में कुल 15 गोट वैली संचालित की जा रही है।

8– राष्ट्रीय पशुधन मिशन–उद्यमिता विकास योजना– पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार की राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजनान्तर्गत (उद्यमी विकास परियोजना) भेड़, बकरी, सूकर, कुक्कुट एवं साईलेज उत्पादन की योजनाओं में 50 प्रतिशत कुल पूंजीगत परियोजना लागत का अनुदान भारत सरकार द्वारा दिया जा रहा है।

9– कुक्कुट वैली की स्थापना– राज्य सेक्टर योजनान्तर्गत समस्त जनपदों में कुक्कुट विकास हेतु कुक्कुट वैली की स्थापना की जा रही है। इसके अन्तर्गत 250 पक्षी क्षमता के लो इनपुट टैक्नोलोजी के प्रक्षेत्रों की स्थापना की जा रही है। वर्तमान में यह योजना राज्य के 10 जनपदों में संचालित की जा रही है, जिससे 4000 लाभार्थी लाभान्वित हो रहे हैं।

10– ब्रायलर फार्म की स्थापनाः– इस योजना के अन्तर्गत समस्त 13 जनपदों में 500 ब्रायलर पक्षी की क्षमता वाले 1333 फार्म संचालित किये जा रहे हैं, प्रत्येक फार्म 6 बैचों में 3000 पक्षी पालेगा व प्रत्येक फार्म को संचालित करने के लिये ₹60,000 सब्सिडी दी जायेगी। शेष धनराशि लाभार्थी स्वयं या लोन द्वारा वहन करेगा। माह दिसम्बर, 2023 तक 1000 ब्रायलर फार्म के सापेक्ष 338 की स्थापना की गयी है।

तालिका सं0–6.1
उत्तराखण्ड राज्य में पशुजन्य उत्पादों की उपलब्धि

वर्ष	दुग्ध उत्पादन (हजार टन)	अण्डा उत्पादन (लाख संख्या)	मांस उत्पादन (लाख कि0ग्रा0)	ऊन उत्पादन (हजार कि0ग्रा0)
2017–18	1742	4208	294	564
2018–19	1792	4532	292	552
2019–20	1845	4786	253	497
2020–21	1194	3221	117	215
2021–22	2254	5007	320	526
2022–23	1859	5413	21.24	452

स्रोतः पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड

चार्ट 6.1

उत्तराखण्ड राज्य में पशुजन्य उत्पादों की उपलब्धि

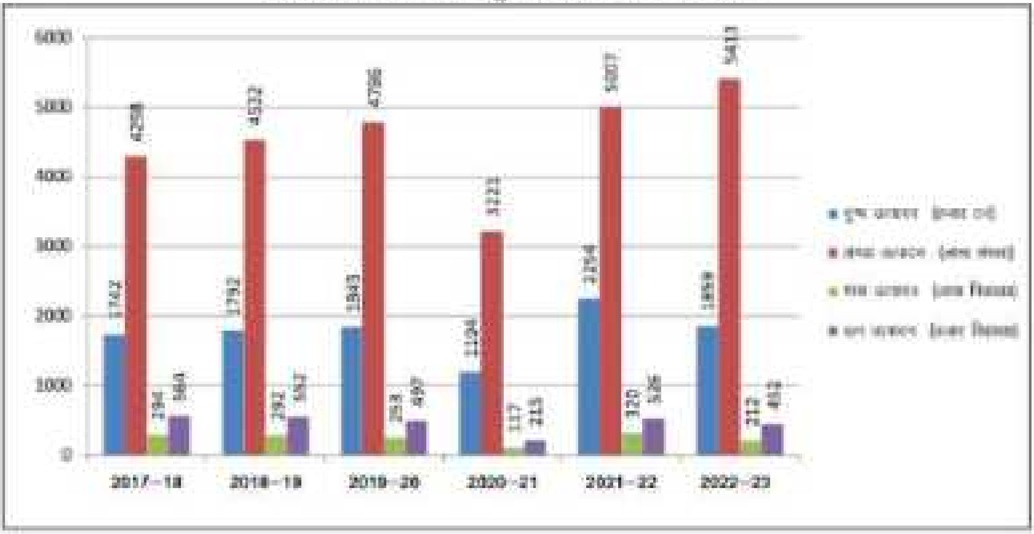

स्रोत: पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड

तालिका 6.2

राज्य का दुग्ध उत्पादन में अंशदान

क्र0 सं0	उत्पादन	उत्पादन				राज्य का अंश (प्रतिशत)
		2020–21	2021–22			
		उत्तराखण्ड	उत्तराखण्ड	हिमाचल प्रदेश	भारत	
1	दुग्ध उत्पादन (हजार मी0टन)	1856	1859	1617	230577	0.81
2	अण्डा उत्पादन (लाख में)	5137	5413	914	1383763	0.39
3	ऊन उत्पादन (हजार कि0ग्रा0 में)	443	452	1435	33615	1.34
4	मांस उत्पादन (हजार टन)	18.43	2124	543	9768.64	0.22

स्रोत– पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड।

1– **अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन**– राज्य के श्यामपुर (देहरादून) में स्थित अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र का सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण किया गया है। केन्द्र में सांडों का रख–रखाव, अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन और देय सुविधाओं की गुणवत्ता भारत सरकार के मिनीमम स्टैण्डर्ड प्रोटोकॉल के अनुसार प्रबन्धित की जा रही है। यह लैब आईएसओ 9001–2015 मानक प्राप्त है। अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र को भारत सरकार की सेन्ट्रल मॉनिटरिंग यूनिट द्वारा ए ग्रेड दिया गया है। वर्ष 2023–24 तक के लिए निर्धारित 15.00 लाख वीर्य स्ट्रा उत्पादन लक्ष्य के सापेक्ष माह दिसम्बर 2023 तक 9.13 लाख वीर्य स्ट्रा का उत्पादन करते हुए 7.49 लाख वीर्य स्ट्रा का वितरण किया गया।

2– **लिंग वर्गीकृत वीर्य (सेक्स सॉर्टेड सीमन) उत्पादन**– राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजनान्तर्गत लिंग वर्गीकृत वीर्य के उत्पादन हेतु अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र, श्यामपुर–ऋषिकेश में देश के राजकीय क्षेत्र में प्रथम लिंग वर्गीकृत वीर्य उत्पादन प्रयोगशाला

(Sex Sorting Semen Production Laboratory) की स्थापना की गई है। प्रयोगशाला द्वारा मार्च 2019 से लिंग वर्गीकृत वीर्य का उत्पादन प्रारम्भ किया गया है। वर्ष 2023–24 तक के लिए निर्धारित 3.00 लाख लिंग वर्गीकृत वीर्य स्ट्रा उत्पादन लक्ष्य के सापेक्ष माह दिसम्बर 2023 तक 3.24 लाख वीर्य स्ट्रा का उत्पादन करते हुए 2.76 लाख वीर्य स्ट्रा का वितरण किया गया।

3– कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम– वर्ष 2023–24 तक के लिए निर्धारित 100 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों को खोले जाने के लक्ष्य के सापेक्ष वर्तमान तक 87 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र खोले गये।

- 1733 कार्यरत कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों द्वारा वर्ष 2023–24 तक के लिए निर्धारित 8.00 लाख कृत्रिम गर्भाधान लक्ष्यों के सापेक्ष माह दिसम्बर 2023 तक 3.89 लाख कृत्रिम गर्भाधान किये गये, जिससे 1.54 लाख संतति उत्पन्न हुई है।

- लिंग वर्गीकृत वीर्य (SSS) वर्ष 2023–24 तक के लिए निर्धारित 3.00 लाख कृत्रिम गर्भाधान लक्ष्यों के सापेक्ष माह दिसम्बर 2023 तक 1.36 लाख कृत्रिम गर्भाधान किये गये, जिससे 18484 संतति उत्पन्न हुई, जिसमे 17150 संतति मादा है। इस प्रकार कुल उत्पन्न संतति में मादा संतति का प्रतिशत 92.78 रहा है।

4–कृत्रिम गर्भाधान हेतु बायफ केन्द्रों का संचालन– इन केन्द्रों के माध्यम से आजीविका संवर्धन के लिए उन्नत नस्ल के पशु उत्पादित करना एवं पशुपालकों के लिये रोजगार, आय और पोषण सुगम करना है। इसके साथ ही वंचित और सामाजिक रूप से पिछड़े तथा निर्धन परिवारों को रोजगार सृजन और लघु डेयरी उद्यम को बढ़ावा देना है। माह दिसम्बर, 2023 तक बायफ केन्द्रों के 25 नये केन्द्रों सहित कुल 87 केन्द्र है, जिसके अंतर्गत 5982 कृत्रिम गर्भाधान किये गये है।

5–मोबाईल वेटरनरी यूनिट (MVU):– दिनांक 16 नवम्बर, 2022 को भारत सरकार की मोबाईल वेटनेरी यूनिट (MVU) योजनान्तर्गत 60 मोबाईल वेटनरी वाहनों का लोकार्पण किया गया है। भारत सरकार की सहायता से 60 मोबाईल वेटनरी यूनिट (वैन) के माध्यम से पशुपालक के द्वार पर पशुचिकित्सा, टीकाकरण, रोग परीक्षण आदि सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। पशुपालकों की सुविधा हेतु विभागीय हेल्पलाइन नम्बर (1962) प्रारम्भ किया गया है।

6.2 दुग्ध विकास (DAIRY DEVELOPMENT):-

भूमिका:– दुग्धशाला विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत जहां एक ओर ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादकों की दुग्ध सहकारी समितियां गठित करते हुये उन्हें उनके द्वारा उत्पादित दुग्ध की वर्ष पर्यन्त उचित दर पर विपणन की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। वहीं दूसरी ओर नगरीय उपभोक्ताओं, पर्यटकों एवं तीर्थ यात्रियों तथा विभिन्न संस्थाओं को उचित दर पर शुद्ध एवं उत्तम गुणवत्ता का दूध व दुग्ध पदार्थों **"आँचल ब्राण्ड"** की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। विभाग द्वारा दुग्ध उत्पादन को स्वरोजगार के रूप में स्थापित करने, ग्रामीण स्तर पर मानव शक्ति का पलायन रोकने, उत्तराखण्ड के आर्थिक विकास में महिलाओं की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने एवं विशेषकर भूमिहीन, लघु एवं सीमांत कृषकों व दुग्ध उत्पादकों को बिचौलियों के शोषण से मुक्त कराने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त दुग्ध उत्पादन में सतत् वृद्धि करने हेतु तकनीकी निवेश कार्यक्रम अन्तर्गत दुग्ध उत्पादकों को नवीनतम तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम, रियायती दर पर संतुलित पशु आहार, पशु स्वास्थ्य एवं चारा विकास सम्बन्धी सेवायें ग्राम स्तर पर प्रदान की जा रही है।

6.2.1 डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड के माध्यम से संचालित की जा रही योजनाओं का विवरण:– विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में **नई दुग्ध समितियों के गठन हेतु सहायता** तकनीकी निवेश कार्यक्रम पशु औषधि, डिवार्मिंग एवं पशु टीकाकरण, आपातकालीन पशु चिकित्सा, पर्यवेक्षण इकाई एवं दुग्ध समितियों में अवस्थापना विकास कार्यक्रम सम्मिलित है। **नई दुग्ध समितियों के गठन हेतु सहायता** के अंतर्गत प्रत्येक समिति के लिए प्रथम वर्ष में ₹ 76200, द्वितीय वर्ष में ₹12,000 एवं तृतीय वर्ष में ₹5,300 तथा कुल ₹93,500 प्रदान की जा रही है ।

पशु औषधि, डिवार्मिंग एव पशु टीकाकरण के अंतर्गत सुविधाएँ उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुदान की धनराशि का निम्नवत् प्राविधान किया गया है–

(2.1) पशु औषधि– ₹150.00 प्रति पशु।

(2.2)डिवार्मिंग– ₹ 60.00 प्रति पशु।

(2.3) पशु टीकाकरण– ₹ 20.00 प्रति पशु ।

आपातकालीन पशु चिकित्सा एवं पर्यवेक्षण इकाई के अंतर्गत आपातकालीन पशु चिकित्सा एवं फील्ड पर्यवेक्षक इकाई हेतु ₹ 11.76 लाख प्रति यूनिट की दर निर्धारित की गयी है। एक वित्तीय में वर्ष 2 से अधिक आपातकालीन चिकित्सा एवं पर्यवेक्षण इकाई प्रस्तावित नहीं की जायेगी।

6.2.2 स्वच्छ दुग्ध उत्पादन हेतु विभाग द्वारा निम्न योजनायें संचालित की जा रही है :–

1. पशुशाला :– स्वच्छ दुग्ध उत्पादन हेतु चयनित दुग्ध समितियों में पशुशाला निर्माण कराया जायेगा। 1 पशु एवं 1 बछड़े हेतु 60 वर्ग फुट एरिया की आवश्यकता होती है। पशुशाला निर्माण हेतु ₹ 250 प्रति वर्ग फुट की दर से ₹ 15000 की आवश्यकता होगी, जिसके सापेक्ष ₹ 12000 अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया जायेगा।

2. पशु नाद एवं पशु चरी व्यवस्था :– दुधारु पशुओं को खिलाये जाने वाले चारे की हानि को कम करने तथा स्वच्छ दुग्ध उत्पादन हेतु पशु नाद का निर्माण कराया जायेगा। उन स्थानों पर जहां पशु नाद निर्माण हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध न हो वहां दुग्ध उत्पादकों को पशु चरी क्रय कर उपलब्ध करायी जायेगा। पशु नाद निर्माण ₹ 4000 अनुदान दिया जायेगा तथा पशु चरी हेतु ₹ 2.500 अनुदान के रुप में उपलब्ध कराया जायेगा।

3. स्वच्छ दुग्ध उत्पादन किट वितरण :– दुग्ध समिति सदस्यों को स्वच्छ दुग्ध उत्पादन करने हेतु प्रेरित एवं प्रशिक्षित करना अत्यन्त आवश्यक है। इस हेतु समिति सदस्यों को स्वच्छ दुग्ध उत्पादन किट जिसमें नेलकटर, अंडर स्प्रे, डिटोल, साबुन, तौलिया, मैसटाइटिस स्ट्रिप, फिनाइल, आदि सम्मिलित होगा, वितरित की जायेगी। स्वच्छ दुग्ध उत्पादन किट हेतु ₹ 700 प्रति किट की दर से अनुदान उपलब्ध किया जायेगा।

दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन :– जनपद में दुग्ध समितियों के माध्यम से अधिकतम दूध उपलब्ध कराने वाले दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहित किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। इस हेतु प्रत्येक त्रैमास में दुग्ध मार्गवार कार्यक्रम आयोजित कर दुग्ध मार्ग में अधिकतम प्रति लीटर दूध मूल्य प्राप्त करने वाले दुग्ध उत्पादकों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार हेतु क्रमशः ₹2000, ₹ 1500 एवं ₹ 1000 अनुदान प्रदान किये जायेंगे।

तालिका सं0– 6.3

दुग्ध समितियों की संख्या (माह दिसम्बर, 2023 तक)

क0सं0	जनपद का नाम	जनपदवार दुग्ध समितियों की संख्या माह दिसम्बर, 2023 तक	जनपदवार महिला दुग्ध समितियों की संख्या
1	नैनीताल	603	142
2	ऊधमसिंह नगर	431	114
3	अल्मोड़ा	233	101
4	बागेश्वर	59	103
5	पिथौरागढ़	211	115
6	चम्पावत	217	74
7	देहरादून	188	94
8	हरिद्वार	246	96
9	टिहरी	71	103
10	उत्तरकाशी	81	101
11	चमोली	75	110
12	रूद्रप्रयाग	38	61
13	पौड़ी गढ़वाल	122	90
	कुल योग	2575	1304

स्रोत: डेयरी विभाग, उत्तराखण्ड

5.डेरी विकास योजनाः– योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 में ₹ 620.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी, जिसके सापेक्ष माह 31 दिसम्बर, 2023 तक ₹ 473.39 लाख की धनराशि उपयोग की गयी।

तालिका 6.4

दुग्ध बिक्री वर्ष 2019 से माह दिसम्बर, 2023 तक औसत दैनिक प्रगति विवरण (ली0 में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24 माह दिसम्बर, 2023 तक
1	नैनीताल	86572	84410	84799	85409	83638
2	ऊधमसिंह नगर	28500	21649	20980	21605	19420
3	अल्मोड़ा एवं बागेश्वर	10206	10037	10461	9621	9469
4	पिथौरागढ़	5564	5564	5053	5419	5872
5	चम्पावत	3290	4246	5189	9246	7938
6	देहरादून	20349	17149	16504	16760	17075
7	हरिद्वार	8135	7930	7133	6015	6750
8	उत्तरकाशी	1249	1256	1291	1304	1337
9	टिहरी	720	156	422	298	470
10	पौड़ी गढ़वाल एवं रूद्रप्रयाग	2332	7910	1337	2289	2333
11	चमोली	2297	232	2481	2093	1800
	कुल योग	**168585**	**156553**	**156075**	**160188**	**156102**

स्रोत: डेयरी विभाग, उत्तराखण्ड

तालिका सं0– 6.5

गत वर्षों के सापेक्ष दुग्ध उत्पादन की प्रगति

क्र0सं0	वर्ष	उत्पादन (कि0ग्रा0)
1	2018–19	204288
2	2019–20	183489
3	2020–21	189026
4	2021–22	201092
5	2022–23	185161
6	2023–24 (दिसम्बर, 2023 तक)	171096

स्रोत: डेयरी विभाग, उत्तराखण्ड

चार्ट–6.1

राज्य दुग्ध उत्पादन की प्रगति (किलो0ग्राम)

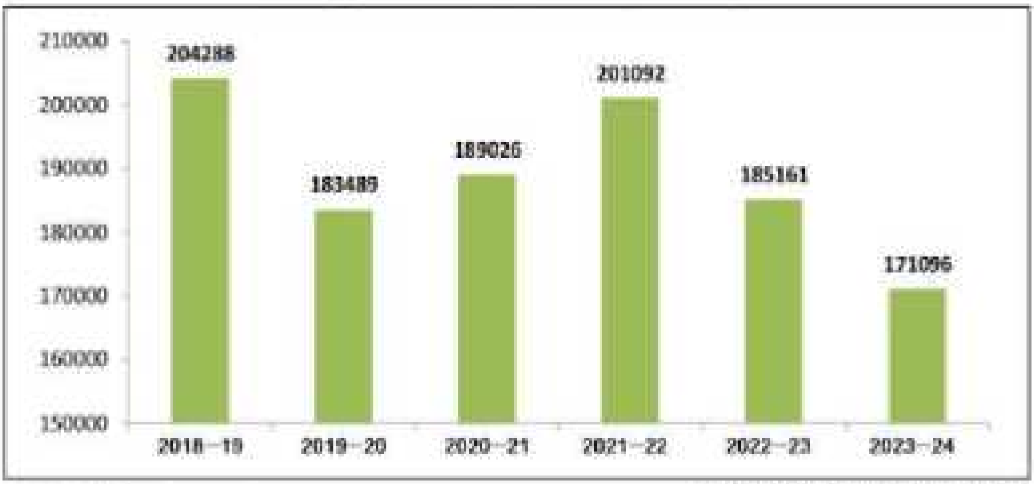

स्रोत: डेयरी विभाग, उत्तराखण्ड

(वर्ष 2023–24 के माह दिसम्बर 23 तक)

6.2.3 बद्री गाय दूध एवं घी के सम्बन्ध में संक्षिप्त विवरण–

- ➢ उच्च हिमालयी क्षेत्र में पायी जाने वाली राज्य की बद्री गाय को आनुवांशिक संशोधन ब्यूरो द्वारा 40 वी भारतीय (स्वदेशी) नस्ल की गाय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

- ➢ बद्री गाय के दूध एवं घी में एन्टी आक्सीडेन्ट एवं ओमेगा–3 प्रचुर मात्रा में पाये जाते है जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है एवं हृदय सम्बन्धी रोगो से बचाव करता है।

- ➢ प्रदेश अन्तर्गत जनपद चमोली के जोशीमठ एवं देहरादून के लाखामण्डल क्षेत्र में डेरी विभाग द्वारा संचालित डेरी ग्रोथ सैन्टर के माध्यम से संग्रहित बद्री गायो के दूध से बद्री गाय घी का निर्माण कराया जा रहा है जो पूर्णतः पारम्परिक (Indigenious) अर्थात बिलौना विधि से तैयार किया जा रहा है।

- ➢ उपरोक्त संचालित ग्रोथ सैन्टर के माध्यम से लगभग 250 महिला दुग्ध उत्पादक सदस्य लाभान्वित हो रही है जिन्हे दुग्ध मूल्य के अतिरिक्त रू0 5 से 6 प्रति ली0 अतिरिक्त

भुगतान किया जा रहा है। इस प्रकार दुग्ध उत्पादकों को बद्री गाय के दूध पर प्रति ली0 रू0 56 से 58 दुग्ध मूल्य भुगतान प्राप्त हो रहा है।

➢ वर्तमान में बद्री गाय के दूध से लगभग 500 ली0 प्रति माह घी निर्मित किया जा रहा है। बद्री घी 180 मिली0, 500 मिली0 तथा 1000 मिली0 के पैक में विक्रय किया जा रहा है, जिसका विक्रय मूल्य ₹ 2500 प्रति ली0 है।

सफलता की कहानी
दुग्ध उत्पादन

महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति हरिपुर कुवरसिंह, की अध्यक्षा / संचालक मंडल सदस्य दुग्ध संघ लालकुआं की सदस्या श्रीमती दीपा बिष्ट बताती हैं कि हमारे गांव में महिला समिति का गठन किया गया। दुग्ध समिति खुलने से पूर्व हमारे गांव में दुधिया आता था हम लोग दुधिया को दूध देते थे जो दूध की कीमत अपने मन माफिक तय करता था तथा कई बार दुधिया के द्वारा दूध के पूरे पैसे भी नही दिये जाते थे। आज दुग्ध समिति खुलने से हमें हमारे दूध की गुणवत्ता के आधार पर दूध का रेट मिल रहा है। पहले हमारा दूध ज्यादा होने पर दुधिया द्वारा नही लिया जाता था, जिससे हमारे दूध की बरबादी होती थी। दुधिया द्वारा दूध की नापतोल भी सही से नही की जाती थी तथा पूरा पैसा भी नही दिया जाता था। आज दुग्ध समिति खुलने से इन समस्याओं से मुक्ति मिल गई है। हमारे गांव में समिति खुलने से सब महिलायें खुश हैं, महिला समिति खुलने से हमारी समिति में सम्पूर्ण भागीदारी महिलाओं की है। हम जो भी काम करते हैं, स्वयं निर्णय लेते हैं।

आज हमें सरकार से 4 ₹ प्रति ली0 दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन धनराशि व साइलेज पर 75 प्रतिशत अनुदान, भूसा व मिनरल मिक्सचर पर 50 प्रतिशत, गंगा गाय महिला डेरी सम्बद्ध राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना अन्तर्गत दुधारू पशु इकाई स्थापना हेतु 75 प्रतिशत अनुदान, मिल रहा है। डेरी विभाग ही एक ऐसा विभाग है जो महिलाओं को हर मंच पर आगे बढ़ने का मौका देता है। पहले मैं 02 गाय पालती थी जिसका मात्र 10 ली0 दूध ही उपार्जित होता था। आज दुग्ध समिति खुलने से अपना दुग्ध व्यवसाय बढ़ाने का मौका मिला, जिससे आज मेरे घर में खपत के बाद समिति में 150–180 ली0 तक दूध जाता है। मेरा प्रतिमाह ₹ 1,80,000 से ₹ 2,00000 तक का भुगतान बनता है, जिससे मेरी आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार हुआ है।

मेरी समिति की सारी महिलायें प्रतिमाह बैठक में प्रतिभाग करती हैं। समिति के सभी निर्णय स्वयं लेती है, महिलायें समिति निर्वाचन में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। आज हमें अपनी बात रखने का अपने ही गांव में एक मंच मिला है। डेरी विभाग के माध्यम से महिला समिति खुलने के पश्चात् मेरा आर्थिक व सामाजिक रूप से बहुत विकास हुआ है। साथ ही समस्त निर्णय लेना, नेतृत्व क्षमता का भी विकास हुआ है, जिससे हम सभी उत्पादक महिलायें स्वावलम्बी बन गयी हैं।

6.2.4 ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध सहकारिताओं का सुदृढ़ीकरण– इस योजनान्तर्गत निम्नलिखित कार्यक्रम चलाये जायेंगे–

(1) तकनीकी निवेश कार्यक्रम– तकनीकी निवेश कार्यक्रमों में मद अन्तर्गत, (विविध व्यय मद एवं सहायक निदेशक हेतु फील्ड पर्यवेक्षण मद को छोड़कर) समिति स्तर से दुग्ध उत्पादकों को

वर्गवार (सामान्य, एस०सी०एस०पी० व टी०एस०पी०) वितरित किये गये अनुदान के अभिलेखों की छायाप्रति संघ द्वारा सहायक निदेशक को अनुदान मांग के साथ प्रेषित की जायेगी, जिसके आधार पर सहायक निदेशक द्वारा अनुदान राशि का वितरण किया जायेगा।

(2) संतुलित पशु आहार अनुदान– दुग्ध उत्पादन में वृद्धि तथा दुधारू पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल हेतु उन्हें नियमित रूप से संतुलित पशु आहार खिलाना अति आवश्यक है। अतः दुग्ध उत्पादकों को इस हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा, कि वे अपने दुधारू पशुओं को आवश्यकतानुसार संतुलित पशु आहार खिलायें। इस हेतु अनुदान की व्यवस्था निम्नवत् निर्धारित है–

संतुलित पशु आहार अनुदान की दर–

मैदानी क्षेत्र हेतु दर ₹ 4.00 / किग्रा०

पर्वतीय क्षेत्र हेतु दर ₹ 6.00 / किग्रा०

(3) कॉम्पैक्ट फीड ब्लाक अनुदानः– वर्ष पर्यन्त, विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में, चारे की पर्याप्त उपलब्धता न होने के कारण दुधारू पशुओं को निर्धारित मात्रा में पोषण उपलब्ध नहीं हो पाता है। इस हेतु दुग्ध उत्पादकों को रियायती दरों पर कॉम्पैक्ट फीड ब्लाक उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है। कॉम्पैक्ट फीड ब्लाक दुग्ध उत्पादकों को 50 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) हैडलोड अनुदानः– पर्वतीय क्षेत्र में दुग्ध उत्पादन अत्यन्त कम है तथा अधिकांश ग्राम छितरे हुए व सड़क से दूर स्थित है। अतः दुग्ध समितियों में संग्रहित दूध प्रतिदिन रोड हैड तक पहुँचाने में व्यवहारिक कठिनाई आती है। दुग्धशालाएं अपने संसाधनों से इतना व्यय करने की स्थिति में नही है कि वे हैडलोडर को पर्याप्त भुगतान कर सकें। ऐसी परिस्थिति में दुग्ध विकास कार्यक्रमों को सुदूर स्थित ग्रामों तक पहुँचाने में कठिनाई आ रही है। अतः जिन दुग्ध समितियों द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे दूध में कुल ठोस (Total Solid) 11.00 प्रतिशत अथवा इससे अधिक होगा, मात्र उन ही दुग्ध समितियों को हैडलोड अनुदान उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव निम्नवत् किया गया है:–

1. मैदानी क्षेत्र हेतु– 25 पैसा प्रति लीटर / किमी०
2. पर्वतीय क्षेत्र हेतु– 75 पैसा प्रति लीटर / किमी०

(5) दुग्ध समितियों में अवस्थापना विकासः– जिला योजनान्तर्गत दुग्ध सहकारी समितियों में अवस्थापना विकास के अन्तर्गत दुग्ध कक्ष एवं भूसा गोदाम का निर्माण कार्य नियत माप एवं नक्शे के अनुरूप, उत्तराखण्ड शासन द्वारा अधिकृत कार्यदायी संस्था/निर्माण एजेंसी "उत्तराखण्ड सहकारी डेरी फेडरेशन लि0, हल्द्वानी" द्वारा करवाया जायेगा। जिला योजना अन्तर्गत सम्बन्धित मद का प्रस्ताव चयनित दुग्ध समिति की प्रबन्ध कमेटी द्वारा सुसंगत प्रस्ताव पारित होने के पश्चात् ही रखा जायेगा।

दुग्ध कक्ष निर्माण–मैदानी क्षेत्र दर– ₹ 4.65 लाख प्रति।

पर्वतीय क्षेत्र दर–₹ 5.15 लाख प्रति।

भूसा गोदाम निर्माण :–

(1) मैदानी क्षेत्र हेतु– ₹ 5.15 लाख प्रति।

(2) पर्वतीय क्षेत्र हेतु– ₹ 5.65 लाख प्रति।

(6) डी0पी0एम0सी0यू0 एवं वेईंग मशीन सहित मिल्क एनालाईजर स्थापनाः–दुग्ध योजनाओं के आधुनिकीकरण, हेतु दुग्ध समितियों में डी0पी0एम0यू0 एवं वेईंग मशीन सहित मिल्क एनालाईजर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। पर्वतीय क्षेत्र में 50 लीटर तथा मैदानी क्षेत्र में 100 लीटर से ऊपर दैनिक दुग्ध उपार्जन करने वाली दुग्ध समितियों को डी0पी0एम0यू0 एवं वेईंग मशीन सहित मिल्क एनालाईजर की स्थापना हेतु ₹ 90,000/– प्रति समिति की दर से अनुदान दिया जायेगा। दुग्ध समितियों के चयन उपरान्त ही सम्बन्धित मद अन्तर्गत धनराशि का प्रस्ताव किया जायेगा।

(7) मैनुअल फैट टैस्टिंग मशीन की व्यवस्थाः–

उन दुग्ध समितियों में जहां मैनुअल फैट टैस्टिंग मशीन (गर्बर सैन्टीफ्यूगल मशीन) खराब हो गयी हो, वहां नयी फैट टैस्टिंग मशीन उपलब्ध करायी जायेगी। फैट टैस्टिंग मशीन हेतु ₹ 3000/– प्रति दुग्ध समिति की दर से अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा।

(8) इलैक्ट्रिकल फैट टैस्टिंग मशीन (मोटर चलित):– ऐसी दुग्ध समितियों जिसमें दुग्ध उत्पादक सदस्य अधिक हो तथा मैनुअल फैट टैस्टिंग मशीन द्वारा कार्य करने में असुविधा हो रही हो वहां इलैक्ट्रिकल फैट टैस्टिंग मशीन, मोटर चलित (गर्बर सैन्टीफ्यूगल मशीन) उपलब्ध करायी जायेगी। मोटर चलित फैट टैस्टिंग मशीन हेतु ₹ 5,000/– प्रति दुग्ध समिति की दर से अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा।

(9) मैनुअल चैपकटर:– दुग्ध उत्पादकों को अपने पशुओं हेतु कटा हुआ हरा चारा खिलाने के लिये प्रोत्साहित किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। इस हेतु दुग्ध उत्पादकों को चैपकटर उपलब्ध कराया जायेगा। प्रति मैनुअल चैप कटर की दर ₹ 6,000/– निर्धारित की गयी है, जो कि दुग्ध उत्पादक सदस्यों को 75:25 के अनुपात में उपलब्ध कराया जायेगा, जिसमें रू0 4500 अनुदान ₹ 1500 लाभार्थी अंश रहेगा।

(10) इलैक्ट्रिकल चैपकटर (मोटर सहित):– दुग्ध उत्पादकों को अपने पशुओं हेतु कटा हुआ हरा चारा खिलाने के लिये प्रोत्साहित किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। इस हेतु दुग्ध उत्पादकों को अधिक चारे को काटने हेतु इलैक्ट्रिकल चैपकटर उपलब्ध कराया जायेगा, जो मोटर चलित होगा। प्रति मोटर चलित चैपकटर ₹ 10,000/– की दर निर्धारित की गयी है, जो कि दुग्ध उत्पादक सदस्यों को 50:50 के अनुपात में उपलब्ध कराया जायेगा। जिसमें ₹ 5000 अनुदान तथा ₹ 5000 लाभार्थी अंश रहेगा।

(11) मिल्किंग मशीन– दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के दुग्ध उत्पादक सदस्यों को दूध के दुहान में सुगमता के दृष्टिगत सिंगल बकेट एवं डबल बकेट मिल्किंग मशीन 75 प्रतिशत अनुदान व शेष 25 प्रतिशत लाभार्थी अंश के साथ उपलब्ध कराई जायेगी। इस हेतु प्रति सिंगल बकेट मिल्किंग मशीन की कीमत ₹ 88000/– व प्रति डबल बकेट मिल्किंग मशीन की कीमत ₹ 116000/– निर्धारित की गयी है, जो दुग्ध उत्पादक सदस्यों को 75 प्रतिशत अनुदान व 25 प्रतिशत लाभार्थी अंश के साथ उपलब्ध कराई जायेगी। इस प्रकार सिंगल बकेट मिल्किंग मशीन पर ₹ 66000 अनुदान व ₹ 22000 लाभार्थी अंश तथा डबल बकेट मिल्किंग मशीन पर ₹ 87000 अनुदान व ₹ 29000 लाभार्थी अंश होगा।

6.2.5 दुग्ध गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रोत्साहन कार्यक्रम:–

(1) उपभोक्ताओं हेतु जागरूकता कार्यक्रम:– दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों में हो रहे विभिन्न प्रकार के अपमिश्रणों की जानकारी, उनकी जांच तथा होने वाले दुष्परिणामों के प्रति उपभोक्ताओं को जागरूक किया जाना अत्यन्त आवश्यक है, इस हेतु विभिन्न महत्वपूर्ण स्थलों पर अस्थाई स्टाल अथवा कैम्प लगाकर उपभोक्ताओं को उक्त जानकारियां उपलब्ध करायी जायेगी। इन कैम्पों के माध्यम से दुग्ध उपभोक्ताओं को दूध की गुणवत्ता के साथ–साथ उसमें हो रहे अपमिश्रण की जानकारी तत्काल उपलब्ध करायी जायेगी। प्रति कैम्प ₹7000/– अनुदान दिया जायेगा, जिसमें प्रचार–प्रसार, रसायन तथा आवर्ती व्यय आदि सम्मिलित होगें।

(2) दुग्ध उपार्जन परिवहन हेतु अनुदान– दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के माध्यम से उपार्जित दूध को दुग्ध संघ की मुख्य दुग्धशाला एवं दुग्ध अवशीतन केन्द्र तक प्रतिदिन परिवहन किया जाता है। दुग्ध उपार्जन परिवहन में लगे वाहनों का भुगतान संस्था द्वारा किया जाता है, परन्तु संस्थाओं की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ न होने के कारण दुग्ध संघ अपने संसाधनों से दुग्ध उपार्जन में लगे वाहनों का सम्पूर्ण भुगतान करने की स्थिति में नही है। अतः इस हेतु दुग्ध संघ द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों

के माध्यम से उपार्जित दूध को दुग्ध संघ की मुख्य दुग्धशाला एवं दुग्ध अवशीतन केन्द्र तक परिवहन किये जाने में हो रहे कुल व्यय का 50 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) बछिया पालन हेतु अनुदान– प्रदेश की महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य अन्तर्गत संचालित दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों की महिला सदस्यों को 06 माह की बछिया के क्रय करने हेतु अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा, साथ ही उसके 01 वर्ष के पालन हेतु चारे दाने की प्रतिपूर्ति के लिये भी अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा। मद अन्तर्गत 01 लाभार्थी को अधिकतम 02 बछिया हेतु अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा।

इस प्रकार बछिया पालन हेतु निम्नानुसार अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा–

(3.1) बछिया के क्रयार्थ अनुदान–₹ 10,000/– प्रति बछिया

(3.2) बछिया के 01 वर्ष के चारे दाने की प्रतिपूर्ति हेतु अनुदान– ₹ 20,000/– प्रति बछिया

6.3 मत्स्य (Fisheries):– मात्स्यिकी क्षेत्र खाद्य और पोषण सुरक्षा के साथ–साथ मत्स्य पालकों की आर्थिक समृद्धि और भलाई में योगदान दे रहा है तथा जनसमान्य हेतु रोजगार के सुअवसर प्रदान कर रहा है। उत्तराखण्ड राज्य में जल एवं वन मुख्य प्राकृतिक संसाधन है। औसतन 70 प्रतिशत जनसंख्या जीवकोपार्जन हेतु कृषि एवं कृषि से सम्बन्धित कार्य यथा पशुपालन, डेयरी, मत्स्य आदि पर निर्भर करती है। राज्य में मत्स्य पालन हेतु उपलब्ध जल क्षेत्रों के अन्तर्गत नदियों के रूप में 2686 कि0मी0, वृहद जलाशयों के रूप में 20587 हैक्टेयर, प्राकृतिक झीलों के रूप में 297 हैक्टेयर तथा तालाब/टैंक एवं पोखरों के रूप में लगभग 900 हैक्टेयर जल क्षेत्र उपलब्ध है, जिनके मात्स्यिकी दृष्टिकोण से समुचित उपयोग हेतु विभाग द्वारा विभिन्न कार्य किये जा रहे है।

तालिका 6.6
मत्स्य विकास – एक दृष्टि में

क्र0 सं0	मद	इकाई	संख्या/ उपलब्धि
1.	आच्छादित जनपद	संख्या	13
2.	मत्स्य प्रक्षेत्र/हैचरियॉ केन्द्र	संख्या	12
3.	राज्य स्तरीय कार्प ब्रूड बैंक	संख्या	01
4.	राज्य स्तरीय ट्राउट ब्रूड बैंक	संख्या	01
5.	मत्स्य पालक विकास अभिकरण	संख्या	01
6.	राज्य स्तरीय ट्राउट फेडरेशन	संख्या	01
7.	जनपद स्तरीय फेडरेशन	संख्या	01
8.	मत्स्य सहकारी समितियॉ	संख्या	82
9.	नदियों की लम्बाई	कि0मी0	2686
10.	वृहद जलाशय	संख्या हैक्टेयर	07 20587
11.	झील	संख्या हैक्टेयर	31 297
12.	ग्राम समाज एवं राजस्व के तालाब/ पोखर/निजी तालाब	हैक्टेयर	916.14
13.	ट्राउट रेसवेज	हैक्टेयर	1021
14.	मत्स्य उत्पादन प्रतिवर्ष अनुमानित	मीट्रिक टन	7324
15.	मत्स्य पालन में संलिप्त व्यक्ति	संख्या	13806

स्रोतः मत्स्य विभाग, उत्तराखण्ड

तालिका 6.7

उत्तराखण्ड में जनपदवार मत्स्य एवं मत्स्य बीज का उत्पादन

वर्ष	वर्ष 2022–23		वर्ष 2023–24 अनुमानित मत्स्य उत्पादन (हजार मैट्रिक टन)
	मत्स्य उत्पादन (हजार मैट्रिक टन)	मत्स्य उत्पादन का मूल्य (लाख रू० में)	
उत्तरकाशी	137.80	573.24	160.00
चमोली	178.20	600.64	210.00
टिहरी गढ़वाल	137.67	562.43	150.00
देहरादून	358.99	457.03	400.00
पौड़ी गढ़वाल	87.74	110.53	105.00
रूद्रप्रयाग	65.057	238.74	85.00
हरिद्वार	2287.97	2654.80	3300.00
गढ़वाल मण्डल	3253.427	5197.41	4410.00
पिथौरागढ़	117.04	296.01	150.00
अल्मोड़ा	81.65	110.22	95.00
नैनीताल	82.35	106.67	98.00
बागेश्वर	85.90	333.28	102.00
चम्पावत	33.47	59.52	45.00
ऊधमसिंह नगर	3670.86	4248.46	4600.00
कुमायूँ मण्डल	4071.27	5154.16	5090.00
उत्तराखण्ड	7324.816	10351.63	9500.00

स्रोत–मत्स्य विभाग, उत्तराखण्ड। (दिसम्बर, 2023 तक)

1– वर्ष 2023–24 में विभाग द्वारा प्रमुख नवोन्मेषी (innovative) योजना का विवरण –

- राज्य में मात्स्यिकी क्षेत्र के समग्र विकास हेतु **मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना** की स्वीकृति प्राप्त हुई है।

- वर्ष 2023–24 में भारत सरकार के कार्यक्रम **"प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना"** अन्तर्गत कुल धनराशि रूपये 85.455 करोड़ के प्रोजेक्ट स्वीकृत हुये है, जिसमें मात्स्यिकी विकास हेतु विभिन्न प्रकार के 17 प्रोजेक्ट स्वीकृत हुए हैं।

• मछलियों के प्रसंस्करण एवं कोल्ड चेन विकास हेतु नाबार्ड के माध्यम से **03 मत्स्य प्रसंस्करण यूनिट एवं 02 कोल्ड स्टोरेज यूनिटों** की स्वीकृति प्राप्त की गयी है, जिसके कार्य प्रारम्भ कर दिये गये है।

• वित्तीय वर्ष 2023–24 से राज्य सेक्टर की योजनाओं में पर्वतीय क्षेत्रों में जल रिसाव को रोकने एवं भूमि की उपलब्धता अनुसार **पॉपीलाईनर विधि से कलस्टर आधार पर तालाबों का निर्माण** प्रारम्भ किया गया है।

• राज्य में मात्स्यिकी क्षेत्र के समुचित विस्तार हेतु पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों में सभी वर्गों, युवाओं, महिलाओं को दृष्टिगत रखते हुए मंत्रीमण्डल से नवीन योजना **"मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना"** स्वीकृत की गयी है।

• मत्स्य उत्पादन एवं विपणन सेक्टर को सशक्त करने हेतु भारत सरकार के सहयोग से वर्तमान वर्ष में **06 मत्स्य किसान उत्पादन संगठन (एफ0एफ0पी0ओ0)** गठित किये गये है।

• मत्स्य पालको के सामाजिक हितो की सुरक्षा के दृष्टिगत **मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा मत्स्य पालको को कृषि की भाँति न्यूनतम दरों पर विद्युत आपूर्ति** की सुविधा अनुमन्य करने की घोषणा पूर्ण कर मत्स्य पालको को सुविधा मिलनी प्रारम्भ हो गयी है।

2– वर्ष 2023–24 में विभाग द्वारा संचालित योजनाओं, कार्यक्रमो तथा अभियानों से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष सृजित रोजगार सृजन का विवरण–

वर्ष 2023–24 में विभाग द्वारा संचालित योजनाओं, कार्यक्रमो तथा अभियानो से माह दिसम्बर, 2023 तक लगभग 396 प्रत्यक्ष जबकि 1215 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित हुये।

3– वर्ष 2022–23 में विभाग द्वारा संचालित योजनाओं, कार्यक्रमों तथा अभियानों के क्रियान्वयन में आ रही चुनौतियों एवं समस्याओं का विवरण–

• पर्वतीय क्षेत्र अन्तर्गत छोटी जोत की भूमि होने के कारण तथा भारत सरकार की योजनाओं में निर्धारित क्षेत्रफल का मानक अधिक होने के कारण अधिकांश व्यक्ति नवीन तकनीकी आर0ए0एस0 एवं बायोफ्लॉक से जुड़ नहीं पा रहे है, जिसके दृष्टिगत मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना अन्तर्गत 50 घन मीटर क्षेत्रफल के आर0ए0एस0 की व्यवस्था की गयी है।

• प्राकृतिक आपदाओं, अतिवृष्टि आदि से मत्स्य पालको की अवसंरचना एवं मत्स्य सम्पदा को हो रहे नुकसान के दृष्टिगत मत्स्य पालन क्षेत्र में बीमा की व्यवस्था स्वीकृत करायी गयी है, जिसमें 90 प्रतिशत धनराशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी।

• पूरक मत्स्य आहार प्रणाली अन्तर्गत मत्स्य आहार पर मत्स्य पालको की अधिक धनराशि व्यय होने के कारण अधिकांश मत्स्य पालक पारम्परिक रूप से मत्स्य पालन कर रहे है, जिसके निदान हेतु अनुमानित दरों पर प्रति व्यक्ति मत्स्य आहार मात्रा को बढ़ाया गया है।

• ट्राउट मत्स्य बीज की बढ़ रही मांग को पूरा करने हेतु निजी क्षेत्र में ट्राउट मत्स्य बीज उत्पादन को बढ़ाया गया है एवं वर्तमान समय में 15 से अधिक स्थानों पर ट्राउट मत्स्य बीज का उत्पादन कार्य प्रारम्भ हो गया है।

• राज्य अन्तर्गत ट्राउट में इनब्रीडिंग की समस्या है तथा पर ब्रूडर समय से परिपक्व नहीं हो पाते है। इस समस्या को दूर करने हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 में क्रायोप्रिजर्वेशन विधि के माध्यम से बीज उत्पादन का प्रशिक्षण कराया जा रहा है, जिससे भविष्य में मत्स्य बीज उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।

4– वर्ष 2023–24 में राज्य की अर्थव्यवस्था में रोजगार, आय तथा उत्पादन के संवर्द्धन हेतु नये निवेशों, तकनीकी तथा नवाचारों (Investment, Technology and innovations) हेतु किये गये प्रयासों का विवरण–

• राज्य में आयोजित इन्वेस्टर समिट 2023 में मात्स्यिकी क्षेत्र के अंतर्गत ₹ 1900 करोड़ निवेश के अनुबंध हस्ताक्षर किये गये।

• मत्स्य पालन की विविध गतिविधियों को एकसाथ आवरित किये जाने हेतु जनपद उधमसिंहनगर कुल लागत रू 44.50 करोड़ से में राज्य स्तरीय इन्टीग्रेटेड एक्वापार्क की स्थापना करायी जा रही है, जिस हेतु विस्तृत प्राक्कलन तैयार किये जा रहे है।

• मत्स्य पालकों की विपरीत परिस्थितियों में आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा के दृष्टिगत वर्तमान वर्ष में 3531 मत्स्य पालकों को निःशुल्क बीमा से आच्छादित किया गया है।

• मत्स्य पालकों को मत्स्य पालन हेतु वार्षिक निवेश धनराशि की आवश्यकता आदि के निराकरण हेतु किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराये जा रहे है। वर्तमान तक 1585 व्यक्तियों को किसान क्रेडिट से संतृप्त किया गया है।

• राज्य में एंग्लिंग पर्यटन को बढ़ावा दिये जाने हेतु स्थानीय स्तर पर गठित समूह, महिला मंगल दल, समिति आदि को नदियों में चिन्हित बीट आंवटित किये जा रहे है। वर्तमान समय में 31 बीट आंवटित व संचालित है, जिनके माध्यम से पर्यटकों को एंग्लिंग लाईसेंस निर्गत किये जा रहे है।

अध्याय–7
सहकारिता
(Co-operative)

प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ आधार प्रदान करने तथा सामाजिक जीवन में जनतान्त्रिक मूल्यों मान्यताओं एवं परम्पराओं को विकसित करने का सहकारिता ही सशक्त एवं सर्वोत्तम माध्यम है। प्रदेश में सहकारिता विभाग व उससे सम्बन्धित समस्त संस्थाओं का उद्देश्य न केवल कृषकों को सस्ते ऋण की सुविधा प्रदान कराना है, अपितु ग्रामीण एवं शहरी निर्बल और निर्धन वर्ग को सशक्त बनाते हुये उनके जीवन स्तर को उन्नत करना भी है। उक्त के दृष्टिगत् विगत् वर्षों में कई विभागीय सकारात्मक बदलाव व नवान्वेषी योजनाओं के क्रियान्वयन से उत्तराखण्ड जैसे विषम भौगोलिक राज्य में सहकारिता प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों, केन्द्रीय एवं शीर्ष सहकारी संघो / समितियों जैसे संस्थानों के माध्यम से बहुआयामी संरचना में विकसित हुआ है।

उत्तराखण्ड राज्य में सहकारिता विभाग द्वारा 671 बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियाँ (एमपैक्स), 10 जिला सहकारी बैंकों व उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि० की कुल 327 बैंक शाखाओं के माध्यम से सहकारी सदस्यों को आर्थिक व सामाजिक रुप से सशक्त किये जाने का एक महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में राज्य में विभिन्न प्रकार की 4267 सहकारी समितियाँ संचालित है, जिनके द्वारा राज्य की आबादी को बहुआयामी सेवाएं प्रदान की जा रही है, जिनमें पीडीएस के तहत उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण, उर्वरकों और अन्य कृषि सम्बन्धी उपकरणों का वितरण, कृषि और बागवानी उत्पादों की खरीद एवं उनका विपणन, हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों का उत्पादन, मत्स्य पालन, मानव संसाधन उपलब्ध कराना आदि गतिविधियों संचालित कर सहकारी समिति / संस्था को लाभप्रद कर उसके सदस्यों के जीवनस्तर को भी ऊँचा उठाने का सतत् प्रयास किया जा रहा है। विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का विवरण निम्न प्रकार है:–

7.1–राज्य सेक्टर योजनायें:–

7.1.1–सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन हेतु अनुदान:– इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में 09 प्रशिक्षण कार्यक्रम आहूत कर 243 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया।उक्त योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में ₹ 10.00 लाख धनराशि का बजटीय प्राविधान किया गया है।

7.1.2–उर्वरक परिवहन पर राज सहायता:– इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में कुल 117988.571 मैoटन रसायनिक उर्वरक का वितरण किया गया। वित्तीय वर्ष 2023–24 में कुल 70482. 318 मै0 टन रसायनिक उर्वरक का वितरण किया गया। वित्तीय वर्ष 2023–24 में ₹ 125.00 लाख धनराशि के बजटीय प्राविधान के सापेक्ष ₹ 125.00 लाख का व्यय किया जा चुका है।

7.1.3–पैक्स मिनी बैंक में जमा निक्षेपों के लिए निक्षेप गारन्टी योजना–ग्रामीण क्षेत्रों के मिनी बैंकों में निक्षेप वृद्वि किये जाने के दृष्टिगत वर्ष 2023–24 में प्राविधानित धनराशि ₹ 20.00 लाख के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2023 तक ₹ 19.19 लाख का व्यय किया गया।

7.2–जिला सेक्टर योजनायें:–

7.2.1–ऋण एवं अधिकोषण योजना–इस योजना के अन्तर्गत पैक्स के सचिवों को वेतन हेतु कॉमन केडर अनुदान, पैक्स/मिनी बैंक की स्थापना, क्षतिपूर्ति हेतु अनुदान तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को ब्याज में राहत एवं अंशक्रय हेतु ब्याज रहित ऋण अनुदान दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में ₹ 671.38 लाख अनुमोदित धनराशि के सापेक्ष नवम्बर 2023 तक ₹ 662.58 लाख का व्यय किया जा चुका है।

7.2.2–सहकारी उपभोक्ता योजना:– इस योजना के अन्तर्गत आर्थिक जटिलता तथा दैनिक उपयोग की वस्तुओं के कृत्रिम अभाव को समाप्त करने और उनकी निरन्तर आपूर्ति बनाये रखने तथा उच्च गुणवत्ता वाली दैनिक उपभोग की वस्तुओं को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में ₹ 39.85 लाख अनुमोदित धनराशि के सापेक्ष नवम्बर 2023 तक ₹ 4.85 लाख की धनराशि व्यय की गयी।

7.2.3–सहकारी क्रय–विक्रय योजना:– उक्त योजनान्तर्गत पैक्स के क्षतिग्रस्त गोदामों के जीर्णोद्धार/मरम्मत तथा क्रय विक्रय समितियों के कर्मचारियों के वेतन हेतु अनुदान दिया जाता है। वर्ष 2023–24 में विभाग अन्तर्गत विभिन्न सहकारी संस्थाओं द्वारा 83676.450 मै०टन गेहूँ व 194971.08 मै० टन धान की खरीद स्थानीय कृषकों से की गयी है। योजना के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 में कुल ₹ 330.75 लाख के सापेक्ष नवम्बर 2023 तक ₹ 257.55 लाख धनराशि व्यय की गयी।

7.3 अन्य योजनायें

7.3.1 दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना:–किसानों की आय दो गुना करने के उद्देश्य हेतु राज्य सरकार द्वारा अक्टूबर 2017 से संचालित दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र के लघु, सीमान्त तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले कृषक सदस्यों को वर्तमान में कृषि कार्यों हेतु ₹ 1.00 लाख तथा कृषियेत्तर कार्यों यथा पशुपालन, जड़ी–बूटी, सगन्ध पादप, दुग्ध व्यवसाय, मत्स्य, मुर्गी पालन, मशरुम, पुष्प उत्पादन, औद्यानिकी, कृषि प्रसंस्करण, कृषि–यंत्रीकरण, जैविक खेती, बेमौसमी सब्जी उत्पादन, पॉली–हाउस, आदि कार्यों हेतु ₹ 3.00 लाख तक एवं स्वयं सहायता समूहों को ₹ 5.00 लाख तक की धनराशि का ब्याजरहित ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्षवार विवरण निम्नवत् है:–

तालिका 7.1 (धनराशि लाख ₹ में)

क्र०सं०	वित्तीय वर्ष	वितरित ऋण (धनराशि लाख ₹ में)	लाभार्थियों की संख्या		कुल लाभार्थियों की संख्या
			व्यक्तिगत	स्वयं सहायता समूह	
1	2017-18	38087.46	80868	0	80868
2	2018-19	76148.63	162472	1	162473
3	2019-20	71130.88	125161	1246	126407
4	2020-21	76716.15	122802	1317	124119
5	2021-22	80476.35	119889	1167	121056
6	2022-23	93000.34	169450	965	170415
7	2023-24 नवम्बर 2023 तक	62045.63	87835	306	88141
कुल योग		497605.44	868477	5002	873479

स्रोत – सहकारिता विभाग, उत्तराखण्ड

उक्त योजनान्तर्गत योजनारम्भ (अक्टूबर 2017) से नवम्बर 2023 तक कुल 868477 लाभार्थियों एवं 5002 स्वयं सहायता समूहों को कुल ₹ 4976.04 करोड़ का ऋण वितरित किया जा चुका है।

चार्ट 7.1

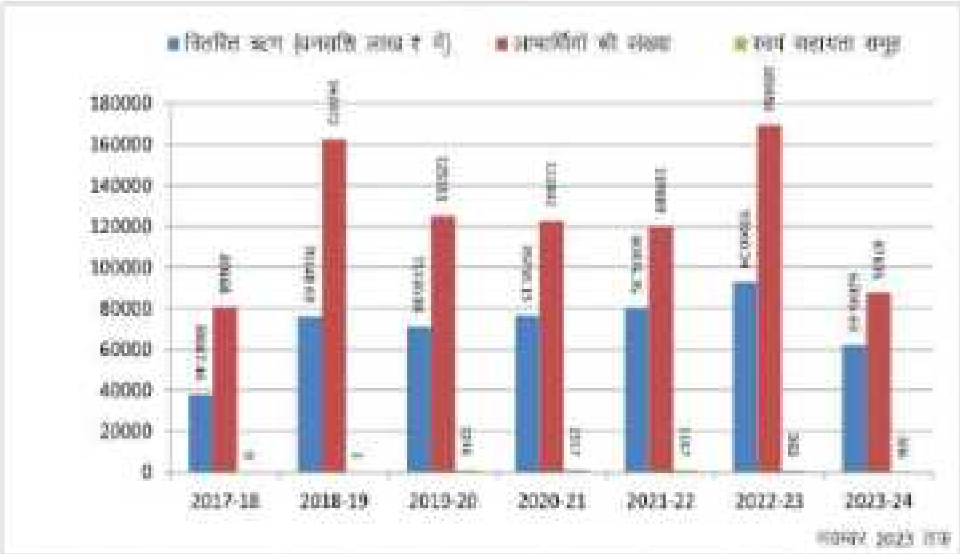

दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजनान्तर्गत संचालित विभिन्न गतिविधियाँ

मुर्गी पालन हेतु

दुग्ध उत्पादन हेतु

स्वयं सहायता समूहों को

बकरी पालन हेतु

7.3.2. राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना:–

"संकल्प से सिद्धि" एवं किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) के माध्यम से राज्य में संचालित 'राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना' के अन्तर्गत चार क्षेत्रक सहकारिता, मत्स्य, भेड़ बकरी पालन एवं

डेयरी विकास के अन्तर्गत जनपदवार विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही है। प्रदेश में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा ऋण एवं कृषि कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के केन्द्रीय क्षेत्रक एकीकृत कृषि सहकारिता परियोजना घटक–1 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य में 670 सहकारी समितियों के माध्यम से कृषकों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से "संकल्प से सिद्धि–सहकारिता से समृद्धि" के आवाहन से सीमान्त किसानों की आय में वृद्धि के स्तर में सुधार एवं पलायन की रोकथाम के उद्देश्य पूर्ति हेतु मुख्यतः सहकारिता, डेरी विकास, भेड़–बकरी एवं मत्स्य पालन गतिविधियों द्वारा संचालित की जा रही हैं।

परियोजना द्वारा वर्तमान समय माह दिसम्बर, 2023 तक 200 सहकारी समितियों से जुड़े लगभग 50,000 सीमान्त कृषकों तक पहुंच विभिन्न आयसृजक गतिविधियों के क्रियान्वयन के माध्यम से बना चुकी है, मुख्यतः संयुक्त सहकारी खेती सहकारिता कॉर्पोरेट भागीदारी द्वारा मशरूम उत्पादन, सेब उत्पादन, मौनपालन, सायलेज उत्पादन एवं विपणन, अदरक बीज उत्पादन, आलू बीज उत्पादन, कॉआपरेटिव भागीदारी से बंजर जमीनों पर सहकारिता के माध्यम से कृषक सन्नयन परियोजना, समितियों का ई–मार्किटिंग प्लेटफार्म एवं ढांचागत विकास किया जा रहा है। परियोजना द्वारा किये जा रहे कार्यों का संक्षिप्त आख्या निम्नवत् है:–

क. सहकारिता क्षेत्रक:–

1. सायलेज उत्पादन एवं विपणन:– परियोजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून की 5 सहकारी समितियों से जुड़े 1363 कृषकों की 2540 एकड़ भूमि पर कुल 2754 मीट्रिक टन सायलेज का उत्पादन किया गया है। आगामी द्वितीय चरण में सायलेज की मांग को देखते हुए मक्का उत्पादन क्षेत्र का विस्तार कर जनपद हरिद्वार एवं ऊधम सिंह नगर के लगभग 1000 कृषकों की 2000 एकड़ कृषि भूमि पर मक्का बुआई की जा रही है एवं सायलेज विक्रय प्रदेश के सभी पर्वतीय जनपदों की 175 सहकारिताओं के माध्यम से विक्रय किया जाना लक्षित है।

2. माधो सिंह भण्डारी संयुक्त सहकारी खेती:– परियोजना के माध्यम से संयुक्त सहकारी खेती के अन्तर्गत माह दिसम्बर, 2023 तक 70 सहकारी समितियों में 1235 एकड़ भूमि चयनित कर ली गयी है जिसमें माधो सिंह भण्डारी संयुक्त सहकारी खेती हेतु 2400 किसानों का चयन किया गया है। पायलट परियोजना हेतु 24 सहकारी समितियों का चयन किया गया है जिनमें से 23 समितियों द्वारा परियोजना द्वारा प्रेषित माइक्रोप्लान पर अपनी सहमति दे दी गयी है। इसके अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड सरकार द्वारा इस परियोजना में किसानों से ली जाने वाली भूमि की लीज राशि हेतु ₹ 10.00 करोड़ की राजकीय सहायता की सहमति भी प्रदान की गयी है।

3. मुर्गीपालन:– परियोजना द्वारा जनपद देहरादून के जाड़ी, काण्डोईभरम एवं ल्यूनी की सफलता के बाद पशुपालन विभाग एवं परियोजना द्वारा संयुक्त रूप से पोल्ट्री वैली स्कीम का गठन किया गया है जिसमें 1856 मुर्गीपालकों का चयन किया गया है जिनमें से दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना के अन्तर्गत 1760 लाभार्थियों को ऋण स्वीकृत कर दिया गया है, एवं 11 नोडल मदर यूनिट गढ़वाल मण्डल में स्थापित किये गये हैं एवं 39250 डी0ओ0सी0 की आपूर्ति की गयी है।

4. लेमनग्रास:– परियोजना के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार की लालढांग सहकारी समिति के माध्यम से 61 कृषकों की 100 एकड़ भूमि के सापेक्ष 56 एकड़ भूमि पर लेमनग्रास का उत्पादन कर समिति द्वारा प्रोसेसिंग कर तेल उत्पादन एवं विपणन का

कार्य किया जा रहा है जिससे कृषक एवं समिति लाभान्वित हो रहे हैं।

5. विक्रय केन्द्र / विपणन केन्द्र:– बिक्री केन्द्रों के माध्यम से 249.49 मीट्रिक टन ताजी सब्जियों को विपणन किया जा चुका है जिसमें 58.49 लाख रू0 की आय अर्जित की गयी है।

6. मशरूम उत्पादन:– वर्तमान में संशोधित मशरूम उत्पादन का कार्य संयुक्त उपक्रम के माध्यम से किया जा रहा है साथ ही मशरूम उत्पादन से जुड़े 465 किसानों को ऋण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया चल रही है तथा 23 मशरूम यूनिट का निर्माण पूर्ण कर दिया गया है।

7. मौनपालन:– वर्तमान में मौनपालन गतिविधि हेतु संशोधित प्लान तैयार किया गया है जिसमें तेजस अपेरी एवं हिमनाद कॉरपोरेट संस्था द्वारा तकनीकी सहयोग प्रदान किया जायेगा। वर्तमान में 545 लाभार्थियों का चयन किया जा चुका है जिसके सापेक्ष 147 लाभार्थियों को ऋण वितरण की प्रक्रिया गतिमान है।

8. होमस्टे गतिविधि:–परियोजनान्तर्गत राज्यस्तरीय होमस्टे फेडरेशन बनाये जाने का कार्य गतिमान है। जिसके अन्तर्गत चयनित लाभार्थियों को विभिन्न प्रकार की तकनीकी सहायता उपलब्ध करायी जायेगी।

9. अदरक गतिविधि:– परियोजना द्वारा जनपद चम्पावत में अदरक बीज उत्पादन हेतु 12 सहकारी समितियों के साथ कार्य किया जा रहा है जिनके द्वारा इस वर्ष लगभग 200 मीट्रिक टन अदरक उत्पादन एवं विपणन किया जाना है।

10.ई–मार्केटिंग कॉपरेटिव प्लेटफार्म:– परियोजना द्वारा प्रदेश की 09 मार्केटिंग समितियों को ऑनलाइन मार्केटिंग पोर्टल द्वारा जोड़ दिया गया है जिनके माध्यम से समितियां अपने पास उपलब्ध जीन्सों का विवरण पोर्टल पर डाल सकती हैं जिससे क्रेता सम्बन्धित सामग्री के लिए इन मार्केटिंग समितियों से ऑनलाइन सम्पर्क स्थापित कर खरीदारी कर सकते हैं।

ख. भेड़–बकरी क्षेत्रक:

भेड़ बकरी इकाईयों की स्थापना (प्रथम चरण)

- योजनान्तर्गत प्रथम चरण में राज्य में गठित प्राथमिक भेड़ बकरी सहकारी सदस्यों को 10 भेड़/बकरियां तथा 01 उच्च गुणवत्ता का मेढ़ा/बकरा उपलब्ध करा कर 21 (20+1) की एक इकाई स्थापित की गयी।

- भेड़/बकरी इकाई के स्वास्थ परीक्षण, टैगिंग, पेट के कीड़े मारने की दवा, टीकाकरण एवं बीमा निःशुल्क कराया गया तथा सदस्य के पास उपलब्ध सभी पशुओं का स्वास्थ्य परीक्षण, टैगिंग, पेट के कीड़े मारने की दवा, टीकाकरण के साथ अन्य आवश्यक उपचार की सुविधा भी फेडरेशन के द्वारा करायी गयी।

- योजना के प्रथम चरण में 1168 लाभार्थीयों का चयन कर लाभान्वित किया गया। प्रथम चरण में 9545 बकरियां व 732 बकरे वितरित किये गये है।

गोट वैली की स्थापना (द्वितीय चरण) –

- दिनांक 16 नवम्बर 2022 को मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा राज्य में कलस्टर आधारित बकरी पालन को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से गोट वैली परियोजना का उद्घाटन किया गया।

- गोट वैली परियोजना के अन्तर्गत पशुपालन विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, सहकारिता विभाग व राज्य में बकरी विकास आधारित परियोजना का अभिसरण कर कलस्टर आधारित बकरी पालन को बढ़ावा दिया जाना है।

• एक वैली के अन्तर्गत न्यूनतम 100 लाभार्थीयों को लाभान्वित किया जाना है।

• द्वितीय चरण में 1579 लाभार्थीयों का चयन कर लाभान्वित किये जाने की प्रक्रिया गतिमान है। वर्तमान तक 7079 बकरियां व 388 बकरो का वितरण किया जा चुका है।

Aggregation cum Breeding Farm & Training Center:

• परियोजना के माध्यम से ACBF पशुलोक, ऋषिकेश में स्थापित Breeding Centre के माध्यम से माह नवम्बर, 2023 तक 18315 लीटर बकरी के दूध के विक्रय से लगभग ₹ 55 लाख की आय अर्जित की गयी है।

• ACBF पशुलोक, ऋषिकेश में ही स्थापित Training Centre के माध्यम से 810 भेड़ बकरी पालकों अथवा अन्य को भेड़ बकरी से सम्बन्धित प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा चुका है।

BAKRAW- The Himalayan Goat Meat:

• उत्तराखण्ड राज्य के भेड़, बकरी पालको को विकास की सौगात देने हेतु योजनान्तर्गत प्राथमिक सहकारी समिति के लाभार्थी सदस्यों के कलस्टर आधारित उत्पादों को समर्पित विपणन व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है।

• ग्राहकों तक हिमालयन गोट मीट की सुगमता से उपलब्धता हेतु एक अत्याधुनिक सुसज्जित Meat-On-Wheel वाहन के माध्यम से Online Order करने से उच्च गुणवत्ता का स्वच्छ 'हिमालयन गोट मीट' उपभोक्ताओं के द्वार पर उपलब्ध कराया जा रहा है।

• वैल्यू चैन को स्थापित कर किसानों को उनकी बकरियों का उचित मूल्य दिया जा रहा है एवं मीट उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता का हिमालयन गोट मीट उनके द्वार में उपलब्ध कराया जा रहा है।

• Meat-On-Wheel वाहन तथा आउटलेट के माध्यम से वर्तमान तक लगभग ₹ 3.5 करोड़ से अधिक का कारोबार किया जा चुका है।

• BAKRAW- The Himalayan Goat Meat के साथ–साथ Uttara Fish तथा Himala Chicken के विस्तार हेतु एक मार्केटिंग कम्पनी स्थापित की गयी है जिसके अन्तर्गत प्राईवेट पार्टनर के साथ संयुक्त उद्यम कर सभी मीट उत्पादों को एक ही कम्पनी के अन्तर्गत देहरादून तथा देश के अन्य शहरों में बिक्री जा जाएगी।

ग. डेयरी क्षेत्रक:–

• डेयरी क्षेत्रक 03 05 यूनिट दुधारू पशुओं की स्थापना के सापेक्ष 2925 दुधारू पशु क्रय किए गये जिसके फलस्वरूप 15904 ली0 प्रतिदिन दुग्ध उपार्जन कर 750 उत्पादकों को लाभान्वित किया गया है।

• 50 दुधारू पशु यूनिट की स्थापना की गयी, जिसके परिणामस्वरूप 300 ली0 प्रतिदिन दुग्ध उपार्जन किया गया है।

• 19 दुग्ध विकास केन्द्रों की स्थापना की गई जिसके माध्यम से दुग्ध उत्पादकों को पशुआहार, साइलेज, मिनरल मिक्सचर, भूसा, भेली, चाटन भेली एवं सामान्य दवाएं इत्यादि सामग्री उनकी मांग पर तत्काल उपलब्ध करायी जा रही है, परिणामस्वरूप 5721 सदस्यों को लाभान्वित किया गया है।

• 78 आंचल मिल्क बूथों और एक आँचल कैफे की स्थापना की गई जिसके माध्यम से आंचल दही, दूध, मक्खन, पनीर, चीज इत्यादि का विक्रय किया जा रहा है।

घ. मत्स्य क्षेत्रकः–

- मत्स्य क्षेत्रक 50 कलस्टर विकास के सापेक्ष 29 कलस्टरों की स्थापना कर ट्रॉउट फ्रॉमिंग किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप प्रति रेसवे 0.03 से 0.07 मी0 टन ट्रॉउट का उत्पादन किया जा रहा है।

- कुल लक्षित 70 हेक्टेयर भूमि में इण्टीग्रेटेड फार्मिंग के सापेक्ष 48.50 हेक्टेयर भूमि में इन्टीग्रेटेड फार्मिंग पन्गास एवं कार्प की फार्मिंग की जा रही है, जिसके फलस्वरूप 2 से 4 मी0 टन प्रति हेक्टेयर पंगास एवं कार्प का उत्पादन किया जा रहा है।

- उत्तरा फिश ब्राण्ड का विकास परियोजना के माध्यम से किया जा रहा है जिसके क्रम में विपणन हेतु एक विपणन आउटलेट की स्थापना की जा चुकी है, जिसके माध्यम से 490 लाभार्थियों के द्वारा उत्पादित 20 मी0 टन मछली का विपणन कर ₹ 73.26 लाख की आय अर्जित की गई है।

राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 की कार्य योजनाः–

- वर्ष 2024–25 हेतु राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना के चारों क्षेत्रकों की विभिन्न मूल्य वर्धित श्रृंखलाओं के विकास तथा पूर्व में चल रही गतिविधियों को पूर्ण करने हेतु राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से विभिन्न स्तरों पर सम्पर्क कर ₹8844.57 लाख ऋण राशि तथा इसके सापेक्ष ₹2445.37 लाख की अनुदान राशि की मांग की गयी है। जिसका क्षेत्रकवार विवरण निम्नवत् हैः–

- **सहकारिता क्षेत्रकः**– वर्ष 2024–25 हेतु संयुक्त सहकारी खेती योजना के क्रियान्वयन के लिए ₹ 800.00 लाख, मार्केटिंग–कस्टम हायरिंग सेन्टर एवं अवस्थापना विकास हेतु ₹ 2000.00 लाख, पॉइन्ट ऑफ सेल गतिविधि हेतु ₹ 200.00 लाख तथा देव भूमि वृहद सहकारी विपणन केन्द्रों की अवस्थापना हेतु ₹ 2520.00 लाख कुल ₹ 5520.00 लाख की मांग राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से की गयी है जिसके सापेक्ष ₹ 1577.14 लाख की अनुदान राशि की आवश्यकता होगी।

- **डेयरी क्षेत्रकः**– वर्ष 2024–25 हेतु 02.03 एवं 05 दुधारू पशु यूनिट स्थापना हेतु ₹ 285.76 लाख, अवस्थापना एवं उपकरण हेतु ₹ 139.21 लाख तथा ब्राण्डिग एवं मार्केटिंग ₹ 20.00 लाख कुल ₹ 444.97 लाख की मांग राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से की गयी है जिसके सापेक्ष ₹ 45.49 लाख की अनुदान राशि की आवश्यकता होगी।

- **मत्स्य क्षेत्रकः**– वर्ष 2024–25 हेतु ट्रॉउट फार्मिंग एवं एंगलिंग हेतु ₹ 300.00 लाख पंगास/कॉर्प फार्मिंग हेतु ₹ 500.00 लाख तथा मार्केट प्लेस विकास हेतु ₹ 50.00 लाख कुल ₹ 850.00 लाख की सहकारी विकास निगम से की गयी है जिसके सापेक्ष ₹ 242.86 लाख की अनुदान राशि की आवश्यकता होगी।

- **भेड़–बकरी क्षेत्रकः**–वर्ष 2024–25 हेतु किसानों के स्तर पर भेड़–बकरी पालन यूनिट स्थापना हेतु ₹ 1300.00 लाख, एग्रीगेशन/ब्रीडिंग फॉर्म हेतु 654.00 लाख तथा अन्य अवस्थपना सुविधा हेतु ₹ 75.6 लाख कुल ₹ 2029.6 सहकारी विकास निगम से की गयी है जिसके सापेक्ष ₹ 579.88 लाख की अनुदान राशि की आवश्यकता होगी।

7.3.3. मुख्यमंत्री ई–रिक्शा कल्याण योजना :–

राज्य के युवाओं/युवतियों को रोजगार प्रदान किये जाने के दृष्टिगत रोजगार सृजन हेतु 'मुख्यमंत्री ई–रिक्शा कल्याण योजनान्तर्गत' सहकारी बैंकों द्वारा बेरोजगार युवकों/युवतियों को ई–रिक्शा खरीद हेतु 09 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर ऋण

उपलब्ध कराया जा रहा है। उक्त योजनान्तर्गत इस वित्तीय वर्ष में 94 लाभार्थियों को ₹ 1.77 करोड़ का ऋण वितरित किया गया है। उक्त योजनान्तर्गत कुल 3344 महिला एवं पुरुष लाभार्थियों को कुल ₹ 44.52 करोड़ का ऋण ई–रिक्शा खरीद हेतु वितरित किया गया है।

तालिका 7.2 मुख्यमंत्री ई–रिक्शा कल्याण योजना के अन्तर्गत वितरित ऋण का विवरण

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	दिनांक 31.03.2023 को लगा ऋण		01.04.2023 से प्राप्त आवेदन		स्वीकृत आवेदन		वितरित ऋण	
		संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि
1	Almora	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Chamoli	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Dehradun	174	249.70	20	31.82	20	31.82	20	31.82
4	Nainital	104	138.45	46	91.97	46	91.97	46	91.97
5	Haridwar	53	45.80	-	-		-	-	-
6	Kotdwar	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Pithoragarh	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Tehri	-	-	-	-	-	-	-	-
9	US Nagar	360	240.58	-	-	-	-	-	-
10	Uttarkashi	-	-	-	-	-	-	-	-
11	UKSCB	1,330	1,380.44	28	52.95	28	52.95	28	52.95
	TOTAL	**2,021**	**2,054.97**	**94**	**176.74**	**94**	**176.74**	**94**	**176.74**

स्रोत – सहकारिता विभाग, उत्तराखण्ड

7.3.4. मोटर साईकिल टैक्सी योजना:–

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनान्तर्गत विभाग द्वारा संचालित "मोटर साइकिल टैक्सी योजना" अन्तर्गत आवेदनकर्ता को प्रमुख पर्यटक स्थलों में पर्यटक/यात्रियों को परिवहन सेवा उपलब्ध कराने हेतु सहकारी बैंकों के माध्यम से वाहन क्रय किये जाने हेतु ₹ 60 हजार से 01 लाख 25 हजार तक का 02 वर्षों तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। उक्त योजनान्तर्गत कुल 291 लाभार्थियों को कुल ₹ 349.31 लाख का ऋण ई–रिक्शा खरीद हेतु वितरित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में कुल 22 लाभार्थियों को ₹ 20.87 लाख का ऋण वितरित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में बैंकवार वितरित ऋण की स्थिति– निम्न तालिका 7.3 के अनुसार है

तालिका 7.3 मोटर साईकिल टैक्सी योजना के अन्तर्गत वितरित ऋण का विवरण

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	दिनांक 31.03.2023 को लगा ऋण		01.04.2023 से प्राप्त आवेदन		स्वीकृत आवेदन		वितरित ऋण	
		संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि
1	Almora	4	5.39	-	-	-	-	-	-
2	Chamoli	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Dehradun	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Nainital	224	211.56	22	20.87	22	20.87	22	20.87

5	Haridwar	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Kotdwar	1	2.23	-	-	-	-	-	-
7	Pithoragarh	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Tehri	-	-	-	-	-	-	-	-
9	US Nagar	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Uttarkashi	-	-	-	-	-	-	-	-
11	UKSCB	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	**229**	**219.18**	**22**	**20.87**	**22**	**20.87**	**22**	**20.87**

7.3.5. मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना:-

राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा के आवश्यकताओं की पूर्ति तथा वैकल्पिक ऊर्जा स्त्रोतों के विकास हेतु प्रदेश के उद्यमशील युवाओं, प्रवासियों एवं कृषकों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान किये जाने के उद्देश्य से "मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजनान्तर्गत" पात्र सदस्यों को राज्य/जिला सहकारी बैंकों द्वारा 08.00 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसका वर्षवार विवरण निम्नवत् है:-

तालिका 7.4

क्र0 स0	वित्तीय वर्ष	वितरित ऋण (धनराशि लाख ₹ में)	कुल लाभार्थिओं की संख्या
1	2021 -22	203.50	25
2	2022 -23	92.00	11
3	2023 -24	7.00	1
कुल योग		**302.50**	**37**

विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं से सम्बन्धित छायाचित्र

मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार अन्तर्गत सौर प्लान्ट हेतु वित्त पोषण

मुख्यमंत्री मोटर साईकिल टैक्सी योजना एवं मुख्यमंत्री ई-रिक्शा कल्याण योजनान्तर्गत वित्त पोषण

7.3.6. स्टेट मिशन मिलेट्स योजना :-

मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना के अन्तर्गत स्टेट मिलेट मिशन में उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ, लि0 द्वारा स्थानीय कृषकों से झंगोरा, मंडुवा, सोयाबीन एवं चौलाई खरीदकर उनको, उनकी उपज का उचित मूल्य दिया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 1631 लाभार्थिओं से कुल 4217.57 क्विंटल उपज का क्रय कर लिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में कुल ₹ 63.84 लाख धनराशि प्राविधानित की गयी है।

7.3.7. मुख्यमंत्री घसयारी कल्याण योजनाः–

इस योजना के अन्तर्गत महिलाओं को रियायती दरों पर सायलेज एवं टी0एम0आर0 फीड ब्लॉक उपलब्ध कराकर चारे के बोझ से मुक्त किया जा रहा है। राज्य के दूरस्थ ग्रामीण पर्वतीय क्षेत्रों के पशुपालकों को पैक्ड सायलेज एवं सम्पूर्ण मिश्रित पशुआहार (टी0एम0आर0) उनके घर–घर पर उपलब्ध कराया जा रहा है। उक्त योजना अन्तर्गत सायलेज उत्पादन एवं विपणन सहकारी संघ लि0 द्वारा उत्पादित साइलेज एवं टी0एम0आर0 राज्य के पशुपालकों को रियायती दर पर उपलब्ध कराये जाने हेतु विक्रय मूल्य पर 75 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है, जिससे एक ओर पशुपालन से अधिक आय अर्जित हो रही है, वहीं दूसरी ओर एक लाख महिलाओं के कन्धे से घास का बोझ हटाकर कुशल एवं दक्ष उत्पाद वितरण प्रणाली की व्यवस्था उपलब्ध हो रही है। उक्त योजनान्तर्गत उत्तराखण्ड के दूरस्थ ग्रामीण पर्वतीय क्षेत्रों के पशुपालकों को उन्नत पशुचारा उपलब्ध कराने एवं पर्वतीय महिलाओं के सिर के बोझ को कम किये जाने के उद्देश्य से अनुदानित दर पर पैक्ड सायलेज एवं सम्पूर्ण मिश्रित पशुआहार उपलब्ध कराया जा रहा है। योजनान्तर्गत वर्तमान में राज्य के समस्त पर्वतीय क्षेत्रों के 150 वितरण केन्द्रों के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2023–24 में माह दिसम्बर 2023 तक अनुदानित दर पर कुल 7200 लाभार्थियों को कुल 8615 मै0टन साइलेज/ पशुचारा स्थानीय पशुपालकों को वितरित किया गया है।

बेस्ट प्रैक्टिस

दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना

भोटिया डॉग उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों की संस्कृति और विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जिला सहकारी बैंक लि0, टिहरी गढ़वाल से तीन लाख रुपये के ब्याज रहित ऋण से अखिलेश की सफलता की कहानी निम्नवत है

भोटिया डॉग ब्रीडिंग

भोटिया डॉग की बिक्री कुछ सालों से बढ़ी है। जहां एक ओर लोग इन्हें सुरक्षा कि दृष्टि से पाल रहे हैं, वही दूसरी ओर बड़े महानगरों में भी भोटिया ब्रीड के शौकीन लोग भी इनकी डिमांड कर रहे है, जिनसे इस की मांग लगातार बड रही है। टिहरी के रानीचौरी में अखिलेश डंगवाल डॉग ब्रीडिंग के कारोबार कर रहे हैं, उन्होंने टिहरी गढ़वाल जिला सहकारी बैंक शाखा रानीचौरी हिल कैम्पस से दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के अन्तर्गत रु० तीन लाख का ऋण लिया, जो ब्याज रहित ऋण हैं, जिसमें वह डॉग ब्रीडिंग का व्यवसाय कर रहे है। इस योजना से रोजगार पा रहे हैं **भोटिया डॉग ब्रीडिंग** पर काम रहे युवा डंगवाल कहते है कि दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना प्रदेश सरकार द्वारा संचालित की जा रही बहुत ही अच्छी योजना है। इस योजना के लाभ मिलने से इस भोटिया डॉग ब्रीड को जिससे मेरे जैसे ओर भी अन्य युवाओं को रोजगार मिलेगा । इस योजना से लाभ मिलने से भोटिया डॉग ब्रीड को बढ़ावा देते हुए राज्य का प्रतिष्ठित डॉग ब्राण्ड बनाया जा सकता है

नवान्वेषी योजनायें

जन औषधि केन्द्र–

- एमपैक्स "जन औषधि केन्द्र" के माध्यम से समिति सदस्यों/आम जन मानस को अपने निकटवर्ती स्थान पर ही सस्ती कीमत वाली गुणवत्ता पूर्ण दवाईयां (जेनरिक दवाईयां) व अन्य मेडिकल सामग्री उपलब्ध कराकर आम जनमानस के चिकित्सा व्यय को कम करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

- राज्य के 671 पैक्स में जन औषधि केन्द्र संचालित किये जाने हेतु 65 पैक्स द्वारा आवेदन कर दिया गया है। उक्त में से PMBI द्वारा 29 पैक्सों को Initial Approval प्रदान किया गया है।

जन सुविधा केन्द्र–

- एमपैक्सों को "जन सुविधा केन्द्र" के रूप में विकसित कर 300 से अधिक ई–सर्विस समिति स्तर पर ही प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य के 671 पैक्स में से 306 पैक्स Common Service Centres (CSC) के रूप में क्रियाशील हो गये हैं।

PACS made eligible for LPG distributorship/ Petrol/Diesel dealership–

- भारत सरकार द्वारा पैक्स को नये LPG distributorship/ Petrol/Diesel dealership आवंटन हेतु राज्य को CC2 श्रेणी में जनपदवार कुल 07 स्थान दिये गये थे, जिसके सापेक्ष 03 पैक्स द्वारा पेट्रोल पम्प हेतु आवेदन किये गये हैं।

वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु नयी योजनाओं का प्रस्ताव माधो सिंह भण्डारी सहकारी सामूहिक खेती योजना हेतु एकमुश्त राज्य सहायता की नयी बजट मांग

राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना के द्वारा राज्य में पलायन/अन्य कारणों से रिक्त हुयी कृषि योग्य बंजर भूमि को फिर से जीवन्त करने हेतु सहकारी सामूहिक खेती के माध्यम से गतिविधि संचालित की जा रही है। इस कार्यक्रम को कृषि पोषण से जोड़कर एक आदर्श सहकारी सामूहिक कृषि मॉडल के तौर पर विकसित करने की दूरगामी योजना बनाई गई है। इस योजना के अन्तर्गत उपलब्ध अनुप्रयुक्त भूमि से उचित राजस्व प्राप्त करने हेतु फसल कैलेंडर और मिश्रित फसल मॉडल को अपनाते हुए मिट्टी, भूमि, पानी और फसलों के उचित प्रबंधन द्वारा परियोजना हेतु चयनित भूमि के स्वास्थ्य को पुनर्जीवित करने हेतु अनेक बहु आयामी मॉडल विकसित किये गये हैं। परियोजना के माध्यम से टिहरी जनपद के जौनपुर विकासखण्ड में प्राथमिक कृषि सहकारी समिति, मोगी द्वारा 70 एकड़ अनुयुक्त भूमि को किसानों से लीज पर अधिग्रहित कर संयुक्त सहकारी खेती की जा रही है। इसी मोगी मॉडल के आधार पर परियोजना द्वारा सभी विकासखण्डों में विस्तारीकरण करते हुए भूमि/परित्यक्त/अनुपयुक्त भूमि को किसानों के लीज पर लेकर वीर माधो सिंह भण्डारी संयुक्त सहकारी खेती, सहकारी समितियों के माध्यम से व्यवसाय खेती की जानी है। इस मॉडल को प्रदेश के समस्त विकासखण्डों में क्रियान्वित किये जाने हेतु ₹ 10.00 करोड़ की कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी, जिसे वित्तीय वर्ष 2024–25 के बजट हेतु प्रस्तावित किया गया है।

"किसान समृद्धि कार्ड योजना" अन्तर्गत प्रीमियम हेतु राज सहायता

सहकारिता से जुड़े सभी सदस्यों के परिवारों की आकस्मिक दुर्घटना की स्थिति में उनके परिवारजनों को सामाजिक सुरक्षा जैसे सेवाओं का लाभ पहुँचाने के दृष्टिगत् "किसान समृद्धि कार्ड योजना" प्रारम्भ की जानी प्रस्तावित है। उक्त योजना के माध्यम से किसान/सदस्य को निर्धारित उत्पादों की खरीदारी पर विशेष छूट के साथ आकस्मिक दुर्घटना होने पर दुर्घटना बीमा की सुविधा प्राप्त होगी। दुर्घटना में मृत्यु होने पर 15 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता कार्ड धारक सदस्य द्वारा नामांकित व्यक्ति को प्रदान की जायेगी। दुर्घटना के कारण स्थायी विकलांगता होने पर 5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता कार्ड धारक सदस्य को प्रदान की जायेगी। किसी भी आतंकवादी घटना के दौरान मारे गए कार्ड धारक सैन्य, अर्धसैनिक और पुलिस कर्मियों को भी योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए दुर्घटना की परिभाषा में सम्मिलित किया जाएगा। इस योजना अन्तर्गत प्रति वर्ष मात्र ₹ 600.00 के प्रीमियम का भुगतान कर सम्बन्धित सहकारी सदस्य उक्त योजना से आच्छादित हो सकते हैं। वर्तमान में राज्य में संचालित समस्त 671 एमपैक्सों एवं 10 जिला सहकारी बैंक एवं 01 राज्य सहकारी बैंक में कुल 30 लाख सदस्य संख्या/खाताधारक संख्या है। उक्त में से अधिकतर समिति सदस्यों के सम्बन्धित जिला सहकारी बैंक शाखाओं में खाते संचालित है। इस प्रकार वास्तविक रूप से राज्य में लगभग 20 लाख सदस्य सहकारी समिति/जिला सहकारी बैंक के खाता धारक है। राज्य में सहकारिता से आच्छादित लगभग 20 लाख सदस्यों/खाताधारकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने एवं डिजीटल साक्षरता को प्रोत्साहित किये जाने के उद्देश्य से प्रति सदस्य हेतु मात्र एक बार प्रथम वर्ष देय प्रीमियम ₹ 600.00 का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किये जाने के दृष्टिगत् वित्तीय वर्ष 2024–25 के बजट हेतु योजना प्रस्तावित की गयी है।

अध्याय–8
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले
Food Civil Supplies and Consumer Affairs

प्रस्तावना

सतत विकास लक्ष्यों में खाद्य और कृषि को प्रमुखता से शामिल किया गया है, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और समाज के लगभग सभी पहलुओं से जुड़े हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को 2015 में गरीबी और भूख को समाप्त करने, और सभी के लिए समावेश, शांति और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई के एक सार्वभौमिक आह्वान के रूप में अपनाया गया था। एसडीजी 2 का उद्देश्य भूख को समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण प्राप्त करना और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना है। इसे प्राप्त करने के लिए, हमें गरीबी, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच की कमी, जलवायु परिवर्तन, पानी और संसाधन की कमी और अन्य से जुड़ी अंतर्निहित संरचनात्मक समस्याओं का भी समाधान करना होगा। स्वाभाविक रूप से, भूख को खत्म करना गरीबी उन्मूलन से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। गरीबी खत्म करने के लिए, हमें बुनियादी सेवाओं तक पहुंच बढ़ानी होगी और आपदाग्रस्त क्षेत्रों में लोगों का समर्थन करना होगा। हमें गरीबों और कमजोर लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का भी विस्तार करना चाहिए, जिसमें स्कूल में भोजन और खाद्य सहायता भी शामिल है। अविकसित क्षेत्रों में स्कूली बच्चों के लिए दैनिक भोजन उपलब्ध कराने जैसे कार्यक्रम प्राथमिक विद्यालयों में सीखने, उपस्थिति और नामांकन में सुधार करते हैं, जो सभी के लिए समावेशी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। असमानताओं को कम करने के लिए खाद्य सुरक्षा में सुधार करना भी आवश्यक है, क्योंकि कुपोषण सबसे कमजोर लोगों को प्रभावित करता है, जैसे महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, विकलांग लोग और प्रवासी। केवल सुरक्षित और पौष्टिक भोजन तक पहुंच ही स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करेगी और सभी के लिए कल्याण को बढ़ावा देगी । विशेष रूप से विकासशील देशों में, भूख और कुपोषण कई बीमारियों, बाल मृत्यु दर के उच्च स्तर और दीर्घकालिक विकासात्मक प्रभावों से जुड़े हुए हैं। भोजन की बर्बादी कम करने से कृषि से उत्पन्न पर्यावरणीय प्रभाव भी कम होंगे। भोजन और कृषि से जुड़े मुद्दों की जटिलता को देखते हुए, एक समग्र और अंतः विषय दृष्टिकोण वास्तव में टिकाऊ और समावेशी वैश्विक खाद्य प्रणाली को प्राप्त करने का एकमात्र तरीका प्रतीत होता है।

वर्तमान हालात को देखते हुए, खाद्य उपलब्धता, उत्पादन और आपूर्ति को बनाए रखने और आवश्यक सेवाओं के रूप में वर्गीकृत करने की गारंटी के लिए तुरंत कदम उठाए जाने चाहिए, नकद और खाद्य हस्तांतरण, स्वास्थ्य देखभाल और रोजगार योजनाओं जैसे सामाजिक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए सरकारों, डोनर्स और एनजीओ को मिलकर काम करना होगा।

8.1 लक्षित सार्वजनिक प्रणाली

एन0एफ0एस0ए0 (पात्र गृहस्थियां) तथा नॉन–एन0एफ0एस0ए0 (ए0पी0एल0) की श्रेणियों के प्रकार:–

(1) एन0एफ0एस0ए0, प्राथमिक परिवार (सफेद कार्ड)

(2) एन0एफ0एस0ए0, अन्त्योदय (गुलाबी कार्ड)

(3) राज्य खाद्य योजना (पीला कार्ड)

तालिका–8.1

क्र0सं0	राशन कार्ड के प्रकार	कार्ड की संख्या (लाख में)	यूनिट
1	प्राथमिक परिवार (सफेद कार्ड)	12,13,308	54,05,248
2	अन्त्योदय (गुलाबी कार्ड)	1,83,568	6,73,63
3	राज्य खाद्य योजना (पीला कार्ड)	9,61,987	35,34,646

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत प्रदेश में राशन कार्डों की संख्या :–23,58,863 लाख राशन कार्ड धारक प्रचलित हैं एवं यूनिटों की संख्या:–96,19,87 राज्य में संचालित की जा रही उचित मूल्य दुकानों की संख्या:–9,126 वर्ष 2023–24 में 31, दिसम्बर, 2022 तक निम्नलिखित खाद्य पदार्थों की मात्रा उचित मूल्य की दुकानों के द्वारा वितरित की गयी है :–

तालिका–8.2

क्र0सं0	वस्तु का नाम	इकाई	वस्तुओं का प्रेषण 31 दिसम्बर , 2023 तक
1.	एन0एफ0एस0ए0 प्राथमिक परिवार (गेहूँ)	मी0टन	89030.848
2.	एन0एफ0एस0ए0 प्राथमिक परिवार (चावल)	मी0टन	142320.008
3.	एन0एफ0एस0ए0 अन्त्योदय (गेहूँ)	मी0टन	20931.223
4.	एन0एफ0एस0ए0 अन्त्योदय (चावल)	मी0टन	33422.923
5.	राज्य खाद्य योजना (चावल)	मी0टन	54262.548

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत प्रदेश में राशन कार्डों की संख्या :– 23,58,863 लाख राशन कार्ड धारक प्रचलित हैं एवं यूनिटों की संख्या:–96,19,87 राज्य में संचालित की जा रही उचित मूल्य दुकानों की संख्या:–9,126

तालिका–8.3

क्र0सं0	वस्तु का नाम	इकाई	अवशेष मात्रा
1.	एन0एफ0एस0ए0 प्राथमिक परिवार (गेहूँ)	मी0टन	10370.944
2.	एन0एफ0एस0ए0 प्राथमिक परिवार (चावल)	मी0टन	18446.945
3.	एन0एफ0एस0ए0 अन्त्योदय (गेहूँ)	मी0टन	4099.775
4.	एन0एफ0एस0ए0 अन्त्योदय (चावल)	मी0टन	6305.915
5.	राज्य खाद्य योजना (चावल)	मी0टन	6471.502

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राशनकार्डों का डिजिटलिकरण एवं उन पर बायोमैट्रिक अर्थोन्टिकेशन के आधार पर खाद्यान्न का वितरण कराया जा रहा है –

राज्य में वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत पी0एच0एच0 एवं अन्त्योदय अन्न योजना एवं राज्य खाद्य योजना प्रचलित है। उक्त योजनाओं में वर्तमान में लगभग 23.53 लाख राशनकार्ड धारक प्रचलित हैं, जिनको मानकानुसार खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। जिनका विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :–

तालिका–8.4

क्र0 सं0	योजना का नाम		राशनकार्ड का रंग	मासिक नियमित देयता	वितरण स्केल (प्रति कि0ग्रा0)			वितरण की दर (₹ प्रति कि0ग्रा0)		
					गेहूँ	चावल	चीनी	गेहूँ	चावल	चीनी
1	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना	अन्त्योदय अन्न योजना	गुलाबी	35 कि0ग्रा0 प्रति राशनकार्ड	13.300	21.700	01.00	00	00	13.50
		प्राथमिक परिवार	सफेद	05 कि0ग्रा0 प्रति यूनिट	02	03	-	00	00	-
2	राज्य खाद्य योजना		पीला	7.50 कि0ग्रा0 प्रति राशनकार्ड	–	7.50	-	–	11.00	-

नोट – 01 जनवरी, 2023 से प्राथमिक परिवार एवं अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत निःशुल्क खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है।

8.2 एण्ड–टू–एण्ड कम्प्यूटराईजेशन– वर्तमान में राज्य में प्रचलित समस्त राशन कार्डों को यू0आई.डी.ए.आई. के माध्यम से आधार से लिंक कर लिया गया है। राज्य में प्रचलित समस्त राशन की दुकानों एवं राशन कार्डों का डिजिटलीकरण करने के उपरान्त बायोमैट्रिक /ऑनलाईन राशन वितरण किया जा रहा है। बेस गोदाम एवं आन्तरिक गोदाम से राशन की दुकान तक व राशन की दुकान से उपभोक्ता तक वितरित की जाने वाले खाद्यान्न की प्रक्रिया ऑनलाईन माध्यम से की जा रही है।

8.3 राज्य खाद्य आयोग :–राज्य स्तर पर धारा–16 के अन्तर्गत राज्य खाद्य आयोग देहरादून में स्थापित है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की अधिसूचना की क्रम में धारा 15 के अन्तर्गत मुख्य विकास अधिकारी को जिला शिकायत निवारण अधिकारी नामित किया गया है। जिसका कार्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में प्राप्त शिकायतों की सुनवाई करना एवं राज्य आयोग द्वारा जनपद स्तरीय आदेशों पर प्राप्त अपील सुनना का है।

8.4 एफ0पी0एस0 (Fair Price Shop) ऑटोमेशन :– वर्तमान में राज्य की 9126 राशन की दुकानों को सी0एस0सी0 / बेसिल के माध्यम से लैपटॉप तथा ई–पॉज उपलब्ध कराया गया है, जिसके माध्यम से राशनकार्ड धारकों को बायोमैट्रिक / ऑनलाईन अर्थोन्टिकेशन के उपरान्त राशन का वितरण किया जा रहा है। राज्य की दुकानों को बेसिल के माध्यम से शतप्रतिशत ऑटोमेट किया जा चुका है। जिसके अन्तर्गत प्रत्येक राशन की दुकान पर e-pos स्थापित किये गये है।

8.5 डाटा डिजिटाइजेशन एवं आधार सीडिंग :— राज्य के समस्त अन्त्योदय, प्राथमिक परिवार एवं राज्य खाद्य योजना के लगभग 23,55,713 लाख राशन कार्डों को शतप्रतिशत डिजिटाईज करते हुये प्रत्येक राशन कार्ड तथा यूनिट को आधार से लिंक किया गया है। नये राशन कार्ड ऑनलाईन आधार अथॉन्टिकेशन के उपरान्त ही बनाये जा रहे हैं।

8.6 सप्लाई चेन मैनेजमेन्ट :— इस के अन्तर्गत बेस गोदाम से राज्य के समस्त 196 आन्तरिक गोदामों तक आवंटन, इन्वेन्ट जनरेशन, ट्रक चालान, रिसिविंग व राशन विक्रेताओं को डिलीवरी ऑर्डर ऑनलाईन किया जा रहा है।

➢ **वन नेशन वन राशन कार्ड"**

• "वन नेशन वन राशन कार्ड" योजना राज्य में माह जुलाई, 2020 से लागू की गयी है, जिसके फलस्वरूप उत्तराखण्ड राज्य देश के अन्य राज्यों से जुड़ गया है। इस योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के राशन कार्डधारकों को एक राज्य से दूसरे राज्य अथवा एक जनपद से दूसरे जनपद में किसी भी राशन की दुकान से खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा दी गयी है।

• राशन कार्डों को और सुविधाजनक बनाये जाने के उद्देश्य से राज्य में पुराने बुकलेट राशन कार्डों के स्थान पर नवीन सुविधाजनक QR Code तथा यूनिक नम्बर के साथ राशन कार्ड बनाये जा रहे हैं, जिसका उपभोक्ताओं को वितरण गतिमान है।

• योजना के लागू होने से एक राज्य से दूसरे राज्य एवं एक जनपद से दूसरे जनपद में कार्य कर रहे मजदूरों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत विशेष लाभ प्राप्त हो रहा है।

➢ **एण्ड–टू–एण्ड कम्प्यूटराईजेशन–**

• वर्तमान में राज्य में प्रचलित समस्त राशनकार्डों को यू0आई0डी0ए0आई0 के माध्यम से आधार से लिंक कर लिया गया है।

• राज्य में प्रचलित समस्त राशन की दुकानों एवं राशनकार्डों का डिजिटलीकरण करने के उपरान्त बायोमैट्रिक/ऑनलाईन राशन वितरण किया जा रहा है। बेस गोदाम से आन्तरिक गोदाम एवं आन्तरिक गोदाम से राशन की दुकान तक व राशन की दुकान से उपभोक्ता तक वितरित की जाने वाले खाद्यान्न की प्रक्रिया ऑनलाईन माध्यम से की जा रही है।

➢ **ग्रेन ए0टी0एम0 –**

• संयुक्त राष्ट्र–विश्व खाद्य कार्यक्रम (UN-WFP) के सहयोग से उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून शहर में पहला ग्रेन एटीएम स्थापित किया गया है।

• उत्तराखण्ड ऐसा करने वाला देश का तीसरा राज्य है। इससे पहले हरियाणा और उड़ीसा में ग्रेन एटीएम स्थापित किया गया है।

• ग्रेन एटीएम को e-Pos से जोड़ा गया है और बायोमैट्रिक के माध्यम से वितरण किया जा रहा है।

• उपभोक्ताओं को बायोमैट्रिक अथॉन्टिकेशन के उपरान्त मानकानुसार खाद्यान्न उपलब्ध हो रहा है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में राज्य में 20 नये ग्रेन एटीएम स्थापित किये जा रहे हैं, जिसमें से 15 ग्रेन एटीएम विभिन्न जनपदों में स्थापित किये जा चुके हैं। शेष 05 ग्रेन एटीएम स्थापित किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

"मंडुवा" वितरण की व्यवस्था –

- भारत सरकार द्वारा वर्ष 2023 को 'अन्तराष्ट्रीय मिलेट वर्ष' के रूप में मनाया जा रहा है।
- राज्य में पहली बार पी0डी0एस0 के अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (अन्त्योदय व प्राथमिक परिवार) के राशनकार्ड धारकों को रागी (मंडुवा) वितरण किये जाने हेतु क्रय नीति तैयार कर भारत सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत मंडुवा क्रय की अनुमति प्राप्त की गयी।
- मिलेट वर्ष के अन्तर्गत 01 मई, 2023 से अगस्त, 2023 तक राज्य के दो मैदानी जनपदों (ऊधमसिंह नगर व नैनीताल) में अन्त्योदय व प्राथमिक परिवार के राशनकार्ड धारकों को प्रति राशन कार्ड 01 कि0ग्रा0 मंडुवा निःशुल्क वितरित किया गया है।
- मंडुवा के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने तथा पी0डी0एस0 में मंडुवा के वितरण से पर्वतीय क्षेत्र में कृषकों को जहाँ एक ओर आर्थिकी में सुधार होगा वहीं दूसरी ओर पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन को भी रोका जा सकेगा एवं उपभोक्ताओं को पोषण भी प्राप्त होगा।
- खरीफ खरीद सत्र 2023–24 के अन्तर्गत भारत सरकार से लगभग 0.164 लाख मी0टन मंडुवा क्रय किये जाने का लक्ष्य प्रस्तावित है।
- खरीफ खरीद सत्र 2023–24 के अन्तर्गत मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत क्रय एजेन्सी के माध्यम से दिनांक 23.12.2023 तक कुल 1590.201 मी0टन मंडुवा (रागी) का क्रय किया गया है।

रबी (गेहूँ) खरीद सत्र 2023–24 – रबी खरीद सत्र में गेहूँ का समर्थन मूल्य 2023–24 में 2125 रू0 है। रबी खरीद सत्र 2023–24 में 40 कृषकों से 314.050 मी0टन का क्रय किया गया है। कृषकों को पी0एफ0एम0एस0 / आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से उनके खाते में भुगतान किया गया है।

खरीफ (धान) खरीद सत्र 2023–24 के सम्बन्ध में – राज्य सरकार द्वारा धान का लक्ष्य 8.30 लाख मी0टन निर्धारित किया गया है। खरीफ खरीद सत्र 2023–24 में धान का समर्थन मूल्य कॉमन – 2183. 00 तथा ग्रेड ए का 2203 रू0 प्रति कु0 निर्धारित किया गया है। नामित क्रय संस्थाओं (खाद्य विभाग, सहकारिता, नेफेड, एन0सी0सी0एफ0) के संचालित क्रय केन्द्रों में वृद्धि करते हुये वर्ष 2023–24 में 765 क्रय केन्द्र स्थापित किये गये। खरीफ–खरीद सत्र 2023–24 में कृषकों से दिनांक 26.12.2023 तक 6.78 लाख मी0टन धान क्रय किया गया।

➢फोर्टिफाइड (विटामिन B-12) फोलिक एसिड तथा आयरन पोषणयुक्त) चावल का वितरण–

- यह योजना भारत सरकार तथा मा0 प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है।
- अप्रैल, 2022 से राज्य के दो जनपदों हरिद्वार तथा ऊधमसिंह नगर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत समस्त लाभार्थियों को फोर्टिफाइड चावल का वितरण प्रारम्भ किया गया।
- 01 अप्रैल, 2023 से पूरे राज्य में समस्त योजनाओं में फोर्टिफाईड चावल का वितरण किया जा रहा है।

➢ **राशनकार्ड धारकों को नमक का वितरण** – वित्तीय वर्ष 2023–24 में राज्य के अन्त्योदय राशनकार्ड धारकों को प्रति कार्ड 08 कि0ग्रा0 नमक सब्सिडाईज्ड दरों पर वितरण कराये जाने हेतु बजट प्राविधानित किया गया है।

➢ **राशनकार्ड धारकों को चीनी का वितरण** – वित्तीय वर्ष 2023–24 में राज्य के समस्त राशनकार्ड धारकों को प्रति कार्ड 02 कि0ग्रा0 चीनी सब्सिडाईज्ड दरों पर वितरण कराये जाने हेतु बजट प्राविधानित किया गया है। जिस सम्बन्ध में कार्यवाही गतिमान है।

"राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून"

- राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के गठन की तिथि अप्रैल, 2002 से दिसम्बर, 2023 तक 9126 वाद दर्ज हुए, इनमें से दिसम्बर 2023 तक 7915 वाद निस्तारित हो चुके हैं।

- जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोगो में गठन की तिथि से नवम्बर, 2023 तक

54464 मामले दर्ज हुए, इनमें से नवम्बर, 2023 तक 50216 मामले निस्तारित हो चुके हैं।

तालिका–8.5

क्र0सं0	जिला उपभोक्ता फोरम	दर्ज वादों की संख्या	निस्तारित वादों की संख्या	लम्बितवाद की संख्या
1.	हरिद्वार	11742	10476	1266
2.	देहरादून	15577	14086	1491
3.	उधमसिंहनगर	4167	3864	303
4.	उत्तरकाशी	2641	2559	82
5.	नैनीताल	6828	6665	163
6.	अल्मोड़ा	3644	3122	522
7.	पिथौरागढ़	1833	1777	56
8.	चमोली	1698	1596	102
9.	पौड़ी गढ़वाल	2346	2262	84
10.	चम्पावत	318	271	47
11.	टिहरी गढ़वाल	2556	2514	42
12.	बागेश्वर	590	535	55
13.	रूद्रप्रयाग	524	489	35
	योग	**54464**	**50216**	**4248**

"मुख्यमंत्री निःशुल्क गैस रिफिल योजना" – उत्तराखण्ड राज्य में अन्त्योदय अन्न योजना के राशनकार्ड धारकों को वित्तीय वर्ष 2022–23 में तीन गैस रिफिल निःशुल्क उपलब्ध कराया गया है। वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु उक्त योजना में 55 करोड़ ₹ का बजट प्राविधानित किया गया है। उक्त योजना में राज्य के लगभग 1.83 अन्त्योदय राशनकार्ड धारकों को लाभ दिया जा रहा है।

अध्याय–9
वन तथा पर्यावरण
Forest and Environment

वन, प्रकृति द्वारा हमें प्रदान की गई एक अमूल्य निधि है और ये हमारी सभ्यता, संस्कृति, समृद्धि एवं प्रगति के प्रतीक हैं। यह प्राकृतिक सौन्दर्य में वृद्धि करने के साथ–साथ हमारे पर्यावरण को प्रदूषित होने से रोकते हैं, जलवायु को संयत रखते हैं, भूमि तथा जल संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वन्यजीवों को संरक्षण प्रदान करते हैं तथा हमारे जीवन को आनन्दमय बनाते हैं। इनके विवेकपूर्ण संरक्षण और पृथ्वी पर इनकी एक निर्धारित मात्रा में उपस्थिति पर समस्त मानव एवं प्राणी जाति का अस्तित्व निर्भर करता है।

उत्तराखण्ड में विस्तृत वन क्षेत्र है जिसमें प्रचुर जैविक विविधता विद्यमान है। उत्तराखण्ड के भौगोलिक क्षेत्रफल का 71.05 प्रतिशत वनों से आच्छादित हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार की जड़ी–बूटियों के अतिरिक्त उच्च कोटि के साल, चीड़, देवदार, फर, स्प्रूस एवं बांज आदि के वन हैं जिनमें विभिन्न प्रकार के वन्यजीव वास करते हैं। महत्वपूर्ण वन्यजीवों में बाघ, तेंदुआ, हाथी, कस्तूरी मृग, "स्नो लैपर्ड" आदि एवं विभिन्न प्रकार के पक्षी, वनस्पति, सरीसृप, कीट–पतंगे आदि विद्यमान हैं। वन्यजीवों के संरक्षण हेतु प्रदेश में **6 राष्ट्रीय पार्क, 7 वन्यजीव विहार व 4 संरक्षण आरक्षित वन** उपलब्ध हैं, जहाँ वन्यजीवों एवं पक्षियों को संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। वर्ष 2018 की भारतीय वन्यजीव संस्थान–एन.टी.सी.ए. की गणना के अनुसार उत्तराखण्ड में बाघों की संख्या 442 हो गयी है। यह हर्ष का विषय है कि एक छोटा व पर्वतीय राज्य होने के बावजूद भी उत्तराखण्ड समूचे देश में ऐसा तीसरा राज्य बन गया है जिसमें बाघों की संख्या सर्वाधिक है।

संधारणीय विकास लक्ष्यों के लक्ष्य–15 के अन्तर्गत वन एवं पर्यावरण विभाग को रखा गया है, जिसमें 2030 तक फायर लाईन निर्माण हेतु 49524 कि0मी0 का लक्ष्य रखा गया है।

ग्राफ संख्या–9.1 में राज्य में वानिकी क्षेत्र में आवंटित बजट की स्थिति, कुल बजट तथा सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष प्रदर्शित है। वर्ष 2005–06 से वर्ष 2022–23 तक वन क्षेत्र में बजट आवंटन कुल बजट का 1.35 प्रतिशत से 3.98 प्रतिशत के मध्य रहा है। विभिन्न वर्षों में बजट आवंटन में उतार–चढ़ाव देखने को मिला है, जबकि वन क्षेत्र में आवंटित बजट जी0एस0डी0पी0 का 0.30 प्रतिशत से 1.05 प्रतिशत के मध्य रहा है।

ग्राफ संख्या:– 9.1

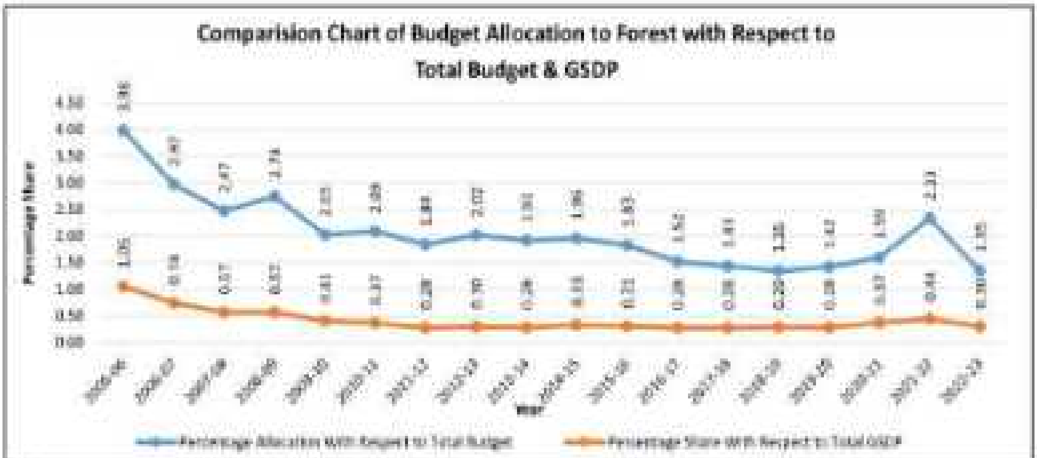

स्रोत :– अर्थ एवं संख्या निदेशालय

जनपदवार वनावरण

तालिका 9.1

India State of Forest Report - 2021 के अनुसार प्रदेश में वनावरण 24,305.13 वर्ग किमी. है, जिसका जनपदवार विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	जनपद	भौगोलिक क्षेत्रफल	वनावरण (वर्ग कि.मी.)				
			अत्यन्त घन वन	मध्यम घने वन	खुले वन	योग	भौगोलिक क्षेत्र के सापेक्ष वनाच्छादित क्षेत्र का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अल्मोड़ा	3,144	199.09	837	682.43	1,719.80	54.70
2	बागेश्वर	2,241	161.56	761.61	342.45	1,262.67	56.34
3	चमोली	8,030	443.08	1,580	693.48	2,710.11	33.75
4	चम्पावत	1,766	366.88	593	266.91	1,224.16	69.32
5	देहरादून	3,088	663.25	601.56	351.48	1,611.58	52.19
6	पौड़ी गढ़वाल	5,329	576.62	1,902.03	921.33	3,396.71	63.74
7	हरिद्वार	2,360	74.77	276.42	232.12	583.91	24.74
8	नैनीताल	4,251	772.89	1,728.93	551.74	3,044.49	71.62
9	पिथौरागढ़	7,090	505.54	965	615.04	2,080.75	29.35
10	रूद्रप्रयाग	1,984	251.94	580	311.46	1,142.30	57.58
11	टिहरी गढ़वाल	3,642	272.89	1,084.08	707.33	2,064.39	56.68
12	ऊधमसिंह नगर	2,542	148.17	188.75	91.51	428.08	16.84
13	उत्तरकाशी	8,016	618.63	1,706.86	714.79	3,036.15	37.88
	योग	**53,483**	**5055.31**	**12,805.24**	**6,482.07**	**24,305.13**	**45.44**

स्रोत :- India State of Forest Report, 2021

ग्राफ संख्या 9.2

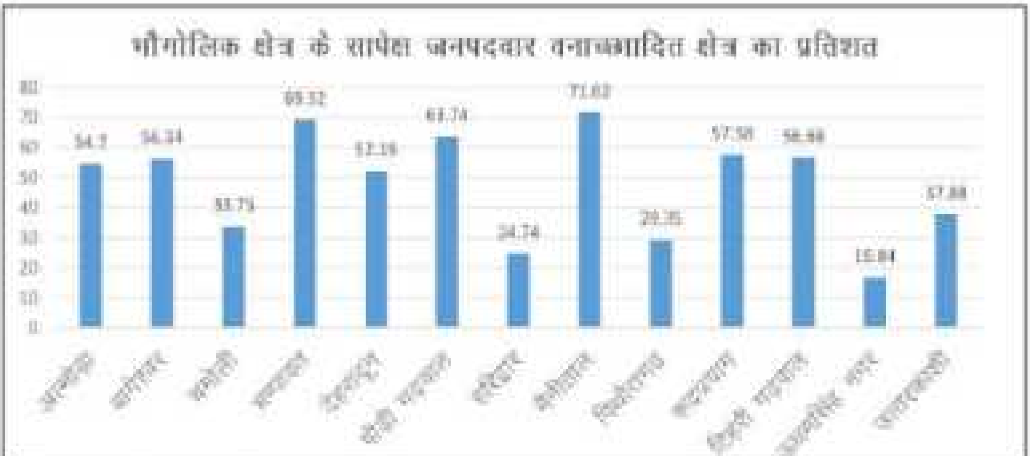

स्रोत :- India State of Forest Report, 2021

9.1 वनावरण में वृद्धि—वर्ष 2019 की भारतीय वन सर्वेक्षण (Forest Survey of India) रिपोर्ट के अनुसार वनावरण 24,303 वर्ग किमी0 पाया गया। भारतीय वन सर्वेक्षण (Forest Survey of India) की वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार वनावरण 24,305 वर्ग किमी0 पाया गया। दो वर्षों की अवधि में वनावरण में 2 वर्ग किमी0 की वृद्धि पायी गयी है।

9.2 विभागीय योजनाए— विभाग के अन्तर्गत वनों के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु वर्तमान में राज्य सेक्टर के अंतर्गत चल रहे प्रमुख योजनाये निम्न प्रकार है —

9.2.1 राजस्व अधिष्ठान एवं क्षमता विकास— पूर्व मे संचालित 05 (पाँच) योजनाओं को सम्मिलित करते हुए इस योजना का नाम अधिष्ठान एवं क्षमता विकास कर दिया गया है। **योजना का उद्देश्य** प्रशासन, क्षमता का विकास है

इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023—24 के लिये स्वीकृत आय—व्ययक ₹ 58663.57 लाख के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2023 तक ₹ 37045.76 लाख व्यय किया गया है।

9.2.2 वनीकरण एवं संरक्षण— पूर्व मे संचालित 14 योजनाओं को सम्मिलित करते हुए योजना का नाम **वनीकरण एवं संरक्षण** कर दिया गया है। **योजना का उद्देश्य** वृक्षारोपण एवं जल संरक्षण है।

इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023—24 के लिये स्वीकृत आय—व्ययक ₹ 10591.91 लाख के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2023 तक ₹ 4242.07 लाख व्यय किया गया है

9.2.3 वनों के सुरक्षा एवं प्रबंधन — पूर्व में संचालित 12 योजनाओं को सम्मिलित करते हुए इस योजना का नाम वनों की सुरक्षा एवं प्रबन्धन कर दिया गया है। **उक्त योजना का उद्देश्य** वनों की सुरक्षा एवं प्रबन्धन है।

इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023—24 के लिये स्वीकृत आय—व्ययक ₹ 8931.79 लाख के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2023 तक ₹ 2671.89 लाख व्यय किया गया है।

9.2.4 वन मार्ग, अश्व मार्ग, पुल एवं अन्य अवस्थापना विकास — इसमे पूर्व मे संचालित 3 योजनाओं को सम्मिलित करते हुए इस योजना का नाम परिवर्तित कर दिया गया है। **योजना का उद्देश्य** वन मार्ग, अश्व मार्ग, पुल एवं अन्य अवस्थापना विकास है।

इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023—24 के लिये स्वीकृत आय—व्ययक ₹ 3100.00 लाख के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2023 तक ₹ 371.20 लाख व्यय किया गया है।

9.2.5 आवासीय, अनावासीय भवनों का निर्माण एवं सुदृढीकरण— पूर्व में संचालित 2 योजनाओं को सम्मिलित किया गया है। उक्त योजना का उद्देश्य आवासीय, अनावासीय भवनों का निर्माण एवं अनुरक्षण इत्यादि कार्य है।

इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023—24 के लिये स्वीकृत आय—व्ययक ₹ 750.00 लाख के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2023 तक ₹ 390.28 लाख व्यय किया गया है।

9.2.6 मानव वन्यजीव संघर्ष एवं गूजर पुनर्वास— इस योजना में पूर्व में संचालित 9 योजनाओं को सम्मिलित करते हुए इस योजना का नाम मानव वन्यजीव संघर्ष एवं गूजर पुनर्वास कार्यक्रम कर दिया गया है। उक्त योजना का उद्देश्य **मानव वन्यजीव संघर्ष रोकथाम , जंगली जानवरों द्वारा जान—माल की क्षतिपूर्ति हेतु अनुग्रह राशि तथा वन्य जीवों से खेती सुरक्षा आदि** है।

इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023—24 के लिये स्वीकृत आय—व्ययक ₹ 2646.87 लाख के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2023 तक ₹ 1288.48 लाख व्यय किया गया है।

9.2.7 वन्य जीव, प्रबन्धन, राष्ट्रीय पार्कों एवं पक्षी विहारों का विकास तथा 'जू' प्रबन्धन– इस योजना का उद्देश्य वन्य जीवों का संरक्षण, उनके वास स्थलों का सुधार, चिड़ियाघर/रेस्क्यू सेन्टर्स (जू) का प्रबन्धन है।

इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिये स्वीकृत आय–व्ययक ₹ 653.68 लाख के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2023 तक ₹ 122.92 लाख व्यय किया गया है।

9.2.8 विभिन्न बोर्डों, परिषदों एवं फॉउण्डेशन को सहायता– इसमें पूर्व में संचालित 4 योजनाओं को सम्मिलित किया गया है। **योजना का उद्देश्य** विभिन्न बोर्डों, परिषदों से सम्बन्धित है।

इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिये स्वीकृत आय–व्ययक ₹ 2700.00 लाख के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2023 तक ₹ 400.34 लाख व्यय किया गया है।

9.3 उत्तराखण्ड प्रतिपूरक वनीकरण, अतिरिक्त प्रतिपूरक वनीकरण दंडित प्रतिपूरक वनीकरण, मृदा एवं जल संरक्षण/प्रतिकारात्मक वनीकरण प्राधिकरण (कैम्पा) :– वर्ष 2010–11 से कैम्पा परियोजना सोसाइटी मोड में गठित की गयी। वर्तमान में कैम्पा का संचालन उत्तराखण्ड प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबन्धन एवं नियोजन प्राधिकरण **(उत्तराखण्ड कैम्पा)** के माध्यम से किया जा रहा है। योजना के अन्तर्गत भारत सरकार की **"गाईडलाईन"** के अनुसार ए0पी0ओ0 को **"स्टेयरिंग कमेटी"** से अनुमोदित करवाकर राष्ट्रीय प्राधिकरण, भारत सरकार की कार्यकारी समिति के अन्तिम अनुमोदन के उपरान्त स्वीकृत करवाये जा रहे हैं।

तालिका– 9.2

वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक प्राविधान, अवमुक्त धनराशि तथा व्यय का योजनावार सारांश

(दिनांक 31.12.2023 की स्थिति) **(धनराशि– लाख में)**

वित्तीय वर्ष	योजना	आय–व्ययक प्राविधान	शासन से अवमुक्त धनराशि	माह दिसम्बर, 2023 तक का व्यय
1	2	3	4	5
2023-24	प्रतिपूरक वनीकरण, अतिरिक्त प्रतिपूरक वनीकरण, दंडित प्रतिपूरक वनीकरण, मृदा एवं जल संरक्षण/प्रतिकारात्मक वनीकरण प्राधिकरण (कैम्पा)	5680.00	5680.00	1729.87
	कैम्पा के अन्तर्गत वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य एवं दंडित वन भूमि का बिल	20017.00	17915.00	3698.23
	कैम्पा के अन्तर्गत कैट प्लान (जलागम क्षेत्र उपचार)	3357.00	4542.12	1561.56
	कैम्पा के अन्तर्गत समेकित जल एवं भूमि प्रबन्धन कार्यक्रम	1030.00	418.00	161.73
	कैम्पा से अर्जित ब्याज से व्यय	570.00	570.00	449.18
	कैम्पा के अन्तर्गत अन्य वृक्षारोपण, सुरक्षित क्षेत्र विकास, वृक्षों का पालन चार दीवार	1900.00	1691.00	112.93
योग		**32554.00**	**30816.12**	**7713.50**

9.4 वनों की वर्तमान स्थिति:– वर्तमान में विधिक एवं प्रबन्धन की दृष्टि से वनों की श्रेणियां आरक्षित वन (मुख्यतः वन विभाग के अधीन), सिविल सोयम वन (मुख्यतः राजस्व विभाग के अधीन), पंचायती वन (वन पंचायतों के अधीन), कैन्टोनमैन्ट वन (सेना के अधीन), नगरपालिका वन (नगरपालिकाओं के अधीन) तथा निजी वन (निजी भूमि मालिकों के अधीन) है।

तालिका–9.3

प्रदेश के मुख्य भौगोलिक आंकड़े

(क)	उत्तराखण्ड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल	53,483 वर्ग किमी
(ख)	उत्तराखण्ड में अभिलिखित कुल वन क्षेत्र	37,999.60 वर्ग किमी
	i. वन विभाग द्वारा प्रबन्धित वन क्षेत्र	25,863.18 वर्ग किमी
	ii. राजस्व विभाग द्वारा प्रबन्धित वन क्षेत्र	4,768.704 वर्ग किमी
	iii.वन पंचायतों द्वारा प्रबन्धित वन क्षेत्र	7,168.502 वर्ग किमी
	iv. निजी/अन्य संस्थाओं द्वारा प्रबन्धित वन क्षेत्र	156.444 वर्ग किमी
(ग)	भौगोलिक क्षेत्र के सापेक्ष अभिलिखित वन क्षेत्र	71.05 प्रतिशत

स्रोत–वन विभाग कार्यपूर्ति विवरणिका 2022–23

तालिका–9.4

अग्नि संवेदनशील वन भूभाग:–

संवेदनशीलता	क्षेत्रफल (वर्ग कि0मी0)	कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत
अति संवेदनशील	49.21	0.20
उच्च संवेदनशील	757.92	3.12
अधिक संवेदनशील	4070.09	16.75
मध्यम संवेदनशील	5887.70	24.22
कम संवेदनशील	13540.08	55.71

स्रोत :– India State of Forest Report, 2021

तालिका– 9.4 से स्पष्ट है कि एफ0एस0आई0 2021 की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 20 प्रतिशत वन भाग अग्नि के प्रकोप के लिहाज से उच्च/अधिक संवेदनशील है। जिसका क्षेत्रफल 4877.22 वर्ग कि0मी0 है तथा 49.21 वर्ग कि0मी0 का क्षेत्रफल अति संवेदनशील बताया गया है।

वन विभाग का सफलता सूचकांक

मद	सफलता सूचकांक
पर्यावरण/वन संरक्षण	उत्तराखण्ड जलवायु परिवर्तन कार्ययोजना का अनुमोदन भारत सरकार से प्राप्त कर लिया गया है। इस कार्य योजना में राज्य स्तर पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने की रणनीति निर्धारित की गयी है।
हरितिमा में वृद्धि	विभाग द्वारा सार्वजनिक एवं वन भूमि पर वर्ष 2014–15 में 17,404 है0, वर्ष 2015–16 में 17,441 है0, वर्ष 2016–17 में 18,251 है0 तथा वर्ष 2017–18 में 21397.26 है0, वर्ष 2018–19 में 20713 है0, वर्ष 2019–20 में 17402 है0, वर्ष 2020–21 में 15770 है0 एवं वित्तीय वर्ष 2021–22 में 16228 है0 वन क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया है।हमारा पेड़ हमारा धन योजना के अन्तर्गत जनता द्वारा वर्ष 2015–16,2016–17, 2017–18, 2018–19, 2019–20,2021–22 में अपने खेतों में क्रमशः 167528, 62847, 62847, 29316, 23500 व 4275 पौधों का रोपण किया गया। वित्तीय वर्ष 2021–22 में हरेला कार्यक्रमों में1237500 पौधों का निःशुल्क वितरण किया गया। वित्तीय वर्ष 2022–23 में हमारा स्कूल हमारा वृक्ष योजना के अन्तर्गत 124960 पौध एवं हरेला योजना के अन्तर्गत 72500 पौधों का निःशुल्क वितरण किया गया। इन सभी से भविष्य में हरितिमा में वृद्धि होगी।
वन्य जीवों में वृद्धि	प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का 14.78% क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र घोषित है। प्रदेश 442 बाघ व 2026 हाथियों के साथ वन्यजीवों के संरक्षण में देश में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वर्ष 2008 की गणना में बाघों की संख्या 164 थी, जो वर्ष 2010 में बढ़कर 227 हो गयी थी। वर्ष 2019 की गणना के आधार पर बाघों की संख्या 442 हो गयी है। बाघों की संख्या में उत्तराखण्ड देश में तीसरे स्थान पर है। यह उत्कृष्ट बायोडाइवर्सिटी – कन्जरवेशन" का द्योतक है। इनके संरक्षण के प्रति जागरूकता में वृद्धि व इन पर आधारित ईको टूरिज्म के दृष्टिगत उत्तराखण्ड का कार्बेट लैण्डस्केप विश्व में सर्वाधिक बाघ घनत्व के केन्द्र के रूप में उभर कर आया है तथा भारतीय वन्यजीव संस्थान की रिपोर्ट 2006 के अनुसार इस भू–खण्ड में औसतन 85 वर्ग किमी0 में 1 बाघ की उपस्थिति दर्ज की गयी है, जो राष्ट्रीय स्तर पर एक कीर्तिमान है। स्नो–लैपर्ड (हिम तेन्दुये) की प्रथम बार की गई गणना में 121 हिम तेन्दुये पाये गये हैं। इस वित्तीय वर्ष में उत्तरकाशी में स्नो लैपर्ड कन्जर्वेशन सेन्टर का निर्माण प्रस्तावित है।
कर्मचारियों तथा अन्य को प्रशिक्षण	प्रदेश की **वानिकी प्रशिक्षण अकादमी** में देश के **रेंज अधिकारियों** के आधारभूत प्रशिक्षण एवं उत्तराखण्ड वन विभाग के **वन दरोगा, वन आरक्षी, वन पंचायतों** के अधिकारियों/कर्मचारियों तथा **वन पंचायत** सदस्यों को प्रशिक्षण दिया गया। इसके अतिरिक्त प्रदेश में कालसी, जैती एवं कालागढ़ के प्रशिक्षण केन्द्रों में वन आरक्षियों व अन्य अधीनस्थ कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया है। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों से अधिकारियों/कर्मचारियों के तकनीकी ज्ञान में वृद्धि हुई है।
वन पंचायतों का सुदृढ़ीकरण	वन पंचायत क्षेत्रों में अग्नि सुरक्षा कार्यों हेतु वन पंचायतों के द्वारा ही स्थानीय ग्रामों के बेरोजगार युवक/युवतियों को वन पंचायत सहायक व सुरक्षा प्रहरियों के रूप में रोजगार दिया गया है। वन पंचायतों द्वारा वनों की अग्नि से सुरक्षा एवं अन्य वानिकी कार्यों में योगदान दिया जा रहा है। वन पंचायत नियमावली 2012 के अनुसार वन पंचायतों में 50 प्रतिशत महिलाओं को सरपंच बनाया जाना है।
प्रति वर्ष कार्बन पृथक्करण (Carbon Sequestration) मिलियन टन में	भारतीय वन सर्वेक्षण (Forest Survey of India) रिपोर्ट 2021 के अनुसार विगत दो वर्षों में उत्तराखण्ड के वनों ने 3.78 मिलियन टन कार्बन सोखा है।

उभरती हुयी चुनौतियां

(Emerging Issues and Risks)

- बढ़ती जनसंख्या से वनों पर दबाव में भारी वृद्धि।
- शहरीकरण व मानवीय दबावों के कारण वन्यजीवोंके वास स्थलों पर प्रभावों के कारण **मानव–वन्यजीव संघर्ष** की घटनायें।
- जलवायु परिवर्तन के कारण वनों में प्रजातियों पर प्रभाव तथा जल स्रोतों की कमी।
- ग्लेशियरों का पिघलना।
- आपदा से भू–स्खलन होने से वनों की हानि।
- गैर वानिकी कार्यों हेतु वन भूमि हस्तान्तरण के कारण वनावरण का प्रभावित होना।
- वनों के प्रबन्धन में स्थानीय समुदाय विशेषकर महिलाओं की सहभागिता।
- पंचायती वनो का सर्वेक्षण व सीमा स्तम्भों की स्थापना।
- जनता को गैर प्रकाष्ठ वन उपज (NTFP) के माध्यम से आजीविका के अतिरिक्त अवसर प्रदान करना।
- विकास कार्यों एवं वनों के संरक्षण में सामंजस्य स्थापित करना।
- वनों एव वन्य जीवों के प्रबन्धन हेतु कार्ययोजनाओं/प्रबन्ध योजनाओं के उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु समुचित बजट स्वीकृत किया जाना।
- प्रदेश के वनों से यद्यपि पर्याप्त राजस्व प्राप्त किया जा रहा है, फिर भी इसमें वृद्धि के उपायों पर कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

Uttarakhand Pollution Control Board

- **वायु गुणवत्ता की विशेषताएँ:–** राज्य के चार जनपदों देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल तथा ऊधमसिंह नगर में वायु गुणवत्ता मापन केन्द्र स्थापित है। जहाँ पर नियमित रूप से पी0एम0 10, पी0एम0 2.5, सल्फर डाई ऑक्साइड तथा नाईट्रिक्स आक्साईड के पूर्व निर्धारित मानकों के सापेक्ष वायु की गुणवत्ता का मापन किया जाता है। राज्य में वायु गुणवत्ता के मानक आवासीय तथा औद्योगिक/व्यवसायिक क्षेत्रों हेतु पृथक– पृथक निर्धारित है। राज्य इन केन्द्रों में वर्ष 2023 के माह नवम्बर में औसत वायु गुणवत्ता का विवरण निम्न तालिका– 9.5 में प्रदर्शित है:–

तालिका–9.5

Uttarakhand Ambient Air Quality Characteristics

Uttarakhand Pollution Control Board

Category	PM10		PM2.5		SO2		NO2	
Unit	µg/m3							
Time	Annual	24Hr	Annual	24Hr	Annual	24Hr	Annual	24Hr
Industrial, Residential, Rural and other Area								
Ecologically sensitive area (notified by Central Govt.)	60	100	40	60	20	80	30	80

S. No.	Name of City	Location	Monitoring	Category	PM 10	PM2.5	SO2	NO2
1	Dehradun	Clock Tower	Manual	Residential	209.05	95.97	9.93	20.27
		ISBT		Residential	202.16	97.46	10.41	20.11
		Rajpur		Residential	186.09	95.97	7.45	18.95
		Doon University	CAAQMS	Residential	95.3	55.5	0.8	2.8
Cumulative concentration								
2	Rishikesh	Nagar Nigam	Manual	Commercial	144.76	51.28	11.81	22.84
		SPS Hospital		Commercial	141.54	49.73	12.11	22.75
		Natraj Hotel		Commercial	146.63	55.21	13.85	24.3
		Shivaji Nagar	CAAQMS	Residential	51.48	20.73	4.97	5.49
Cumulative concentration								
3	Kashipur	Govt. Hospital		Sensitive	118.9		12.01	22.69
		Govt Girls Inter College		Sensitive	110.65	47.98	6.27	38
Cumulative concentration								
4	Haridwar	SIDCUL	Manual	Industrial	130.73	94.88	7.58	21.46
		Rishikul		Industrial	132.05	93.76	10.93	21.83
		Nagar Nigam Roorkee		Commercial	132.08		10.47	21
5	Rudrapur	Govt. Hospital	Manual	Sensitive	120.66		16.69	25.57
6	Haldwani	Jal Sansthan	Manual	Commercial				
7	Uttarkashi	CMO OFFICE	Manual	Commercial	26.47	12.91		
8	Tehri	Nagar Palika Parishad	Manual	Commercial	33.75	20.57		
9	Pauri	Nagar Palika Parishad	Manual	Commercial	32.5	11.61		
10	Gopeshwar	Nagar Palika Parishad	Manual	Commercial	35.51	12.89		
11	Almora	Vikas Bhawan	Manual	Commercial				
12	Bageshwar	Nagar Palika Parishad	Manual	Commercial				
13	Nainital	Nagar Palika Parishad	Manual	Commercial				

0 to 50 Green Good	51 to 100 Yellow Moderat	301 to 500 Maroon	AQI Parameters	201 to 300 Purple Very Unhealthy	151 to 200 Red Unhealthy	101 to 150 Orange Unhealthy

ध्वनि प्रदूषण:– राज्य के चार जनपदों देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल तथा ऊधमसिंह नगर में **ध्वनि प्रदूषण** मापन केन्द्र स्थापित है। जहाँ पर नियमित रूप से ध्वनि को न्यूनतम मानक, अधिकतम मानक व औसत मानक डेसिबल ईकाई में मापा जाता है। राज्य के इन केन्द्रों में वर्ष 2023 के माह अगस्त, सितम्बर तथा अक्टूबर में ध्वनि गुणवत्ता का विवरण निम्न तालिका– 9.6 में प्रदर्शित है:–

तालिका–9.6
राज्य के विभिन्न स्थानो पर ध्वनि प्रदूषण का विवरण

NOISE DATA-2023									
NOISE LEVEL DB(A) L AVERAGE									
	AUGUST			SEPTEMBER			OCTOBER		
	L Min	L Max	L AV	L Min	L Max	L AV	L Min	L Max	L AV
Survey Chowk,Dehradun	74.60	81.50	78.05	74.30	82.10	78.20	77.90	87.20	82.55
Doon Hospital,Dehradun	61.50	72.90	68.70	72.70	83.50	78.10	71.20	80.90	76.05
Clock Tower,Dehradun	71.70	82.50	77.10	75.20	87.90	81.55	76.50	89.40	82.95
Gandhi Park,Dehradun	64.30	76.90	70.60	68.30	84.20	76.25	71.50	83.20	77.35
Race Course,Dehradun	52.80	69.80	61.30	34.30	81.50	72.10	69.20	83.70	76.45
CMI Hospital Chowk,Dehradun	54.20	74.30	64.25	69.70	79.50	73.10	69.80	75.60	72.70
Nehru Colony,Dehradun	49.60	59.80	54.25	55.90	64.20	62.55	54.20	68.30	61.25
Pentagon Mall Chowk, SIDCUL, Haridwar	65.88	85.59	73.55	66.32	84.98	75.84	65.54	83.51	75.24
Rishikul Chowk,Haridwar	65.06	81.68	74.15	70.22	85.60	78.50	68.92	88.92	78.94
Mallital Near NPP Office Nainital	52.5	70.8	60.4	53.70	71.50	62.40	52.90	69.40	61.50
Awas Vikas Colony, Haldwani	45.1	58.5	52.8	40.50	57.20	51.10	42.30	55.10	49.70
Beersheba School Nainital Road, Haldwani	50.9	68.2	59.7	53.20	68.80	60.60	50.50	67.70	59.30
Tikonia Chauraha Nainital Road, Haldwani	56.8	73.5	64.1	56.40	73.10	64.90	54.80	71.50	63.10
Govt. Hospital, Kashipur	37.67	72.67	63.75	34.33	67.33	59.55	33.83	64.00	68.02
M.P. Chowk Kashipur	75.67	98.17	92.35	79.83	98.50	92.44	77.67	97.33	91.09
Residential Area Awas Vikas kashipur	42.67	73	70.17	42.00	68.67	68.98	40.33	8.50	72.87
Govt. Hospital, Rudrapur	44.33	77	71.56	41.50	74.33	66.29	31.83	60.67	67.89
DD. Chowk Rudrapur	81.33	97.83	92.53	81.00	98.00	93.50	79.50	97.67	92.07
Residential Area Awas Vikas Rudrapur	37.83	67.67	68.61	43.83	87.33	77.01	41.50	78.50	73.19

सेवा क्षेत्र

अध्याय–10
परिवहन एवं संचार
Transport and Communication

वर्तमान समय में किसी भी राष्ट्र या राज्य की प्रगति में परिवहन व संचार की महत्वपूर्ण भूमिका है। परिवहन व संचार के अभाव में किसी राष्ट्र या राज्य की प्रगति का मूल्यांकन भी आधार विहीन हो जाता है। उत्तराखण्ड राज्य के सम्बन्ध में इन दोनों कारकों (परिवहन व संचार) का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि हम जानते ही हैं कि उत्तराखण्ड राज्य की सीमाएं चीन व तिब्बत तथा नेपाल जैसे राष्ट्रों से लगती हैं, ऐसे में उत्तराखण्ड का सामाजिक महत्व और भी बढ़ जाता है। विगत कुछ समय से जिन क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं यथा दवाईया/खाद्यान्नों का नितांत अभाव था, वहां भी परिवहन एवं संचार के आधुनिक साधन अपनी पहुँच बना चुके है। इन दोनों की पहुँच तथा निरन्तर प्रगति ही उत्तराखण्ड की प्रगति महत्वपूर्ण आधार बन चुकी है। भविष्य में हम इनका सकारात्मक परिणाम देख पायेंगे।

10.1 उत्तराखण्ड परिवहन निगम–

उत्तराखण्ड में सड़क यातायात में उत्तराखण्ड परिवहन निगम की अहम भूमिका है। यह लोगों को राज्य में तथा राज्य के बाहर अन्य समीपवर्ती राज्यों में यातायात की सुविधायें प्रदान करता है। देहरादून, नैनीताल तथा टनकपुर में निगम के तीन डिवीजनल कार्यालय तथा 19 डिपो कार्यरत है। निगम 358 रूटों पर 971 सेवायें प्रदान कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में माह दिसम्बर, 2023 तक निगम द्वारा संचालित 1351 यात्री बसों में 1161.78 लाख किमी0 की संचालन से 344.56 लाख यात्रियों ने यात्रायें की। वर्तमान में निगम की 1309 बसों में से 553 बसें पर्वतीय तथा 756 बसें मैदानी क्षेत्रों में संचालित हो रही हैं। इनमें 153 सी0एन0जी0 बसों सहित 1242 साधारण बसें, 17 ए0सी0 बसें एवं 50 वोल्वो बसें शामिल हैं। बसों में कुल 1773 चालक एवं 2361 परिचालक हैं।

परिवहन निगम की वर्षवार आय, व्यय तथा लाभ/हानि के आंकड़े तालिका 10.1 में प्रदर्शित किये गये हैं।

तालिका सं0–10.1

उत्तराखण्ड परिवहन निगम की वर्षवार प्राप्तियां एवं व्यय एवं लाभ/ हानि (लाख में)

वर्ष	व्यय	प्राप्तियां	लाभ (+)/हानि(-)
2019-20	60313.89	56036.42	-4277.47
2020-21	42387.55	28415.01	-13972.54
2021-22	54935.42	47455.34	-7490.08
2022-23	68436.63	70092.55	+1655.92
2023-24 Upto Dec 2023	56270.20	59204.61	+2934.41

राज्य परिवहन निगम द्वारा अर्न्तराज्यीय मार्गों पर बसों के सुगम संचालन हेतु पड़ोसी राज्यों से परिवहन सम्बन्धी करार किये जा रहे है। हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तथा पूर्ववर्ती राज्य उत्तरप्रदेश, से पारस्परिक परिवहन करार हो चुका है तथा हरियाणा, चण्डीगढ, जम्मू कश्मीर, तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से परिवहन सम्बन्धित करार गतिशील है। पड़ोसी देश नेपाल के महेन्द्रनगर से देहरादून एवं दिल्ली और नेपालगंज से हरिद्वार तक बस संचालन पर भारत सरकार से अनुमति प्राप्त हुई है।

10.1.1 परिवहन निगम की मुख्य उपलब्धियां– वित्तीय वर्ष 2023–24 (माह दिसम्बर तक) में परिवहन निगम की बसों की बस उपयोगिता 321, लोड फैक्टर 77% तथा प्रतिबस प्रतिदिन आय ₹ 16674 रही ।

1–एच0आर0एम0एस0(Human Resources Management System) – निगम मुख्यालय स्तर पर एच0आर0एम0एस0 सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है जिसके अन्तर्गत कार्मिको से सम्बन्धित समस्त डाटा उपलब्ध है (ऑनलाईन गोपनीय प्रविष्टि, उपस्थिति, अवकाश आदि)।

2–हमसफर ऐप – वर्तमान में हमसफर ऐप द्वारा सड़क दुर्घटनाओं को न्यूनतम करने हेतु अलर्ट का प्रयोग करने वाला उत्तराखण्ड देश का पहला राज्य परिवहन निगम है।

3–इनवेंटरी प्रबन्धन– एन0आई0सी0 के माध्यम से निगम में कार्यशाला की इन्वेन्टरी प्रबन्धन हेतु सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है जिसमें डाटा की एण्ट्री की कार्यवाही गतिशील है।

4–जी0पी0एस0(Global Positioning System) – वर्तमान में निगम वाहनों मे जी0पी0एस0 युक्त उपकरण लगाये जा चुके है जिनके द्वारा वाहनों की वास्तविक स्थिति को ट्रैक किया जा सकता है एवं निगम के वाहनों को अनाधिकृत मार्गों पर संचालित होने से रोका जा सकेगा।

5–ई0टी0एम0 (Electronic Ticket Machine) – वर्तमान में निगम के पास लगभग 1500 एण्ड्रॉएड युक्त ई0टिकटिंग मशीनें हैं, जिनके द्वारा परिचालक, यात्रियों को टिकट प्रदान करता है। जिसके लिए यू0पी0आई के माध्यम से भी भुगतान किया जा सकता है।

6–ऑन लाईन बुकिंग की सुविधा:– उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बसो में ऑन लाईन टिकट बुकिंग की सुविधा प्रदान की गयी है। ऑनलाइन बुकिंग हेतु यात्री यूजर लॉगिन कर, Website एवं App. के माध्यम तथा कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) से विभिन्न सेवाओं (Non-Stop/ Volvo /AC/Ordinary/ Hill) द्वारा निगम की बसों का टिकट बुक किया जा सकता है।

7–ई ऑफिस :–ई–ऑफिस हेतु मुख्यालय स्तर के कार्मिकों के ई–मेल तथा आई0डी0 बनाये गये हैं। माह सितम्बर, 2023 से ई–ऑफिस कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

10.1.2 परिवहन निगम द्वारा संचालित योजनाएं:–परिवहन निगम विभिन्न श्रेणियों के यात्रियों हेतु निम्न योजनायें संचालित करता है:–

तालिका 10.2

उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा संचालित योजनायें

क्र0सं0	योजना का नाम	विवरण
1	मासिक पास योजना	परिवहन निगम की बसों में दैनिक यात्रा करने वाले यात्रियों हेतु माह में 30 ट्रिप यात्राओं मासिक पास योजना वर्ष 2011 से लागू है। जारी किये गये पास की वैधता 30 दिन है। 2022–23 में 13436 तथा चालू वित्तीय वर्ष में दिसम्बर 2023 तक 15986 पास जारी किये गये।
2	छात्राओं हेतु निःशुल्क यात्रा	परिवहन निगम की बसों में छात्राओं को अपने घर से विद्यालय तक आवागमन हेतु निःशुल्क यात्रा की सुविधा 2013 में प्रारम्भ की गई। 2022–23 में 588113 छात्राओं को तथा चालू वित्तीय वर्ष में दिसम्बर 2023 तक 486169 छात्राओं को निःशुल्क सुविधा प्राप्त हुई।
3	रक्षाबंधन के दिन महिलाओं को निःशुल्क यात्रा	महिलाओं को रक्षा बन्धन के अवसर पर निगम की साधारण बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा 2008 में प्रारम्भ की गई है। अगस्त, 2022 में 41500 महिलाओं को तथा चालू वित्तीय वर्ष में अगस्त 2023 में 60263 महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्राप्त हुई।
4	दिव्यांग व्यक्तियों को निःशुल्क यात्रा सुविधा	निगम द्वारा 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के व्यक्तियों को निगम की साधारण बसों में प्रदेश के भीतर निःशुल्क यात्रा सुविधा 2003 से संचालित है। 2022–23 में 269803 तथा चालू वित्तीय वर्ष में दिसम्बर 2023 तक 207971 विकलांग यात्रियों को निःशुल्क सुविधा प्राप्त हुई।
5	वरिष्ठ नागरिकों हेतु निःशुल्क यात्रा सुविधा	निगम की साधारण बसों में प्रदेश के भीतर वरिष्ठ नागरिकों को प्रदेश के भीतर निःशुल्क यात्रा की सुविधा वर्ष 2015 में प्रारम्भ की गई। वर्ष 2022–23 में **2058247** यात्रियों को तथा चालू वित्तीय वर्ष में दिसम्बर 2023 तक **1712931** यात्रियों को सुविधा प्राप्त हुई।
6	स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा दिवगंत हुये स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों की विधवाओं एवं उनके प्रथम पीढ़ी के उत्तराधिकारियों को परिवहन निगम की साधारण बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा	वर्ष 2022–23 में **11467** यात्रियों को सुविधा प्राप्त हुयी तथा चालू वित्तीय वर्ष के माह दिसम्बर 2023 तक 6201 यात्रियों को लाभान्वित किया गया।
7	उत्तराखण्ड राज्य के आंदोलनकारियों को निःशुल्क यात्रा की सुविधा	वर्ष 2022–23 में 41031 तथा चालू वित्तीय वर्ष के माह दिसम्बर 2023 तक **73098** यात्रियों को लाभान्वित किया गया।
8	मान्यताप्राप्त पत्रकारों को निःशुल्क यात्रा	यह सुविधा वर्ष 2006 में प्रारम्भ हुयी 2022–23 में मा0 सदस्यों द्वारा 11868 तथा चालू वित्तीय वर्ष के माह दिसम्बर 2023 तक **10846** यात्रियों को लाभान्वित किया गया।

देहरादून नगर मे परिवहन व्यवस्थित करने हेतु UTC के अंतर्गत एक SPV (Special Purpose Vehicle) कम्पनी देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लि0 बनाया जाना प्रस्तावित है जिसमें प्रमुख रूप से निम्न कार्य किये जाने प्रस्तावित है–

1–PM eBus Sewa के अंतर्गत देहरादून नगर हेतु 100 बसें और हरिद्वार हेतु 50 बसें संचालित किया जाना प्रस्तावित है जिसका प्रथम ड्राफ्ट तैयार हो चुका है।

2– देहरादून नगर में 50 CNG बसें संचालित किया जाना प्रस्तावित है।

3– उत्तराखण्ड / देहरादून नगर में बस संचालन उत्तराखण्ड परिवहन निगम के अधीन SPV बनाकर बसें संचालित करने का प्रारूप तैयार किया गया है।

10.2 परिवहन विभाग प्रदेश मे नये वाहनों का पंजिकरण, सड़क पर वाहनों का नियमन, नये ड्राइविंग लाइसेन्स निर्गत करना परिवहन विभाग का मुख्य कार्य है ।

प्रदेश में मोटर वाहनो की संख्या में हो रही उत्तरोत्तर वृद्धि एवं उनके नियन्त्रण को दृष्टिगत प्रत्येक उपसम्भाग में प्रवर्तन दलों का गठन किया गया है।

10.2.1 परिवहन विभाग द्वारा कृत कार्यों एवं उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण निम्नवत है–

परिवहन विभाग की विभिन्न सेवाओं से वर्षवार कुल राजस्व प्राप्तियों का विवरण तालिका 10.3 में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका 10.3

वित्तीय वर्ष	वर्ष में कुल राजस्व प्राप्तियाँ	
	लक्ष्य (₹ करोड़ में)	राजस्व प्राप्तियाँ (₹ करोड़ में)
2019–20	965.00	880.03
2020–21	980.00	712.50
2021–22	1050.00	881.10
2022–23	1155.00	1158.37
2023–24 (माह दिसम्बर, 2023 तक)	1475.00	952.65

चार्ट 10.1
परिवहन विभाग में (वित्तीय वर्ष 2014–15 से माह दिसम्बर 2023 तक) कुल पंजीकृत वाहनों का विवरण

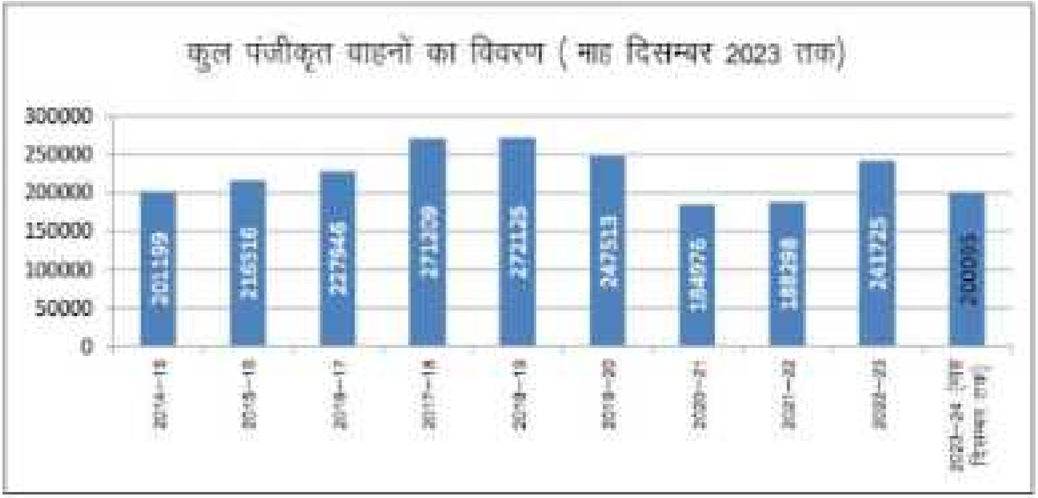

स्रोत: परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

तालिका 10.4
प्रवर्तन सम्बन्धी कार्य

क्र0 सं0	वित्तीय वर्ष	चैक किये गये वाहन	चालान किये गये वाहन	सीज वाहन	प्रशमन शुल्क (लाख रू0 में)
1	2019–20	908642	91594	8180	2691.00
2	2020–21	625262	62912	2722	1729.66
3	2021–22	956806	92092	4416	2161.54
4	2022–23	816841	127044	6630	2740.04
5	2023–24 (माह दिसम्बर, 2023)	815216	163371	6071	2709.95

तालिका 10.5
राज्य में घटित सड़क दुर्घटनाओं का विवरण

वर्ष	सड़क दुर्घटनाओं की संख्या	मृतकों की संख्या	घायलों की संख्या	दुर्घटना की गम्भीरता (प्रतिशत में)
2019	1353	866	1459	64.01
2020	1041	674	854	64.74
2021	1405	820	1091	58.36
2022	1674	1042	1613	62.24
2023	1691	1054	1488	62.33

10.2.2 रोजगार–

• प्रत्यक्ष रोजगार– वित्तीय वर्ष 2017–18 से वित्तीय वर्ष 2023–24 (माह दिसम्बर, 2023 तक) 137 नियमित नियुक्तियाँ एवं 25 आउटसोर्सिंग के माध्यम से कुल 162 नियुक्तियाँ प्रदान की गई है।

• अप्रत्यक्ष रोजगार– वित्तीय वर्ष 2017–18 से वित्तीय वर्ष 2023–24 (माह दिसम्बर, 2023 तक) कुल 148468 परमिट जारी किए गए हैं, जिनके माध्यम से लगभग 222700 लोगों को स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2023–24 के माह नवंबर, 2023 तक कुल 366 प्रदूषण जाँच केन्द्र, 22 मान्यता प्राप्त गैराज, 55 मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल एवं रेन्ट ए मोटर साईकिल (स्कीम), 1997 के अंतर्गत जारी लाईसेंसों (391 लाईसेंस) के माध्यम से भी लगभग 1000 लोगों को स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं।

10.2.3 ई–गवर्नेन्स के माध्यम से जनता को ऑनलाईन सेवाएं–

• सभी 21 संभागीय/उपसंभागीय परिवहन कार्यालयों में वैब आधारित 'वाहन 4.0' एवं 'सारथी 4.0' रौल आउट कर दिया गया है।

• लाईसेन्स सम्बन्धी समस्त सेवाएं एवं वाहनों के पंजीयन सम्बन्धी 13 सेवाओं के अतिरिक्त 06 अन्य सेवाओं (कर, परमिट, बी0एच0 सीरीज, ट्रेड सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन तथा ई–चालान सॉफ्टवेयर के अन्तर्गत चालान का प्रशमन शुल्क ऑनलाइन माध्यम से जमा किया जाना) सहित कुल 19 सेवाओं को ऑनलाईन किया गया है।

• डिजीलॉकर एवं एम–परिवहन एप तथा एम–फिटनेस एप संचालित किये जा रहे हैं।

• उत्तराखण्ड राज्य में बी0एच0 सीरीज व्यवस्था लागू की गई है।

• ऑनलाईन ग्रीन कार्ड एवं ट्रिप कार्ड व्यवस्था– चारधाम यात्रा पर आने वाले व्यावसायिक यात्री वाहनों को परिवहन विभाग द्वारा निर्गत किये जाने वाले ग्रीन कार्ड एवं ट्रिप कार्ड की व्यवस्था ऑनलाईन कर दी गई है।

10.2.4 सेवा का अधिकार के अन्तर्गत 58 सेवाओं को अधिसूचित किया जाना–

परिवहन विभाग द्वारा सेवा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अभी तक केवल 04 सेवाएं अधिसूचित थी। उक्त सेवाओं की संख्या में वृद्धि करते हुए वाहनों के पंजीयन एवं लाईसेन्स से सम्बन्धित 58 सेवाओं को सेवा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचित किया गया है।

10.2.5 ई–व्हीकल पॉलिसी–

राज्य में इलैक्ट्रिक वाहनों को बढावा देने के लिए एवं स्वच्छ व प्रदूषण मुक्त वायु उपलब्ध कराने हेतु नई ई–व्हीकल पॉलिसी प्रस्तावित की गई है। वर्तमान में देहरादून शहर में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत 30 इलैक्ट्रिक बसें संचालित हो रही हैं। इलैक्ट्रिक वाहन क्रय करने पर टैक्स में छूट का प्रस्ताव दिया गया है।

10.2.6 उत्तराखण्ड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि नियमावली, 2008–

• सार्वजनिक सेवायानों से होने वाली दुर्घटनाओं में यात्री या अन्य व्यक्ति की मृत्यु होने पर या दो अंगो की पूर्ण हानि होने पर या दोनों नेत्रों की दृष्टि की पूर्ण हानि होने पर दी जाने वाली आर्थिक सहायता को दोगुना करते हुए मृतक आश्रित को ₹ 2,00,000.00 की राहत राशि दिए जाने का प्राविधान किया गया है।

• उत्तराखण्ड में सड़क सुरक्षा के सुदृढ़ीकरण तथा सड़क सुरक्षा उपायों के क्रियान्वयन हेतु पुलिस एवं परिवहन विभाग द्वारा मोटरयान अधिनियम 1988 के अन्तर्गत एक वित्तीय वर्ष में एकत्रित किए गए प्रशमन शुल्क की धनराशि का 25 प्रतिशत नियमानुसार अगले वित्तीय वर्ष हेतु बजट प्राविधान कराकर जमा कराई जाती है। उक्त नियमावली में संशोधन करते हुए इसे 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दिया गया है।

• उत्तराखण्ड सूचना प्रौद्योगिकी (परिवहन विभाग में इलैक्ट्रोनिक रिकार्ड दाखिल, सृजित एवं जारी करने का यूजर चार्ज) नियमावली, 2011 संशोधन करते हुए ऑनलाईन सेवाओं हेतु प्रति लेन–देन (Transaction) ₹ 20 से बढ़ाकर ₹ 50 कर दिया गया है।

10.2.7 विभागांतर्गत गतिमान एवं प्रस्तावित योजनाओं का विवरण–

• **HAMS (Harnessing Automobile Safety) के माध्यम से चालकों की परीक्षा**–चालकों की लापरवाही से होने वाली दुर्घटनाओं पर रोक लगाने की दृष्टि से माइक्रोसॉफ्ट कम्पनी के साथ मिलकर (HAMS) Harnessing Automobile Safety सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। उक्त सॉफ्टवेयर के माध्यम से चालकों की परीक्षा ऑटोमेटेड रूप से लिए जाने की व्यवस्था है तथा परीक्षा की रिकॉर्डिंग हेतु सीसीटीवी की व्यवस्था की गई है। उक्त व्यवस्था पायलेट प्रोजेक्ट के रुप में आई0डी0टी0आर0 देहरादून में माह जुलाई–2019 से प्रारम्भ की गई है। हरिद्वार एवं ऋषिकेश में ड्राइविंग ट्रैक्स का निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त मारुति सुजुकी इण्डिया लिमिटेड के सहयोग से ट्रैक्स के संचालन HAMS सॉफ्टवेयर के माध्यम से किए जाने की प्रक्रिया गतिमान है।

• **ऑटोमेटिड ड्राईविंग टेस्ट ट्रैक की स्थापना**– वाहन चालकों की परीक्षा कम्प्यूटरीकृत रूप में लिये जाने हेतु राज्य के सभी जनपदों के समस्त 21 परिवहन कार्यालयों में ऑटोमेटिड ड्राईविंग टेस्ट ट्रैक की स्थापना की जा रही है, इस हेतु 12 कार्यालयों में विभाग को भूमि प्राप्त हो गई है।

• 01 कार्यालय (देहरादून) में संचालित।

• 02 कार्यालयों (हरिद्वार एवं ऋषिकेश) में सिविल कार्य पूर्ण है एवं ट्रैक्स का संचालन HAMS सॉफ्टवेयर के माध्यम से किए जाने की प्रक्रिया गतिमान है।

• 08 कार्यालयों (कोटद्वार, अल्मोड़ा, काशीपुर उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, रुड़की, रामनगर एवं हल्द्वानी) में ट्रैक निर्माण का कार्य गतिमान है।

• इसके अतिरिक्त 01 कार्यालय (पौड़ी) हेतु डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही गतिमान है।

• शेष 09 कार्यालयों हेतु भूमि चयन की प्रक्रिया गतिमान है।

• **ऑटोमेटिड फिटनेस टेस्टिंग लेन की स्थापना**–राज्य में वाहनों की फिटनेस में गुणवत्ता विकास एवं फिटनेस संबंधी कार्य मानवीय हस्तक्षेप के बिना कम्प्यूटरीकृत रूप से किए जाने के दृष्टिगत ऑटोमेटिड टेस्टिंग लेन की स्थापना की जा रही है।

• भारत सरकार के सहयोग से 02 कार्यालयों (ऋषिकेश एवं कोटद्वार) में उक्त लेन की स्थापना की जा रही है।

• राज्य बजट से 04 स्थानों पर उक्त लेन की स्थापना की कार्यवाही गतिमान है। पिथौरागढ़ एवं

उत्तरकाशी में उक्त लेन निर्माणाधीन है, जबकि पौड़ी एवं अल्मोड़ा हेतु भूमि उपलब्ध हो गई है।

• इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र के माध्यम से 7 स्थानों पर ऑटोमेटेड टेस्टिंग लेन का निर्माण/संचालन किया जाना है, जिसके अन्तर्गत 03 स्थानों पर (देहरादून, रूद्रपुर एवं हल्द्वानी) उक्त लेन स्थापित की गई है, जबकि 04 स्थानों पर (हरिद्वार, रूड़की, विकासनगर एवं टनकपुर में) उक्त लेन की स्थापना हेतु प्रारम्भिक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र निर्गत किए गए हैं।

• **चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क की स्थापना**–स्कूली बच्चों को बचपन से ही मनोरंजन के साथ–साथ शिक्षा के माध्यम से सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने हेतु प्रत्येक जनपद में चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में उक्त ट्रैफिक पार्क के विकास हेतु देहरादून, हरिद्वार, पिथौरागढ़ एवं अल्मोड़ा में भूमि चिन्हित की गई है। डी0पी0आर0 निर्माण की कार्यवाही गतिमान है।

• **ए0एन0पी0आर0 (Automatic Number Plate Recognition) कैमरों की स्थापना**– राज्य की सीमा पर परिवहन विभाग की चैकपोस्टों को समाप्त करते हुए ए0एन0पी0आर0 कैमरों की स्थापना की जा रही है। उक्त कैमरों के माध्यम से इलैक्ट्रानिक इनफोर्समेन्ट की कार्यवाही गतिमान है। प्रथम चरण में 10 स्थानों पर कैमरों की स्थापना की गई है। जबकि द्वितीय चरण में 07 स्थानों पर उक्त कैमरों की स्थापना की कार्यवाही गतिमान है। इसके अतिरिक्त प्रथम चरण की 04 लोकेशन को अपग्रेड भी किया जा रहा है। तृतीय चरण में 20 नए स्थानों पर कैमरों की स्थापना प्रस्तावित है। उक्त ए0एन0पी0आर0 कैमरों के माध्यम से दिसंबर, 2023 तक 49649 चालान किए गए एवं ₹ 47.14 लाख का प्रशमन शुल्क वसूल किया गया है।

• **इलैक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना**– उत्तराखण्ड राज्य में इलैक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहन देने हेतु चारधाम मार्ग पर सड़कों पर 35 से 40 किमी0 की दूरी पर इलैक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन हेतु भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय के सहयोग से लगभग 900 किमी0 में 33 स्थलों का चयन कर डीपीआर भारत सरकार को प्रेषित की गयी है। अन्य मार्ग स्थलों के चिन्हीकरण की कार्यवाही गतिमान है।

• **अर्बन मोबिलिटी प्लान**–उत्तराखण्ड राज्य में नगरीय यातायात को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से प्रत्येक नगर में अर्बन मोबिलिटी प्लान को लागू किया जाना प्रस्तावित है। E&Y (Ernst and Young) तथा Macknsy फर्म द्वारा देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर, हल्द्वानी आदि नगरों में अर्बन मोबिलिटी प्लान तैयार किया जाना प्रस्तावित है। इस योजना के अंतर्गत देहरादून नगर में संचालित 250 बसों/विक्रम वाहनों को सी0एन0जी0/इलैक्ट्रिक वाहनों से प्रतिस्थापित किया जाना है।

• **रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रैपिंग सुविधा**–वर्तमान में भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में ऐसे शासकीय वाहनों हेतु, जिनकी मॉडल सीमा 15 वर्ष से अधिक हो चुकी है, के स्क्रैपिंग हेतु पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा की व्यवस्था की गई है। जिसके अंतर्गत उत्तराखण्ड परिवहन विभाग द्वारा अभी तक 02 फर्मों को पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा हेतु अनुज्ञप्ति जारी की गई है। स्क्रैप किए गए वाहनों के सापेक्ष क्रय किए गए वाहनों को कर में छूट का प्राविधान। स्क्रैपिंग कराने वाले वाहनों को बकाए में छूट प्रस्तावित। उपरोक्त माईल स्टोन पूर्ण

करने पर ₹ 60.00 करोड़ की केन्द्रीय सहायता मिलेगी।

• **डायनैमिक टास्क फोर्स** –सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के साथ ही कर अपवंचना, यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों, तीव्र गति से संचालित वाहनों के विरुद्ध प्रवर्तन कार्यवाही एवं चैकिंग हेतु 09 डायनैमिक टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जो 24*7 प्रवर्तन कार्य करते हैं।

• **चालक कल्याण योजना**–इस योजना का प्रारम्भ चारधाम यात्रा के वाहन चालक/परिचालकों से किया गया। इस योजना के उद्देश्य यात्रा के प्रमुख पड़ावों पर रियायती विश्राम स्थल होना, विश्राम स्थलों पर चिकित्सीय परीक्षण होना, दुर्घटना की स्थिति में बीमा कवर प्रदान किया जाना, उत्कृष्ट चालकों को प्रोत्साहन दिया जाना, टैक्नोलॉजी के माध्यम से मार्किंग अनुसार प्रोत्साहन देना तथा चालकों का डाटा बैंक तैयार करना है।

• **सड़क सुरक्षा जागरूकता के दृष्टिगत गतिमान कार्यवाही का विवरण**–10 स्थानों पर स्पीड रडारगन युक्त ए०एन०पी०आर० (Automatic number-plate recognition) कैमरों के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक इनफोर्समेन्ट की कार्यवाही की जा रही है। स्कूली बच्चों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने की दृष्टि से परिवहन विभाग द्वारा कक्षा–3 से 12 तक के बच्चों के लिये सड़क सुरक्षा एक पहल पुस्तक का संकलन किया गया है। उक्त पुस्तक की 52000 प्रतियां मुद्रित कराते हुए सभी स्कूलों में अध्यापकों के उपयोगार्थ वितरित कराई गई है। वर्ष 2023–24 में कक्षा 9 से 12 तक के छात्र–छात्राओं हेतु सड़क सुरक्षा नियमों से सम्बन्धित पुस्तिका का प्रकाशन किए जाने की कार्यवाही गतिमान है। स्कूलों में सड़क सुरक्षा जागरूकता के अंतर्गत वर्ष 2022 में 350 एवं वर्ष 2023 में 475 कार्यक्रम संचालित है।

• **सड़क सुरक्षा फिल्मों का निर्माण**–विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से सामान्य जनमानस को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने हेतु 08 लघु फिल्मों का निर्माण कराया गया है और उन्हें विभिन्न माध्यमों से प्रसारित किया गया है।

• **ओवरस्पीडिंग पर नियन्त्रण हेतु वाहनों में गति नियन्त्रक उपकरण की स्थापना**–ओवरस्पीडिंग के कारण होने वाली दुर्घटनाओं पर रोक लगाने हेतु व्यावसायिक वाहनों में गति नियन्त्रक (Speed Limiting Device) उपकरण की अनिवार्यता की गई है। दिनांक दिसम्बर, 2023 तक 119137 वाहनों में गति नियन्त्रक उपकरण संयोजित किए जा चुके हैं। परिवहन उपनिरीक्षक स्तर पर 30 प्रवर्तन दलों (बाईक स्क्वॉड) का गठन किया गया है । इसी क्रम में 25 बॉडी वार्न कैमरों के माध्यम से प्रवर्तन दलों का सुदृढ़ीकरण करते हुये 05 इन्टरसेप्टर वाहनों तथा 13 स्पीड रडार गन का क्रय किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में 31–12–2023 तक प्राविधानित बजट 26140.06 लाख रुपये/स्वीकृत बजट 19388.56 लाख रुपये व्यय 15619.90 लाख रुपये है।

10.3 डाक संचार

प्रदेश में डाक विभाग की प्रगति

तालिका 10.6

उत्तराखण्ड डाक परिमण्डल में डाकघरों की संख्या

वर्ग	शहरी	ग्रामीण	कुल
जी०पी०ओ०	01	0	01
प्रधान डाकघर	12	0	12
उपडाकघर	286	96	382
शाखा डाकघर	80	2261	2341
कुल	**379**	**2357**	**2736**

तालिका 10.7

उत्तराखण्ड डाक परिमण्डल में बचत बैंक खातों की संख्या (31.12.2023 तक)

बचत खाते (SB)	1382067
आवर्ती जमा (RD)	1746459
मासिक आय योजना (MIS)	153064
सावधि जमा (TD)	461474
लोक भविष्य निधि (PPF)	50268
सुकन्या समृद्धि योजना (SSA)	528134
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS)	28450
राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC)	837462
किसान विकास पत्र (KVP)	794421
महिला सम्मान बचत पत्र (MSSC)	21810

तालिका 10.8

डाक यातायात(बुकिंग / डिलीवरी) (दिसम्बर 2023 तक)

क्र०सं०	विवरण	संख्या	राजस्व (करोड़ ₹ में)
अ.	पत्रों /पार्सल की बुकिंग		
1	पार्सल	438829	5.53
2	पंजीकृत पत्र	1618995	11.54
3	स्पीड पोस्ट	1699222	6.6
4	पंजीकृत समाचार पत्र	38922	0.07
5	अन्तर्राष्ट्रीय छोटे पैकेट	32830	2.10

6	मुद्रित पुस्तकें	31230	0.11
7	पत्रिकाएं	352	.028
8	बिजनेस पोस्ट	528629	.018
9	पंजीकृत पुस्तक पैकेट	3258	0.01
4.	**पत्र / पार्सल का वितरण**		
1	पार्सल	589155	
2	स्पीड पोस्ट	4107615	

तालिका 10.9
वित्तीय सेवा

क्र0सं0	विवरण	(दिसम्बर 2023 तक)
1	खोले गए पी0ओ0एस0बी0 (पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक) खाते	414114
2	बंद हुए पी0ओ0एस0बी0 खाते	318286
3	वर्तमान में संचालित कुल पी0ओ0एस0बी0 खाते	95828
4	जारी किए गए बचत पत्र	44214

तालिका 10.10
डाक जीवन बीमा(पी0एल0आई0) और ग्रामीण डाक जीवन बीमा (आर0पी0एल0आई0) में उपलब्धियाँ

क्र0सं0	माह दिसम्बर, 2023 तक	
	विवरण	डाक जीवन बीमा
1	नई पॉलिसियों की संख्या	4082
2	प्रीमियम से प्राप्त धनराशि (करोड़ रुपये में)	90.67
ग्रामीण डाक जीवन बीमा(आर0पी0एल0आई0)		
1	नई पॉलिसियों की संख्या	8318
2	प्रीमियम से प्राप्त धनराशि (करोड़ रुपये में)	64.90

तालिका 10.11
वर्ष 2023–24 में माह दिसम्बर 2023 तक प्राप्त शिकायतें व उनके निपटान का विवरण

क्र0सं0	शिकायतों का प्रकार	प्राप्ति कीसंख्या	निस्तारण की संख्या
1	सीपीग्राम (Centalised Public Grievance Redress and Monitoring)	698	683
2	सीआरएम पोर्टल (Customer Relationship Management Portal)	6520	6301

• वित्तीय वर्ष 2023–24 में माह दिसम्बर 2023 तक परिमण्डल के डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र के माध्यम से कुल 51574 पासपोर्ट आवेदनों का प्रसंस्करण किया गया।

10.3.2 गंगाजल परियोजना

गंगोत्री (उत्तराखण्ड में गंगा नदी के उद्‌गम) से गंगा नदी के पवित्र जल गंगाजल का संग्रह किया जा रहा है, जिसका निस्पंदन और बॉटलिंग दिनांक 01.01.2019 से उत्तरकाशी मुख्य डाकघर में 250 मिलीलीटर की आकार की बोतलों में किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में माह दिसम्बर, 2023 तक गंगाजल की कुल 2927 बोतलें उत्तराखण्ड परिमण्डल के डाकघरों के माध्यम से वितरित की गयी।

तालिका 10.12
आधार पंजीकरण एवं अद्यतन केन्द (दिसम्बर, 2023 तक)

क्र0सं0	विवरण	संख्या
1	आधार पंजीकरण एवं अद्यतन केन्द्र	211
2	आधार पंजीकरण एवं अद्यतन किये गये	70033
3	आधार सेवाओं से प्राप्त कुल राजस्व(लाख रूपये में)	26.80

10.3.3 जन सेवा केन्द्र(सीएससी):–

सीएससी के माध्यम से समस्त प्रकार की सेवायें जैसे बिजली का बिल,पानी का बिल,आदि आर सी टी सी बुकिंग,प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना एवं मोबाइल/डिश टी0वी0 रिचार्ज प्रदान की जा रही हैं। वित्तीय वर्ष 2023–24 में माह दिसम्बर, 2023 तक सीएससी लेनदेन से डाक विभाग उत्तराखण्ड परिमण्डल ने 63.465 लाख रूपये का राजस्व अर्जित किया।

10.3.4 यात्री आरक्षण तन्त्र(पी.आर.एस):–

उत्तराखण्ड परिमण्डल में कुल 10 पैसेन्जर रिजर्वेशन सिस्टम (पी.आर.एस) अल्मोड़ा (05), नैनीताल(02), पिथौरागढ़(03) स्थापित है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में माह दिसम्बर, 2023 तक 13727 टिकट बुक किये गये और 2.16 लाख रूपये का राजस्व अर्जित किया।

10.3.5 डाकघर निर्यात केन्द्र (डी.एन.के):–

वर्तमान में उत्तराखण्ड परिमण्डल में 18 डाकघर निर्यात केन्द्र स्थापित है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में माह दिसम्बर, 2023 तक 6092 सामान बुक किये गये जिससे 50.18 लाख रूपये का राजस्व अर्जित किया है।

10.3.6 पार्सल पैकेजिंग यूनिट :–

पार्सल के सुरक्षित प्रेषण के लिये उत्तराखण्ड परिमण्डल में 36 पार्सल पैकेजिंग यूनिट की स्थापना की गयी है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में माह दिसम्बर, 2023 तक 1.24 करोड़ रूपये का राजस्व अर्जित किया है।

अध्याय–11

पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन

Tourism and Civil Aviation

हिमालय की गोद में बसा, उत्तराखण्ड राज्य भारतीय उप महाद्वीप की अद्वितीय सुंदरता का प्रमाण है। बर्फ से ढकी चोटियों और घने जंगलों से लेकर शांत झीलों और बहती नदियों तक अपने विविध परिदृश्यों के लिए प्रसिद्ध देश के उत्तर में अवस्थित यह प्रदेश प्राकृतिक वैभव और सांस्कृतिक समृद्धि का भी एक अनूठा मिश्रण है। इन सभी विशेषताओं एवं प्राकृतिक सौन्दर्य के कारण पर्यटको के लिए **"सचमुच स्वर्ग"** की उक्ति को साकार करता है।

राज्य की भौगोलिक विविधता ने अनेको पर्यटन आकर्षणों को जन्म दिया है, जिनमें से प्रत्येक का अपना अलग महत्व है। पवित्र नदियों गंगा और यमुना का उद्गम स्थल भी इसी राज्य में है। प्रमुख धार्मिक स्थल जैसे यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुण्ड साहिब, नानकमत्ता, पिरान कलियर, महासू देवता, जागेश्वर, आदि कैलाश आदि तीर्थस्थल लाखों पर्यटकों/यात्रियों को आकर्षित करते है। कुंभ नगरी हरिद्वार तथा योगनगरी ऋषिकेश भी प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में देशी एवं विदेशी पर्यटकों की मेजबानी करता है।

उत्तराखण्ड पर्यटन का दायरा आध्यात्मिकता एवं धार्मिकता से कहीं आगे तक फैला हुआ है। जहां साहसिक उत्साही लोग ट्रैकिंग, रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग और स्कीइंग जैसे साहसिक क्रीडाओं का रोमांच प्राप्त करते है। वहीं फूलों की घाटी, कार्बेट, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीवों के साथ ही लुभावनी अल्पाइन वनस्पतियों को प्रदर्शित करती है। प्रकृति एवं वन्य जीव प्रेमियों को यह सभी स्थल बरबस ही अपनी ओर आकर्षित करते है।

पर्यटन विभाग राज्य में विविध एवं मनमोहक पर्यटन स्थलों के सतत एवं सुनियोजित विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। विभाग स्थायी पर्यटन प्रथाओं, सामुदायिक जुडाव और प्रौद्योगिकी के एकीकरण के लिये प्रतिबद्ध है। राज्य में पर्यटन क्षेत्र की सफलता सरकार स्थानीय समुदायओं, निजी उद्यमियों के साथ ही यात्रियों/पर्यटको के सहयोगात्मक प्रयासो पर निर्भर है। राज्य की आर्थिकी में पर्यटन की हिस्सेदारी लगभग 14 प्रतिशत है जिसे सभी हितधारको के सहयोग एवं प्रयासों से निश्चित रूप से बढाया जा सकता है।

11.1 पर्यटन विभाग के बजट परिव्यय का कुल बजट एवं GSDP से प्रतिशत– वर्ष 2005–06 में पर्यटन विभाग का बजट परिव्यय कुल बजट का 0.73 प्रतिशत था जोकि वर्ष 2022–23 में घटकर 0.51 प्रतिशत है हालांकि गतवर्ष 2021–22 के सापेक्ष यह बढ़ा है। GSDP में पर्यटन विभाग का योगदान वर्ष 2005–06 में 0.19 प्रतिशत था जो कि वर्ष 2022–23 में घटकर 0.11 प्रतिशत है।

चार्ट – 10.1

स्रोतः अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उत्तराखण्ड

10.1.1 पर्यटन नीति 2023 :– पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या TS-1-UTDB/21/2022-VI-1-Tourism Dept. I/112351/2023 दिनांक 06 अप्रैल 2023 द्वारा उत्तराखण्ड पर्यटन नीति 2023 प्रख्यापित की गयी है, जो कि 31 मार्च 2030 तक क्रियाशील रहेगी। राज्य में पर्यटन के विकास में सहायता एवं प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु यह एक व्यापक एवं दूरदर्शी नीति है। उत्तराखण्ड राज्य की विकास गाथा मे पर्यटन क्षेत्र के हितधारकों को लाभान्वित करने की परिकल्पना से यह पर्यटन नीति बनायी गयी है।

नीति के प्रमुख उद्देश्य

- राज्य में आतिथ्य तथा पर्यटन परियोजनाओं में निजी क्षेत्र के निवेश को सुगमता प्रदान करना।
- नवीन पर्यटक गंतव्यों तथा अद्वितीय पर्यटन उत्पादों का सृजन एवं विकास कर विभिन्न पर्यटन अवयवों में बेजोड अनुभव का अवसर प्रदान करना।
- सभी पर्यटन गंतव्यों पर आवश्यक बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना। प्रमुख पर्यटक स्थलों की पहुंच हेतु यात्रा समय को कम करने के लिए पहुंच अवसंरचना का विकास एवं सुधार।
- उत्तराखण्ड आने वाले पर्यटकों के साथ–साथ संभावित आगंतुकों को यात्रा से पूर्व, यात्रा के दौरान और यात्रा के बाद तक सूचनायें प्रसारित करना।
- सत्यापित पर्यटन सेवा प्रदाताओं तथा उद्योगकर्मियों का मानकीकरण।
- राजस्व वृद्धि हेतु डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से बुकिंग करना।
- सटीक पर्यटक व्यवहार सम्बन्धी आंकड़ों के समावेश हेतु पर्यटन से सम्बंधित इकाईयों एवं सेवाओं (जैसे आतिथ्य प्रदाता) का एक डिजिटल डाटा बेस तैयार करना।
- राज्य की छवि एक सुरक्षित और पर्यटन अनुकूल स्थल के रूप में विकसित और सुदृढ़ बनाना।

• स्थानीय समुदाय को समानुपाती पर्यटन लाभ प्रदान किये जाने हेतु समुदाय आधारित समावेशी पर्यटन रणनीतियों को बढ़ावा देना। आपदा प्रतिरोधी पर्यटन अवसंरचना का विकास सुनिश्चित करना।

• "हब एवं स्पोक मॉडल" के माध्यम से संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना तथा प्रमुख पर्यटक स्थलों की धारक क्षमता की समस्या का निराकरण करना।

नीति में निर्धारित लक्ष्य:

• पर्यटन के माध्यम से उत्तराखण्ड की आर्थिकी में 10 बिलियन अमेरिकन डालर का वार्षिक तथा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 15 प्रतिशत योगदान।

• वर्ष 2030 तक पर्यटन क्षेत्र में 40,000 करोड़ का निवेश तथा न्यूनतम 100 लोक निजी सहभागिता की परियोजनाओं का क्रियान्वयन (वर्ष 2027 तक 30,000 करोड़ का निवेश तथा न्यूनतम 70 लोक निजी सहभागिता परियोजनाएं)।

• उत्तराखण्ड मे पर्यटन एवं सहायक उद्योगों में न्यूनतम 30 प्रतिशत महिलाओं की सहभागिता के साथ कुल 20 लाख रोजगार का सृजन।

• पर्यटन एवं इसके सहायक उद्योगों में 10 लाख कामगारों का कौशल विकास करना।

• उत्तराखण्ड में पर्यटकों के अधिवास की औसत अवधि को 4 से 5 दिन तक बढ़ाना।

• प्रदेश मे गैर धार्मिक प्रयोजन हेतु आने वाले कुल पर्यटकों की संख्या मे विदेशी पर्यटकों की संख्या का अनुपात 05 प्रतिशत तक बढ़ाना।

• उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद के अधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर 50 लाख फोलाअर्स (follower) तक पहुंच बनाना।

नीति में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु रणनीतिक रोडमैप

(1) ब्रांडिंग, मार्केटिंग और प्रचार	(2) डिजिटल फर्स्ट
(3) फोकस पर्यटन सेगमेंट	(4) पर्यटन अवसंरचना
(5) निवेशकों की सुगमता	(6) पर्यटकों की सुगमता
(7) कौशल विकास तथा प्रशिक्षण	(8) सामुदायिक तथा स्थानीय विकास
(9) सतत पर्यटन	

11.3 पर्यटन स्वरोजगार योजनाएं:- उत्तराखण्ड राज्य के मूल/स्थाई निवासियों एवं मुख्य रूप से युवावर्ग को पर्यटन सेक्टर में अधिकाधिक स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड की प्रथम स्वरोजगार योजना "वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना" का प्रारम्भ 01 जून, 2002 को किया गया। यह योजना राज्य के मूल/स्थाई निवासियों को स्वरोजगार प्रदान कर स्वावलम्बी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण सिद्ध हो रही है।

तालिका 11.1
वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना के अंतर्गत जनपद वार लाभार्थियों का विवरण

क्र0सं0	जनपद का नाम	2022–23 में लाभार्थियों की संख्या	2023–24 में लाभार्थियों की संख्या (दिसम्बर 2023 तक)
01	देहरादून	21	21
02	उत्तरकाशी	21	11
03	हरिद्वार	13	09
04	टिहरी	26	31
05	पौड़ी	32	29
06	चमोली	11	13
07	रुद्रप्रयाग	14	16
08	अल्मोड़ा	25	26
09	बागेश्वर	25	06
10	पिथौरागढ़	16	03
11	चम्पावत	16	12
12	नैनीताल	43	31
13	ऊधमसिंहनगर	11	07
	कुल योग	**285**	**215**

स्रोत: पर्यटन विभाग उत्तराखण्ड

11.3.1 पं0 दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होमस्टे योजना):– ग्रामीण पर्यटन विकसित करने तथा पलायन को रोकने के उद्देश्य से "पं0 दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होमस्टे) विकास योजना" प्रारम्भ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के निवासियों को होमस्टे निर्माण हेतु 50 प्रतिशत अधिकतम ₹ 15.00 लाख का पूंजी अनुदान तथा प्रथम 05 वर्षों तक अधिकतम 50 प्रतिशत अधिकतम ₹ 1.50 लाख की दर से ब्याज अनुदान दिये जाने का प्राविधान किया गया है।

तालिका 11.2
पं0दीन दयाल उपाध्याय अंतर्गत जनपद वार लाभार्थियों का विवरण

क्र0सं0	जनपद का नाम	2022–23 में लाभार्थियों की संख्या	2023–24 में लाभार्थियों की संख्या (दिसम्बर 2023 तक)
01	अल्मोड़ा	19	26
02	बागेश्वर	8	4
03	चम्पावत	14	10
04	चमोली	35	20
05	देहरादून	6	3
06	हरिद्वार	2	1
07	नैनीताल	30	13
08	पौड़ी	18	8
09	पिथौरागढ़	13	5
10	रुद्रप्रयाग	18	11

11	टिहरी	32	19
12	ऊधम सिंह नगर	1	1
13	उत्तरकाशी	26	17
	कुल योग	**222**	**138**

स्रोत: पर्यटन विभाग उत्तराखण्ड

तालिका 11.3
दीन दयाल उपाध्याय होमस्टे होम स्टे "पंजीकरण योजना"

क्र०सं०	जनपद	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24 (दिसम्बर 2023 तक)
1	अल्मोड़ा	139	36
2	बागेश्वर	64	9
3	चम्पावत	10	9
4	चमोली	113	15
5	देहरादून	207	101
6	हरिद्वार	16	21
7	नैनीताल	291	129
8	पौड़ी	84	17
9	पिथौरागढ़	106	34
10	रूद्रप्रयाग	46	21
11	टिहरी	80	49
12	ऊधम सिंह नगर	2	0
13	उत्तरकाशी	96	86
	कुल योग	**1253**	**527**

स्रोत: पर्यटन विभाग उत्तराखण्ड

11.3.3 "ट्रैकिंग ट्रक्शन सेंटर होम–स्टे अनुदान योजना":– वर्ष 2020 में "ट्रैकिंग ट्रक्शन सेंटर होम–स्टे अनुदान योजना" प्रारम्भ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत ट्रैकिंग ट्रक्शन सेंटर मुख्य शहर से दूर ऐसे स्थानों पर विकसित किये जायेंगे जहां से अधिकतम ट्रैकिंग मार्ग गुजरते हो। इन सेंटरों से गुजरने वाले ट्रैकिंग मार्गों पर स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार उपलब्ध कराये जाने हेतु ट्रैकिंग ट्रक्शन सेंटर से 02 किमी0 की परिधि व ट्रैकिंग मार्ग पर होमस्टे बनाये जाने पर आकर्षक राज्य सहायता उपलब्ध करायी जा रही है।

11.4 धार्मिक पर्यटन

- चारधाम यात्रा–2023 के अन्तर्गत (18 अक्टूबर 2023 तक) बद्रीनाथ में 15.90 लाख, केदारनाथ में 17.08 लाख, गंगोत्री में 8.57 लाख, यमुनोत्री में 6.94 लाख एवं हेमकुण्ड साहिब में 1.77 लाख कुल 50.29 लाख श्रद्धालुओं / यात्रियों द्वारा वर्ष 2023 में चारधाम तथा श्री हेमकुण्ड साहिब के दर्शन किये गये है।
- चारधाम यात्रा हेतु वर्ष 2023 ऑनलाईन पंजीकरण व्यवस्था के अन्तर्गत मोबाईल एप, टोल फ्री नं0 के साथ ही WhatsApp एवं कन्ट्रोल रूम में फोन के माध्यम से पंजीकरण किये जाने की व्यवस्था की गयी है।
- चारधाम यात्रा 2023 हेतु पर्यटकों की सहायता व सुरक्षा के दृष्टिगत आउटसोर्स (उपनल / पी0आर0डी0) के माध्यम से यात्राकाल में धामों में पुरुष व महिला "पर्यटन सहायता व सुरक्षा मित्र" की तैनाती भी प्रथम बार की गयी है।

11.4.1 डेस्टीनेशन बेस्ड प्लानिंग::–

• **श्री केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण:–** वर्ष 2013 में आयी भीषण प्राकृतिक आपदा के उपरान्त श्री केदारनाथ धाम पुनर्निर्माण के उद्देश्य से "श्री केदारनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट" की वर्ष 2017 में स्थापना की गई। श्री केदारनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों से सी0एस0आर0 मद के अन्तर्गत प्रथम चरण में ₹ 225.00 करोड़ के कार्य पूर्ण कराये गये है तथा वर्तमान में दूसरे चरण में ₹ 198.00 करोड़ के निर्माण कार्य एवं तीर्थ यात्रियों हेतु आवासीय सुविधाऐं विकसित किये जाने हेतु ₹190.00 करोड़ के कार्य गतिमान है। जिनका वर्ष 2024 तक पूर्ण कराये जाने का लक्ष्य निर्धारित है।

• **श्री बद्रीनाथ धाम का विकास:–** मा0 प्रधानमंत्री जी के दिशा–निर्देशों पर बद्रीनाथ धाम को एक Smart Spiritual Hill Townds रूप में विकसित किये जाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा चरणबद्ध रूप से कार्य किये जा रहे है। भारत सरकार के विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों से ₹ 273. 00 करोड़ के कार्य निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व निधि (सी0एस0आर0 फण्ड) के अंतर्गत कराये जा रहे हैं। इन कार्यों में घाट निर्माण, रैन सेल्टर, टूरिस्ट इन्टरपिर्टेशन सेन्टर आदि अवस्थापना सुविधाओं के कार्य किये जा रहे है। उक्त के अतिरिक्त तीर्थ यात्रियों हेतु आवासीय सुविधाऐं विकसित किये जाने हेतु ₹ 40.00 करोड़ के कार्य सी0एस0आर0 मद के अन्तर्गत गतिमान है। राज्य सरकार द्वारा भी भूमि अधिग्रहण के लिए लगभग ₹ 160 करोड़ व्यय किये जा रहे है।

• **जागेश्वर धाम:–** महासू देवता, हनोल, गंगोत्री–यमुनोत्री का डेस्टीनेशन बेस्ड प्लान तैयार कर विकास किये जाने सम्बंधी कार्यवाही विभिन्न चरणों में गतिमान है।

अध्यात्मिक पर्यटन

उत्तराखण्ड में आने वाले पर्यटकों में चारधाम तीर्थ यात्रियों का एक बड़ा हिस्सा होता है जो राज्य की पर्यटन अर्थव्यवस्था में भी अच्छा–खासा योगदान देता है। परन्तु चारधाम यात्रा केवल गढ़वाल क्षेत्र तक ही सीमित होने के कारण इसका लाभ कुमाऊँ क्षेत्र को प्राप्त नही हो पाता है जबकि कुमाऊँ क्षेत्र में ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व वाले मंदिरों की एक समृद्ध विरासत विद्यमान है परन्तु सुविधाओं के अभाव के कारण ये गंतव्य पर्यटन मानचित्र में यथोचित स्थान पाने से वंचित रह गए हैं। कुछ मंदिर रखरखाव के अभाव के कारण जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है जबकि कई अन्य खराब कनैक्टिविटी, बुनियादी ढांचे और पर्यटक सुविधाओं की कमी के कारण इन महत्वपूर्ण धरोहरों की पर्यटन क्षमता का दोहन नहीं किया जा सका है। फलस्वरूप स्थानीय समुदाय आर्थिक और समाजिक रूप से पर्यटन का अपेक्षित लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहा है।

"मानसखण्ड मंदिर माला मिशन":– उत्तराखण्ड राज्य में गढ़वाल तथा कुमाऊँ क्षेत्र सम्मिलित है। राज्य का अधिकांश भाग मध्य हिमालय क्षेत्र में अवस्थित है। पुराणों में वर्तमान गढ़वाल क्षेत्र को केदारखण्ड एवं कूर्मांचल/कुमाऊँ को 'मानसखण्ड' के नाम से उल्लिखित किया गया है।

प्राचीन साहित्य (पुराणों) में भौगोलिक दृष्टि से हिमालय को पाँच खण्डों में विभाजित किया गया है– नेपाल खंड, मानसखण्ड (कूर्मांचल/कुमाऊँ), केदारखण्ड (गढ़वाल), जालंधर खंड (हिमाचल), एवं कश्मीर खंड।

प्राचीन मानसखण्ड साहित्य के अनुसार मानसखण्ड का विस्तार पर्वतीय सीमा "नंद पर्वत"(नंदा देवी गिरि पिण्ड का पूर्वी शिखर नंदाकोट) से आरंभ होकर काकगिरि (पश्चिमी नेपाल का एक पर्वत) तक है। इस क्षेत्र में अनेकों

प्राचीन मंदिर एवं गुफाएं अवस्थित है।

राज्य सरकार गढ़वाल मण्डल में होने वाली चारधाम यात्रा की भांति मानसखण्ड मंदिर माला मिशन के रूप में कुमाऊँ क्षेत्र की ऐसी प्राचीन गुफाओं एवं पौराणिक मंदिरो का चिन्हिकरण करते हुये इनमें आवश्यकतानुसार अवस्थापना सुविधाएं विकसित करना चाहती है। जिससे देशी विदेशी पर्यटकों को क्षेत्र की समृद्ध पौराणिक एवं सांस्कृतिक विरासत से परिचित कराया जा सके।

- राज्य सरकार द्वारा इस मिशन के लिए कुल–48 मंदिरों को चिन्हित किया गया है। जिसमें से प्रथम चरण में 16 मंदिरों के अवस्थापना विकास कार्य किये जाने प्रस्तावित है। जिसमे इनका समुचित प्रचार–प्रसार के साथ – साथ परिवहन सुविधाओं में सुधार, स्थानीय समुदाय की भागीदारी से आवासीय सुविधाएं तथा शौचालय, पेयजल, विद्युत, सीवेज, स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और अंतिम छोर तक संपर्क हेतु जागरूकता प्रदान की जा रही है । प्रथम चरण में कुल 16 मंदिरो के सम्बन्ध में कन्सलटेंट के माध्यम से " Concept Plan – DPR for Holistic Development of Manaskhand Temple Area Surroundings" तैयार करवाया जा रहा है जिनका विवरण निम्नवत् है–

तालिका 11.4

क्र0सं0	जनपद का नाम	मंदिर का नाम
01	अल्मोड़ा	जागेश्वर महादेव
02		चितई गोलज्यू मंदिर
03		सूर्यदेव मंदिर कटारमल
04		कसारदेवी मंदिर
05		नंदा देवी मंदिर
06	पिथौरागढ़	पाताल भुवनेश्वर गंगोलीहाट
07		हाटकालिका मंदिर गंगोलीहाट
08	बागेश्वर	बागनाथ महादेव बागनाथ
09		बैजनाथ मंदिर
10	चम्पावत	पाताल रुद्रश्वर गुफा
11		पूर्णागिरी मंदिर
12		देवीधुरा, बाराहीदेवी मंदिर
13		बालेश्वर मंदिर
14	नैनीताल	नैनादेवी मंदिर
15		कैंची धाम मंदिर
16	ऊधमसिंहनगर	चैती बालसुंदरी मंदिर

स्रोत: पर्यटन विभाग उत्तराखण्ड

3– मा0 प्रधानमंत्री जी द्वारा माह अक्टूबर 2023 को जागेश्वर धाम अल्मोड़ा, हाटकालिका मंदिर पिथौरागढ़, नैना देवी मंदिर नैनीताल में पर्यटन अवस्थापना कार्यों का शिलान्यास किया गया है।

तालिका 11.5

क्र0	मानसखण्ड मंदिर का नाम	अनुमानित लागत (₹ करोड़ में)
01	जागेश्वर धाम, जनपद अल्मोड़ा	₹10.00
02	हाटकालिका मंदिर, जनपद पिथौरागढ़	₹7.90
03	नैना देवी मंदिर, जनपद नैनीताल	₹12.10

स्रोत: पर्यटन विभाग उत्तराखण्ड

11.6 पर्यटन क्षेत्र हेतु प्रोत्साहनः–

उत्तराखण्ड सरकार पर्यटन क्षेत्र के उद्यमों / परियोजनाओं को समर्थन दिए जाने हेतु विभिन्न प्रोत्साहन पैकेजों (Incentive) को प्रदान करने की इच्छुक है।

- **पात्र पर्यटन इकाई**

यह नीति मौजूदा संचालित और प्रस्तावित दोनों पर्यटन परियोजनाओं को समर्थित और प्रोत्साहित करती है इसमे पर्यटन परियोजनाओं को दो भागों मे बांटा गया है – नवीन परियोजनायें तथा पूर्व से चल रही परियोजनायें ।

इस नीति के अंतर्गत "पूंजीगत अनुदान" (Capital Subsidy) की पात्रता के प्रयोजन हेतु ऐसी परियोजनाओं/उद्यमों पर विचार किया जायेगा, जो अनुदान के आवेदन की तिथि को नवसृजित हो, अथवा विद्यमान इकाई अपना विस्तार या विविधिकरण कर रही है।

नीति के अंतर्गत दिये जाने वाले प्रोत्साहन

1. पूंजीगत अनुदान

• आवासीय परियोजनाओं (होटल, रिसॉर्ट आदि) के लिए पूंजीगत अनुदान

1 परिभाषित श्रेणी के अनुसार अधिकतम पूंजीगत अनुदान, वाणिज्यिक उत्पान (Commercial Operation Date) की तिथि से 10 समान वार्षिक किश्तों में अर्थात पूंजीगत अनुदान का 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष,

अथवा

2 इकाई द्वारा पिछले 12 महीनों के लिए भुगतान किया गया नेट राज्य वस्तु एवं सेवाकर (SGST) का 75 प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन, मे से जो भी कम हो, अनुदान देय होगा।

• **विपणन और प्रचार के लिए प्रोत्साहन**– (अधिकतम पूंजीगत अनुदान के 01 प्रतिशत की **सीमा तक)**

• **प्रशिक्षण और कौशल के लिए प्रोत्साहन**– (अधिकतम पूंजीगत अनुदान के 0.5 प्रतिशत की सीमा तक)

• **ब्याज अनुदान**– (अधिकतम पूंजीगत अनुदान के 01 प्रतिशत की सीमा तक)

• **अपशिष्ट उपचार के लिए प्रोत्साहन** (अधिकतम पूंजीगत अनुदान के 0.25 प्रतिशत की सीमा तक)

• **11.6.3 पूर्व से चल रही परियोजनायें** –

इस नीति के अन्तर्गत "सकल आय" (Turnover) आधारित अनुदान के लिए ऐसी परियोजनाए या उद्यम अर्ह होंगे, जो कि आवेदन की तिथि से पूर्व ही संचालित हो।

तालिका 11.6

श्रेणी	श्रेणीकरण के लिए मानदण्ड	अधिकतम पूंजी अनुदान
अ	• हरिद्वार, नैनीताल तथा ऊधमसिंह नगर सम्पूर्ण जिला • जिला देहरादून के ऐसे क्षेत्र जो श्रेणी 'ब' में सम्मिलित नही है, • जिला अल्मोड़ा के रानीखेत तथा अल्मोड़ा तहसील,	25 प्रतिशत
ब	• जिला अल्मोड़ा का शेष क्षेत्र (जो श्रेणी 'अ' में सम्मिलित नही है) • जिला देहरादून के कालसी, चकराता तथा त्यूनी तहसील, • जिला बागेश्वर की गरुड़ तहसील, • जिला पौड़ी गढ़वाल की कोटद्वार, लैंसडाउन, यमकेश्वर तथा धूमाकोट तहसील, • जिला टिहरी गढ़वाल की धनौल्टी तथा नरेन्द्रनगर तहसील	35 प्रतिशत
स	• उत्तरकाशी, चमोली, चम्पावत, रूद्रप्रयाग तथा पिथौरागढ़ का सम्पूर्ण क्षेत्र • जिला बागेश्वर, पौड़ी गढ़वाल तथा टिहरी गढ़वाल का शेष क्षेत्र (जो श्रेणी 'ब' में सम्मिलित नही है)	50 प्रतिशत

• **पर्यटन उत्पादों और सेवाओं के विकास के लिए पूंजीगत अनुदान**

a) 100 प्रतिशत तक अधिकतम पूंजीगत अनुदान, वाणिज्यिक उत्पान (Commercial Operation Date) की तिथि से 05 समान वार्षिक किश्तों में अर्थात पूंजीगत अनुदान का 20 प्रतिशत प्रतिवर्ष,

अथवा

b) इकाई द्वारा पिछले 12 महीनों के लिए भुगतान किया गया नेट राज्य वस्तु एवं सेवाकर (SGST) का 75: अतिरिक्त प्रोत्साहन, मे से जो भी कम हो, अनुदान देय होगा।

पर्यटन उत्पादों और सेवाओं के विकास के लिए अतिरिक्त वार्षिक प्रोत्साहन

• विपणन और प्रचार के लिए प्रोत्साहन (अधिकतम पूंजीगत अनुदान के 02 प्रतिशत की सीमा तक)

• प्रशिक्षण और कौशल के लिए प्रोत्साहन– (अधिकतम पूंजीगत अनुदान के 02 प्रतिशत की सीमा तक)

• ब्याज अनुदान – (अधिकतम पूंजीगत अनुदान के 02 प्रतिशत की सीमा तक)

• राज्य द्वारा विकसित ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी/प्लेटफॉर्म के माध्यम से बुकिंग (अधिकतम पूंजीगत अनुदान के 01 प्रतिशत की सीमा तक)

• **11.6.4 पूंजीगत अनुदान का लाभ न लेने वाली इकाइयों के लिए प्रोत्साहन**

• उच्च मूल्य वाले प्रीमियम आवासीय हेतु प्रोत्साहन – पात्र टर्नओवर का 1%

• विदेशी पर्यटकों के आकर्षण हेतु प्रोत्साहन – पात्र टर्नओवर का 1%

• एमआईसीई, कला, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों, मेलों और त्योहारों का संगठन – पात्र टर्नओवर का 1%

• पात्र पर्यटन इकाईयों को नीति अवधि तक विद्युत शुल्क में 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति।

• **स्टाम्प ड्यूटी की प्रतिपूर्ति।**

पात्र पर्यटन इकाईयों को लागू स्टाम्प शुल्क की प्रतिपूर्ति 05 समान किस्तों मे।

टिप्पणी:– यह नीति होमस्टे पर लागू नही होगी। प्रदेश के होमस्टे, पर्यटन विभाग की पृथक से प्रख्यापित नीतियों से शासित होंगे।

11.6.5 पर्यटन क्षेत्र में पूंजी निवेश :–

प्रदेश में पर्यटन की आर्थिकी का मुख्य आधार होने के फलस्वरूप आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, निवेश आकर्षित करने, रोजगार के अवसर पैदा करने और बुनियादी ढांचे के विकास को उत्प्रेरित करने के लिए उत्तराखण्ड सरकार द्वारा दिनांक 8 और 9 दिसंबर 2023 को उत्तराखंड में वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का सफल आयोजन कराया गया। इस वृहद आयोजन के माध्यम से राज्य ने पर्यटन क्षेत्र के भविष्य के लिए एक मजबूत नींव रखी है। शिखर सम्मेलन ने न केवल उत्तराखंड की लुभावनी प्राकृतिक सुंदरता को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया, बल्कि पर्यटन उद्योग के भीतर सतत विकास और वैश्विक सहयोग के लिए उत्प्रेरक के रूप में भी उभरा।

शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों हितधारकों द्वारा प्रदर्शित प्रतिबद्धता और उत्साह ने उत्तराखंड को एक अग्रणी वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करने के लिए एक साझा दृष्टिकोण को रेखांकित किया। दो दिनों में हुई चर्चाएँ, प्रस्तुतियाँ और बातचीत में राज्य के विविध आर्थिक परिदृश्यों, भविष्य की चुनौतियों व रणनीतियों के साथ ही सांस्कृतिक विरासत की अप्रयुक्त क्षमता का दोहन करने पर ध्यान केंद्रित

किया गया। शिखर सम्मेलन में पर्यटन क्षेत्र में निवेश के इच्छुक 435 निजी सहभागिदारों के साथ लगभग ₹ 47000 करोड़ से ज्यादा के समझौता ज्ञापन (एमओयू) अनुबन्धित हुए।

शिखर सम्मेलन में पर्यटन क्षेत्र में हुए कुल 47,000 करोड़ रुपये से अधिक के समझौता ज्ञापनों (एमओयू) का सफल निष्पादन, इस क्षेत्र में व्यापक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता का प्रमाण है। इन समझौता ज्ञापनों मे आतिथ्य (Hospitality), थीम पार्क, एमआईसीई (MICE), प्रशिक्षण संस्थान एवं रोप वे विकास व होम स्टे जैसे पर्यटन क्षेत्र निजी निवेशकों की प्राथमिकता निवेश की श्रेणियों मे विविधता, पर्यटन विकास के लिए एक रणनीतिक और समावेशी दृष्टिकोण पर प्रकाश डालती है।

शिखर सम्मेलन मे न केवल राज्य में उपलब्ध असंख्य निवेश अवसरों को प्रदर्शित किया, बल्कि पूंजी का यह पर्याप्त प्रवाह क्षेत्र की पर्यटन क्षमता में निवेशकों के विश्वास और उत्साह को भी दर्शाता है।

यह उल्लेखनीय उपलब्धि न केवल निवेशकों के साथ सरकार की सक्रिय भागीदारी को दर्शाती है, बल्कि एक जीवंत, टिकाऊ और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी पर्यटन उद्योग बनाने के उसके दृष्टिकोण को भी दर्शाती है। इन समझौतों की सफल बातचीत पर्यटन क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में क्षेत्र की स्थिति को मजबूत करती है, जो समग्र सामाजिक–आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है।

जैसे–जैसे ये निवेश साकार होंगे, इस क्षेत्र के पर्यटन क्षेत्र पर सकारात्मक और स्थायी प्रभाव देखने को मिलेगा, जिससे पर्यटकों और निवेशकों के लिए पसंदीदा गंतव्य के रूप में इसकी अपील और बढ़ेगी।

वेडिंग डेस्टिनेशन

दिनांक 8 एवं 9 दिसम्बर, 2023 को **Investor Summit** के दौरान मा0 प्रधानमंत्री जी द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में वेडिंग डेस्टिनेशन विकसित किये जाने के सुझाव के क्रम में ₹ 150 करोड़ के निवेश किये गये

11.6.6 पर्यटन निवेश सहायता केन्द्र (Tourism Investment Facilitation Centre) :– राज्य के पर्यटन क्षेत्र के प्रोत्साहन और अनुदान हेतु इच्छुक निवेशकर्ताओं को अपनी परियोजना को उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद में एकल खिड़की निस्तारण प्रणाली के अन्तर्गत पंजीकृत कराये जाने का प्राविधान किया गया है। उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद राज्य एकल खिड़की पोर्टल तथा आवेदनकर्ता के मध्य आवश्यक परियोजना अनुमोदन, लाइसेन्स, अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा मंजूरी प्राप्त करने में समन्वयन हेतु पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन मुख्यालय पर नोडल अधिकारी की अध्यक्षता में एक पर्यटन निवेश सुविधा केन्द्र की गई है।

यह निवेश सहायता केन्द्र पर्यटन क्षेत्र में रुचि रखने वाले निवेशकों के लिए वन–स्टॉप डेस्टिनेशन के रूप में काम कर रहा है। सहायता केन्द्र के माध्यम से संभावित निवेशकों को व्यापक जानकारी, मार्गदर्शन और सहायता प्रदान की जा रही है, जिससे उन्हें निवेश प्रक्रिया को कुशलतापूर्वक संचालित करने में मदद प्राप्त हो रही है।

निवेश सहायता केन्द्र के माध्यम से ही वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन के दौरान हुए निवेशकों के समझौता ज्ञापनों (एमओयू) को धरातल पर उतारने हेतु सुव्यवस्थित रूप निवेशकों से सम्पर्क स्थापित कर उनके निवेश को मूर्तरूप में धरातल पर उतारने मे सहयोग प्रदान किया जा रहा है।

11.6.7 मानव संसाधन का विकास, प्रशिक्षण

एवं क्षमता विकास:–

पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन एवं आतिथ्य क्षेत्र में कौशल विकास करने हेतु समस्त जनपदों के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये, जिनमें डैस्टिनेशन टूरिस्ट गाइड कार्यक्रम के अन्तर्गत, हैरिटेज टूअर गाइड, नेचर गाइड, ढाबा संचालकों को प्रशिक्षण, टैक्सी संचालक (टूर ड्राईवर) का प्रशिक्षण, हुनर से रोजगार तक प्रशिक्षण कार्यक्रम, स्किल टैस्टिंग एवं सर्टिफिकेशन्स, होम–स्टे संचालकों को होम–स्टे प्रशिक्षण एवं मेक माई ट्रिप के माध्यम से भी होम–स्टे संचालकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

- **जागरूकता और प्रशिक्षण प्रदान करना:–**

विभाग द्वारा प्रशिक्षित गाइडों को रोजगार हेतु तैयार करने के लिये उनकी Upskilling करने हेतु Astro Torusim, Film Tourism एवं Souvenir Designing का प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। गाइडों के कार्यों को रिकॉर्ड करने हेतु Web Portal/Mobile Application विकसित किया जाना है।

- **प्रशिक्षण आवश्यकता की पहचान:–**

राज्य के अन्तर्गत पर्यटन गतिविधियों से सम्बन्धित प्रशिक्षण की पहचान कर स्थानीय व्यक्तियों को सम्बन्धित प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। स्थानीय व्यक्तियों को प्रशिक्षण से जोड़ा जायेगा। वाइब्रेन्ट विलेज कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाले गांवों के युवाओं को भी विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

- **प्रशिक्षण संस्थानों को सूचीबद्ध करना:–**

विभाग द्वारा गढ़वाल विश्वविद्यालय एवं INTACH संस्थान को टूरिस्ट डैस्टिनेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु सूचीबद्ध किया गया था। RPL के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु THSC,oa UTDB के मध्य मार्च 2023 में 4000 व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु एक एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किया गया था। होम–स्टे प्रशिक्षण के लिये गढ़वाल मण्डल हेतु SIHM नई टिहरी एवं कुमाऊं मण्डल हेतु IHM देहरादून को सूचीबद्ध किया गया है।

- **पर्यटन/Hospitlity क्षेत्र में Skilled मानव संसाधन:–**

पर्यटन एवं आतिथ्य क्षेत्र मे Skilledekuo संसाधन तैयार किये जाने हेतु पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा हुनर से रोजगार तक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा होम–स्टे संचालकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, टूरिस्ट डैस्टिनेशन गाइड, हैरिटेज गाइड एवं नेचर गाइड प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पर्यटक स्थलों के ढाबा संचालकों, गेस्टहाउस कीपर आदि को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

- **सूचीबद्ध प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या:–**

वर्तमान मे विभाग के अन्तर्गत पर्यटन एवं आतिथ्य क्षेत्र मे विकास हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्न संस्थानों के माध्यम से कराये जा रहे हैं:–

तालिका 11.7
सूचीबद्ध प्रशिक्षण संस्थान

क्र0सं0	प्रशिक्षण का नाम	संस्थान का नाम
1	टूरिस्ट डैस्टिनेशन गाइड, हैरिटेज गाइड, नेचर गाइड, टैक्सी ड्राईवर, ढाबा संचालक आदि	Tourism and Hospitality Skill Councel(THSC)
2	होम–स्टे प्रशिक्षण	आई0एच0एम0 देहरादून एवं एस0आई0एच0एम0 नई टिहरी
3	हुनर से रोजगार, स्किल टैस्टिंग एण्ड सर्टिफिकेशन्स एवं Entreprenurship कार्यक्रम	आई0एच0एम0 देहरादून, जी0आई0एच0एम0 अल्मोड़ा, जी0आई0एच0एम0 देहरादून एवं एस0आई0एच0एम0 नई टिहरी

स्रोत: पर्यटन विभाग उत्तराखण्ड

तालिका 11.8

पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्र0सं0	प्रशिक्षण का नाम	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या
1	हुनर से रोजगार तक	100
2	स्किल टैस्टिंग एण्ड सर्टिफिकेशन्स	100
2	डैस्टिनेशन टूरिस्ट गाइड कार्यक्रम	258
3	हैरिटेज टूअर गाइड	1000
4	नेचर गाइड	500
6	ढाबा संचालक, गेस्ट हाउसकीपर, कोमी शेफ आदि प्रशिक्षण	1280
7	टैक्सी संचालक (टूअर ड्राईवर)	500
8	होम–स्टे प्रशिक्षण	391
9	मेक माई ट्रिप के माध्यम से प्रशिक्षण	142
	योग	**4271**

स्रोत: पर्यटन विभाग उत्तराखण्ड

11.7 साहसिक पर्यटन

• **जार्ज एवरेस्ट हाउस मसूरी का जीर्णोद्वार**:– वर्ष–2023–24 में भारत के प्रथम महा सर्वेक्षक सर जार्ज एवरेस्ट हाउस मसूरी का जीर्णोद्वार करते हुये म्यूजियम की स्थापना की गई है, हवाई क्रीडाओं हेतु एयरो स्पोर्ट हब/फ्लाईग, ट्रेनिंग कार्यक्रम की सुविधाओं को विकसित किया जाना है। जार्ज एवरेस्ट से हिमालय दर्शन हेलीकाप्टर सेवा का शुभारम्भ किया गया है, जिससे पर्यटक जार्ज एवरेस्ट से हेलीकाप्टर से हिमालय की ऊँची– ऊँची चोटियों को देखने का आनन्द उठा सकेंगे । जार्ज एवरेस्ट से हिमालय एयर सफारी शुरू की गई है, हिमालय दर्शन के अन्तंगत पर्यटकों को गंगोत्री,यमुनोत्री,बंदरपूँछ, हर्षिल वैली आदि के दर्शन कराये जा रहे है । जार्ज एवरेस्ट हेतु पर्यटन विभाग द्वारा ₹ 266.00 लाख के सापेक्ष ₹ 23.52 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है ।

• **एक्रो फैस्टिवल टिहरी**:– वर्ष–2023–24 के माह नवम्बर, 24.11.2023 से 28.11.2023 तक पर्यटन विभाग के सौजन्य से जनपद टिहरी में अर्न्तराष्ट्रीय एक्रो फैस्टिवल का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें 26 देशों के 50 विदेशी एवं 120 भारतीय पायलटों के द्वारा हवाई कलाबाजियाँ यथा की फ्लाईट सिंको एक्रो फ्लाईट विंग सूट जम्पस डी–बैग शो का प्रदर्शन किया गया । एक्रो फैस्टिवल के लिये पर्यटन विभाग द्वारा ₹ 1.54 करोड की धनराशि एवं पैराग्लाईडिंग प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिये ₹ 45.00 लाख की धनराशि व्यय की गई है। टिहरी एक्रो फैस्टिवल जो भारत का पहला अर्न्तराष्ट्रीय एरियल एक्रोबेटिक शो है। यह कार्यक्रम साहसिक खेलों के अर्न्तराष्ट्रीय मंच पर अपनी

जगह को फिर से परिभाषित करने मे एक यादगार कदम है । टिहरी स्थानीय युवाओं को निशुल्क व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने की एक दूरदर्शी पहल है, पी1,पी2,पी3, और एस0 आई0 वी0 पाठ्यक्रमों सहित इन कार्यक्रमों का लक्ष्य 2024 तक 100 से अधिक कुशल पैराग्लाइडर को सशक्त बनाने में एक अद्वितीय कदम है । यह प्रयास न केवल साहसिक खेलों को बढ़ावा देता हैं, बल्कि हमारे स्थानीय युवाओं के लिये रोजगार के अमूल्य अवसर भी पैदा कर रहा है । झील की आश्चर्यजनक पृष्ठभूमि और अद्वितीय स्थलाकृति से समृद्ध टिहरी दुनिया की पैराग्लाइडिंग राजधानी बनने के लिये तैयार है। उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद उत्तराखण्ड राज्य को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप मे बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता मे दृढ़ रहा है प्राकृतिक सुंदरता रोमांच और सास्कृतिक विरासत का सामजस्य मिश्रण है ।

• **बैरागी कैम्प हरिद्वार:–** बैरागी कैम्प हरिद्वार में हवाई सेवाओं को विकसित किये जाने हेतु पैराग्लाइडिंग कार्यक्रम एवं जायरोकाप्टर से सम्बन्धित विधाओं को विकसित किये जाने हेतु निर्माण कार्य किये जा रहे है, माह 20, अक्टूबर 2023 को बैरागी कैम्प हरिद्वार में जायरोकाप्टर का सफल परीक्षण किया गया है । हरिद्वार चारधाम यात्रा का मुख्य पड़ाव होने के दृष्टिगत पैराग्लाइडिंग,एवं जायरोकाप्टर सेवाओं के लिये यह स्थान देश का प्रथम स्थान होगा । बैरागी कैम्प हरिद्वार में एरोस्पोर्ट एडवेंचर हॉट एयर बैलूनिंग जायरोकाप्टर एवं फिक्स विंग स्काई डाइविंग आदि गतिविधियों का संचालन किया जायेगा । वर्ष–2023–24 मे पर्यटन विभाग द्वारा बैरागी कैम्प में निर्माण कार्यों हेतु ₹ 74.96 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है ।

• **साहसिक पर्यटन कियाकलापों में बैस्ट एडवेंचर अवार्ड:–** साहसिक पर्यटन कियाकलापों की अनेक विधाओं में सफल संयोजन हेतु ATOAI के द्वारा पर्यटन विभाग उत्तराखण्ड को विगत माह दिसम्बर, 2023–24 में बैस्ट एडवेंचर अवार्ड दिया गया है ।

11.8 पर्यटन प्रचार–प्रसार में किये गये महत्वपूर्ण कार्य

• दक्षिण भारत मे उत्तराखण्ड पर्यटन के प्रचार–प्रसार एवं पर्यटकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से विभाग द्वारा दिनांक 16.05.2023 को जनपद रूद्रप्रयाग के क्रौंच पर्वत पर स्थित कार्तिक स्वामी मन्दिर में 108 वालमपुरी शंख पूजा एवं हवन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दक्षिण भारत के शिवाचार्य / गुरूजनों / गणमान्य व्यक्तियों आदि को आमंत्रित किया गया। उक्त कार्यक्रम का प्रचार–प्रसार विभिन्न माध्यमों यथा प्रिन्ट, इलैक्ट्रोनिक, आउटडोर, सोशल / डिजिटल के माध्यम से किया गया, जिस पर लगभग ₹ 1.30 करोड़ की धनराशि का व्यय हुआ।

• धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से जनपद पिथौरागढ़ में स्थित आदि कैलास एवं ॐ पर्वत का वृहद रूप से प्रचार–प्रसार विभिन्न माध्यमों यथा प्रिन्ट, इलैक्ट्रोनिक, आउटडोर, सोशल / डिजिटल के माध्यम से किया गया, जिस पर लगभग ₹ 2.00 करोड़ की धनराशि का व्यय हुआ। मा0 प्रधानमंत्री जी द्वारा भी दिनांक 12 अक्टूबर, 2023 को आदि कैलाश की यात्रा की गयी।

• उत्तराखण्ड राज्य में स्थित विभिन्न पर्यटक स्थलों के प्रचार–प्रसार हेतु देश के प्रमुख शहरों यथा दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, अहमदाबाद, चेन्नई, वाराणसी, हैदराबाद आदि में आउटडोर कैम्पेन संचालित किया गया, जिस पर लगभग रू0 3.50 करोड़ का व्यय हुआ।

• उत्तराखण्ड राज्य में स्थित अल्पज्ञात पर्यटक स्थलों के प्रचार-प्रसार हेतु स्थानीय स्तर पर विभिन्न प्रकार की फोटो/वीडियो/रील/इन्फ्लयूनसर आदि के माध्यम से विभागीय सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मों तथा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय ट्रैवल मार्टों में प्रसारित कर प्रचार-प्रसार किया गया, जिस पर लगभग ₹ 2.00 करोड़ का व्यय हुआ।

11.9 नागरिक उड्डयन

उत्तराखण्ड राज्य मे पर्वतीय भौगोलिक स्थिति के कारण आवगमन हेतु सड़क मार्ग पर ही जनता को निर्भर रहना पड़ता है, आपदा के समय बचाव कार्य हेतु एवं चारधाम यात्रा तथा पर्यटकों बढ़ावा देने के लिये राज्य में हवाई मार्ग अति आवश्यक है। इस उद्देश्य की दृष्टिगत राज्य में नये हैलीपैडों का निर्माण मौजूदा हैलीपैडों एवं हवाई पटटी का सुधारीकरण एवं सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। राज्य में उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई है, प्राधिकरण का मुख्य उददेश्य मौजूदा हैलीपैडों का सुदृढ़ीकरण, नये हैलीपैडों का निर्माण राज्य के चारधाम यात्रा हेतु पर्यटन के साथ-2 पर्यटन के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी एवं निवेश को बढ़ावा देने, हवाई सुरक्षा सेवा उपलब्ध कराना है।

• 13 हैलीपोर्ट में से वर्तमान में निम्नलिखित 07 स्थानों पर स्थित हैलीपोर्ट से आर0सी0एस0 सेवायें गतिमान है। चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी), गौचर (चमोली), कोटी कॉलोनी (टिहरी गढ़वाल), श्रीनगर (पौड़ी), हल्द्वानी (नैनीताल), फलसीमा टाटिक (अल्मोड़ा), सहस्त्रधारा (देहरादून), उपरोक्त के अतिरिक्त 06 निम्न स्थानों पर आर0सी0एस0 उड़ान योजना के अन्तर्गत हेलीपोर्ट निर्माण का कार्य गतिमान है, हेलीपोर्ट निर्माण पूर्ण होने पर इन स्थानों से भी हवाई सेवा आरम्भ की जाएगी। रामनगर (नैनीताल), हरिद्वार, मुनस्यारी (पिथौरागढ़), मसूरी (देहरादून), धारचूला (पिथौरागढ़), खुरपाताल (नैनीताल)

• उत्तराखण्ड राज्य में आर0सी0एस0 उड़ान योजना के अन्तर्गत कुल 22 रूट गतिमान थे,

तालिका 11.9

देहरादून-टिहरी	टिहरी-श्रीनगर
श्रीनगर-गौचर	गौचर-श्रीनगर
श्रीनगर-टिहरी	टिहरी-देहरादून
देहरादून-गौचर	श्रीनगर-देहरादून
देहरादून-गौचर	गौचर-देहरादून
सहस्त्रधारा-गौचर	गौचर सहस्त्रधारा
सहस्त्रधारा-चिन्यालीसौड	चिन्यालीसौड-सहस्त्रधारा
देहरादून-हल्द्वानी/पन्तनगर	हल्द्वानी-पन्तनगर-देहरादून
पन्तनगर-पिथौरागढ़	पिथौरागढ़-पन्तनगर
पन्तनगर-अल्मोड़ा	अल्मोड़ा-पन्तनगर
अल्मोड़ा-पिथौरागढ़	पिथौरागढ़-अल्मोड़ा

उपरोक्त 22 गतिमान रूटों पर हवाई में से वर्तमान में निम्नलिखित 08 रूटों पर हवाई सेवा संचालित हो रही है–

देहरादून-श्रीनगर	श्रीनगर-देहरादून
देहरादून-गौचर	गौचर-देहरादून
सहस्त्रधारा-गौचर	गौचर-सहस्त्रधारा
सहस्त्रधारा-चिन्यालीसौड	चिन्यालीसौड़-सहस्त्रधारा

शेष रूटों पर निविदा समाप्त होने के कारण वर्तमान में हवाई सेवा संचालित नहीं हो रही है, जिन्हें संचालित किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

• नैनीसैनी एयरपोर्ट पिथौरागढ़ एवं पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण हेतु भारतीय विमानपत्तन

प्राधिकरण द्वारा OLS सर्वेक्षण किया गया है, विस्तारीकरण हेतु भूमि अधिग्रहण किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

• आर0सी0एस0 उड़ान योजना के अन्तर्गत 13 हैलीपोर्ट में से 04 हैलीपोर्ट चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी), गौचर (चमोली), कोटी कॉलोनी (टिहरी गढ़वाल), हल्द्वानी (नैनीताल) का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

• जनपद पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में स्थित हैलीपैड का हैलीपोर्ट के रूप में Upgradation का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

• उत्तराखण्ड राज्य में विभिन्न नए स्थानों पर हैलीपैड बनाये जाने हेतु सर्वे का कार्य उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया है। जिसमें 17 स्थानों पर भूमि हैलीपैड निर्माण हेतु उपयुक्त पायी गयी है जिनमें हैलीपैड निर्माण हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही गतिमान है।

• MoCA द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में आर0सी0एस0 उड़ान योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित 06 स्थानों पर हवाई सेवा आरम्भ करने हेतु प्रस्ताव दिया गया है, जिसके सम्बन्ध में कार्यवाही प्रचलित है।

1– बागेश्वर

2– चम्पावत

3– लैन्सडाउन (पौड़ी)

4– मुनस्यारी (पिथौरागढ़)

5– त्रिजुगीनारायण (रुद्रप्रयाग)

7– उत्तराखण्ड राज्य में आर0सी0एस0 योजना के अन्तर्गत वायुयान द्वारा निम्नलिखित 08 नए रूट पर MoCA द्वारा टेंडर प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी है–

1. देहरादून–पिथौरागढ़
2. पिथौरागढ़–पन्तनगर
3. पन्तनगर–पिथौरागढ़
4. पिथौरागढ़–देहरादून

तालिका 11.10

उत्तराखण्ड में उपलब्ध आवसीय सुविधाओं का जनपदवार विवरण:

क्र0 सं0	जनपद का नाम	निजी होटल/लॉज/होम–स्टे आदि		धर्मशाला गुरूद्वारा/आश्रम आदि		पर्यटन विभाग के अतिरिक्त अन्य सरकारी विभागों के रेस्ट हाऊस/गेस्ट हाऊस		पर्यटक आवास गृह, रैनबसेरा, जनता यात्री निवास व एफ0आर0पी0 हट्स	
		संख्या	शैय्या	संख्या	क्षमता	संख्या	शैय्या	संख्या	शैय्या
1	पिथौरागढ़	724	5263	1	70	22	114	26	410
2	चम्पावत	170	1793	9	4200	22	46	06	202
3	अल्मोड़ा	505	6910	6	142	42	226	17	456
4	बागेश्वर	156	2067	1	15	24	283	05	102
5	नैनीताल	1077	49638	18	1756	39	160	29	639
6	ऊधमसिंहनगर	132	3735	12	2470	15	98	04	58

7	चमोली	908	25452	44	25116	22	111	31	1741
8	पौड़ी	462	8383	21	12042	27	116	28	934
9	रूद्रप्रयाग	497	10147	14	204	18	205	18	1344
10	देहरादून	1446	36382	43	3456	63	452	09	558
11	हरिद्वार	540	18325	660	96750	21	228	02	78
12	टिहरी	805	17186	28	9660	20	150	15	628
13	उत्तरकाशी	803	15664	16	419	28	82	18	559
	कुल योग	**8225**	**200945**	**873**	**156300**	**363**	**2271**	**208**	**7709**

पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित "स्वदेश दर्शन योजना 2.0 पिथौरागढ़"

पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित "स्वदेश दर्शन" योजना 2.0" के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य में जनपद पिथौरागढ को विकसित किये जाने हेतु चयनित किया गया है। जनपद पिथौरागढ़ के सुनियोजित विकास किये जाने हेतु कॉन्सेप्ट प्लान/डी0पी0आर0 आदि कार्य भारत सरकार द्वारा चयनित कन्सलटेन्ट के माध्यम से सम्पादित कराये जा रहे हैं। भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय "स्वदेश दर्शन योजना 2.0" के अन्तर्गत प्रत्येक डेस्टिनेशन को विकसित किये जाने हेतु रू0 70.00 करोड़ की धनराशि स्वीकृत किये जाने की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गयी है। जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य प्रस्तावित किये गये है :–

गुंजी को त्रिपुण्ड और त्रिनेत्र की अवधारणा में शिवनगरी के रूप में विकसित किये जाने के लिए चुना गया है। शिव नगरी को छः जोने में बांटा गया है। गुंजी को शिव नगरी के रूप में विकसित करना –जिसके अन्तर्गत साधना केन्द्र, मूर्तिकला, ईको ट्रेल, आवासीय सुविधा, संसाधन केन्द्र, सार्वजनिक अवसंरचना, प्रवेश प्लाजा और पार्किंग, हाट मार्केट, साहसिक गतिविधियां तथा हैरिटेज ग्राम विकसित किया जाना प्रस्तावित है।

- ज्ञान–पंच भूत संग्रहालय, शिव पुराण संग्रहालय एवं सभागार।
- ध्यान–ध्यान केन्द्र, इन्टरेपिटीशन केन्द्र, इको स्टे/शयनगृह।
- विज्ञान–सप्तऋषि उदयान, वेधशाला और पाथवे।
- कला संस्कृति–स्थानीय हस्तशिल्प स्टॉल,
- एम्फीथिएटर।
- कौशल–संसाधन केन्द्र, प्रशिक्षण क्षेत्र, इन्डोर बहुउद्देशीय हॉल।(खेल एवं कला और सांस्कृतिक सीन सामुदायिक सुविधा)
- विश्राम– होटल और इको स्टे।
- शिवोहम प्लाजा में मूर्ति और उद्यान से सम्बन्धि कार्य प्रस्तावित।

अध्याय–12

बैंकिंग एवं संस्थागत वित्त

Banking and Institutional Finance

भूमिका

उत्तराखण्ड राज्य में भारतीय स्टेट बैंक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड का संयोजक बैंक है। उल्लेखनीय है कि राज्य में 03 बैंकों को लीड बैंक की जिम्मेदारी दी गयी है, जिसमें भारतीय स्टेट बैंक 09 पर्वतीय जिलों, यथा उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी गढ़वाल, चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ एवं चम्पावत में, पंजाब नेशनल बैंक को 02 मैदानी जिलों–देहरादून एवं हरिद्वार एवं बैंक ऑफ बड़ौदा को 02 मैदानी जिलों–नैनीताल एवं ऊधम सिंह नगर का कार्य आवंटित किया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार दिनांक 30.06.2022 से राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड द्वारा आंकड़ों का संकलन Revamp Portal (SLBC India Portal) के माध्यम से किया जा रहा है। एस.एल.बी.सी. के समस्त सदस्य बैंक प्रत्येक त्रैमास के अंत में MIS/CBS से आंकड़े संकलित कर सीधे Revamp Portal esa upload करते हैं, तदोपरांत आंकड़ों का संकलन system generated आंकड़ों द्वारा किया जाता है।

12.1 वर्ष 2023–24 मे सितम्बर 2023 तक राज्य में कुल 2,507 बैंक शाखाओं का नेटवर्क है जिनमें से 46.67 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों, 24.02 अर्द्धशहरी क्षेत्रों तथा 29.31 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में कार्य कर रही है। वर्तमान में 1170 शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में, 602 शाखाएं अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में तथा 735 शहरी क्षेत्र में स्थित हैं। राज्य में सितम्बर 2023 तक क्षेत्रवार शाखाओं की संख्या एवं प्रतिशत निम्न ग्राफ–12.1 में दर्शायी गयी है–

ग्राफ–12.1

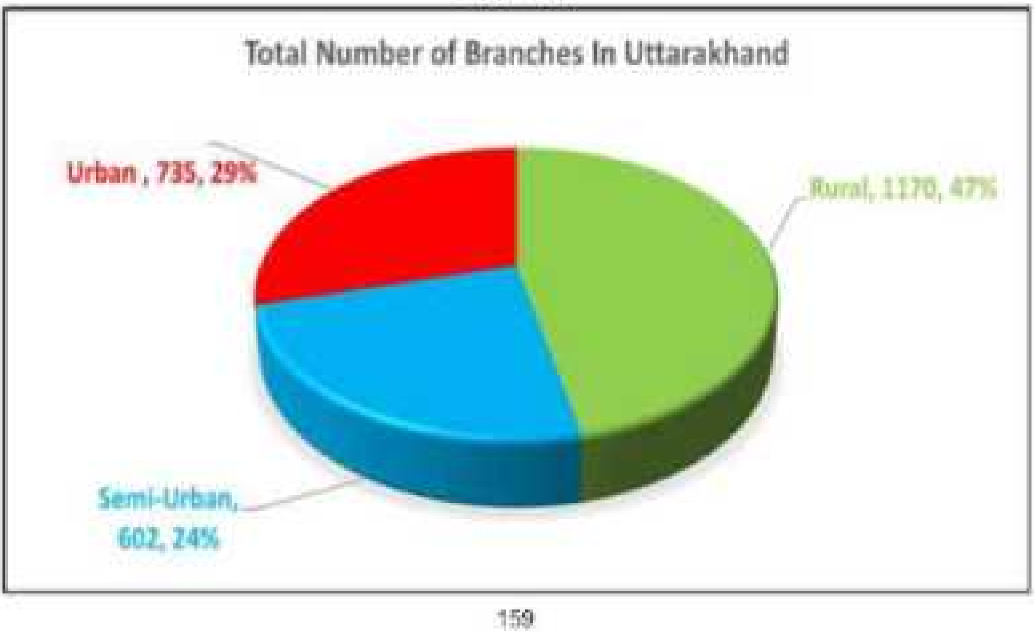

12.2 जनगणना, 2011 के अनुसार राज्य में प्रति शाखा औसत जनसंख्या 4035 है जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 11271 है। 30 सितम्बर 2023 तक राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कुल 1395 शाखाओं का नेटवर्क है। एस.बी.आई. की सबसे ज्यादा 445, पी.एन.बी. की 291 और बैंक ऑफ बड़ौदा की 134 शाखाएं हैं। निजी क्षेत्रों के बैंकों का 454 शाखाओं का नेटवर्क है। शेष शाखायें अन्य बैंकों से सम्बन्धित है।

12.3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आर.आर.बी.) अर्थात् उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक को एस.बी.आई. बैंक द्वारा प्रायोजित किया गया है, जिसमें 30 सितम्बर 2023 तक कुल 288 शाखाओं का नेटवर्क है। सहकारी बैंक का 335 शाखाओं का नेटवर्क है। जनपद स्तरीय सहकारी बैंकों का रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चम्पावत को छोड़कर, शेष 10 जनपदों में मुख्यालय है तथा राज्य स्तरीय बैंक पिथौरागढ़, बागेश्वर, चम्पावत रुद्रप्रयाग को छोड़कर, शेष 09 जनपदों में मुख्यालय कार्यरत है। उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक की समस्त शाखाएं पूर्णतः सी.बी.एस. प्रणाली पर कार्यरत हैं। उत्तराखण्ड सहकारी बैंक सहकारी क्षेत्र में नेशनल फाईनेंशियल स्विच से जुड़ने वाला देश का पहला बैंक है, जिसके द्वारा बैंक के खाता धारक देश के किसी भी स्थान पर विद्यमान सभी प्रमुख बैंकों के ए.टी.एम. का प्रयोग कर सकते हैं। बैंक के खाता धारक ए०टी०एम०, एन०ई०एफ०टी०, आर०टी०जी० एस०, रुपे कार्ड, आदि के माध्यम से कहीं भी धनराशि का हस्तांतरण कर सकते हैं।

12.4 जिलेवार बैंक शाखाओं के प्रसार के संदर्भ में देहरादून जिले में सबसे अधिक 607 बैंक शाखाएं तथा रुद्रप्रयाग में सबसे कम 54 बैंक शाखाएं हैं। विभिन्न बैंकों द्वारा 30 सितम्बर 2023 तक 2676 ए.टी.एम. स्थापित किए गए हैं।

तालिका– 12 .1

उत्तराखण्ड में जनपदवार बैंकों का ऋण: जमा अनुपात

30 Sep, 2023 — No. in Actual and Amount in Crore

SR.	Name of District	DEPOSITS	ADVANCES	CD Ratio
1	HARIDWAR	28461.84	19926.13	**70.01**
2	ALMORA	7908.59	2056.95	**26.01**
3	TEHRI GARHWAL	7140.27	2508.70	**35.13**
4	UDAM SINGH NAGAR	20238.89	21603.12	**106.74**
5	UTTAR KASHI	2913.78	1388.63	**47.66**
6	DEHRADUN	86846.41	35085.42	**40.40**
7	PITHORAGARH	5692.64	1968.36	**34.58**
8	CHAMOLI	4957	2298.31	**46.36**
9	PAURI GARHWAL	11509.79	3015.34	**26.20**
10	BAGESHWAR	2453.32	560.35	**22.84**
11	CHAMPAWAT	2924.49	2782.9	**95.16**
12	NAINITAL	23620.91	12320.05	**52.16**
13	RUDRA PRAYAG	2850.51	775.76	**27.21**
TOTAL ALL BANKS		**207518.44**	**106290.02**	**51.22**
RIDF			9387.92	
TOTAL (ALL BANKS + RIDF)		**207518.44**	**115677.94**	**55.74**

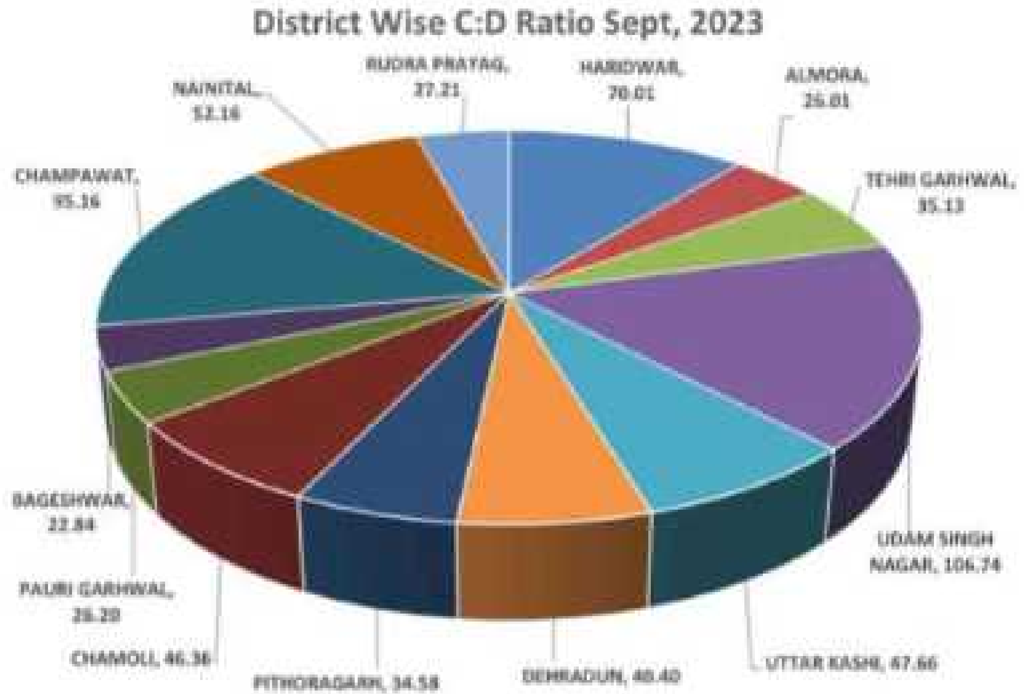

12.6 सितम्बर 2023 तक राज्य के बैंको ने आर.बी.आई. द्वारा निर्धारित 6 राष्ट्रीय मानकों की तुलना में 3 राष्ट्रीय मानकों, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र में अग्रिम, कमजोर वर्ग ऋण तथा महिला ऋण को अर्जित किया है। वर्तमान में बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र जैसे कृषि, एम.एस.एम.ई., शिक्षा ऋण, आवास ऋण, लघु ऋण आदि गतिविधियों को करने के लिए कुल ₹47920 करोड़ राशि का वितरण किया गया, जोकि कुल ऋण का 49.31 प्रतिशत है। यह प्रतिशत प्राथमिक ऋण के 40 प्रतिशत लक्ष्य स्तर से अधिक है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में 30 सितम्बर 2023 तक प्राथमिक क्षेत्र में गत वर्ष की तुलना में ₹6599 करोड़ अधिक है, जोकि 15.97 प्रतिशत है।

12.7 बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र के कुल ऋण में से 13.97 प्रतिशत कृषि अग्रिम राशि का भाग है। 24.83 प्रतिशत ऋण सूक्ष्म लघु उद्यम में तथा 21.35 प्रतिशत अन्य क्षेत्र में ऋण दिया गया है। बैंको द्वारा कुल ऋण में से कमजोर वर्गों तथा महिलाओं को क्रमशः 13.35 प्रतिशत तथा 13.84 प्रतिशत अग्रिम वितरण किया गया है जोकि राष्ट्रीय मानकों के अनुसार क्रमशः 10 प्रतिशत तथा 5 प्रतिशत है। 30 सितम्बर 2023 तक ऋण–जमा अनुपात 55.74 प्रतिशत रहा। ऋण वितरण की स्थिति नीचे तालिका–12.2 में दर्शायी गई है:–

तालिका–12.2
राष्ट्रीय मानकों की स्थिति

क्र. सं.	क्षेत्र	अग्रिम प्रतिशत 30.09.2022	अग्रिम प्रतिशत 30.09.2023	राष्ट्रीय मानक प्रतिशत
1	प्राथमिकता क्षेत्र में अग्रिम	52.48	49.31	40
1.1	कृषि ऋण	16.01	13.96	18
1.2	**सूक्ष्म लघु उद्यम ऋण**	25.57	24.83	
1.3	**अन्य क्षेत्र**	10.89	21.35	
2	गैर प्राथमिक क्षेत्र	47.52	50.68	
3	कुल अग्रिम	100		
4	कमजोर वर्ग ऋण	13.23	13.35	10
5	महिला ऋण	14.91	13.84	5
6	डी0आई0आर0 ऋण	0.01	0.01	1
7	जमा एवं अग्रिम अनुपात	52.58	55.74	60
8	अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति ऋण (पी.एस.सी.)	4.08		
9	अल्पसंख्यक ऋण (पी.एस.सी.)	7.77		

वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion)

12.8 राज्य के सामाजार्थिक विकास हेतु वित्तीय समावेश का होना अत्यन्त आवश्यक है, जिसके अंतर्गत भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा विभिन्न वित्तीय समावेशीय योजनाएं संचालित की जा रही है जिनकी FI Plan portal के अनुसार वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है–

(क) प्रधानमंत्री जन–धन योजना (PMJDY) : बैंको द्वारा इस योजना के आरम्भ से लेकर सितम्बर 2023 तक 34.76 लाख खाते खोले गये है, जिसमें से 2.74 लाख शून्य शेष खाते हैं, 24.41 लाख खाता धारकों को रुपे (Rupay) डेबिट कार्ड जारी किये गये है तथा 27.19 लाख खातों को आधार संख्या से जोड़ा गया है। बैंक वार एवं जिला वार स्थिति तालिका संख्या 12.4A एवं 12.4B में दर्शायी गयी है :

TABLE - 12.4 A
UTTARAKHAND
DISTRICT WISE Progress Under PMJDY AS ON 30.09.2023

No. in Actual and Amount in Crore

SR.	Name of District	Rural	Urban	Male	Female	Total	Zero Balance A/c	Deposits held in the A/c	Rupay Card Issued	Rupay Card Activated	Aadhaar Seeded
1	RUDRA PRAYAG	53335	0	22531	30773	53335	2825	51.7	31349	14137	38242
2	BAGESHWAR	54539	136	23056	31478	54675	4686	42.55	30551	11879	41508
3	CHAMOLI	64501	12347	37736	42421	80185	3675	75.82	59839	20980	55227
4	ALMORA	115385	10627	52722	78297	131191	6204	139.46	90124	33843	99920
5	PITHORAGARH	77780	7311	42332	47050	89419	6606	64.39	42594	17302	71305
6	HARIDWAR	355937	497069	463264	439890	903087	83443	419.91	702414	282074	710949
7	DEHRADUN	223896	276810	250914	265100	516247	51463	373.01	404521	167729	376733
8	PAURI GARHWAL	119064	15288	63266	81223	144513	10717	130.64	80529	32916	113079
9	CHAMPAWAT	54048	8298	27743	37158	64933	4568	56.24	37744	13064	52334
10	NAINITAL	169427	117707	130373	169034	299501	17447	266.88	176147	69111	240160
11	TEHRI GARHWAL	131772	6265	58979	80909	139924	6678	124.36	85111	29619	108485
12	UDAM SINGH NAGAR	379648	412993	440885	460022	901102	70324	455.34	622803	221735	747391
13	UTTAR KASHI	86186	10861	44405	54165	98584	5896	71.06	77505	26766	64296
		1885518	**1375712**	**1658206**	**1817520**	**3476696**	**274532**	**2271.36**	**2441231**	**941155**	**2719629**

TABLE 12.4 B

UTTARAKHAND

BANK WISE TOTAL Progress under PMJDY AS ON 30.09.2023

No. in Actual and Amount in Crore

SR.	Name of Bank	Rural	Urban	Male	Female	Total	Zero Balance A/c	Deposits held in the A/c	Rupay Card Issued	Rupay Card Activated	Aadhaar Seeded
1	STATE BANK OF INDIA	369976	334885	332534	371925	704861	20079	412.79	672820	141985	462516
2	PUNJAB NATIONAL BANK	326815	348950	329267	346460	675765	83633	421.32	706618	303402	549012
3	BANK OF BARODA	205955	248727	311320	327604	639054	24804	536.97	468505	137981	557696
	Total Lead Banks	**902746**	**932562**	**973121**	**1045989**	**2019680**	**128516**	**1371.08**	**1847943**	**583368**	**1569224**
4	UNION BANK OF INDIA	150960	70277	111756	109481	221237	27499	106.12	119234	77893	172823
5	CANARA BANK	109322	66367	86414	89275	175689	23870	128.8	90090	19560	141420
6	CENTRAL BANK OF INDIA	24378	32836	27245	29969	57214	3469	35.51	28476	28476	39214
7	PUNJAB AND SIND BANK	29065	12627	18969	22712	41692	3624	11.55	1247	1230	31722
8	UCO BANK	70016	23134	45283	47459	93150	9651	73.77	53923	0	59280
9	INDIAN OVERSEAS BANK	47922	17947	30821	35017	65869	6851	35.93	65869	60747	48572
10	BANK OF INDIA	26557	26352	36574	35165	71806	1863	44.15	53553	49050	65715
11	INDIAN BANK	45702	70671	58571	57770	116373	10514	54.97	37788	16956	75733
12	BANK OF MAHARASHTRA	3565	16093	10279	9379	19658	3623	6.51	14339	14339	17873
	Total Non-Lead Banks	**507487**	**336304**	**425912**	**436227**	**862688**	**90964**	**497.31**	**464519**	**268251**	**652352**
	Total N. Banks (A + B)	**1410233**	**1268866**	**1399033**	**1482216**	**2882368**	**219480**	**1868.39**	**2312462**	**851619**	**2221576**
13	UTTARAKHAND G.B	397749	31359	182232	246876	429108	30294	337.73	64963	44152	386165
14	PRATHAMA U.P GRAMIN BANK	1961	0	1167	952	1961	32	0.66	879	439	1351
	Total R.R.B.	**399710**	**31359**	**183399**	**247828**	**431069**	**30326**	**338.39**	**65842**	**44591**	**387516**

15	CO-OPERATIVE BANK	53525	26123	34962	46955	81919	10322	47.58	17036	14409	64657
	Total Cooperative	**53525**	**26123**	**34962**	**46955**	**81919**	**10322**	**47.58**	**17036**	**14409**	**64657**
	Total (C+D+E)	**1863468**	**1326348**	**1617394**	**1776999**	**3395356**	**260128**	**2254.36**	**2395340**	**910619**	**2673749**
16	THE NAINITAL BANK LTD	10790	7586	11643	16659	28302	3178	0	5134	4439	20385
17	AXIS BANK	1819	9109	7789	3134	10928	2823	4.72	9309	6840	3937
18	ICICI BANK	4289	1457	3057	2689	5746	1720	0.78	5738	3608	1434
19	IDBI BANK	3869	9965	7914	5920	13834	2065	4.37	7753	0	8621
20	HDFC BANK	1121	13780	4902	9999	14901	2437	6.08	14901	14901	5582
21	J & K BANK	0	1123	721	402	1123	128	0.3	0	0	879
22	FEDERAL BANK	0	72	52	20	72	8	0.11	36	29	42
23	INDUSIND BANK	31	995	830	196	1026	42	0.27	785	246	994
24	KARNATAKA BANK	0	3905	2724	1179	3905	1127	0	1674	369	2768
25	SOUTH INDIAN BANK	0	9	6	3	9	5	0	6	3	6
26	YES BANK	68	71	89	50	139	69	0.02	133	96	26
27	KOTAK MAHINDRA BANK	63	1272	1068	267	1335	796	0.35	415	2	1187
28	BANDHAN BANK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	IDFC FIRST BANK	0	18	15	3	18	6	0	5	1	18
	Total Private Bank	**22050**	**49362**	**40810**	**40521**	**81338**	**14404**	**17**	**45889**	**30534**	**45879**
30	UJJIVAN SMALL FIN. BANK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	UTKARSH SMALL FIN. BANK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	JANA SMALL FIN. BANK	0	2	2	0	2	0	0	2	2	1
33	SHIVALIK SMALL FINANCE BANK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SMALL FINANCE BANK	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	**0**	**0**	**2**	**2**	**1**
	Total All Bank	**1885518**	**1375712**	**1658206**	**1817520**	**3476696**	**274532**	**2271.36**	**2441231**	**941155**	**2719629**

(ख) प्रधानमंत्री जन–धन योजना के अन्तर्गत सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा पहल: प्रधानमंत्री जन–धन योजना के कार्यान्वयन के द्वितीय चरण के अन्तर्गत भारत सरकार ने गरीबों तथा साधारण व्यक्तियों के लिए सामाजिक सुरक्षा पहल के रूप में तीन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को शुरू किया है जिनकी वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:–

i) प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY): प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में सितम्बर 2023 तक 32.42 लाख ग्राहकों को अच्छादित किया गया है।

ii) प्रधानमन्त्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY): प्रधानमन्त्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अन्तर्गत सितम्बर 2023 तक 9.17 लाख ग्राहकों को अच्छादित किया गया है।

iii) अटल पेंशन योजना (APY) : अटल पेंशन योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में बैंकों द्वारा 6.65 लाख ग्राहकों को नामांकित किया है।

इसके अतिरिक्त बैंक द्वारा वित्तीय साक्षरता और जागरूकता अभियान के माध्यम से Financial Literacy Centres आयोजित करके लक्षित समूहों के अच्छादित को गति प्रदान करने के लिए ध्यान केंद्रित किया गया है।

(ग) प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY): बैंकों द्वारा वित्त वर्ष 2023–24 में इस योजना के अन्तर्गत 1,14,154 नए सूक्ष्म उद्यमियों को ₹1471.34 करोड़ का नए ऋण स्वीकृत किये गये है।

(घ) स्टैण्ड अप भारत योजना (Stand Up India Scheme) : इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति उधारकर्ता एवं महिला उद्यमियों को ₹10.00 लाख से अधिक और ₹1.00 करोड़ का ऋण, बैंकों द्वारा नए उद्यम को स्थापित करने के लिए दिया जाता है (इसे ग्रीन फील्ड उद्यम भी कहा जाता है)। सितम्बर 2023 तक इस योजना के अन्तर्गत बैंकों द्वारा 2175 नए उद्यमों को स्थापित करने के लिए ₹455.13 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है।

12.9 आर.बी.आई. रोडमैप 2013-20: उत्तराखण्ड में 2000 से नीचे की आबादी के साथ सभी बैंक रहित गांवो में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार सितम्बर, 2020 तक आर.बी.आई. रोडमैप के अन्तर्गत ब्रिक और मोर्टार शाखा तथा व्यवसाय प्रतिनिधि (जिन्हें बैंकमित्र कहा जाता है) में समाविष्ट किया जाना था। वित्त सेवायें विभाग, वित्त मंत्रालय भारत सरकार के जन धनदर्शक ऐप के अनुसार उत्तराखण्ड में वर्तमान में (सितम्बर 2023) कोई भी गॉव बैंकिंग सुविधा से वंचित नहीं है।

बैंकों की व्यापारिक मात्रा :

12.10 राज्य के सभी बैंको द्वारा सितम्बर 2022 से सितम्बर 2023 तक जमा मे ₹1,84,133 करोड़ से ₹2,07,518 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का योगदान 69.66 प्रतिशत, आर.आर.बी. का 3.60 प्रतिशत, सहकारी बैंकों का 6.51 प्रतिशत, तथा निजी क्षेत्र के बैंकों का 20.22 प्रतिशत योगदान रहा है। बैंकों द्वारा जमा राशि मे वर्ष दर वर्ष 12.70 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। कुल अग्रिमों मे सितम्बर 2022 से सितम्बर 2023 तक ₹96717 करोड़ से ₹115678 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई है। इस प्रकार सितम्बर 2023 तक बैंकों द्वारा ऋण राशि में वर्ष दर वर्ष वृद्धि 19.60 प्रतिशत रही।

12.11 सितम्बर 2023 तक राज्य में बैंकों का कुल कारोबार ₹3,23,196 करोड़ पार कर गया तथा वर्ष दर वर्ष वृद्धि 15.07 प्रतिशत रही। राज्य में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों ने अपनी हिस्सेदारी से 63.66 प्रतिशत की भागीदारी से बाजार व्यापार पर अधिकार किया। तुलनात्मक आंकड़े नीचे तालिका 12.5 में दर्शाए गए है–

तालिका–12.5
उत्तराखण्ड में बैंकों के तुलनात्मक आंकड़े

(₹ करोड़ में)

क.सं.	मद	30.09.2022	30.09.2023	2022 से, 2023 में परिवर्तन (वर्ष दर वर्ष)	
				सम्पूर्ण	प्रतिशत
1-	जमा (पी.पी.डी.)				
1.1	ग्रामीण	46,325	51835	5510	11.89
1.2	शहरी/अर्ध शहरी	137,808	155683	17875	12.97
1.3	**कुल (1.1+1.2)**	**184,133**	**207518**	**23385**	12.70
2-	अग्रिम (ओ/एस)				
2.1	ग्रामीण	17,006	19708	2,702	15.89
2.2	शहरी/अर्ध शहरी	79,711	95970	16259	20.40
2.3	**कुल (2.1+2.2)**	**96,717**	**115678**	**18961**	19.60
3-	**कुल बैंकिंग व्यापार (जमा+अग्रिम) (1.3+2.3)**	**280,850**	**323196**		
4-	बैंकों द्वारा राज्य सरकार के बांड/प्रतिभूतियों में	8,598	9388	790	9.19
5-	जमा उधार अनुपात बरीट कमेटी के आधार पर	50%	56%		
6-	**प्राथमिक क्षेत्रों में अग्रिम (ओ/एस) जिनमें से:**	**41,321**	**47920**	**6599**	**15.97**
	(i) कृषि	12,608	13567	**959**	**7.61**
	(ii) एम.एस.ई.	20,139	24125	**3986**	**19.79**
	(iii)ओ.पी.एस.	8,573	10229	**1656**	**19.32**
7-	गरीबों को अग्रिम	10,421	12973	**2552**	**24.49**
8-	डी.आर.आई.अग्रिम	9	3.45	**-6**	**-61.67**
9-	अप्राथमिक क्षेत्रों में अग्रिम	37,424	49256	**11832**	**31.62**
10-	शाखाओं की संख्या	2,436	2507	**71**	**2.91**
11-	महिलाओं के लिए अग्रिम	7,155	13446	**6294**	**87.92**
12-	अल्प–संख्यकों को ऋण	6,120	4865	**-1255**	**-20.51**
13-	अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों को अग्रिम	3,220	5190	**1970**	**61.18**

12.12 सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं का क्रियान्वयन:

(क) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (Prime Minister Employment Generation Programme) : इस योजना के अन्तर्गत राज्य में के.वी.आई.सी. (Khadi & Village Industries Commission) / के.वी.आई.बी. (Khadi & Village Industries Board) तथा डी.आई.सी. (District Industries Centre) द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं के मार्जिन राशि के दिनांक सितम्बर 2022 के वार्षिक लक्ष्य ₹25.85 करोड़ के सापेक्ष ₹11.62 करोड़ (45 प्रतिशत) की प्रगति दर्ज की गयी है, जबकि दिनांक सितम्बर 2023 के अर्द्ध वार्षिक लक्ष्य ₹20.68 करोड़ के सापेक्ष ₹14.96 करोड़ (72 प्रतिशत) की प्रगति दर्ज की गयी है।

ख) राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन कार्यक्रम (National Urban Livelihood Mission): इस योजना में शहरी गरीबों को सम्मिलित किया गया है। बैंको को चालू वर्ष में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में दिनांक सितम्बर 2023 तक 362 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

ग) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (National Rural Livlihood Mission) : राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के वर्तमान वित्तीय वर्ष में सितम्बर 2023 तक 13089 समूहों को लाभान्वित किया गया है।

घ) किसान क्रेडिट कार्ड (KCC): सितम्बर 2023 तक बैंकों द्वारा योजना की शुरूआत से जरूरतमंद किसानों को कुल 597605 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये गये हैं।

ङ) ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (Rural Self Employment Training Institutes) : राज्य के 13 जिलों में अग्रणी बैंक जिनमें स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, पी०एन०बी०, बैंक ऑफ बड़ोदा ने ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (आर.एस.ई.टी.आई.) का गठन किया है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में दिनांक सितम्बर 2023 तक 3567 ग्रामीण युवाओं को ऋण संबद्धता के साथ–साथ स्वयं निरन्तर विकास के लिए लाभकारी उपक्रमों को अपनाने हेतु प्रशिक्षित किया है। उक्त कार्यक्रमों में से चयनित कौशल विकास कार्यक्रमों को नाबार्ड द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

12.13 डिजिटल लेनदेन के अंतर्गत प्रगति :

राज्य में बैंकों द्वारा दिनांक सितम्बर 2023 तक विभिन्न डिजीटल माध्यम से किये गये लेनदेन का विवरण जिलावार एवं बैंकवार स्थिति तालिका संख्या **12.6.A** एवं **12.6.B** में दर्शायी गयी है:–

Table - 12.6.A

UTTARAKHAND

DISTRICT WISE DIGITAL TRANSACTION AS ON 30.9.2023

No. In Actual and Amount in Crore

SR.	NAME OF BANK	BHIM/UPI		BHIM Aadhaar		Bharat QR Code		IMPS		Cards (Debit & Credit)		USSD	
		No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.
1	BAGESHWAR	2421636	398.08	3977649	465.65	385	0.19	55098	255.26	164184	68.33	111692	22.99
2	RUDRA PRAYAG	2663274	470.10	5412782	728.88	1045	0.47	58269	334.68	125427	57.14	123992	24.67
3	PAURI GARHWAL	8125483	1642.90	14776134	1812.04	9669	10.81	195588	2870.44	572751	313.36	460884	89.88
4	HARIDWAR	56162402	52949.71	20706269	3026.98	51990	68.35	2220096	31447.43	2915153	1182.52	447998	79.30
5	PITHORAGARH	3384153	644.26	12217057	1466.51	1706	2.87	91417	694.39	190001	94.58	374497	74.76
6	CHAMOLI	3641804	575.90	9982682	1183.00	2810	1.10	71547	422.13	195318	81.24	251753	51.10
7	ALMORA	5316873	955.78	12487215	1398.98	2665	3.47	113240	784.67	507104	203.21	274344	50.92
8	CHAMPAWAT	2992205	528.89	4519588	596.93	1951	1.31	90411	313.94	165336	70.59	100315	20.91
9	NAINITAL	22520396	13122.52	17735949	2477.34	24227	37.53	663796	10850.68	1623385	692.83	586426	117.62
10	DEHRADUN	80738887	64617.23	48104045	7216.94	144043	174.36	2537579	57109.90	5459099	2335.08	2177138	444.42
11	TEHRI GARHWAL	6978973	1211.34	10301783	1357.90	455	0.58	151905	617.19	405452	205.20	207960	40.14
12	UDAM SINGH NAGAR	49370702	35126.44	17849568	2491.81	85648	99.16	1927012	45953.91	3046965	1329.58	411809	82.05
13	UTTAR KASHI	4032115	690.75	6794469	808.91	647	0.60	109635	839.85	239444	101.12	97233	20.35
		248348908	172983.9	184865184	25121.87	327241	400.8	8285593	152494.17	15609619	6734.77	5626041	1119.11

Table - 12.6.B

UTTARAKHAND

BANK WISE TOTAL INVESTMENT CREDIT UNDER DIGITAL TRANSACTION AS ON 30.9.2023

No. in Actual and Amount in Crore

SR.	NAME OF BANK	BHIM/UPI		BHIM Aadhaar		Bharat QR Code		IMPS		Cards (Debit & Credit)		USSD	
		No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.
1	STATE BANK OF INDIA	50	0.00	184820608	25110.28	0	0.00	14056	1.21	23621	4.27	5588436	1111.17
2	PUNJAB NATIONALBANK	81827984	13257.17	3614	0.76	0	0.00	2666171	2001.63	5797886	2354.65	0	0.00
3	BANK OF BARODA	22700619	2758.71	25672	5.69	0	0.00	300414	522.78	1543730	522.16	985	0.07
	Total Lead Banks	**104528653**	**16015.88**	**184849894**	**25116.73**	**0**	**0.00**	**2980641**	**2525.62**	**7365237**	**2881.08**	**5589421**	**1111.24**
4	UNION BANK OF INDIA	21577012	2966.71	6700	1.73	0	0.00	674654	598.37	87902	1.09	0	0.00
5	CANARA BANK	20170525	3861.40	7	0.00	0	0.00	28	0.24	1662392	636.97	5073	0.95
6	CENTRAL BANK OF INDIA	49023	199.67	57	0.01	0	0.00	22397	126.90	29778	86.11	0	0.00
7	PUNJAB AND SIND BANK	2616086	276.22	0	0.00	138946	59.02	11196	19.69	202875	72.43	0	0.00
8	UCO BANK	0	0.00	0	0.00	183	0.04	266689	163.59	378346	167.51	0	0.00
9	INDIAN OVERSEASBANK	0	0.00	1	0.00	0	0.00	1591	26.48	70921	12.97	0	0.00
10	BANK OF INDIA	103	0.01	2332	0.98	0	0.00	1719	44.25	46809	12.95	0	0.00
11	INDIAN BANK	1387821	140.91	0	0.00	0	0.00	32249	44.49	108869	32.57	0	0.00
12	BANK OF MAHARASHTRA	940	0.33	0	0.00	836	0.10	371	0.28	0	0.00	0	0.00
	Total Non-Lead Banks	**45801510**	**7445.25**	**9097**	**2.72**	**139965**	**59.16**	**1010894**	**1024.29**	**2587892**	**1022.6**	**5073**	**0.95**
	Total N. Banks (A + B)	**150330163**	**23461.13**	**184858991**	**25119.45**	**139965**	**59.16**	**3991535**	**3549.91**	**9953129**	**3903.68**	**5594494**	**1112.19**
13	UTTARAKHAND G.B	170599	1144.92	0	0	0	0	9163	140.06	113606	247.68	0	0
14	PRATHAMA U.P GRAMIN BANK	80	0.01	300	0	0	0	999	0	110	0	0	0
	Total R.R.B.	**170679**	**1144.93**	**300**	**0**	**0**	**0**	**10162**	**140.06**	**113716**	**247.68**	**0**	**0**
15	CO-OPERATIVE BANK	0	0	0	0	801	3.19	79966	54.25	606696	313.77	0	0

	Total Cooperative	**0**	**0**	**0**	**0**	**801**	**3.19**	**79966**	**54.25**	**606696**	**313.77**	**0**	**0**
	Total (C+D+E)	**150500842**	**24606.06**	**184859291**	**25119.45**	**140766**	**62.35**	**4081663**	**3744.22**	**10673541**	**4465.13**	**5594494**	**1112.19**
16	THE NAINITAL BANK LTD	49721	609.52	0	0	0	0	0	0	16563	19.16	0	0
17	AXIS BANK	149401	6077.76	0	0	75480	69.58	41299	141423.59	75349	308.82	0	0
18	ICICI BANK	113435	619.35	15	0	103499	242.29	37537	502.24	38654	59.98	0	0
19	IDBI BANK	8306106	1204.14	4355	1.51	0	0	26024	75.38	1898	0.52	188	0.01
20	HDFC BANK	63198665	13265	0	0	5629	2.58	2488310	4297.3	4086444	1589.85	0	0
21	J & K BANK	1548	26.42	0	0	0	0	1085	11.77	1934	9.98	0	0
22	FEDERAL BANK	3296	0.74	0	0	0	0	19041	24.79	9199	3.24	0	0
23	INDUSIND BANK	6258196	1318.99	0	0	0	0	739441	796.27	2635	0.29	0	0
24	KARNATAKA BANK	742045	81.39	0	0	0	0	12903	30.54	63869	20.6	0	0
25	SOUTH INDIAN BANK	35151	8.28	0	0	0	0	3041	11.2	6123	2.46	0	0
26	YES BANK	2882801	684.13	711	0.23	1867	24	354791	703.78	292360	95.55	0	0
27	BANDHANBANK	4371002	957.15	0	0	0	0	249431	266.51	197431	73.19	0	0
28	KOTAK MAHINDRABANK	10858180	123371.12	0	0	0	0	199287	500.4	0	0	31359	6.91
29	IDFC FIRSTBANK	0	0	0	0	0	0	15848	64.05	680	0.28	0	0
	Total Private Bank	**96969547**	**148223.99**	**5081**	**1.74**	**186475**	**338.45**	**4188038**	**148707.82**	**4762119**	**2181.92**	**31547**	**6.92**
30	UJJIVAN SMALL FIN. BANK	657816	66.13	0	0	0	0	4169	12.82	96041	49.05	0	0
31	UTKARSH SMALL FIN.BANK	0	0	0	0	0	0	5223	14.78	55119	27.72	0	0
32	JANA SMALL FIN. BANK	141105	22.04	0	0	0	0	5769	12.27	9400	3.36	0	0
33	SHIVALIKSMALL FINANCE BANK	79593	15.68	822	0.68	0	0	731	2.56	13399	5.59	0	0
SMALL FINANCEBANK		**878514**	**103.85**	**822**	**0.68**	**0**	**0**	**15892**	**42.43**	**173959**	**85.72**	**0**	**0**
Total All Bank		**248348903**	**172933.9**	**184865194**	**25121.87**	**327241**	**400.8**	**8285593**	**152494.47**	**15609619**	**6734.77**	**5626041**	**1119.11**

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
National bank For Agriculture & Rural Development

12.14 राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (National bank For Agriculture & Rural Development): राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने कुछ वर्षों में ग्रामीण संरचना विकास, लघु सिंचाई, लघु ऋण, ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र, तथा अन्य कृषि क्षेत्रों के लिए ऋण वितरण व्यवस्था में सुदृढ़ीकरण व विस्तारीकरण करके ग्रामीण विकास एवं विकास प्रक्रिया में निरन्तर सहयोग दिया है। नाबार्ड के सक्रिय सहयोग के कारण राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को सामाजिक व आर्थिक लाभ प्राप्त हो रहे हैं। नाबार्ड अपनी योजनाओं के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण युक्त अनुदान योजनाओं को भी प्रभावी ढंग से कार्यान्वित कर रहा है।

12.15 ग्रामीण आधारभूत अवसंरचना विकास निधि (Rural Infrastructure Development fund-RIDF): भारत सरकार द्वारा नाबार्ड में वर्ष 1995–96 में ग्रामीण आधारभूत अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) की स्थापना की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों तथा राज्य के स्वामित्व वाले निगमों की चल रही योजनाओं को पूर्ण करने तथा कुछ चुने हुए क्षेत्रों में नई परियोजनाओं को शुरू करने के लिए रियायती ऋण दिये जाते हैं। किसी स्थान से सम्बन्धित विशेष संरचना ढांचे के विकास, जिसका सीधा असर समाज व ग्रामीण अर्थ–व्यवस्था पर हो, को भी इसमें सहायता दी जाती है।

12.15.1 शुरूआत से ही, **आरआईडीएफ** राज्य सरकारों के लिए विकास कार्यों के लिए भरोसेमंद स्रोत रहा है। भारत सरकार हर वर्ष केन्द्रीय बजट में आरआईडीएफ के लिए वार्षिक आवंटन करती है। प्रारम्भ में आरआईडीएफ का उपयोग राज्य सरकार की सिंचाई क्षेत्र की अधूरी पड़ी परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए किया गया था परन्तु समय के साथ–साथ इस निधि के उपयोग से वित्तीय सहायता का क्षेत्र विस्तृत करके 39 कार्यकलापों जिनमें कृषि तथा सम्बन्धित क्षेत्र (सिंचाई, बाढ़ सुरक्षा, पशुपालन क्षेत्र आदि), सामाजिक क्षेत्र (प्राथमिक / तकनीकी शिक्षा, पेयजल, आदि) तथा ग्रामीण सम्पर्क (सड़के एवं पुल) सम्बन्धित आधारभूत कार्यकलापों को सम्मिलित किया गया है। इस निधि के अन्तर्गत वर्ष 1995–96 में आरआईडीएफ–1 में ₹ 2,000 करोड़ का बजट प्रावधान था जो अब बढ़कर आरआईडीएफ–XXIX में (वर्ष 2023–24) में ₹ 40,000 करोड़ हो गया है।

12.15.2 आरआईडीएफ के अन्तर्गत राज्य को 31 दिसम्बर, 2023 तक 5218 परियोजनाओं के लिए ₹11610.72 करोड़ की स्वीकृति के सापेक्ष 31 दिसम्बर, 2023 तक आरआईडीएफ के अन्तर्गत कुल ₹ 9567.12 करोड़ की ऋण राशि जारी की जा चुकी है। जिनमें से मुख्यतः ग्रामीण सड़कें, पुल, सिंचाई, बाढ़ सुरक्षा, पेयजल, शिक्षा, पशुपालन, आदि की परियोजनाएं शामिल हैं।

12.15.3 दिनांक 31 दिसम्बर, 2023 तक स्वीकृत की गई इन परियोजनाओं के पूर्ण होने के बाद 23 लाख से अधिक लोगों को पीने का पानी, 15244 किलोमीटर मोटर योग्य सड़कें,

27589 मीटर स्पैन पुलों के निर्माण तथा 2.19 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी।

12.16 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के अन्तर्गत माइक्रो इरीगेशन फंड (MIF) : पीएमकेएसवाई 01 जुलाई, 2015 को लागू की गयी थी जिसका उद्देश्य सिंचाई का दायरा बढ़ाने, हर खेत को पानी तथा पानी के प्रयोग की दक्षता बढ़ाना **'Per Drop More Crop'** था। नाबार्ड द्वारा एम0आई0एफ के तहत 4,710.96 करोड़ रुपये के ऋण प्रस्तावों को स्वीकृत एवं 2,516.02 करोड़ रुपये वितरित किये गये हैं।

12.17 पुनर्वित सहायता (Re-Finance Support) : ग्रामीण आवास, लघु सड़क परिवहन चालकों, भूमि विकास, लघु सिंचाई, डेयरी विकास, स्वयं सहायता समूह, कृषि यंत्रीकरण, मुर्गी पालन, वृक्षारोपण, बागवानी, भेड़/ बकरी/ सुअर पालन, पैकिंग, अन्य क्षेत्रों में ग्रेडिंग, इत्यादि विभिन्न कार्यों के लिए पुनर्वित सहायता स्वरूप नाबार्ड द्वारा वर्ष 2023–24 के दौरान (31 दिसम्बर, 2023) बैंकों को ₹ 992.31 करोड़ की वित्तीय सहायता दी गयी है। जिसमें सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संसाधनों को सप्लीमेंट करने के लिए वर्ष 2015–16 में स्थापित "दीर्घावधि ग्रामीण ऋण फंड" के अधीन, वर्ष 2023–24 में (31 दिसम्बर, 2023 तक) ₹ 281.01 करोड़ का ऋण वितरित किया गया है। नाबार्ड ने वर्ष 2023–24 के लिए सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा फसल ऋण वितरण में अधिक योगदान करने के लिए ₹ 1,205.00 करोड़ की ऋण सीमा एस0टी0 (एस0ए0ओ0) (Short term seasonal Agriculture operation) के अन्तर्गत स्वीकृत की है तथा बैंकों द्वारा 31 दिसम्बर, 2023 तक ₹ 644.95 करोड़ का पुनर्वित्त नाबार्ड से लिया गया है। नाबार्ड ने अल्पावधि मौसमी कृषि कार्यों के अलावा अन्य गतिविधियों के वित्त पोषण के लिए भी सहकारी बैंकों को ₹ 50.00 करोड़ की अल्पावधि (अन्य) पुनर्वित्त की मंजूरी दी है जिसके अन्तर्गत बैंकों ने 31 दिसम्बर, 2023 तक ₹ 5.00 करोड़ का पुनर्वित्त नाबार्ड से लिया है।

12.18 सूक्ष्म ऋण (Micro Finance) : स्वयं सहायता समूह बैंक ऋण सहबद्धता कार्यक्रम (एसएचजी बीएलपी) अब पूरे प्रदेश में एक सशक्त आधार के साथ फैल गया है। इस कार्यक्रम को उच्च स्तर पर पहुँचाने में मानव संसाधनों और वित्तीय उत्पादों का विशेष योगदान रहा है। नाबार्ड द्वारा स्वयं सहायता समूहों और संयुक्त देयता समूहों के सदस्यों को उद्यमिता के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए पिछले 7 वर्षों में आजीविका उद्यमिता विकास कार्यक्रम (एलईडीपी) अन्तर्गत 36 प्रतिशत प्रशिक्षण और सूक्ष्म उद्यमिता विकास कार्यक्रम (एमईडीपी) के अन्तर्गत 110 प्रशिक्षण प्रदान किये गये और कुल 7,510 लोगों को विभिन्न रोजगारपरक क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया गया। स्वयं सहायता समूह–बैंक ऋण सहबद्धता कार्यक्रम के हितधारकों के लिए राज्य और जिला स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों और एसएचजी के लिए गाँव स्तर पर कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया।

12.19 जलागम विकास निधि (Watershed Development Fund) : जलागम विकास निधि के अन्तर्गत चल रही 11 परियोजनाओं के लिए स्वीकृत की गयी राशि ₹ 1380 लाख में से ₹ 1159 लाख वितरित किये गये हैं। सभी परियोजनाओं में लगभग 10,074 हेक्टेयर भूमि को सम्मिलित किया गया है। इन परियोजनाओं से न केवल पानी की उपलब्धता

बढ़ेगी बल्कि उनसे प्राकृतिक संरक्षण, खेती की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने, किसानों की आय में वृद्धि करने के साथ–साथ चारागाहों के घटते आकार को रोकने और इसे बढ़ाने में मदद मिलेगी। इससे राज्य में पशुधन से सम्बन्धित कार्यकलापों को भी लाभ पहुँचेगा। हाल ही में क्रियान्वित जलागम परियोजना (पौड़ी गढ़वाल) में नैसर्गिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड द्वारा ₹ 30.00 लाख की सहायता के "जीवा परियोजना" प्रारम्भ की गयी है ।

12.20 जनजातीय विकास निधि (Tribal Development Fund) के माध्यम से जनजातीय लोगों का विकास : नाबार्ड ने जनजातीय विकास निधि के अन्तर्गत 11 परियोजनाओं के लिए स्वीकृत ₹ 1,807.51 लाख में से ₹ 1,343.21 लाख की अनुदान राशि 31 दिसम्बर, 2023 तक छोटे उद्यानों, पशुपालन, इत्यादि इकाईयों की स्थापना के लिए वितरित कर दी है। इन परियोजनाओं से 4,445 जनजातीय परिवार लाभान्वित हुए हैं। इन परियोजनाओं में सफरचंद, आड़ू, खुमानी, नीबू, नाशपाती, कीवी के बगीचे भी लगाये गये, जिनसे जनजातीय लोगों ने अपनी आय बढ़ाकर अपने जीवन स्तर में सुधार किया है। हाल ही में क्रियान्वित टी डी एफ परियोजना (देहरादून) में नैसर्गिक खेती को बढ़ावा देने के लिये नाबार्ड द्वारा 30 लाख की सहायता की 'जीवा परियोजना' की शुरुआत की है

12.21 वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) : वित्तीय समावेशन भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड का एक महत्वपूर्ण एजेंडा है, जिसका उद्देश्य देश में अब तक किफायती लागत पर वित्तीय सेवाएं प्राप्त न कर पाने वाली बड़ी आबादी के लिए वित्तीय सेवाओं का विस्तार करना है। वर्ष 2023–24 के दौरान ₹ 319.58 लाख (31 दिसम्बर, 2023 तक) की अनुदान सहायता 'Financial Inclusion Fund' के तहत वित्तीय संस्थाओं को स्वीकृत की गयी है।

12.22 उत्तराखण्ड में जलवायु परिवर्तन के लिए नाबार्ड की पहल :

I. नाबार्ड को यूनाइटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्वेन्शन ऑन क्लाइमेट चेंज के अन्तर्गत स्थापित अनुकूलन निधि (Adaptation Fund) एवं भारत सरकार द्वारा स्थापित जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन निधि (National Adaptation Fund For Climate Change) के लिए राष्ट्रीय कार्यान्वयन इकाई (National Implementing Agency) तथा ग्रीन क्लाइमेट फन्ड (GCF) के लिए डायरेक्ट एक्सेस इकाई (Direct Access Entity) नामित किया गया है।

II. अनुकूलन निधि के तहत, उत्तराखण्ड में ₹ 25.36 करोड़ की लागत वाली एक जलवायु परिवर्तन अनुकूलन परियोजना चम्पावत जिले में नाबार्ड द्वारा बी0ए0आई0एफ0 (कार्यकारी इकाई) की सहायता से निष्पादित किया जा चुका है। इस परियोजना से लगभग 800 परिवार लाभान्वित हुये हैं। इस परियोजना के तहत लगभग ₹ 4.69 करोड़ की वित्तीय सहायता वितरित की गयी है।

III. नाबार्ड के जलवायु परिवर्तन निधि के तहत उत्तरकाशी व चमोली जनपद में जीरो एनर्जी कोल्ड स्टोरेज की इकाई व गाय के गोबर में मूल्य वर्धन करके उत्पाद बनाने (दिया, मूर्ति इत्यादि) की परियोजना स्वीकृत की है। दोनों परियोजना में ₹ 2.00 लाख (प्रति परियोजना) अनुदान राशि स्वीकृत हुई है।

12.23 नाबार्ड द्वारा जारी अन्य महत्वपूर्ण स्कीम/पहलें :

I. पैक्स एक बहुउद्देशीय सेवा केन्द्र (PACS as MSC)

पैक्स को आत्मनिर्भर बनाने हेतु कुछ उचित विकल्प हैं जैसे कि व्यवसाय का विविधीकरण, उपक्रमों के लिए रास्ते तलाशने एवं संसाधनों का उचित व्यवस्था कराना, आदि हैं। इसी उद्देश्य के लिए नाबार्ड ने पैक्स को एमएससी के रूप में परिवर्तित करने हेतु विशेष पुनर्वित स्कीम वर्ष 2020–21 में लागू की है। इस योजना के तहत नाबार्ड राज्य सहकारी बैंकों को 3 प्रतिशत की दर से (समय–समय पर परिवर्तित), इस शर्त के साथ कि पैक्स से नाबार्ड द्वारा वसूले गये ब्याज से 1 प्रतिशत से ज्यादा ब्याज नहीं वसूला जायेगा, सहायता प्रदान कर रहा है। इस स्कीम के अन्तर्गत स्वीकृत किये गये प्रोजेक्ट एग्री इंनफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम के अधीन ब्याज में छूट (Interest Subvention) प्राप्त करने के लिए भी पात्र होंगे।

II. एग्री इंनफ्रास्ट्रक्चर फंड (AIF)

भारत सरकार की आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इस महत्वाकांक्षी योजना को 09 अगस्त, 2020 को लागू किया था। इस योजना के अन्तर्गत पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ढाँचे एवं सामुदायिक कृषि हेतु 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर 7 वर्ष के अधिकतम समय के लिए मध्यम एवं दीर्घ अवधि की ऋण उपलब्ध है। इस योजना के अधीन राज्य के लिए छः वर्षों में 2020–21 से 2025–26 हेतु ₹ 785.00 करोड़ के ऋण की स्वीकृति का लक्ष्य रखा गया है। एआईएफ तथा भारत सरकार के world's largest decentralized food grain project के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में सहसपुर पैक्स, देहरादून द्वारा ₹ 1.28 करोड़ की लागत से बनाये जा रहे साइलो (गोदाम) हेतु 3 प्रतिशत ब्याज छूट का लाभ लिया जा रहा है तथा भारत सरकार की AMI स्कीम के अन्तर्गत सब्सिडी के लाभ के लिए भी यह प्रोजेक्ट पात्र है। इस प्रोजेक्ट के लिए नाबार्ड द्वारा 3 प्रतिशत प्रति वर्ष की रियायती ब्याज दर से उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक को ₹ 98.00 लाख के पुनर्वित की मंजूरी भी दी गयी है व सितम्बर 2023 तक ₹ 45.00 लाख का पुनर्वित दिया जा चुका है।

III. वाटर सैनिटेशन एवं हाईजीन (WASH) हेतु पुनर्वित स्कीम:

नाबार्ड ने भारत सरकार के ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड के दौरान स्वच्छ जीवन स्तर को सतत् रूप से बनाये रखने के प्रयासों को बढ़ावा देने हेतु वर्ष 2020–21 से ₹ 800.00 करोड़ की यह पुनर्वित स्कीम प्रारम्भ किया गया है। इस स्कीम के तहत नाबार्ड सभी पात्र वित्तीय संस्थाओं (वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों सहित) को ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता क्षेत्र में ऋण प्रवाह बढ़ाने हेतु पुनर्वित प्रदान करता है।

अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास

अध्याय–13
विद्युत
Electricity

13.1 राज्य के आर्थिक विकास एवं जीवन की गुणवत्ता को निरन्तरता प्रदान करने के लिए विद्युत ऊर्जा का आधारभूत संरचना में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विगत वर्षों मे प्रदेश मे विद्युत उत्पादन, पारेषण तथा वितरण क्षमता विकास की योजनाओं का क्रियान्वयन द्रुतगति से चल रहा है परन्तु अभी भी विद्युत उपलब्धता और मांग का अन्तर निरन्तर बढ़ता जा रहा है।

विद्युत आपूर्ति समस्त आर्थिक गतिविधियों का आधार है तथा पर्याप्त विद्युत आपूर्ति से ही तीव्र एवं समावेशी विकास सम्भव है। राज्य में विद्युत उत्पादन हेतु गैरपारम्परिक स्त्रोतों को, अपार सम्भावनाओं के दृष्टिगत, सम्मिलित किया जाना आवश्यक है।

तालिका 13.1
उत्तराखण्ड में वर्षवार विद्युत क्षमता, उत्पादन तथा मांग

वर्ष Year	स्थापित क्षमता (मे0वा0) Installed Capacity (MW)	कुल विद्युत उत्पादन (मि0यू0) Total Electricity Production (MU)	कुल विद्युत मांग (मि0यू0) Total Electricity Demand (MU)
(1)	(2)	(3)	(4)
2011-12	1306.25	5261.82	10571.10
2012-13	1306.25	4812.11	11424.06
2013-14	1288.85	4411.83	11969.21
2014-15	1284.85	4348.95	12440.95
2015-16	1284.85	4942.33	12908.07
2016-17	1284.85	4379.47	13080.91
2017-18	1289.35	4725.66	13455.00
2018-19	1318.56	4663.08	13842.00
2019-20	1318.56	5088.88	13852.00
2020-21	1322.56	5539.00	13135.00
2021-22	1322.56	5157.27	14254.00
2022-23	1420.60	5433.00	15436.00
2023-24 (Dec,23)	1447.16	4192.00	11827.00

Source: Uttarakhand Jal Vidhyut Nigam Ltd. & Uttarakhand Power Corporation Ltd.(Compiled in Statistical Diaries)

चार्ट 13.1

स्रोत: विद्युत विभाग, उत्तराखण्ड

तालिका 13.2
विगत वर्षों में ए0टी0 एण्ड सी0 हानियों (Aggregate Technical & Commercial Losses) का विवरण

वित्तीय वर्ष	ए0टी0 एण्ड सी0 हानियाँ
2014 - 15	18.64%
2015 - 16	17.19%
2016 - 17	15.85%
2017 - 18	16.10%
2018 - 19	16.52%
2019 - 20	20.44%
2020 - 21	15. 25%
2021 - 22	17. 20%
2022 - 23	15. 25%
2023 - 24	**14.99%** (लक्षित)

स्रोत: विद्युत विभाग, उत्तराखण्ड

उपरोक्त तालिका संख्या 13.2 से स्पष्ट है कि वर्ष 2014–15 में कुल ए0टी0 एण्ड सी0 लॉस (वाणिज्यिक एवं तकनीकी हानियां) लगभग 18.64 प्रतिशत के सापेक्ष वर्ष 2023–24 में ए0टी0 एण्ड सी0 लॉस को कम कर 14.99 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य है।

13.1.1 उपभोक्ता सेवाएँ:–

- 24 X 7 विभिन्न ऑनलाइन मोड के माध्यम से देय बिल, नए कनेक्शन शुल्क और विविध शुल्क का तत्काल भुगतान एवं रसीद।
- बैक मीटर, स्वामित्व परिवर्तन आदि जैसी सभी शिकायतों / सेवा अनुरोधों का पंजीकरण और ट्रैकिंग।
- एस0 एम0 एस0 अलर्ट प्राप्त करने के लिए

उपभोक्ता के बिजली खाते के साथ मोबाईल नंबर का पंजीकरण।

- नए कनेक्शन, लोड वृद्धि, लोड कम करने के आवेदन के लिए पंजीकरण और ट्रैकिंग।

- सिंगल लॉग इन के तहत एकाधिक कनेक्शन से संबंधित सभी सेवाओं जैसे कि बिल एवं भुगतान इतिहास की उपलब्धता।

- सिंगल विंडो, आपुनी सरकार, स्मार्ट सिटी, सीएससी पोर्टल और उमंग ऐप के साथ एकीकरण।

13.1.2 उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 के विद्युत उपभोक्ताओं को बिलो के ऑनलाईन भुगतान हेतु उपलब्ध विभिन्न माध्यम

- उ0पा0का0लि0 की वैबसाईट https://www.upcl.org/wss एवं उपभोक्ता मोबाईल एप (Android ,oa iOS) द्वारा

- विभिन्न थर्ड पार्टी एप जैसे द्वारा

- RTGS/ NEFT के माध्यम से ऑनलाईन बैंक ट्रांसफर द्वारा

- उत्तराखण्ड सरकार के देव भूमि जन सेवा केन्द्र (CSC Outlet) द्वारा

- ऑनलाईन भुगतान को प्रोत्साहित करने हेतु विद्युत उपभोक्ताओं को 1.5% छूट प्रदान की जा रही है।

- वर्तमान में लगभग 64% विद्युत बिलों का भुगतान एवं लगभग 80 % विद्युत राजस्व डिजिटल माध्यमों से प्राप्त हो रहा हैं।

Financial year-wise Total Collection vs Digital Collection upto Dec-2023

चार्ट 13.2

वित्तीय वर्ष वार डिजीटल माध्यम से विद्युत बिलों के भुगतान की संख्या (%) मे

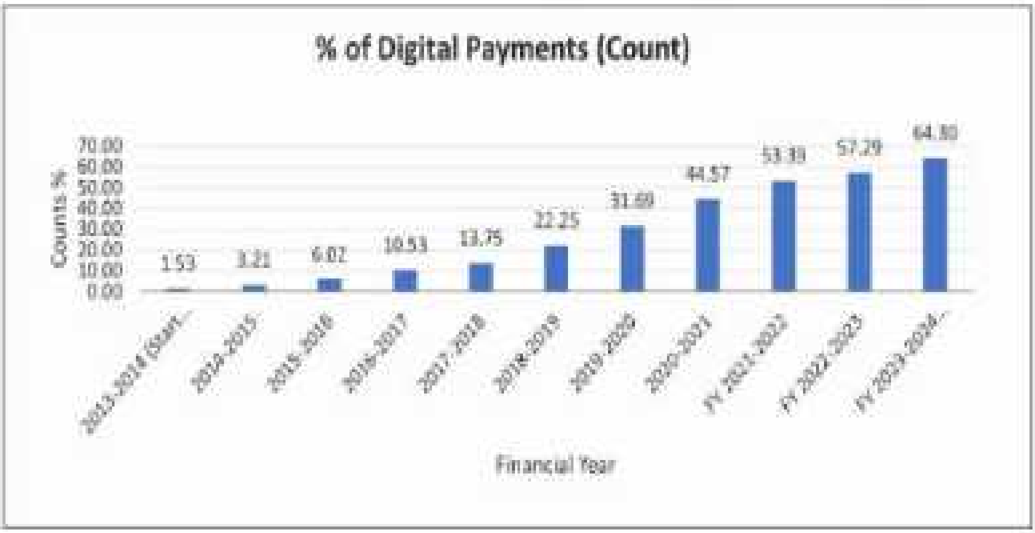

स्रोत: विद्युत विभाग, उत्तराखण्ड

चार्ट 13.3

वित्तीय वर्ष वार डिजिटल माध्यम से विद्युत बिलों के भुगतान (धनराशि का %) मे

स्रोतः विद्युत विभाग, उत्तराखण्ड

राज्य में उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड, उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड, पिटकुल तथा उरेडा विभागों के माध्यम से निम्नानुसार कार्यक्रम संचालित किये जा रहे है–

13.2 उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड (Uttarakhand Power Corporation Limited)–

13.2.1 33/11 के०वी० उपस्थानों का निर्माण:– वित्तीय वर्ष 2023–24 में 31 दिसम्बर, 2023 तक 10 एम०वी०ए० क्षमता का 01 नग नये 33/11 के०वी० विद्युत उपसंस्थानों एवं 3.39 कि. मी. नयी 33 के०वी० लाइनों का निर्माण किया जा चुका है।

13.2.2 पुनोंत्थान वितरण क्षेत्र योजना Revamped Distribution Sector Scheme (RDSS):– केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2025–26 तक 05 वर्षों की अवधि में विद्युत वितरण क्षेत्र के लिये एक सुधार आधारित और परिणाम से जुडी पुनरोत्थान वितरण क्षेत्र योजना (Revamped Distribution Sector Scheme) (RDSS) के अन्तर्गत विद्युत वितरण क्षेत्र मे वित्तीय स्थिरता और परिचालन के माध्यम से बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और सामर्थ्य में सुधार करना है। योजना में विद्युत वितरण क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को मजबूत कर DISCOM को सशक्त वित्तीय सहायता हेतु प्राविधान किया गया है। यह वित्तीय सहायता पूर्व अर्हता मापदण्डों को पूरा करने और बुनियादी न्यूनतम बैंचमार्क की उपलब्धि पर आधारित होगी।

अखिल भारतीय स्तर पर योजना का परिव्यय ₹ 3,03,758 करोड़ है जिसमें केन्द्र सरकार द्वारा अनुमानित 97,631 करोड़ ₹ का Gross Budgetary Support (GBS) निर्धारित किया गया है।

तालिका 13.3

योजना का उददेश्यः

- वितीय रूप से स्थायी और परिचालन रूप से कुशल वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और सामर्थ्य में सुधार करना।

- वर्ष 2024–25 तक AT&C हानियों में अखिल भारतीय स्तर पर 12%–15% के स्तर तक कम करना है।

- ACS-ARR के gap को कम करके वर्ष 2024–25 तक शून्य करना।

Prepaid Smart Metering के अन्तर्गत निम्न मुख्य कार्य किये जाने है:

- 15.84 लाख उपभोक्ताओं के परिसर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर की स्थापना।
- 2602 नग फीडर मीटरिंग।
- 59212 नग वितरण परिवर्तकों की मीटरिंग।
- 3334 नग HT उपभोक्ताओं का मीटरिंग कार्य।

Distribution Infrastructure Work-

(i) Loss Reductions Works - Loss Reductions Works के अन्तर्गत निम्न मुख्य कार्य किये जाने है:

- 4837 किमी LT केबिल को AB केबिल से बदलना।
- 10 नग फीडरों का पृथक्कीकरण।
- 469 नग DTR Structure तथा 8828 नग क्षतिग्रस्त पोलों को बदलने का कार्य।

(ii) Modernisation Works - Modernisation के अन्तर्गत निम्न कार्य प्रस्तावित हैं:

- हल्द्वानी एवं नैनीताल शहर की विद्युत लाईनों को भूमिगत करने का कार्य
- नये उपस्थानों का निर्माण कार्य।
- उपस्थानों में पावर परिवर्तकों की क्षमतावृद्धि।
- वितरण परिवर्तकों की क्षमतावृद्धि का कार्य।
- नये वितरण परिवर्तकों की स्थापना का कार्य।
- नये मोबाईल वितरण परिवर्तकों की स्थापना का कार्य।
- 06 (देहरादून, हरिद्वार, रूड़की, रूद्रपुर, काशीपुर एवं हल्द्वानी) शहरों में SCADA तथा SCADA enable VCBs का कार्य।

3: **Project Management**

प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण।

योजना की प्रमुख विशेषता:

Prepaid Smart Metering को सार्वजनिक–निजी– साझेदारी (PPP) मोड में लागू कर उपभोक्ता सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। Smart Meter उपभोक्ताओं को मासिक आधार के बजाय नियमित आधार पर अपनी बिजली की खपत की निगरानी की सुविधा देगा जो उन्हें अपनी जरूरतों के अनुसार और उपलब्ध संसाधनों के सन्दर्भ में बिजली के उपयोग में मदद कर सकेगा।

ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में विद्युत वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण होगा एवं विद्युत हानियों को कम किये जाने तथा प्रणाली सुदृढ़ीकरण के कार्य प्रस्तावित किये जा रहे हैं।

System Meter, Prepaid Smart Meter से प्राप्त डाटा का विश्लेषण IT/OT उपकरणों के माध्यम से किया जायेगा एवं बिलिंग प्रणाली के साथ integrate किया जायेगा।

चिन्हित शहरी क्षेत्रों में वितरण प्रणाली का आधुनिकीकरण होगा जिसमें सभी शहरी क्षेत्रों में परियोजना के दिशा–निर्देशों के अनुसार पर्यवेक्षी नियन्त्रण और डेटा अधिग्रहण (स्काडा) प्रणाली की स्थापना किया जाना प्रस्तावित किया जा रहा है।

योजना में केन्द्र सरकार से अनुदान का प्रावधान :

योजना के क्रियान्वयन में उत्तराखण्ड राज्य, सिक्किम, उत्तर पूर्वी राज्यों, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, अण्डमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के राज्यों / केन्द्र शासित प्रदेश सहित विशेष श्रेणी के राज्यों के रूप में चिन्हित है जिसमें Smart Prepaid Metering, वितरण ट्रांसफार्मर मीटरिंग एवं प्रणाली मीटरिंग के लिये स्वीकृत लागत का 22.5 प्रतिशत या अधिकतम ₹ 1350.00 (परिचालन लागत सहित) अनुदान के रूप में अनुमन्य होगा।

Distribution Infrastructure Works] DMS, AB Cable, फीडर पृथक्कीकरण एवं स्काडा हेतु स्वीकृत लागत का 90 प्रतिशत (पूर्व अर्हता मापदण्डों को पूरा करना एवं बुनियादी बैंचमार्क की उपलब्धि पर) अनुदान के रूप में अनुमन्य होगा।

नोडल एजेंसी:

योजना के क्रियान्वयन मै0 पी0एफ0सी0, नई दिल्ली उत्तराखण्ड राज्य हेतु नोडल एजेंसी नामित की गई है।

योजना में स्मार्ट मीटरिंग के कार्य हेतु रू0 1045.00 करोड़, विद्युत हानि को कम करने के कार्य हेतु ₹ 1426.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

योजना के क्रियान्वयन हेतु मै0 मेधज टैक्नो कॉन्सेप्ट प्रा0लि0, लखनऊ को पी0एम0ए0 (Project Management Agency) नियुक्त किया गया है। स्मार्ट मीटरिंग के लिए AMISP की नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है।

स्रोत: यू पी सी एल

13.2.3 Asian Development Bank (ADB) पोषित योजना:– Asian Development Bank (ADB) द्वारा वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निम्न कार्य प्रस्तावित हैं:–

- देहरादून शहर में उच्च गुणवत्ता एवं विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति के लिये देहरादून शहर के मुख्य मार्गों पर स्थित एच0टी0 एवं एल0टी0 लाईनों को भूमिगत किये जाने के कार्य। (कार्य की लागत ₹ 886.40 करोड़)

- 03 नग नये 33/11 के0वी0 उपस्थानों का निर्माण तथा 25 नग निर्मित 33/11 के0वी0 उपस्थानों की क्षमतावृद्धि के कार्य। (कार्य की लागत ₹ 70.38 करोड़)

- प्रस्तावित कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु Project Implementation Support Consultant (PISC) की नियुक्ति। (कार्य की लागत ₹ 20.25 करोड़)

देहरादून शहर की विद्युत लाइनों को भूमिगत करने के कार्यों हेतु दिसम्बर, 2023 को Letter of Acceptance (LoA) जारी किये गये हैं। कार्यदायी संस्थाओं द्वारा सर्वे का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

Project Implementation Support Consultant (PISC) नियुक्त करने हेतु Expression of Interest (EoI) आमंत्रित की जा चुकी है। Request for Proposal (RfP) माह जनवरी, 2024 में ए0डी0बी0 की वेबसाईट पर अपलोड किया जाना है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2023–24 के बजट में ₹ 200.00 करोड़ का प्राविधान किया गया है। योजना के कार्य वर्ष 2026–27 तक पूर्ण किये जाना लक्ष्यान्वित है।

13.3 उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड (Uttarkhand Jal Vidhut Nigam Limited):–

आर्थिक क्रियाकलापों में उत्प्रेरक की भूमिका स्वीकार्यता के साथ–साथ विद्युत, रोजगार (राजस्व उत्पादन) के अवसर बढ़ाने व लोगों के रहन–सहन के स्तर व जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

उत्तराखण्ड जल विद्युत आर्थिक विस्तार के साथ–साथ पर्यावरण एवं सामाजिक पक्ष पर भी बल देता है। वस्तुतः जल विद्युत के 24380 मे0वा0 क्षमता का पूर्ण रूप से दोहन व विकास करने की दिशा में अनुकूल नीतियों का निर्धारण आवश्यक है।

राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं की कुल दोहन क्षमता 24380 मे0वा0 है, जिसमें परिचालन के अंतर्गत 4201 मे0वा0 निर्माणाधीन के अंतर्गत 2151 मे0वा0,डी0पी0आर0 अनुमोदित/स्वीकृति प्राप्त/प्रक्रियाधीन के अंतर्गत 7596 मे0वा0 तथा सर्वे एवं इनवेस्टीगेशन के अंतर्गत 6459 मे0वा0 की परियोजना तथा 4084 मे0वा0 की रुकी हुई परियोजनाये हैं।

यूजेवीएन लिमिटेड द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के दिसम्बर 2023 तक 4192 मि0यू0 का उत्पादन किया गया है।

राज्य पोषित जल विद्युत परियोजनाओं हेतु अंशपूंजी एवं ऋण प्रदान किया जा रहा है। राज्य योजना के अंतर्गत, वृहद जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण, पुरानी जल विद्युत परियोजनाओं का जीर्णोधार शामिल है। लखवाड़ (300 मे0वा0) पर अंशपूंजी के द्वारा निर्माण का कार्य किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सिरकारी भ्योल रूपसियाबगड़ (120 मे0वा0), सेला उर्थिंग (114 मे0वा0) पर भी अनुसंधान एवं नियोजन का कार्य तथा डी0पी0आर0 बनाने का कार्य गतिमान है।

तालिका 13.3

यूजेवीएन लिमिटेड द्वारा जल विद्युत के उत्पादन का विवरण

वर्ष	वार्षिक लक्ष्य (मि0यू0)	उत्पादन (मि0यू0)
2017–18	5001	4730
2018–19	4700	4863
2019–20	4822	5059
2020–21	5050	4754
2021–22	4837	5157
2022–23	5390	5433
2023–24 (दिसम्बर तक)	5390	4192

स्रोत: यूजेवीएन लिमिटेड

13.3.1 व्यासी परियोजना (120 मे0वा0)

व्यासी परियोजना (120 मे0वा0) का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिसम्बर, 2021 को व्यासी परियोजना को लोकार्पण के उपरान्त 353 मि0यू0 का विद्युत उत्पादन हो रहा है।

13.3.2 लखवाड़ परियोजना (300 मे0वा0)

इस राष्ट्रीय परियोजना में भारत सरकार द्वारा जल घटक का 90 प्रतिशत अनुदान के रूप में प्रदान किया जायेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिसम्बर, 2021 को परियोजना के शिलान्यास के पश्चात् निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है।

13.3.3 किशाऊ परियोजना (660 मे0वा0)

इस राष्ट्रीय परियोजना में केन्द्रीय जल आयोग द्वारा परियोजना की लागत, जल घटक एवं विद्युत घटक का निर्धारण कर दिया गया है, जिसकी संशोधित लागत 11500 करोड़ है, जिसमें परियोजना के जल घटक का 90 प्रतिशत अनुदान भारत सरकार द्वारा वहन किया जाना है। यह परियोजना उत्तराखण्ड एवं हिमाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित है, जिसके निर्माण हेतु 50–50 प्रतिशत की सहभागिता के आधार पर किया जा रहा है।

13.3.4 उत्तराखण्ड सरकार द्वारा जल विद्युत परियोजनाओं के विकास को गति प्रदान करने हेतु यूजेवीएन लिमिटेड एवं टी0एच0डी0सी0 का संयुक्त उपक्रम "मै0 टी0एच0डी0सी0आई0एल0 यूजेवीएन लिमिटेड एनर्जी कम्पनी लिमिटेड" का गठन कर 05 परियोजनाएं जिसमें 03 जल विद्युत परियोजनाएं कुल क्षमता 489 मे0वा0 एवं 02 पम्प स्टोरेज परियोजनाएं कुल क्षमता 1230 मे0वा0 की आवंटित की गयी हैं।

साथ ही यूजेवीएन लिमिटेड को लखवाड़ परियोजना के डाउन स्ट्रीम में 240 मे0वा0 की पम्प स्टोरेज एवं 60 मे0वा0 की हनोल–त्यूनी **परियोजनाएं आवंटित की गयी हैं।**

13.3.5 नाबार्ड वित्त पोषित परियोजना में सुरिनगाड–।। (5 मे0वा0) वित्तीय संस्थाओं के अन्तर्गत पीएनबी से वित्त पोषित कालीगंगा–।। (4.5 मे0वा0) पीएनबी से वित्त पोषित मध्यमहेश्वर (15 मे0वा0) लघु जल विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जो मार्च 2024 में पूर्ण हो जाएगा।

13.3.6 वाह्य सहायतित योजनाओं में DRIP-2&3 (Dam Rehabilitation Improvement

Program) के द्वारा पुराने बैराज एवं बांधों का सुरक्षा की दृष्टि से पुर्नोद्धार का कार्य किया जा रहा है, जिसमें मनेरी डैम, इछाड़ी डैम, वीरभद्र बैराज, डाकपत्थर बैराज, जोशियाड़ा बैराज एवं आसन बैराज शामिल है।

13.3.7 लघु जल विद्युत परियोजनाओं के अन्तर्गत निगम की ऐसी परियोजनायें जो कि अपनी आयु पूर्ण कर चुकी हैं, को नवजीवन प्रदान करने हेतु आर०एम०यू० के कार्य तेजी से पूर्ण किये जा रहे हैं, जिससे उन परियोजनाओं में लगभग 20 प्रतिशत की उत्पादन वृद्धि प्राप्त हुई है। इसी क्रम में 90 मेगावाट के तिलोथ विद्युत गृह के आर०एम०यू० के कार्य सितम्बर 2022 में एवं 51 मेगावाट ढालीपुर के कार्य अक्टूबर 2023 में पूर्ण कर लिये गये हैं। 33.75 मे०वा० के ढकरानी एवं 144 मे०वा० के चीला विद्युत गृहों के आर०एम०यू० कार्य जारी हैं।

13.3.8 यूजेवीएन लि० द्वारा अक्षय ऊर्जा (Renewable Energy) के क्षेत्र में 26 मे०वा० की सोलर परियोजनाओं का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जो डाकपत्थर, ढकरानी तथा पथरी में अवस्थित है एवं प्रति वर्ष लगभग 37.01 मि०यू० से 40.00 मि०यू० का विद्युत उत्पादन नियमित रूप से हो रहा है। इसके अतिरिक्त 17 मेगावाट की सोलर परियोजनाओं की स्थापना हेतु प्रक्रिया गतिमान है।

कुमाऊँ क्षेत्र

1. 12 मे०वा० की तांकुल, 15 मे०वा० की पैनागाड, 12 मे०वा० की जिम्मागाड, 4 मे०वा० की कंचोटी एवं 1.2 मे० वा० की कुलागाड लघु जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण हेतु प्रक्रिया गतिमान हैं।

2. 120 मे०वा० की सिरकारीभ्योल रूपसियाबगड एवं 114 मे०वा० की सेलाउर्थिंग जल विद्युत परियोजनाऐं अनुसंधान एवं नियोजन चरणों में हैं।

गढ़वाल क्षेत्र

1. गढ़वाल क्षेत्र में भिलंगना द्वितीय– 24 मे०वा० क्षमता की परियोजना का परिकल्पन गतिमान है तथा शीघ्र ही कार्य आवंटित करते हुए निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

2. भिलंगना द्वितीय– 24 मे०वा०, गुप्तकाशी 1.5 मे०वा०, तपोवन 2.0 मे०वा० परियोजनाओं का डीपीआर निर्माण कार्य प्रगति पर है।

3. आराकोट–त्यूनी (81 मे०वा०) तथा त्यूनी–प्लासू (72 मे०वा०)जल विद्युत परियोजना के निर्माण कार्यों हेतु प्रक्रिया गतिमान है। त्यूनी–प्लासू परियोजना की पी०आई०बी० स्वीकृति उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रदान कर दी गई है।

प्रमुख नवोन्मेषी (Innovative) योजना का विवरण

- यूजेवीएन लिमिटेड एवं वैकल्पिक जल ऊर्जा केन्द्र, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रूडकी के मध्य सतही विद्युत टरबाईन के शोध एवं विकास हेतु समझौता प्रपत्र हस्ताक्षरित किया गया, जिसमें कैनालों एवं नहरों में सतही टरबाईन लगाकर उत्पादन किया जायेगा। सतही परियोजनाओं के विकास हेतु स्थायी संरचनाओं की आवश्यकता नहीं होती है और न ही प्रकृति को कोई नुकसान होता है। प्रथम चरण में चीला विद्युत गृह के डाउनस्ट्रीम में 100 कि०वा० की हाइड्रोकाइनेटिक टरबाइन पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लगाना प्रस्तावित है, जिसकी प्रक्रिया गतिमान है।

• जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु समस्त कार्मिकों हेतु मुख्य प्रगति संकेतक आधारित मूल्यांकन प्रणाली लागू जिसके आधार पर कार्मिकों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान।

• पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिये निगम में समस्त कार्यों हेतु शैड्यूल ऑफ रेट्स लागू किया गया।

• विभिन्न कार्यों के लिये निविदाओं में समरूपता हेतु मानक निविदा प्रपत्रों (Standard Bid Documents) लागू किये गये।

विभाग द्वारा संचालित योजनाओं, कार्यक्रमों तथा अभियानों के क्रियान्वयन में रही चुनौतियों एवं समस्याओं का विवरण :

• राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के दिनांक 01.11.2010 के निर्णय के अनुसार लगभग 1461 मे0वा0 की परियोजनायें रोक दी गयी हैं। मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 6736/2013 अनुज जोशी बनाम अलकनंदा हाइड्रो पावर लिमिटेड एवं अन्य प्रकरण में दिनांक 13.08.2013 को दिये गये निर्णय के कारण अलकनंदा एवं भगीरथी नदी घाटी में 24 जल विद्युत परियोजनाओं कुल क्षमता 2945 मे0वा0 के क्रियान्वयन में रोक लगी हुयी है। उक्त के अतिरिक्त वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उत्तरकाशी से गंगोत्री तक के क्षेत्र को इको सेंसेटिव जोन घोषित किये जाने से उक्त क्षेत्र में प्रस्तावित 15 जल विद्युत परियोजनायें कुल क्षमता 1743 मे0वा0 का क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। जल शक्ति मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय एवं वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कॉमन पॉलिसी फ्रेम वर्क के अन्तर्गत अगस्त 2021 में मा0 सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल किये गये शपथपत्र में केवल 7 जल विद्युत परियोजनाओं (टिहरी द्वितीय चरण, तपोवन विष्णुगाड, विष्णुगाड पीपलकोटी, सिंगोली भटवाड़ी, फाटा ब्यूंग, मदमहेश्वर एवं कालीगंगा–द्वितीय) के निर्माण पर संस्तुति प्रदान की गयी है। जिसके फलस्वरूप राष्ट्रीय गंगा नदी घाटी प्राधिकरण (एन0जी0आर0बी0ए0), भागीरथी ईको–सेंसटिव जोन एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में वर्तमान में अलकनंदा एवं भागीरथी नदी घाटी में प्रस्तावित कुल 70 जल विद्युत परियोजनाओं में से 44 जल विद्युत परियोजनाओं, कुल क्षमता 4797 मे0वा0 के निर्माण पर रोक लगी हुई है।

• उक्त परियोजनाओं के क्रियान्वयन न होने से राज्य को आर्थिक रूप से हानि हो रही है तथा कार्यरत स्थानीय लोग रोजगार की सुविधा से वंचित हो रहें हैं, जिससे उक्त क्षेत्र का विकास बाधित हो रहा है।

13.3.9 राज्य की अर्थव्यवस्था में रोजगार, आय तथा उत्पादन के संवर्द्धन हेतु नये निवेशों, तकनीकी तथा नवाचारों (Investment, Technology and Innovation) हेतु किये गये प्रयासों का विवरण: विश्व बैंक सहायतित ड्रिप के अन्तर्गत विभिन्न बाँध एवं बैराज के मरम्मत एवं अनुरक्षण कार्य गतिमान हैं, जिससे 40 वर्ष पूर्व स्थापित डैम एवं बैराज की सुरक्षा एवं जीवन वृद्धि प्राप्त होगी। निगम की पुरानी परियोजनाओं को नवजीवन प्रदान करने हेतु आर0एम0यू0 के कार्य तेजी से किये जा रहे हैं। साथ ही ऐसी परियोजनाओं से लगभग 20 प्रतिशत उत्पादन की वृद्धि प्राप्त हो रही है। इसी क्रम में 90 मे0वा0 के तिलोथ एवं 51 मे0वा0 की ढालीपुर के आरएमयू के कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं। 33.75 मे0वा0 की ढकरानी एवं 144 मे0वा0 की चीला

विद्युत गृह के आर०एम०यू० के कार्य जारी हैं। निगम द्वारा एकीकृत प्रबंधन प्रणाली (IMS) (गुणवत्ता हेतु ISO–9001 % 2015, स्वास्थ्य, सुरक्षा प्रबंधन हेतु ISO–45001 एवं पर्यावरण हेतु ISO–14001) भागीरथी वैली, गंगा वैली, यमुना वैली एवं निगम मुख्यालय हेतु प्राप्त कर ली गयी है तथा लघु जल विद्युत परियोजनाओं हेतु प्रक्रिया गतिमान है।

13.4 उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (Uttarakhand Renewable Energy Development Authority):-

1. उत्तराखण्ड राज्य सौर नीति 2023– उत्तराखण्ड राज्य सौर ऊर्जा नीति–2023 के अन्तर्गत राज्य में 2500 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजनाओं की स्थापना विभिन्न श्रेणियों में की जानी है। नीति के अनुसार उद्योगों एवं वाणिज्यिक संस्थानों हेतु कैप्टीव सोलर पावर प्लान्ट की स्थापना पर अनुदान भी अनुमन्य किया जा रहा है। तथा ओपन एक्सेस (कोई भी उपभोक्ता जिसकी बिजली की मांग 1 मेगावाट या उससे अधिक है वो ओपन एक्सेस के माध्यम से अपने पसंद के कंपनी से बिजली खरीद सकता है.) के माध्यम से विद्युत पारेषण पर ट्रांसमिशन एवं वीलिंग चार्जेज पर छूट भी अनुमन्य की गई है। प्रदेश के विभिन्न संस्थाओं के भवनों पर सोलर पावर प्लान्ट की स्थापना रेस्को मोड में NTPC विद्युत व्यापार निगम के माध्यम से स्थापना कराये जाने हेतु MoU किया जा रहा है। प्रदेश के जलाशयों में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लान्ट की स्थापना हेतु सम्भावनाओं पर कार्य किया जा रहा है।

2. यू०पी०सी०एल० के आर०पी०ओ० के दायित्वों की पूर्ति हेतु आवंटित परियोजनाऐं:– यू०पी०सी०एल० के आर०पी०ओ० के दायित्वों की पूर्ति हेतु उरेडा द्वारा यू०पी०सी०एल० के अनुरोध पर उत्तराखण्ड सौर ऊर्जा नीति–2013 के टाईप–1 कैटेगिरी के अन्तर्गत ग्रिड कनेक्टेड ग्राउण्ड माउन्टेंट सोलर पावर प्लान्ट आवंटित किये जाते हैं। इसके अनुसार 5 मे०वा० क्षमता तक की परियोजनाऐं राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों के मूल निवासियों द्वारा स्थापित की जाती है। साथ ही इन परियोजनाओं को राज्य में प्रभावी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग नीति, 2015 (यथासंशोधित) में प्रदत्त सुविधायें अनुमन्य की गयी हैं। इन परियोजनाओं द्वारा यू०पी०सी०एल० के साथ 25 वर्षों हेतु विद्युत विक्रय के लिये पी०पी०ए० किया जाता है। वर्ष 2019 में वर्तमान तक आवंटित 283 परियोजनाओं में से 226 (सम्मिलित क्षमता 158.85 मे०वा०) स्थापित हो चुकी है शेष 57 (सम्मिलित क्षमता 44.90 मे०वा०) निर्माणाधीन है।

3. मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना:– प्रदेश के बेरोजगार युवको, लघु एवं सीमान्त कृषको तथा कोविड के दौरान आये प्रवासियों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिये "मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना" प्रारम्भ की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत 20 / 25 / 50 / 100 / 200 कि०वा० क्षमता तक के सोलर पावर प्लान्ट की स्थापना अनुमन्य है। इस योजना हेतु MSME नीति के अन्तर्गत प्रोत्साहन / लाभ अनुमन्य है। चयनित लाभार्थियों द्वारा यू०पी०सी०एल० के साथ 25 वर्षों हेतु पी०पी०ए० की व्यवस्था निर्धारित है। साथ ही सोलर पावर प्लान्ट्स से उत्पादित विद्युत की विक्रय वर्तमान दर ₹ 4.64 प्रति यूनिट निर्धारित है, 700 आवेदन आनलाईन पोर्टल msy.uk.gov.in के माध्यम से प्राप्त किये गये हैं तथा 232 आवेदकों को सोलर पावर प्लान्ट आवंटित किये गये हैं।

4. ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लान्ट योजना:– सरकारी भवनों पर ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लान्ट की राज्य योजना के अन्तर्गत 48 शासकीय भवनों एवं जिला न्यायालय पर सम्मिलित क्षमता 965 कि०वा० के रूफ टाप सोलर पावर प्लांट स्थापित किये गये हैं, वर्ष 2023–24 के अन्तर्गत लगभग 1985 कि०वा० क्षमता के 32 ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर

प्लान्ट की स्थापना सरकारी भवनों पर की जा रही है।

- **सोलर रूफटॉप योजना:**– ग्रिड कनेक्टेड रूफटाप सोलर पावर प्लान्ट योजना के अन्तर्गत एम0एन0आर0ई0 भारत सरकार द्वारा 1–3 कि0वा तक अधिकतम सीमा ₹ 20,000.00 प्रति कि0वा0 तथा 3–10 कि0वा0 तक अधिकतम सीमा रू0 10,000.00 प्रति कि0वा0 तक अनुदान प्रदान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा भी मैचिंग ग्रान्ट के रूप में लाभार्थियों को अनुदान प्रदान किया जा रहा है। 1 कि0वा0 से 10 कि0वा0 तक के ग्रिड कनेक्टेड रूफटाप सोलर पावर प्लान्ट पर ₹ 17000.00 प्रति कि0वा0 एवं अधिकतम सीमा ₹ 51,000.00 अनुदान अनुमन्य है।

5. सूक्ष्म एवं अति लघु जल विद्युत परियोजना के विकास हेतु नीति–2015:– लघु जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना प्रदेश में सूक्ष्म एवं अति लघु जल विद्युत परियोजनाओं के विकास हेतु नीति–2015 के अन्तर्गत 02 मेगावाट क्षमता तक परियोजनाओं का विकास पंचायती राज संस्थाओं के अधीन मालिकाना हक में किया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत कुल 24 परियोजनाओं का आवंटन प्रथम चरण में किया जा चुका है। जिसमें 19 लघु जल विद्युत परियोजनाये एस0पी0वी0 भागीदार के माध्यम से एवं 05 परियोजनाऐं ग्राम पंचायत द्वारा स्वयं विकसित किये जाने हेतु आवंटित हुई है। तथा 14 परियोजनाओं के सापेक्ष एस0पी0वी0 भागीदार के चयन हेतु कार्यवाही गतिमान है।

6. शासकीय भवनों पर सोलर वाटर हीटर संयंत्रों की स्थापना: – विगत चार वर्षो में कुल 263600 लीटर प्रतिदिन क्षमता के सोलर वाटर हीटर संयत्र की स्थापना कराई जा चुकी है। इस वर्ष (Solar Water Heater) संयंत्र सरकारी आवासीय विद्यालय भवनो, राजकीय भवनो एवं सरकारी चिकित्सालय भवनों पर सोलर वाटर हीटर संयत्रों की स्थापना से गर्म पानी की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के लिये शत–प्रतिशत अनुदान पर 48,400 लीटर प्रतिदिन क्षमता के 44 सोलर वाटर हीटर संयत्रों की स्थापना की जानी प्रस्तावित है।

- **सोलर वाटर हीटर पर राज्य अनुदान**– घरेलू एवं गैर घरेलू उपभोक्ताओं को सोलर वाटर हीटर संयत्रों की स्थापना के सापेक्ष आवेदन अनुसार क्रमशः 50 एवं 30 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा। इस हेतु एन.आई.सी. के माध्यम से पोर्टल तैयार कराया जा रहा है। पोर्टल तैयार होने पर लाभार्थी को संयंत्र की स्थापना के सापेक्ष अनुमन्य अनुदान धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी।

7. ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम:– कृषि विज्ञान केन्द्र देहरादून, उधमसिंह नगर एवं ऊर्जा पार्क, पटेल नगर देहरादून में IOT एवं सेन्सर आधारित ऊर्जा दक्ष पम्प एवं 3–3 एकड़ भूमि में सिंचाई हेतु ड्रीप पाईप की स्थापना का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। विभिन्न शासकीय विद्यालयों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, नगर निकायों एवं मॉडल ऊर्जा दक्ष ग्रामों में 10175 संख्या ऊर्जा दक्ष पंखों की स्थापना का कार्य कराया जा रहा है। Investment Bazar, ई–मोबिलिटी एवं Retailer Training कार्यक्रम के अन्तर्गत जन जागरूकता अभियान पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन कराया गया है।

- **राष्ट्रीय पारिवारिक बायोगैस कार्यक्रम**– प्रदेश में केन्द्र सरकार के वित्तीय सहायता से पारिवारिक बायोगैस संयत्रों की स्थापना कराई जा रही है। जिस हेतु भारत सरकार द्वारा 1 घनमीटर के संयंत्र के लिये ₹ 17,000.00 तथा 2–4 घनमीटर के संयत्र हेतु ₹ 22,000.00 अनुदान के रूप में प्रदान किया जा रहा है, तथा 06 घनमीटर क्षमता के संयंत्र हेतु ₹ 29,250/–प्रति कि0वा0 की केन्द्रीय सहायता प्रदान की जा रही है। विगत वर्षो में कुल 8787 बायोगैस संयत्रों की स्थापना कराई जा चुकी है, एवं वर्ष 2023–24 में एम0एन0आर0ई0 भारत सरकार द्वारा प्रदेश में 370 बायोगैस संयंत्रों की

स्थापना हेतु लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसके सापेक्ष 100 बायोगैस संयंत्रों की स्थापना कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

8. बायोगैस से विद्युत उत्पादन कार्यक्रमः– वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु एम0एन0आर0ई0, भारत सरकार द्वारा प्रदेश में बायोगैस से विद्युत उत्पादन संयंत्र की स्थापना करायी जानी है। जिसके अन्तर्गत 3–50 कि0वा0 क्षमता के संयंत्र हेतु ₹ 45,000/– प्रति कि0वा0 की केन्द्रीय सहायता प्रदान की जा रही है।

13.5 पावॅर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड (PTCUL):– पिटकुल द्वारा 49 उपकेन्द्रों जिसमें 400 के0वी0 के 3,220 के0वी0 के 11,132 के0वी0 के 31 एवं 66 के0वी0 के 4 उपसंस्थान है (कुल 9312.5 एम0वी0ए0) क्षमता एवं 3510.59 सर्किट कि0मी0 पारेषण लाईनों का निर्बाध संचालन किया जा रहा है। कारपोरेशन द्वारा निम्न पारेषण परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है।

13.5.1 132 के0वी0 पुरकुल–बिन्दाल लिंक लाईन (10.73 कि0मी0):– इस पारेषण लाईन का मार्ग देहरादून के शहरी क्षेत्र में बिन्दाल नदी के किनारे सेना की भूमि, अनारवाला, गुच्छूपानी से पुरूकुल के मध्य आवासीय, व्यवसायिक एवं पर्यटन स्थलों के आस–पास से निकल रहा है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में माह नवम्बर 2023 तक ₹ 1488. 57 लाख व्यय कर 97 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया गया है।

13.5.2 220 के0 वी0 डबल सर्किट लाईनः– (सिंगोली भटवाड़ी जल विद्युत परियोजना के इन्टर कनेक्शन प्वाइंट से प्रस्तावित रूद्रपुर (ब्रहमवारी) उपसंस्थान तक) वर्तमान में पारेषण लाईन का निर्माण कार्य प्रगति पर है। स्थानीय भूस्वामियों द्वारा विरोध किये जाने के कारण कार्य की प्रगति प्रभावित हो रही है। परियोजना की कुल लम्बाई 31 सर्किट कि0मी0 है। वित्तीय वर्ष 2023–24 माह नवम्बर 2023 तक ₹ 9290.88 लाख व्यय कर 91 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया गया है।

13.5.3 220 के0वी0 डबल सर्किट बरम–जौलजीवी लाईन का निर्माण 220/33 केवी सबस्टेशन बरम को सक्रिय करने के उद्देश्य :– माह अगस्त, 2023 को फारेस्ट केस की सैद्धान्तिक स्वीकृति मिल चुकी है एवं माह नवम्बर, 2023 को कार्य करने हेतु अनुमति फारेस्ट से प्राप्त हो चुकी है। वित्तीय वर्ष 2023–24 माह नवम्बर 2023 तक ₹ 2609.10 लाख व्यय किया गया है

13.5.4 220 के0वी0 उपस्थान बरम जौलजीवी पिथौरागढ़ :– 220 के0वी0 जी0 आई0 एस0 उपसंस्थान बरम में लगभग समस्त कार्य पूर्ण किये जा चुके है। वित्तीय वर्ष 2023–24 माह नवम्बर 2023 तक ₹ 12084.51 लाख व्यय कर 98 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया गया है।

13.5.5 400 के0वी0 तपोवन–विष्णुगाड–पीपलकोटी लाईन :– तपोवन–विष्णुगाड–पीपलकोटी लाईन की कुल लम्बाई 36 सर्किट कि0मी0 है। वित्तीय वर्ष 2023–24 माह नवम्बर 2023 तक ₹ 10902.00 लाख व्यय किया गया है।

13.5.6 400 के0वी0 डबल सर्किट पीपलकोटी श्रीनगर लाईन(नाकोट से दानपुर पैकेज 2):– वित्तीय वर्ष 2023–24 के माह नवम्बर 2023 तक ₹ 28810.00 लाख व्यय किया गया है।

13.5.7 400 के0वी0 डबल सर्किट पीपलकोटी श्रीनगर लाईनदानपुर से 400 के0वी0 उपसस्थान, श्रीनगर (खन्दुखाल पैकेज 3):– वित्तीय वर्ष 2023–24 माह नवम्बर 2023 तक ₹ 30109.00 लाख व्यय किया गया है।

तालिका: 13.4
अल्पकालिक कार्य योजना पर कार्यवाही की अद्यतन स्थिति

समयावधि	योजना	अद्यतन भौतिक स्थिति
अल्पकालिक (1–2 वर्ष) दिसम्बर 2025 तक	132 के0वी0 **बिंदाल–पुरकुल लाईन**। (11 सर्किट किमी)	97%
	220 के0वी0 **एल एम्स टी – ब्रहमवारी लाईन** । (31 सर्किट किमी)	91%
	400 के0वी0 **पीपलकोटी–श्रीनगर लाईन** (पैकेज–1, 2, 3)। (173 सर्किट किमी)	62 % THDC/NTPC की परियोजनाओं के लक्ष्य 2026 अनुसार कार्य प्रगति पर है।
	400 के0वी0 **तपोवन–पीपलकोटी लाईन**। (36 सर्किट किमी)	
	220 के0वी0 जी0आई0एस0 उपसंस्थान **बरम** (50 एम0वी0ए0)	60 % उपकेन्द्र निर्माणपूर्ण, लाईन के वन प्रस्ताव की सैद्धान्तिक स्वीकृति दि0 04 .10.2023, को प्राप्त। **लक्ष्य– नवम्बर 2024**
	220 के0वी0 **बरम–जौलजीबी लाईन**। (25 सर्किट किमी)	
	ट्रांसफॉर्मर क्षमता वृद्धि का कार्य (725 एम0वी0ए0)– उपसंस्थान **काशीपुर, ऋषिकेश, सिडकुल (हरिद्वार), बाजपुर, मंगलौर, झाझरा (देहरादून)**	• तीन निविदा प्रकाशित, लक्ष्य–जून 2025 • तीन निविदा प्रक्रियाधीन, लक्ष्य–दिसम्बर 2025

स्रोत: यू पी सी एल

तालिका: 13.5
मध्यकालिक कार्य योजना पर कार्यवाही की अद्यतन स्थिति

समयावधि	योजना	अद्यतन भौतिक स्थिति
मध्यकालिक (2–5 वर्ष), दिसम्बर, 2023 से दिसम्बर, 2028 तक	220 के0वी0 उपसंस्थान **मंगलौर एवं सेलाकुई, देहरादून** ए0डी0बी0 वित्त पोषित	27.12.2023 को निविदा भाग–02 खोल दिया गया है। ए0डी0बी0 की सहमति प्राप्त करने तथा दि0 10.01.2024 को प्रस्तावित निदेशक मण्डल की बैठक में अनुमोदन के उपरान्त **अनुबन्ध किया जायेगा, लक्ष्य–जून 2026**
	132 के0वी0 **बिंदाल–पुरकुल लाईन**। (11 सर्किट किमी)	
	132 के0वी0 उपसंस्थान **आराघर, खटीमा, धौलाखेड़ा एवं लोहाघाट** ए0डी0बी0 वित्त पोषित	मै0 क्रैडेट, कार्यदायी संस्था नामित, **लक्ष्य–जून 2026**
	220 केवी उपसंस्थान **ब्रहमवारी**, राज्य सेक्टर	निविदा प्रक्रियाधीन, **लक्ष्य–दिसम्बर 2027**
	220 केवी उपसंस्थान **घनसाली**, राज्य सेक्टर	

	400 के0वी0 स्वीचिंग उपकेन्द्र **पीपलकोटी**, राज्य सेक्टर	
	132 के0वी0 **पिथौरागढ़–चम्पावत लाईन** द्वितीय सर्किट का कार्य (38.33 कि0मी0)	
	220 के0वी0 **रायपुर, रूड़की** क्षेत्र में उपसंस्थान एवं सम्बन्धित लाईन, राज्य सेक्टर	• भूमि चयन, क्रियाधीन, डी0पी0आर0 अनुमोदन हेतु दि0 10.01.2024 को निदेशक मण्डल की बैठक में प्रस्तुत की जायेगी, **लक्ष्य–जून 2027**
	132 के0वी0 **महुआखेड़ागंज–जसपुर लाईन** (23.32 कि0मी0)	ए0डी0बी0 द्वितीय चरण में प्रस्तावित है **लक्ष्य–दिसम्बर 2027**
	132 के0वी0 उपसंस्थान **सरवरखेड़ा (उधमसिंह नगर)**	

स्रोत: यू पी सी एल

तालिका: 13.6

दीर्घकालिक कार्य योजना पर कार्यवाही की अद्यतन स्थिति

समयावधि	योजना	अद्यतन भौतिक स्थिति
दीर्घकालिक (5–10 वर्ष) दिसम्बर 2028 से दिसम्बर, 2033 तक	220 के0वी0 उपसंस्थान **बलुवाकोट** एवं सम्बन्धित लाईन।	• डी0पी0आर0 अनुमोदन हेतु दि0 10.01.2024 को निदेशक मण्डल की बैठक में प्रस्तुत की जायेगी। • भूमि चयन के उपरान्त भूमि आवंटन हेतु जिलाधिकारी पिथौरागढ़ से अनुरोध।
	400 के0वी0 उपसंस्थान **खुर्पिया फार्म** एवं सम्बन्धित लाईन।	• भूमि आवंटन हेतु सिडकुल से अनुरोध किया गया है। डी0पी0आर0 प्रक्रियाधीन।
	220 के0वी0 उपसंस्थान **अल्मोड़ा** एवं सम्बन्धित लाईन	प्रारम्भिक सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है।

स्रोत: यू पी सी एल

अध्याय–14
जल संसाधन एवं प्रबन्धन
Water Resources & Management

जल संसाधनों का सतत प्रबंधन– आर्थिक विकास और उत्पादकता को सुदृढ़ करने के लिए जल संसाधनों का सतत प्रबंधन और स्वच्छता तक पहुंच आवश्यक है। पानी की कमी खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण किसानों की आय को कम करती है जबकि जल प्रबंधन में सुधार राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं, कृषि और खाद्य क्षेत्रों को वर्षा परिवर्तनशीलता के प्रति अधिक लचीला और बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम बनाता है। जल संबंधित पारिस्थितिक तंत्र और उनकी जैव विविधता की सुरक्षा और पुनर्स्थापन से जल शुद्धिकरण और जल गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित किया जा सकता है।

14.1 ग्रामीण पेयजल :

जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित जल शक्ति मिशन (JJM-MIS) वेबसाइट के अनुसार राज्य में दिनांक 01.04.2023 को कुल 38,553 बस्तियां हैं, जिसमें 14,53,700 ग्रामीण परिवार है। ग्रामीण क्षेत्रों में निम्नानुसार परियोजना क्रियान्वित कराई जा रही है:–

14.1.1 जल जीवन मिशन : भारत सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना **"जल जीवन मिशन"** में **"हर घर नल से जल"** के अन्तर्गत वर्ष 2024 तक समस्त ग्रामीण परिवारों को **क्रियाशील घरेलू जल संयोजन** (FHTCs) उपलब्ध कराना लक्षित है। कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नियमित आधार पर 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन BIS–10500 द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पेयजल आपूर्ति की जानी है। JJM-MIS पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023–24 में निर्धारित लक्ष्य 3,14,379 के सापेक्ष दिनांक 29 दिसम्बर 2023 तक 1,38,642 FHTCs दिए जा चुके है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को कुल 12,77,963 FHTCs (87.91%) प्रदान किए जा चुके है तथा 1,75,737 परिवारों को FHTCs से जोड़कर पेयजल उपलब्ध कराना शेष है। वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु परियोजना पर कुल अनुमोदित परिव्यय 5603.33 करोड़ (केन्द्रांश– रू0 5043.00 करोड़ व राज्यांश–₹ 560.33 करोड़) के सापेक्ष दिनांक 29.12.2023 तक पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से रू0 1712.54 करोड़ की धनराशि परियोजना पर व्यय की जा चुकी है।

भारत सरकार द्वारा संचालित पोर्टल के अनुसार दिनांक 01.04.2023 को राज्यान्तर्गत कुल 14,53,700 ग्रामीण परिवार दर्शाये गये हैं। दिनांक 15.08.2019 को मिशन शुभारम्भ के बाद पोर्टल के अनुरूप 1,30,325 घरों में नल संयोजन उपलब्ध थे। जो कि वर्ष 2023–24 में दिनांक 29.12.2023 तक 1,38,642 नल संयोजन (FHTCs) को सम्मिलित करते हुए 11,47,638 (86.72%) परिवारों को नल संयोजन प्रदान किए गये हैं।

इस प्रकार वर्तमान तक कुल 12,77,963 (87.91%) परिवार नल संयोजन सुविधा से आच्छादित किये जा चुके हैं।

तालिका–14.1
जनपदवार दिए गए व्यक्तिगत घरेलू जल संयोजनों की संख्या (दिनांक 29.12.2023 तक)

जनपद	01.04.2023 को कुल ग्रामीण परिवारों की संख्या	01.04.2023 तक दिए गए घरेलू जल संयोजनों की संख्या	वर्ष 2023–24 (दि0 29.12.23 तक) में दिए गए जल संयोजनों की संख्या			राज्य में दिनांक 29.12.23 तक कुल दिए गये घरेलू जल संयोजनों की संख्या
			घरेलू	प्राईवेट / स्वयं के संसाधनों से	योग	
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7 (3+6)
देहरादून	129492	125575	3184	3	3187	12876 2
हरिद्वार	252090	192630	22832	0	22832	215462
पौड़ी गढ़वाल	110802	89842	20041	0	20041	109883
टिहरी गढ़वाल	12851 3	112607	13734	44	13778	126385
उत्तरकाशी	64997	62597	1836	0	1836	64433
चमोली	765 20	72505	2967	0	2967	75472
रुद्रप्रयाग	56777	45674	3241	0	3241	48915
अल्मोड़ा	127161	81642	11633	0	11633	93275
बागेश्वर	54657	50045	2221	0	2221	52266
चम्पावत	45336	39368	3992	0	3992	43360
नैनीताल	114470	72582	15561	20	15581	88163
पिथौरागढ़	94513	76703	9678	0	9678	86381
ऊधमसिंह नगर	198372	117551	26553	1102	27655	145206
कुल	**1453700**	**1139321**	**137473**	**1169**	**138642**	**1277963**

स्रोत: जल निगम उत्तराखण्ड

तालिका–14.2
जल जीवन मिशन शुभारम्भ पश्चात् नल संयोजन की प्रगति

Sl	District	Total Rural household as on (01/04/2023)	Households with tap water connections as on 15 Aug 2019	Remaining households as on 15 Aug 2019	Cumulative Household Connections with FWS as on				
					01.04.2020	01.04.2021	01.04.2022	01.04.2023	Upto 29.12.2023
1	Dehradun	129492	12841	116651	37927	109011	120613	125575	128762
2	Haridwar	252090	15321	236763	24580	39076	103823	192630	215462
3	Pauri Garhwal	110802	3954	106806	6997	50567	72070	89842	109883
4	Tehri Garhwal	128513	10270	118273	17039	68282	88336	112607	126385
5	Uttarkashi	64997	1937	63060	9496	47039	56120	62597	64433
6	Chamoli	76520	23556	52964	28429	63030	71634	72505	75472
7	Rudraprayag	56777	10725	46052	12742	31704	40040	45674	48915
8	Almora	127161	10920	116233	17059	40319	66848	81642	93275
9	Bageshwar	54657	3135	51522	5344	46751	49319	50045	52266
10	Champawat	45336	7069	38267	9071	25329	33724	39368	43360
11	Nainital	114470	24910	89560	32963	51433	65446	72582	88163
12	Pithoragarh	94513	5612	88898	12154	52043	66434	7678	86381
13	US Nagar	198372	75	198193	3119	24837	89786	117551	145206
	Total	1453700	130325	1323242	217120	649421	924393	1139321	1277963

स्रोत: जल निगम उत्तराखण्ड

14.1.2 भारत सरकार द्वारा संचालित पोर्टल पर राज्यान्तर्गत जनपदवार कुल 19,123 विद्यालय दर्शाये गयें है, जिनके सापेक्ष दिनांक 29.12.2023 तक शत–प्रतिशत विद्यालयों में नल संयोजन प्रदान किये जा चुके है। इसी प्रकार 16,439 आंगनवाडी केन्द्र दर्शाये गये हैं जिसके सापेक्ष वर्तमान तक शत–प्रतिशत आंगनवाडी केन्द्रों में नल संयोजन सुविधा प्रदान की जा चुकी है।

तालिका–14.3

जल जीवन मिशन शुभारम्भ पश्चात् स्कूलों एवं आंगनबाडी नलसंयोजन की प्रगति

Sl	District	Schools			AWCs		
		Total	Schools with tap water supply	Schools with tap water supply (%)	Total	AWCs with tap water supplY	AWCs w ith tap water supply (%)
1	Dehradun	1393	1393	100	1154	1154	100
2	Haridwar	1779	1779	100	2450	2450	100
3	Pauri Garhwal	2125	2125	100	1643	1643	100
4	Tehri Garhwal	2163	2163	100	1923	1923	100
5	Uttarkashi	1265	1265	100	962	962	100
6	Chamoli	1385	1385	100	953	953	100
7	Rudraprayag	907	907	100	655	655	100
8	Almora	1969	1969	100	1854	1854	100
9	Bageshwar	848	848	100	789	789	100
10	Champawat	752	752	100	643	643	100
11	Nainital	1289	1289	100	979	979	100
12	Pithoragarh	1778	1778	100	1050	1050	100
13	U S Nagar	1470	1470	100	1384	1384	100
	Total	19123	19123	100	16439	16439	100

स्रोत: जल निगम उत्तराखण्ड

तालिका–14.4

हर घर जल योजना के अंतर्गत जनपदवार नल संयोजन की प्रगति

Har Gahr Jal Status (Har G har Jal implies 100% FHTC coverage in that area)							
Sl.	District	Total as on 01.04.2023		No. of Har Ghar Jal Panchaya t		No. of Har Ghar Jal Village	
		Panchayats	Villages	Reported	Certified	Reported	Certified
1	Dehradun	401	637	271	118	461	250
2	Haridwar	311	482	81	46	152	83
3	Pauri Garhwal	1169	2955	431	163	1567	727
4	Tehri Garhwal	1033	1730	477	253	928	534
5	Uttarkashi	508	662	320	124	445	197
6	Chamoli	611	1112	312	11	672	27
7	Rudraprayag	336	636	117	23	312	64
8	Almora	1160	2130	195	47	554	119
9	Bageshwar	402	823	76	7	265	37
10	Champawat	313	644	121	11	340	42
11	Nainital	479	1008	39	13	146	35
12	Pithoragarh	686	1538	349	111	985	322
13	U S Nagar	374	604	23	8	58	19
	Total	7783	14961	2812	935	6885	2456

स्रोत: जल निगम उत्तराखण्ड

14.1.3 बाह्य सहायतित योजनायें (अर्द्ध नगरीय क्षेत्र):

केन्द्र सरकार के माध्यम से राज्य के 22 अर्द्धनगरीय क्षेत्रों हेतु विश्व बैंक सहायतित परियोजना (अनुमानित लागत ₹ 975 करोड़) आरम्भ हो गई है। परियोजना अवधि 06 वर्षों (कार्यक्रम की प्रभावी तिथि 08 मार्च 2018) की है, जिसमें वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न पांच जनपद चयनित किए गये हैं।

कार्य क्षेत्र:

- जनपद टिहरी गढ़वाल–ढालवाला, जनपद देहरादून–जीवनगढ़, नथनपुर, मेंहूवाला माफी, नथुवावाला, ऋषिकेश देहात, गुमानीवाला, प्रतीत नगर एवं खड़क माफी।

- जनपद नैनीताल–हल्द्वानी, तल्ली, कुसुमखेड़ा, गौलापार्जाली उत्तर।

- जनपद हरिद्वार–सैदपुरा, भंगेड़ी मेहवतपुर, नगला इमरती, ढंढेरा, मोहनपुर मौहम्मदपुर, बहादराबाद, जगजीतपुर।

- जनपद उधमसिंह नगर–उमरू खुर्द, महोलिया एवं बंडीया।

उक्त क्षेत्रों की 22 योजनाओं को परियोजना की समय–सीमा दिसम्बर 2023 तक पूर्ण कराया जाना है।

उत्तराखण्ड पेयजल निगम द्वारा 15 योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाना है, जबकि 7 योजनाओं के क्रियान्वयन का कार्य उत्तराखण्ड जल संस्थान के अन्तर्गत है। उत्तराखण्ड पेयजल निगम की 15 योजनाओं के कार्य प्रारम्भ कर 10 योजना पूर्ण कर ली गई है तथा नवम्बर, 2023 तक 48746

व्यक्तिगत घरेलू जल संयोजन प्रदान किए जा चुके है। इसी प्रकार उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा 07 योजनाओं के कार्य प्रारम्भ कर 04 योजनाएं पूर्ण कर ली गई है तथा 33871 व्यक्तिगत घरेलू जल संयोजन प्रदान किए जा चुके है। इस परियोजना के द्वारा कुल 87757 व्यक्तिगत घरेलू जल संयोजन प्रदान किया जाना लक्षित है। वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु परियोजना पर अनुमोदित परिव्यय ₹ 138.00 करोड़ की पूर्ण धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है तथा पिछले वर्ष की अवशेष धनराशि ₹ 225.00 करोड़ को सम्मिलित करते हुये कुल ₹ 363.00 करोड़ की धनराशि में से माह नवम्बर 2023 तक ₹180.00 करोड़ की धनराशि व्यय की जा चुकी है।

14.1.4 नगरीय पेयजल:- पेयजल की आपूर्ति का निर्धारित मानक शहरी क्षेत्र में 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (litre Per Capita Daily- LPCD) है। उत्तराखण्ड में कुल 102 स्थानीय निकाय है, इनमें से 77 नगरों में जलापूर्ति 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (litre Per Capita Daily- LPCD) से कम है, जिस हेतु नियोजित रूप से नगरों को पेयजल सुविधा से संतृप्त किये जाने की कार्ययोजना है।

अमृत कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के 07 नगरों देहरादून, हरिद्वार, रूड़की, हल्द्वानी, काशीपुर, रुद्रपुर एवं नैनीताल नगरों के अंतर्गत ₹ 567.54 करोड़ लागत की 35 पेयजल, 38 सीवरेज एवं 11 ड्रेनेज योजनाएं स्वीकृत है, जिनमें से 31 पेयजल, 35 सीवरेज एवं 10 ड्रेनेज योजनाएं पूर्ण की जा चुकी है।

अमृत 2.0 कार्यक्रम के फेज-1 में ₹ 263.04 करोड़ (निर्माण कार्य लागत-233.74 करोड़ तथा 5 वर्षीय अनुरक्षण लागत-29.30 करोड़) की 19 परियोजनाओं की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हो गई है। जिसमें 18 नगरों क्रमशः नरेन्द्रनगर, मुनीकीरेती, पोखरी, कर्णप्रयाग, गौचर, देवप्रयाग, सतपुली, दुगड्डा, स्वर्गाश्रम, पौड़ी, गजा, कीर्तीनगर, धारचूला, कपकोट, लालकुआँ, शक्तिगढ, बनबसा तथा नानकमत्ता में शत-प्रतिशत घरों को पेयजल संयोजनों से आच्छादित किया जाना है तथा एक नगर देहरादून में शास्त्रीनगर वार्ड में 24X7 योजना शत-प्रतिशत जल संयोजनों के साथ प्रस्तावित है। इनमें से 10 नगरों क्रमशः नरेन्द्रनगर, मुनीकीरेती, पोखरी, गौचर, सतपुली, दुगड्डा, पौड़ी, 24X7 शास्त्रीनगर देहरादून, लालकुआँ तथा शक्तिगढ नगरो में योजनाओं की शासनादेश द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है तथा अवशेष 9 नगरों में डी०पी०आर० स्वीकृति की प्रक्रिया गतिमान है। स्वीकृत 10 नगरों की योजनाओं के सापेक्ष 7 नगरों क्रमशः नरेन्द्रनगर, मुनीकीरेती, पोखरी, दुगड्डा, 24X7 शास्त्रीनगर देहरादून, लालकुआँ तथा शक्तिगढ नगरो में अनुबन्ध गठित कर कार्य प्रारम्भ कराया जा चुका है तथा अवशेष 3 नगरो में निविदा प्रक्रिया गतिमान है। अमृत 2.0 कार्यक्रम के ट्रेंच-2 में ₹ 1189.66 करोड़ (निर्माण कार्य लागत- 1082.66 करोड़ तथा 5 वर्षीय अनुरक्षण लागत-107.00 करोड़) की 22 नगरों तथा 09 कैन्ट बोर्ड हेतु पेयजल योजनाओं की कार्य योजना तैयार कर शहरी विकास निदेशालय को अमृत 2.0 कार्यक्रम में उपलब्ध धनराशि के अन्तर्गत योजनाओं के चयन हेतु प्रेषित की गई है।

इसके अतिरिक्त प्राथमिकता के आधार पर उत्तराखण्ड पेयजल निगम द्वारा 18 नगरों हेतु बाह्य सहायतित परियोजना के अन्तर्गत ₹ 1366.80 करोड़ लागत की पेयजल योजनायें प्रस्तावित है एवं जायका (JICA) से वित्त पोषण हेतु ऋण प्राप्त किये जाने के लिए कार्यवाही गतिमान है। उक्त के अतिरिक्त ए०डी०बी० द्वारा भी राज्य के नगरों में पेयजल योजनाओं के कार्य गतिमान/प्रस्तावित है।

14.1.5 नगरीय जलोत्सारण:- उत्तराखण्ड के कुल 102 नगरों में से 33 नगरों में कुल 427.93 एल.एल.डी. क्षमता के 69 सीवर शोधन संयंत्र स्थापित हैं। जिनका उपयोग कर लगभग 321.66 एम.एल.डी. सीवेज का परिशोधन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य में 185.67 एम.एल.डी. क्षमता के 35 सीवर शोधन संयंत्र निर्माणाधीन/प्रस्तावित है।

तालिका–14.5

प्रदेश के अन्तर्गत जलोत्सारण व्यवस्था हेतु सीवेज शोधन संयत्र

क्र०सं०	नगर	चालू एस०टी०पी० की संख्या	सीवर शोधन संयंत्र (STP)			
			अधिष्ठापित क्षमता (एम.एल.डी.)	शोधित की जा रही मात्रा (एम.एल.डी.)	निर्माणाधीन/ प्रस्तावित एस.टी.पी. की संख्या	प्रस्तावित क्षमता (एम.एल.डी.)
01	हरिद्वार	5	145.00	145.00	1	8.00
02	देहरादून	7	115.14	92.99	4	53.50
03	रूड़की	1	33.00	6.50	0	0.00
04	ऋषिकेश	1	26.00	17.92	1	5.00
05	मसूरी	5	7.32	2.65	5	3.25
06	श्रीनगर	4	4.63	2.72	0	0.00
07	कोटद्वार	0	0.00	0.00	1	21.00
08	स्वर्गाश्रम, नीलकंठ (पौड़ी)	1	3.00	3.00	2	4.50
09	कीर्तिनगर	2	0.06	0.04	0	0.00
10	देवप्रयाग	3	1.63	1.498	0	0.00
11	उत्तरकाशी	1	2.00	2.00	1	4.00
12	गंगोत्री	1	1.00	0.20	0	0.00
13	नैनीताल	4	11.7	7.65	1	17.50
14	भीमताल	1	1.25	0.81	0	0.00
15	अल्मोड़ा	1	2.00	1.20	1	1.50
16	नई टिहरी	1	5.00	2.50	0	0.00
17	मुनि की रेती	2	12.50	10.28	2	8.30
18	तपोवन	1	3.50	3.5	0	0.00
19	कर्णप्रयाग	5	0.35	0.148	0	0.00
20	गोपेश्वर	5	4.37	1.135	0	0.00
21	जोशीमठ	2	3.78	1.531	0	0.00
22	श्री बद्रीनाथ	3	1.27	0.765	0	0.00
23	काशीपुर	0	0.00	0.00	6	31.80
24	हल्द्वानी	1	28.00	12.00	1	10.50
25	रामनगर	2	8.50	2.90	0	0.00
26	पिथौरागढ़	2	6.25	2.10	0	0.00
27	रुद्रप्रयाग	6	0.525	0.52	0	0.00
28	नंदप्रयाग	2	0.15	0.105	0	0.00
29	तिलवाड़ा	0	0.00	0.00	5	0.32
30	सुल्तानपुर	0	0.00	0.00	1	0.50
31	किच्छा	0	0.00	0.00	1	3.00
32	सितारगंज	0	0	0	1	3.00
33	बाजपुर	0	0	0	1	10.00
	योग	**69**	**427.925**	**321.662**	**35**	**185.67**

स्रोत: जल निगम उत्तराखण्ड

14.1.6 नमामि गंगे (सीवरेज सिस्टम)– भारत सरकार की महत्वाकांक्षी नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत गंगा नदी की मुख्य धारा पर स्थित 15 नगरों क्रमश हरिद्वार, ऋषिकेश, स्वर्गाश्रम, तपोवन, मुनि–की–रेती, कीर्तिनगर, श्रीनगर, श्रीकोट, नन्दप्रयाग, रूद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, गोपेश्वर–चमोली, जोशीमठ, बदीनाथ एवं उत्तरकाशी में गंगा नदी की स्वच्छता एवं प्रदूषण की रोकथाम हेतु इन्टरसेप्शन एण्ड डायवर्जन एवं सीवेज शोधन संयंत्र इत्यादि के निर्माण कार्य किये गये है। इसके अतिरिक्त गंगा की सहायक नदियों पर स्थित नगरों क्रमशः रामनगर, देहरादून एवं उधमसिंहनगर में भी इन्टरसेप्शन एण्ड डायवर्जन एवं सीवेज शोधन संयंत्र इत्यादि के निर्माण कार्य किये गये / प्रस्तावित है। उक्त योजना में वर्तमान तक कुल 28 योजनाएँ जिनकी कुल लागत ₹ 1469.92 करोड़ स्वीकृत हुई है। उक्त स्वीकृत योजनाओं के सापेक्ष 23 योजनाओं के कार्य पूर्ण किये जा चुके है, 01 योजना उधमसिंहनगर एवं 01 (गौरीकुण्ड एवं तिलवाड़ा) तथा 01 योजना मुनि की रेती के कार्य गतिमान है तथा 01 योजना पूर्व स्थित हरिद्वार, ऋषिकेश, श्रीनगर तथा देवप्रयाग के एस0टी0पी0 पर को–ट्रीटमेन्ट का स्थापन कार्य एवं 01 योजना सपेरा बस्ती, देहरादून की निविदा प्रक्रिया गतिमान है।

नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्तमान तक गंगा नदी की मुख्य धारा पर 32 योजनायें जिनकी कुल क्षमता 131.87 एम0एल0डी0 (मिलियन लीटर प्रति दिन) के नये सीवेज शोधन संयंत्रों के कार्य पूर्ण किये जा चुके है तथा 9 योजनायें जिनकी कुल क्षमता 13.122 एम0एल0डी0 के सीवेज शोधन संयंत्रों के कार्य निर्माणाधीन है। इसके अतिरिक्त पूर्व से स्थापित 57 एम0एल0डी0 (मिलियन लीटर प्रति दिन) क्षमता के 06 योजनायें जो कि सीवेज शोधन संयंत्रों के उच्चीकरण से संबंधित हैं, के कार्य भी पूर्ण किये गये है। उक्त के अतिरिक्त 61 नालों के टैपिंग के कार्य भी पूर्ण किये जा चुके है।

नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत गंगा नदी की सहायक अन्य नदियों पर भी स्वीकृत कुल 04 योजनाओं (रामनगर–01, देहरादून–02 एवं उधमसिंह नगर–01) में से रामनगर में कोसी नदी में प्रदूषण की रोकथाम हेतु नालो की टैपिंग तथा कुल 8.50 (7.00+1.50) एम0एल0डी0 (मिलियन लीटर प्रति दिन) के 02 सीवेज शोधन संयंत्रों के निर्माण कार्य पूर्ण किये गये है। देहरादून में रिस्पना तथा बिन्दाल नदी में प्रदूषण की रोकथाम हेतु 177 नालों की टैपिंग के कार्य एवं 22.00 कि.मी. सीवर नेटवर्क के कार्य पूर्ण किये जा चुके है तथा वर्तमान में 01 योजना '06 पोल्यूटेड रिवर स्ट्रेचेज' उधमसिंह नगर में गतिमान है, जिसके निर्माण कार्य 45 प्रतिशत पूर्ण हो चुके है तथा शेष कार्य माह अक्टूबर–2024 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। योजना में कुल क्षमता 30.30 एम0एल0डी0 के 09 सीवेज शोधन संयंत्र प्रस्तावित है। अवशेष 01 योजना सपेरा बस्ती, देहरादून की निविदा प्रक्रिया गतिमान है। इस योजना में 15 एम0एल0डी0 क्षमता का 01 एस0टी0पी0 प्रस्तावित है।

उल्लेखनीय है कि उक्त कार्यों में नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत हरिद्वार नगर में प्रदेश एवं देश में प्रथम "हाईब्रिड एन्यूटी पी.पी.पी. मॉडल" के आधार पर 68 एवं 14 एम0एल0डी0 (मिलियन लीटर प्रति दिन) क्षमता के सीवेज शोधन संयंत्रों का निर्माण किया गया है। इसके अतिरिक्त मुनीकिरेती क्षेत्र में 7.50 मिलीयन लीटर प्रतिदिन क्षमता के 4 मंजिला सीवेज शोधन संयंत्र का निर्माण किया गया।

14.1.7 ग्रामीण स्वच्छता:

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)–द्वितीय चरण

भारत सरकार के ध्वजवाहक कार्यक्रम स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0)–प्रथम चरण के सफलतापूर्वक समापन के उपरान्त भारत सरकार द्वारा जन समुदाय की आवश्यकता को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में ओ0डी0एफ0 स्थायित्व का स्तर बनाये रखने तथा गांवों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट

प्रबन्धन तन्त्र स्थापित करने के उद्देश्य से वर्ष 2020–21 से 2024–25 तक के लिए जन आन्दोलन के रुप में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0)–द्वितीय चरण प्रारम्भ किया गया। वर्तमान में राज्य के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) द्वितीय चरण के निम्न कार्य संचालित किये जा रहे है, जिसके अन्तर्गत राज्य के प्रत्येक गाँव को वर्ष 2025 तक ओ0डी0एफ0 प्लस किया जाना है।

(अ) ओ0डी0एफ0 प्लस

- ✓ ओ0डी0एफ0 स्थायित्व के अन्तर्गत व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण एवं स्थायित्व तथा सामुदायिक स्वच्छता काम्पलैक्सों का निर्माण।
- ✓ दृश्य स्वच्छता
- ✓ ठोस अपशिष्ट तथा तरल अपशिष्ट प्रबन्धन
- ✓ आई0ई0सी0 / बी0सी0सी0–जनजागरूकता कार्य

(ब) ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन

- ✓ जैविक अपशिष्ट प्रबन्धन
- ✓ अजैविक अपशिष्ट प्रबन्धन
- ✓ प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन

(स) फीकल स्लज प्रबन्धन

- ✓ एकल / ट्विन पिट की मरम्मत (शौचालयों की रेट्रोफिटिंग कार्य (Community Retrofitting)
- ✓ एस0टी0पी0 मैपिंग
- ✓ फीकल स्लज ट्रीटमैंट प्लांट की स्थापना

फीकल स्लज प्रबन्धन के अन्तर्गत नगरीय एस0टी0पी0 के निकट के समस्त ग्राम पंचायतों को फीकल स्लज के उपचार हेतु एस0टी0पी0 से मैप किया जायेगा। 15वां वित्त आयोग / मनरेगा फंड से 733271 एकल गड्ढे शौचालयों को दो गड्ढे वाले शौचालयों में परिवर्तित किया जायेगा। तराई / मैदानी जनपदों में फीकल स्लज ट्रीटमैंट प्लांट का निर्माण किया जायेगा। वर्तमान तक 211 घरेलू शौचालयों की रेट्रोफिटिंग का कार्य पूर्ण किया गया है एवं 733417 शौचालयों की रेट्रोफिटिंग हेतु कार्य योजना तैयार की जा रही है जिसमें 15वें वित्त आयोग / मनरेगा से अभिसरण किया जायेगा।

(द) भूरा जल प्रबन्धन

- ✓ जल निकास
- ✓ सोख्ता / लीच गड्ढे
- ✓ भूरा जल उपचार इकाई

वित्तीय उपलब्धता

1. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

- ➢ ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन एवं सामुदायिक स्वच्छता परिसर : 70%
- ➢ व्यक्तिगत घरेलू शौचालय, ब्लाक स्तरीय प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन तथा गोबरधन 100%

2. 15वां वित्त आयोग

- ➢ ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन एवं सामुदायिक स्वच्छता परिसर : 30% अनिवार्य अथवा >30%
- ➢ ब्लाक स्तरीय प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन, काम्पैक्टर स्थापना तथा संचालन एवं रखरखाव : 100%
- ➢ व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का मरम्मत कार्य: 100%

3. मनरेगा एवं अन्य :

- ➢ ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्ध, व्यक्तिगत घरेलू शौचालय, सामुदायिक स्वच्छता परिसरों तथा मरम्मत हेतु अभिसरण

ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु गतिविधि

1. ग्राम पंचायत के उत्तरदायित्व

- व्यक्तिगत तथा सामुदायिक स्तर पर जैविक अपशिष्ट प्रबन्धन
- घरेलू स्तर पर अपशिष्ट का पृथक्कीकरण
- प्लास्टिक /अजैविक अपशिष्ट का संग्रहण
- ग्राम पंचायत से वाहन मार्ग तक प्लास्टिक अपशिष्ट का ढुलान

2. क्षेत्र पंचायत के उत्तरदायित्व

- ग्राम पंचायत वाहन मार्ग से ब्लॉक स्तरीय अपशिष्ट प्रबन्धन इकाई तक अपशिष्ट का ढुलान।
- ग्राम पंचायत वाहन मार्ग से प्लास्टिक अपशिष्ट के संग्रहण हेतु रणनीति तैयार करना।
- कलस्टर स्तरीय वाहनों का संचालन एवं रखरखाव।

3. जिला पंचायत के उत्तरदायित्व

- ब्लाक स्तरीय प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन केन्द्र में लगे काम्पैक्टरों का संचालन एवं रखरखाव।
- काम्पैक्ट बेल्स को पुर्नचक्रण केन्द्र तक पहुँचाना।
- धार्मिक स्थलों, स्थानीय बाजार, हाट बाजार आदि में स्वच्छता की स्थिति बनाये रखना।

14.1.8 वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु निर्धारित लक्ष्य एवं उपलब्धि

1. व्यक्तिगत घरेलू शौचालय निर्माण

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत वार्षिक क्रियान्वयन योजना के अनुसार कुल 8260 व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों के निर्माण लक्ष्य के सापेक्ष 8402 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है।

2. सामुदायिक स्वच्छता काम्प्लैक्सों के निर्माण:

वार्षिक कार्य योजना 2023–24 में कुल 251 ग्रामों में सामुदायिक स्वच्छता काम्प्लेक्सों के निर्माण लक्ष्य के सापेक्ष 268 के निर्माण कार्य पूर्ण एवं 157 में कार्य गतिमान है।

3. ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन:

स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में विगत वर्षों सहित क्रमिक कुल 15047 ग्रामों की डी.पी.आर. तैयार की गयी हैं, जिसके सापेक्ष क्रमिक 7199 ग्रामों में कार्य पूर्ण, 4534 ग्रामों में निर्माणाधीन एवं शेष ग्रामों में कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ किया जाना है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु कुल 8808 ग्रामों को लक्षित किया गया है, जिसके सापेक्ष 1067 ग्रामों में कार्य पूर्ण किये गये हैं। उक्त कार्य मनरेगा, ग्राम्य विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, उरेडा एवं कृषि विभाग इत्यादि के साथ केन्द्राभिसरण (Convergence) के माध्यम से भी करवाया जा रहा है।

4. प्लास्टिक कचरा प्रबन्धन इकाई— ब्लाक स्तर पर पंचायती राज विभाग के समन्वय से समस्त 95 विकासखण्डों में प्लास्टिक कचरा प्रबन्धन इकाई स्थापित किये जाने का लक्ष्य है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में कुल 72 विकासखण्डों के लक्ष्य के सापेक्ष स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के 40 इकाईयों में शेष निर्माण पूर्ण कराया गया है (क्रमिक 63 पूर्ण)। उक्त में पंचायती राज विभाग के माध्यम से 45 कॉम्पैक्टर (क्रमिक 55) लगाये गये हैं। इन इकाईयों मे से 46 (क्रमिक 23) में विद्युत संयोजन दिया गया है एवं भली भांति संचालित किया जा रहा है। 20 विकासखण्डों में इकाई का निर्माण कार्य गतिमान है। 20 में कार्य शीघ्र प्रारम्भ कर लिया जायेगा।

उपरोक्त परिसम्पत्तियों के संचालन एवं रखरखाव हेतु 15वां वित्त आयोग के अनुदान तथा अपने स्वयं के संसाधनों (उपयोगकर्ता शुल्क आदि) का उपयोग करके ओ0डी0एफ0 तथा ओ0डी0 एफ0 प्लस स्थिति की दीर्घकालिक स्थिरता के लिए शत–प्रतिशत रखरखाव एवं संचालन सम्बन्धित ग्राम पंचायतों द्वारा किया जायेगा।

5. ओ0डी0एफ0 प्लस की वर्तमान स्थिति (आई0एम0आई0एस0 के अनुसार)

राज्य के कुल 15049 ग्रामों में से अतिथि तक क्रमिक कुल 12168 ग्राम ओ0डी0एफ0 प्लस (आकांक्षी: 6281, उदीयमान: 2835 तथा मॉडल: 3052) बनाए गये।

6. सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियों का संचालन:

राज्य में ओ.डी.एफ. स्थायित्व को बनाये रखने हेतु समय–समय पर विभिन्न जन–जागरूकता कार्यक्रम (स्वच्छता गोष्ठी, नुक्कड़ नाटक, रैलियों, स्कूल स्वच्छता कार्यक्रम, स्वच्छता रथ, विकासखण्ड / जनपद / राज्य स्तरीय कार्यशालाओं का आयोजन इत्यादि किए गये हैं।

7. वॉश पी0एम0यू0 की स्थापना

भारत सरकार के दिशानिर्देशों के क्रम में ग्रामीण क्षेत्रों में जल एवं स्वच्छता कार्यों को एकीकृत रूप से संचालित किये जाने के लिये राज्य तथा जनपद स्तर पर वॉश पी0एम0यू0 (Water, Sanitation and Hygiene-WASH) का गठन किया गया है जिसके मुख्य उद्देश्य पेयजल एवं स्वच्छता गतिविधियों के एकीकृत रूप से क्रियान्वयन हेतु समन्वय, आई0ई0सी0 / बी0सी0सी0 तथा क्षमता विकास कार्यक्रमों का संचालन, रेखीय विभागों के अन्तर्गत पेयजल एवं स्वच्छता गतिविधियों के अभिसरण व्यवस्थाओं का नियोजन, क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण हेतु सहयोग तथा पेयजल एवं स्वच्छता गतिविधियों के विभिन्न कमियों को पूर्ण किये जाने हेतु सहयोग करना है।

14.1.9 स्वजल 2.0 के अन्तर्गत अभिलाषी जनपदों (Aspirational Districts) में चयन

उत्तराखंड के दो जनपद हरिद्वार और उधम सिंह नगर चिन्हित अभिलाषी जनपद हैं। इन दो जनपदों की कुल 12 सौर ऊर्जा चलित मिनी पम्पिंग पेयजल योजनाओं का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिनमें योजनाएँ पूर्ण होने वाली हैं। घरेलू संयोजन उ0प0नि0 / उ0ज0सं0 द्वारा दिए जायेंगे।

महत्वपूर्ण गतिविधियाँ

माननीय मुख्यमंत्री ने गांवों में स्वच्छता की मिसाल बनने वाले नैनीताल, चंपावत, देहरादून, ऊधम सिंह नगर जिले की 15 ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधानों को सम्मानित किया। इस मौके पर स्वच्छता के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले पांच पर्यावरण मित्रों को भी सम्मानित किया गया।

इससे पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्य सेवा सदन में आयोजित कार्यक्रम में स्वच्छता सेवा पखवाड़ा अभियान की शुरुआत की। यह अभियान दो अक्तूबर तक चलेगा।

राज्य के ग्रामीण तथा विभिन्न नगरीय क्षेत्रों में पेयजल सुविधा को तकनीकी रूप से सुदृढ़ करने हेतु निम्न प्रयास किये जा रहे हैं:–

1. नलकूपों का स्वचालितीकरण (Automation of Tubewells and SCADA) :- संस्थान द्वारा आधुनिकतम तकनीक SCADA अपनाकर कुल 974 नलकूप / मिनी नलकूपों का स्वचालितीकरण किया गया है, जिससे मानवीय भूल एवं अन्य विद्युत सम्बन्धी त्रुटियों के कारण जलापूर्ति व्यवस्था के व्यवधान को अत्यन्त न्यून किया जा सका है।

2. जल गुणवत्ता मैनेजमेंट (Water Quality Management):- राज्य में पेयजल गुणवत्ता परीक्षण हेतु प्रत्येक जनपद मुख्यालय में दो-दो (कुल 27) पेयजल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालायें क्रियान्वित हैं जिनमें वित्तीय वर्ष 2022-23 में 93677 तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 में 83714 रासायनिक एवं जैविक पेयजल के नमूनों की जाँच की गयी है। कुल 27 प्रयोगशालाओं में से 27 प्रयोगशालाओं को NABL (**National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories**) से मान्यता प्राप्त कराया जा चुका है।

3. ऑनलाईन बिलिंग डिमाण्ड एवं कलैक्शन सिस्टम (Online billing demand and collection System):- विभाग में उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु ऑनलाईन बिलिंग डिमाण्ड कलैक्शन सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से उपभोक्ता को अपने बिलों की जानकारी, देयक के ऑनलाईन भुगतान एवं नये कनेक्शन के लिए ऑनलाईन आवेदन की सुविधा प्रदान की गई है।

4. शिकायत निवारण केन्द्र (Complain Centre) :- विभाग द्वारा उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा प्रदान किये जाने के उद्देश्य से राज्य स्तरीय शिकायत निवारण केन्द्र स्थापित है। इस शिकायत निवारण केन्द्र पर Toll free Number 1800-180-4100 है। उपभोक्ता से प्राप्त होने वाली शिकायत को दर्ज करने एवं निराकरण के सम्बन्ध में जानकारी सम्बन्धित उपभोक्ता के मोबाईल पर **SMS** से भी प्रेषित की जाती है। उपभोक्ता स्वयं भी विभागीय वेबसाईट के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है।

5. हैण्ड पम्प: एक सफल वैकल्पिक रणनीति (Hand Pump: A Successful alternative Plan):- राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में 9888 हैण्डपम्पों के माध्यम से सुचारू जलापूर्ति की जा रही है।

6. मिनी नलकूप: न्यून लागत, त्वरित उपचार (Mini Tubwell: Low Cost, Accelerated Treatment):- नलकूपों के खनन में लगने वाले व्यय एवं समय की बचत एवं छोटी बस्तियों के पेयजल समस्या के त्वरित निदान हेतु कम श्राव के नलकूपों को एक सप्ताह के अन्दर 'न्यूमेटिक खनन' विधि से तैयार किया जाता है। वर्तमान तक 299 मिनी नलकूप स्थापित किये गये हैं।

7. चाल-खाल: परम्परा का पुनर्जीवन (Movement: Revival of the Traditional water source):- ग्राम समाज के सहयोग से संस्थान द्वारा विगत चार वर्षों में वर्तमान तक 1598 चाल-खाल का निर्माण किया गया है।

8. रैनवाटर हार्वेस्टिंग योजना (Rain Water Harvesting): वर्षा जल को एकत्र कर, संचय करने तथा उसको मनुष्य एवं पशुओं के उपयोग में लाने तथा उससे भू-जल को रीचार्ज करना वर्षा जल का दोहन (Rain Water Harvesting) है। उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा वर्षा जल के संग्रहण हेतु प्रथम प्रयास उत्तराखण्ड जल संस्थान मुख्यालय, "जल भवन" देहरादून में किया गया है जो सफल रहा है। वर्तमान में शासकीय भवनों में वर्षा जल के दोहन हेतु स्वीकृति प्राप्त कर 116 शासकीय भवनों में कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

राजकीय सिंचाई

14.2 राज्य में सिंचाई विभाग का मुख्य कार्य नहरों, पम्प नहरों, नलकूपों के निर्माण एवं जलाशय निर्माण व रखरखाव तथा बाढ़ सुरक्षा कार्यों का सम्पादन करना है। राज्य में सिंचाई के तीन प्रकार के प्रमुख संसाधन क्रमशः नहरें, नलकूप तथा पम्प नहरें हैं। दिसम्बर 2023 तक विभाग के अधीन कुल 3084 संख्या छोटी पर्वतीय एवं मायर नहरें, 1725 संख्या नलकूप व 298 संख्या लघुडाल नहरें निर्मित हैं। नहरों, नलकूपों एवं पम्प नहरों का कुल कमाण्ड क्षेत्र 4.071 लाख हैक्टेयर है। खरीफ तथा रबी की सिंचन क्षमता क्रमशः 2.605 लाख है0 व 2.226 लाख है0, कुल 4.831 लाख है0 सृजित है। जिसके सापेक्ष कुल 3.243 लाख है0 सिंचाई प्राप्त की गयी। वित्तीय वर्ष 2023–24 में वास्तविक सींच में 2 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य है। राज्य में सर्वेक्षण अनुमानों के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य का कुल शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल लगभग 6.905 लाख है0 है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में विभाग को सिंचाई, जल विद्युत परियोजनाओं पर जलकर एवं अन्य स्रोतों से कुल 13400.597 लाख रू0 का राजस्व प्राप्त हुआ। वित्तीय वर्ष 2023–24 में माह दिसम्बर 2023 तक विभाग को कुल 13407.00 लाख का राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है।

राज्य गठन के समय विभाग में 2104 नहरें, 84 लघुडाल नहर व 667 नलकूप निर्मित थे, जिनका कमाण्ड क्षेत्र 2.609 लाख हैक्टेयर, सिंचन क्षमता 2.850 लाख हैक्टेयर तथा वास्तविक सींच 2.278 लाख हैक्टेयर थी। राज्य गठन के बाद से अब तक कुल 982 सं0 नहरों, 214 सं0 लघुडाल नहरों एवं 1058 सं0 नलकूपों का निर्माण कर 1.973 लाख हैक्टेयर नवीन सिंचन क्षमता सृजित की गई है, जिससे 0.965 लाख हैक्टेयर सींच में वृद्धि दर्ज हुई है।

राज्य में सिंचाई सुविधाओं के विकास एवं विस्तार के लिये विभाग सतत् प्रयत्नशील है। नई नहरों, लघुडाल नहरों एवं नलकूपों के निर्माण हेतु सर्वेक्षण कार्य चल रहा है, जिससे आगामी भविष्य में सिंचाई सुविधाओं का और विस्तार होगा, जिसका राज्य के कृषकों को लाभ मिलेगा।

तालिका 14.6

उत्तराखण्ड में वर्षवार सिंचाई अवस्थापना

वर्ष Year	नहरों की लम्बाई (कि0मी0) Length of Canals (Km)	लघुडाल नहरों की संख्या Number of Lift Canals (No)	ट्यूबवेल (संख्या) Tubewells (No.)	सिंचाई राजस्व संग्रहण (लाख ₹) Revenue Collection By Irrigation (Lakh ₹)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2014 -15	12215	195	1376	1788.819
2015 -16	12421	211	1503	2126.303
2016 -17	12578	220	1529	10687.792
2017 -18	12626	226	1628	23789.179
2018 -19	13205	234	1679	18326.900
2019 -20	13239	245	1686	1537.899
2020 -21	13276	268	1700	1790.791
2021 -22	13292	282	1704	1838.00
2022 -23	13330.12	296	1720	13400.59
2023 -24 (31.12.2023 तक	13335.12	298	1725	13407.00

स्रोत: राजकीय सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड (वाणिज्यीय आपत्तियों में संशोधित)।

चार्ट–14.1

तालिका 14.7

वर्षवार सृजित सिंचन क्षमता

(लाख हेक्टेयर)

वर्ष year	सिंचन क्षमता						उपभोग					
	कुल राजकीय सिंचाई Total Sate Irrigation			वृहद एवं मध्यम सिंचाई (कुल राजकीय सिंचाई में भी सम्मिलित है) Large&Mediumirrigation (Total State Irrigation incuded)			राजकीय सिंचाई State Irrigation			वृहद एवं मध्यम सिंचाई (कुल राजकीय सिंचाई में भी सम्मिलित है) Large& Medium Irrigation (Total state irrigation incuded)		
	खरीफ	रबी	योग	खरीफ	रबी	योग	खरीफ	रबी	योग	खरीफ	रबी	योग
2014–15	2.150	1.841	3.991	0.422	0.326	0.748	1.467	1.438	2.905	0.319	0.307	0.626
2015–16	2.296	1.970	4.266	0.422	0.326	0.748	1.462	1.572	3.034	0.319	0.307	0.626
2016–17	2.407	2.041	4.448	0.422	0.326	0.748	1.523	1.691	3.142	0.319	0.307	0.626
2017–18	2.422	2.061	4.483	0.422	0.326	0.748	1.599	1.645	3.244	0.319	0.307	0.626
2018–19	2.482	2.092	4.574	0.422	0.326	0.748	1.541	1.605	3.146	0.320	0.308	0.628
2019–20	2.567	2.164	4.731	0.422	0.326	0.748	1.634	1.588	3.222	0.320	0.308	0.628
2020–21	2.576	2.175	4.751	0.422	0.326	0.748	1.638	1.593	3.231	0.322	0.309	0.631
2021–22	2.599	2.222	4.821	0.422	0.326	0.748	1.644	1.588	3.232	0.322	0.309	0.631
2022–23	2.604	2.226	4.830	0.422	0.326	0.748	1.618	1.625	3.243	0.324	0.311	0.635
2023–24 (12/23)	2.605	2.226	4.831	0.422	0.326	0.748	1.620	1.624	3.244	0.324	0.312	0.636

स्रोतः राजकीय सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड (आंकिकीय डायरियों में संकलित)।

तालिका 14.8

क्र0 सं0	विवरण	वर्षवार क्रियान्वयन किये जाने वाले कार्यों / योजनाओं का विवरण									
		वर्ष 2014-15	वर्ष 2015-16	वर्ष 2016-17	वर्ष 2017-18	वर्ष 2018-19	वर्ष 2019-20	वर्ष 2020-21	वर्ष 2021-22	वर्ष 2022-23	वर्ष 2023-24 (12/23 तक)
1	वित्तीय प्रगति (लाख ₹ में)	63209.45	69470.43	41592.48	38932.04	30032.02	31763.32	24810.55	23384.64	35379.08	12546.00
2	अतिरिक्त निर्मित नहर (सं0 में)	40	60	46	26	8	34	46	58	15	2
3	अतिरिक्त निर्मित नहरों की लम्बाई पूर्ण सहित (किमी0)	300.67	206.71	157.226	48.616	577.72	34.508	27.11	16.00	38.12	5
4	अतिरिक्त निर्मित नलकूप (सं0 में)	48	127	26	56	51	7	14	14	16	5
5	अतिरिक्त निर्मित लघुडाल नहर (सं0 में)	12	16	9	6	9	11	23	14	14	2
6	सम्भाव्य क्षेत्र में अतिरिक्त वृद्धि (लाख है0)	0.082	0.208	0.179	0.040	0.059	0.037	0.092	0.080	0.086	0.001
7	अतिरिक्त सृजित सिंचन क्षमता (लाख है0)	0.035	0.275	0.182	0.036	0.091	0.157	0.020	0.097	0.009	0.001
8	वास्तविक सींच (लाख है0)	2.905	3.034	3.142	3.244	3.146	3.222	3.231	3.225	3.243	3.244
9	बाढ़ कार्य (सं0 में)	55	46	60	26	41	34	25	15	15	20
10	वर्ष के अंत में सम्भाव्य क्षेत्र (लाख है0)	3.437	3.645	3.813	3.855	3.914	3.921	4.013	4.093	4.069	4.071
11	वर्ष के अंत में सिंचन क्षमता (लाख है0)	3.981	4.266	4.448	4.483	4.574	4.731	4.751	4.821	4.830	4.831

स्रोत: राजकीय सिंचाई / लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।

14.7.1 सिंचाई सुविधाओं में आधुनिक तकनीकों का प्रयोग:–सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के क्रम में नलकूप निर्माण एवं लघुडाल निर्माण की योजनाओं स्प्रिंकलर प्रणाली से सिंचाई किये जाने हेतु जनपद देहरादून, चमोली एवं जनपद पौड़ी में स्प्रिंकलर आधारित Lift Scheme से सिंचाई सुविधा प्रदान किये जाने (लागत ₹ 22.79 करोड़) हेतु निर्माण कार्य किया जा रहा है।

14.7.2 वर्षा जल संग्रहण को प्रोत्साहन–राज्य के पर्वतीय जनपदों में प्राकृतिक स्त्रोतों को पुर्नजीवित एवं वर्षा जल का पेयजल एवं सिंचाई में प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु जलाशयों के निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये गये है, जिसके अन्तर्गत अल्मोड़ा में बैराज निर्माण कर जनपद अल्मोड़ा शहर की जल की उपलब्धता सुनिश्चित करायी गयी है। जनपद अल्मोड़ा के मोहनारी गदेरे में मोहनारी वियर का निर्माण, सौगड़ गदेरे में वियर का निर्माण, जनपद बागेश्वर में बैजनाथ झील का निर्माण, जनपद देहरादून के अम्बीवाला गाँव में बहुद्देशीय जलाशय जनपद देहरादून में जाखन नदी में सूर्यधार बैराज का निर्माण जनपद चम्पावत के लोहाघाट में कोलीढेक बहुउद्देशीय जलाशय के निर्माण का कार्य तथा जनपद पिथौरागढ़ में थरकोट झील का निर्माण का कार्य पूर्ण कराया गया है। जनपद अल्मोड़ा में गगास नदी में जलाशय तथा जनपद पौड़ी में ल्वाली झील का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

उपरोक्त के अतिरिक्त जनपद पौड़ी के अंतर्गत पुण्डेरी, मारखोला, पापड़तोली, पैठाणी, स्यूसी, खैरासैण, सतपुली व सकमुण्डा कुल आठ स्थानों पर एवं देहरादून के विकासखण्ड सहसपुर श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी (मालदुंग) जलाशय, जनपद चमोली के गैरसैण में रामगंगा नदी में जलाशय जनपद अल्मोड़ा में तड़ागताल झील, जनपद चम्पावत में दीपेश्वर झील, कुर्म सरोवर जलाशय, श्यामलाताल के निर्माण हेतु डी0 पी0 आर0 गठन का कार्य प्रगति पर है।

1–जमरानी बाँध बहुउद्देशीय परियोजना:–अनुमानित लागत रु0 2584.00 करोड़

- जनपद नैनीताल के हल्द्वानी शहर हेतु 117 MLD पेयजल सुविधा।
- PMKSY-AIBP के अन्तर्गत परियोजना लागत 2581.10 करोड़ के सापेक्ष बांध निर्माण हेतु रु0 1730.21 करोड़ की वित्त पोषण हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है।
- 14 मेगावॉट विद्युत उत्पादन (63.4 Million Unit)
- उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड के 150027 हैक्टेयर कमाण्ड में उत्तर प्रदेश में 47,607 हैक्टेयर एवं उत्तराखण्ड में 9,726 हैक्टेयर कुल 57065 हैक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन ।

2–सौंग बाँध पेयजल परियोजना :–अनुमानित लागत रु0 1580.00 करोड़

- देहरादून एवं उप नगरीय क्षेत्र को वर्ष 2053 तक अनुमानित आबादी हेतु 150 MLD पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी।
- योजना से सम्बन्धित समस्त तकनीकी स्वीकृतियां प्राप्त।

<u>निर्मित / निर्माणाधीन जलाशय</u>

❖ जनपद चम्पावत के कोलीढेक झील का निर्माण (लागत रु0 30.76 करोड़) :–

- लोहाघाट शहर को पेयजल हेतु 3.375 एम0एल0डी0 स्वच्छ जल उपलब्ध कराये जाने हेतु कोलीढेक झील का कार्य निर्माणाधीन है। 03
- योजना के निर्माण से जल संरक्षण एवं संवर्द्धन तथा पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

❖ जनपद पिथौरागढ़ में थरकोट झील का निर्माण (लागत रु0 32.01 करोड़) :–

- पिथौरागढ़ शहर को पेयजल हेतु स्वच्छ जल उपलब्ध कराये जाने हेतु बैराज निर्माण गतिमान।
- योजना के निर्माण से जल संरक्षण एवं संवर्द्धन तथा पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

❖ जनपद अल्मोड़ा में गगास नदी में जलाशय का निर्माण (लागत रु0 31.27 करोड़) :–

- जनपद अल्मोड़ा में गगास नदी पर जलाशय का निर्माण कार्य गतिमान है।
- योजना की स्वीकृति माह मार्च 2018 में प्रदान की गई।
- योजना के निर्माण से रानीखेत क्षेत्र को पेयजलहेतु 15 एम0एल0डी0 जल उपलब्धता व 96 हैक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा प्रदान होगी।
- योजना का निर्माण मार्च, 2024 तक पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है।
- योजना के निर्माण से जल संरक्षण एवं संवर्द्धन तथा पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

स्रोत: राजकीय सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।

लघु सिंचाई

14.3 लघु सिंचाई विभाग द्वारा राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में बहने वाले अप्रयुक्त सतही पानी को रोक कर सिंचाई हेतु उपयोग में लाने, राज्य की भौगोलिक परिस्थिति के अनुरूप सिंचाई हेतु भू–जल, सतही प्रवाह एवं सतही लिफ्ट सिंचाई योजनाओं का निर्माण कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने, सिंचाई लागत को कम करने हेतु सोलर चालित पम्पसेट के उपयोग को बढ़ावा देने के साथ ही सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली (ड्रिप एवं स्प्रिंकलर) के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

विभाग द्वारा कृषकों की इनपुट लागत कम करने तथा उनकी आय बढ़ाने हेतु सोलर पम्पसेटों की स्थापना, आर्टीजन कूपों का निर्माण, डीजल पम्पसेट को सोलर पम्पसेट में परिवर्तित करने का कार्य तथा जल संरक्षण एवं संवर्द्धन को बढ़ावा देने हेतु रिचार्ज शाफ्ट एवं छोटे चैक डेम का निर्माण का कार्य किया जा रहा है। साथ ही पानी की बचत एवं जल उपयोग दक्षता के उद्देश्य से सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली (ड्रिप / स्प्रिंकलर) की स्थापना का कार्य भी किया गया है।

लघु सिंचाई कार्यक्रमों के अन्तर्गत वर्ष 2023–24 में माह दिसम्बर, 2023 तक 16 सोलर लिफ्ट सिंचाई योजना, 137 सोलर बोरिंग पम्पसेट, 35 बोरिंग पम्पसेट, 170 कि0मी0 सिंचाई गूल, 288 सिंचाई हौज एवं 1 आर्टीजन कूप का निर्माण / स्थापना कर 2881 है0 सिंचन क्षमता का सृजन किया गया है।

तालिका 14.9

उत्तराखण्ड में निजी लघु सिंचाई कार्यों की वर्षवार उपलब्धियाँ

वर्ष Year	बोरिंग पम्प सेट / Boring Pump sets (No.)	गहरे / मध्यम नलकूप Deep/Medium Tubewells (No.)	हाईड्रम Hydrums (No.)	सोलर लिफ्ट योजना Solar Lift Schemes (No.)	बोरिंग पम्पसेट–सोलर Solar Boring Pumpsets (No.)	हौज Tanks (No.)	सिंचाई गूल Irrigation Gule (Km)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2017–18	55784	731	1448	—	—	38764	30711
2018–19	55979	731	1448	—	—	39471	30951
2019–20	56217	731	1433	—	—	40003	31212
2020–21	56431	731	1433	—	—	40549	31449
2021–22	56565	731	1433	21	46	41085	31609
2022–23	56825	731	1230	51	188	41467	31929

स्रोत–लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।

14.3.1 राज्य सेक्टर के अन्तर्गत संचालित योजनायें

1. सोलर पम्प आधारित लिफ्ट सिंचाई योजनाओं का निर्माण : राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ पर लघु एवं सीमान्त कृषकों की कृषि भूमि, उपलब्ध जल स्रोतों से अधिक ऊंचाई पर स्थित है, में सोलर पम्प से पानी को अपलिफ्ट कर, कृषि योग्य भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिये रू0 160.59 लाख लागत की 07 योजनायें स्वीकृत हुई हैं, जिसके अन्तर्गत 09 सोलर लिफ्ट योजनाओं का निर्माण प्रस्तावित है।

2. भूजल संरक्षण / संवर्द्धन हेतु पुनर्भरण व संग्रहण योजनाओं का निर्माण : राज्य के मैदानी

जनपदों में भूजल स्तर के पुनर्भरण तथा पर्वतीय क्षेत्रों में भू-कटाव को रोकने, जल संरक्षण व संबर्द्धन हेतु भूजल संरक्षण/संबर्द्धन हेतु पुनर्भरण व संग्रहण योजनाओं का निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिये रू0 176.46 लाख लागत की 11 योजनायें स्वीकृत हुई हैं, जिसके अन्तर्गत 10 छोटे चैक डेम, 02 छोटे तालाब तथा 02 रिचार्ज शाफ्ट का निर्माण प्रस्तावित है।

3. नाबार्ड वित्तपोषित योजना :- नाबार्ड वित्तपोषित, लघु सिंचाई योजनाओं के निर्माण मद में सोलर लिफ्ट योजना, सोलर बोरिंग पम्पसेट, छोटे चैक डेम, हौज, जियोलाईन टैंक तथा पाईप लाईन योजना आदि का निर्माण कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में नाबार्ड वित्तपोषित योजना RIDF-XXIX के अन्तर्गत रू0 6806.17 लाख लागत की 88 योजनायें स्वीकृत हुई हैं, जिस पर कार्यवाही गतिमान है।

4. आर्टीजन कूपों का निर्माण :- ट्राईबल सब प्लान के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में आर्टीजन कूपों का निर्माण कर, सिंचाई सुविधा प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में आर्टीजन कूपों के निर्माण हेतु रू0 80.00 लाख का बजट प्राविधान स्वीकृत है, जिसके सापेक्ष माह दिसम्बर 2023 तक 04 आर्टीजन कूप योजनायें स्वीकृत हुई हैं, जिस पर कार्यवाही गतिमान है।

5. स्पेशल कम्पोनेंट सब प्लान-एस.सी.एस.पी. :- अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में गूल एवं हौज पाईप लाईन आदि का निर्माण कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। वर्ष 2023-24 में एस0सी0एस0पी0 मद में रू0 400.00 लाख का बजट प्राविधान स्वीकृत है। माह दिसम्बर, 2023 तक 153 हैक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन किया गया है।

6. ट्राईबल सब प्लान-टी.एस.पी :- अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में गूल एवं हौज पाईप लाईन आदि का निर्माण कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में टी0एस0पी0 मद में रू0 184.86 लाख का बजट प्राविधान स्वीकृत है। माह दिसम्बर 2023 तक 80 हैक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन किया गया है।

14.8.2 केन्द्रपोषित योजना के अन्तर्गत संचालित योजनायें

- **प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-हर खेत को पानी :-** केन्द्रपोषित योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-हर खेत को पानी (सतही लघु सिंचाई योजना) मद में भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021-24 हेतु रू0 34939.33 लाख लागत की 422 कलस्टर/योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त हुई है। योजनान्तर्गत 19524 हैक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में माह दिसम्बर 2023 तक 2313 हैक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन किया गया है।

- **प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-हर खेत को पानी (भूजल):-** केन्द्रपोषित योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-हर खेत को पानी (भूजल) मद के अन्तर्गत रू0 9424.24 लाख लागत की 24 योजनाओं का प्रस्ताव स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित किया गया है, जिसके अन्तर्गत 1022 सोलर पम्पसेट योजनाओं के निर्माण से 4643 हैक्टेयर सिंचन क्षमता के सृजन का प्रस्ताव है।

- **प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पी0एम0कुसुम) :-** प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पी0एम0-कुसुम) योजना के कम्पोनेन्ट-बी के अन्तर्गत जैविक ईंधन आधारित ऊर्जा पर निर्भरता को कम किये जाने एवं सौर ऊर्जा में अधिकाधिक प्रयोग किये जाने के उद्देश्य से जनपद ऊधमसिंह नगर एवं हरिद्वार में कृषकों के व्यक्तिगत संचालित डीजल सिंचाई/पम्पस के

स्थान पर 10.00 एच0पी0 तक के सोलर पम्पस स्थापित किये जाने है।

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 3367 डीजल पम्पस् के स्थान पर सोलर पम्पस स्थापित किये जाने की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। विभाग द्वारा अब तक 318 डीजल पम्पसेट को सोलर पम्पसेट में परिवर्तित किया जा चुका है।

जलागम प्रबन्धन

14.4 जलागम विकास योजनाओं का मूल उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों यथा भूमि, जल एवं वनस्पतियों का संवर्धन, संरक्षण एवं सुनियोजित प्रबन्धन करना है। परियोजना कार्यक्रमों से जहाँ एक ओर प्राकृतिक संसाधनों के सुनियोजित प्रबन्धन में सहायता मिलती है, वहीं दूसरी ओर उत्पादकता एवं ग्रामीण समुदाय की क्षमता का विकास करते हुये आय में वृद्धि के नये अवसर उत्पन्न होते है। इन योजनाओं का संचालन ग्रामीण समुदाय की सामुहिक सहभागिता से ग्राम पंचायतों के माध्यम से किया जाता है।

सम्पूर्ण पर्वतीय क्षेत्र का जलागम के आधार पर उपचार हेतु सम्पूर्ण विकास की योजना का निर्माण किया गया जिसमें प्रदेश को 1164 सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों में विभक्त किया गया, जिनका उपचार किया जाना प्रस्तावित था। इन 1164 सूक्ष्म जलागमों में से 195 सूक्ष्म जलागम क्षेत्र हिमाच्छादित अथवा अभ्यारण्य क्षेत्र में हैं, जिनमें उपचार नहीं किया जा सकता है। अवशेष 969 सूक्ष्म जलागम में से विभागीय वाह्य सहायतित तथा केन्द्र पोषित योजनाओं के अन्तर्गत 464 सूक्ष्म जलागम का उपचार जलागम प्रबन्ध निदेशालय द्वारा तथा 291 सूक्ष्म जलागम का उपचार ग्राम्य विकास विभाग द्वारा मार्च 2019 तक किया गया है। वर्तमान में जलागम प्रबन्ध की विभागीय केन्द्र पोषित योजना के अन्तर्गत 25 सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों में जलागम विकास के कार्य किये जा रहे हैं तथा वाह्य सहायतित परियोजनाओं में 58 सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों में जलागम विकास के कार्य किये जाने प्रस्तावित हैं। उक्त उपचारित एवं वर्तमान में उपचार किये जा रहे सूक्ष्म जलागम में से 148 सूक्ष्म जलागमों को पुनः उपचारित किया गया। वर्तमान में 462 सूक्ष्म जलागमों का उपचार किया जाना अवशेष है। जिसका विवरण निम्नवत है–

तालिका 14.10

जलसमेट क्षेत्र, जलागम, उप जलागम एवं सूक्ष्म जलागमों का विवरण				
क्र0सं0	जलसमेट क्षेत्र का नाम	जलागमों की संख्या	उप जलागमों की संख्या	सूक्ष्म जलागमों की संख्या
1	यमुना	5	19	161
2	गंगा 'अ'	2	5	56
3	गंगा 'ब'	2	12	88
4	भागीरथी	2	18	169
5	अलकनन्दा	5	22	207
6	रामगंगा	3	11	87
7	कोसी	4	13	117
8	काली	3	16	226
9	2B6D & 2C6B	2	6	54
कुल		28	122	1164

स्रोतः जलागम विभाग, उत्तराखण्ड।

तालिका 14.11

जनपदवार सूक्ष्म जलागमों की अद्यावधिक स्थिति										
क्र.सं.	जनपद	सूक्ष्म जलागम संख्या	सूक्ष्म जलागम जिनका उपचार सम्भावित नहीं	उपचार हेतु शेष सूक्ष्म जलागम की	जलागम प्रबन्धन विभाग द्वारा उपचारित सूक्ष्म जलागम *					अन उपचारित सूक्ष्म जलागम
					वर्ष 2000 से पूर्व	वर्ष 2000 से उपचारित	वर्तमान में कार्यान्वित की जा रही पीएमकेएसवाई WDC 2.0	जलागम 6 में से पुनः उपचारित	कुल उपचारित * कार्यान्वित	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	अल्मोड़ा	99	1	98	4	28	10	2	40	58
2	बागेश्वर	59	2	57	0	41	0	0	41	16
3	चमोली	139	36	103	2	30	0	0	32	71
4	चम्पावत	41	0	41	4	20	0	4	20	21
5	देहरादून	94	12	82	0	60	0	1	59	23
6	नैनीताल	71	8	63	8	38	0	0	46	17
7	पौड़ी गढ़वाल	126	18	108	43	43	6	18	74	34
8	पिथौरागढ़	129	42	87	0	35	9	0	44	43
9	रुद्रप्रयाग	45	4	41	5	23	0	0	28	13
10	टिहरी गढ़वाल	131	17	114	37	25	0	0	62	52
11	उधमसिंहनगर	11	0	11	0	2	0	0	2	9
12	हरिद्वार	54	7	47	0	18	0	0	18	29
13	उत्तरकाशी	165	48	117	0	41	0	0	41	76
योग		1164	195	969	103	404	25	25	507	462

स्रोत: जलागम विभाग, उत्तराखण्ड।

* वित्तीय वर्ष 2023–24 में जलागम विभाग हेतु स्वीकृत विश्व बैंक वित्त पोषित नवीन वाह्य सहायतित "उत्तराखण्ड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना" के अन्तर्गत चयनित 58 सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों को उपचारित किया जाना प्रस्तावित है।

14.4.1 वित्तीय वर्ष 2023–24 में संचालित की जा रही परियोजनाओं का विवरण–

1. केन्द्र वित्त पोषित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना–जलागम विकास घटक 2.0:– परियोजना का मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों के प्राकृतिक संसाधनों के उचित प्रबन्धन के

माध्यम से वर्षा आधारित/निम्नकोटी भूमि की उत्पादक क्षमता में सुधार करना है तथा ग्रामीण समुदायों का संस्थागत सुदृढ़ीकरण एवं क्षमता विकास करते हुए उनकी सहभागिता से प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग की दक्षता तथा आजीविका सम्बन्धित गतिविधियों के माध्यम से आय में वृद्धि करना है।

05 वर्षीय यह परियोजना वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2025–26 (माह जनवरी 2021 से प्रभावी) तक राज्य के तीन जनपदों पौड़ी, अल्मोड़ा एवं पिथौरागढ़ हेतु 12 परियोजनाएं स्वीकृत की गयी हैं, जो 11 विकासखण्डों के 25 सूक्ष्म जलागमों के 70,231 हैक्टर क्षेत्रफल में क्रियान्वित की जायेगी। जिससे 370 ग्राम पंचायतों के 918 राजस्व ग्राम लाभान्वित होंगे। परियोजना लागत–धनराशि रू0 196.65 करोड़ (90 प्रतिशत केन्द्रांश धनराशि रू0 176.98 करोड़ एवं 10 प्रतिशत राज्यांश रू0 19.67 करोड़) है।

परियोजना की अद्यतन भौतिक प्रगति–

परियोजना क्षेत्रों में प्रारम्भिक चरण में– परियोजना क्षेत्रों में ग्रामीण समुदाय की क्षमता विकास एवं संस्थागत सुदृढ़ीकरण के दृष्टिगत 1326 प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं कार्यशालाओं का आयोजन किया गया है।

Entry Point Activity के अन्तर्गत 72 जल संग्रहण संरचनाओं यथा अमृत सरोवर/ग्रामीण तालाब निर्माण कार्य, जल संवर्धन कार्यों के अन्तर्गत 19,263 खन्तियां एवं रिचार्ज पिट तथा 431 चाल–खाल निर्माण एवं नौला–धारा जीर्णोद्धार के कार्य किये गये हैं।

प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन के अन्तर्गत– भूमि एवं मृदा संरक्षण गतिविधि के अन्तर्गत 58,432 घन मी0 चैक डैम निर्माण। जल संग्रहण एवं लघु सिंचाई के अन्तर्गत 86 जल संग्रहण संरचनाएं यथा सिंचाई टैंक, ग्रामीण तालाब/अमृत सरोवर, जियो मैम्बरेन टैंक निर्माण तथा 41.79 कि0मी0 सिंचाई गूल एवं HDPE पाईपलाईन। जल स्रोतों के प्रबन्धन हेतु 76,806 खन्तियां एवं रिचार्ज पिट निर्माण, 704 डग आउट पौण्ड/चाल–खाल निर्माण, 153 चाल–खाल एवं नौला–धारा जीर्णोद्धार। 170 हैक्टेयर वनीकरण एवं 419 हैक्टेयर नैपियर घास रोपण किया गया है।

उत्पादक प्रणाली के अन्तर्गत–

- 1676.30 हैक्टेयर क्षेत्र हेतु उच्च मूल्य फसल बीज उपलब्ध कराये गये।
- 209 हैक्टेयर रबी फसलों एवं 1299 हैक्टेयर खरीफ फसलों हेतु सहयोग।
- 126 हैक्टेयर में मसाले कल्टीवेशन।
- 528 हैक्टेयर घरबाड़ी पौधरोपण एवं 431 पॉली हाउस एवं पॉली टनल स्थापना कार्य।

निर्बल वर्ग हेतु आजीविका संवर्धन गतिविधियों के अन्तर्गत– 304 स्वयं सहायता समूहों का गठन कर विभिन्न गतिविधियों यथा–बकरी पालन, मुर्गी पालन, डेयरी, मौन पालन इत्यादि हेतु सहयोग प्रदान करना है।

2. जैफ वित्त पोषित जैफ–6 ग्रीन एग्रीकल्चर परियोजना (वाह्य सहायतित परियोजना):– सामुदायिक सहभागिता से जलागम विकास की अवधारणा पर वैश्विक पारिस्थितिकी/पर्यावरण लाभ और महत्वपूर्ण जैव विविधता तथा वन भू–दृश्य के संरक्षण के लिये कृषि क्षेत्रों में सुधार/प्रोत्साहन के दृष्टिगत जनपद पौड़ी गढ़वाल के राजाजी कार्बेट वन्य जीव कोरिडोर तथा कार्बेट वन्य जीव परिदृश्य क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल 3,73,290 हैक्टेयर में 5.867 मिलियन अमेरिकन डॉलर (लगभग रू0 46.93 करोड़ /रू0 80 प्रति डॉलर) लागत की जैफ वित्त पोषित जैफ–6 ग्रीन एग्रीकल्चर परियोजना का कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 2019–20 से किया जा

रहा है, जो वर्ष 2025–26 में पूर्ण होगी। परियोजना की राष्ट्र स्तरीय क्रियान्वयन संस्था खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) है।

परियोजनान्तर्गत 07 विकासखण्ड (दुगड्डा, द्वारीखाल, जहरीखाल, एकेश्वर, पोखड़ा, बीरोंखाल, यमकेश्वर) की 504 ग्राम पंचायतों के 1131 राजस्व ग्राम लाभान्वित होंगे। परियोजना व्यय की शत–प्रतिशत प्रतिपूर्ति अनुदान के माध्यम से होगी। आतिथि तक जैफ संस्था से परियोजना कार्यों हेतु रू0 742.79 लाख की धनराशि प्राप्त हुई है। परियोजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–2024 में माह दिसम्बर, 2023 तक धनराशि रू0 114.39 लाख तथा परियोजना प्रारम्भ से कुल धनराशि रू0 366.83 लाख का व्यय हुआ है।

परियोजना अन्तर्गत कियान्वित महत्वपूर्ण गतिविधियां / अद्यतन भौतिक प्रगति–

- परियोजना अन्तर्गत उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान कर 99 ग्रामों के चयन को अंतिम रूप दिया गया, जहां परियोजना कार्य किया जा रहा है।
- समस्त उच्च प्राथमिकता वाले गांवों में Stakeholder mapping की गई है। उत्तराखण्ड राज्य की संशोधित Geo-Spatial analysis Report तैयार कर National Project Management Unit (NPMU) को प्रेषित की गई।
- उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र की 36 ग्राम पंचायतों में 36 ग्राम कार्यान्वयन समितियों (Village Implementation Committee-VIC) का गठन किया गया है एवं आतिथि तक 259 बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं।
- National Project Management Unit (NPMU) द्वारा House Hold Survey हेतु तैयार किये गये सॉफ्टवेयर पर परियोजना क्षेत्र के सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण किया गया।
- Gram Panchayat Development Plan (GPDP) के निर्माण का कार्य पूर्ण किया गया है।
- 6 मानव वन्यजीव संघर्ष संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन।
- कुल 24 School Ecoclubs की स्थापना।
- समस्त रेखीय विभागों के साथ Convergence and Planning Workshop का आयोजन किया गया।
- दिनांक 30 अक्टूबर, 2023 से दिनांक 03 नवम्बर, 2023 के मध्य परियोजना का Mid-term Review सम्पन्न हुआ।
- Green Lanscape Management Plans (GLMP's) तैयार कर परियोजना क्षेत्रों में विभिन्न लाभार्थीपरक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं।

3. **विश्व बैंक पोषित उत्तराखण्ड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना (वाह्य सहायतित परियोजना):–** परियोजना का उद्देश्य उत्तराखण्ड राज्य में विस्तृत बारानी कृषि क्षेत्र पर स्थानीय कृषकों की निर्भरता को दृष्टिगत रखते हुए **"राज्य के चयनित भू–परिदृश्य क्षेत्रों में वर्षा आधारित पर्वतीय कृषि प्रणाली को जलवायु अनुकूल उत्पादन प्रणाली के रूप में विकसित करना"** है। छः वर्षीय यह परियोजना राज्य के आठ जनपदों के 13 विकासखण्डों के चयनित 58 सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों के 2,37,634 है0 क्षेत्रफल में व्यवस्थित लगभग 515 ग्राम पंचायतों के लगभग 1,000 राजस्व ग्रामों में संचालित की जायेगी। परियोजना द्वारा 73,922 परिवारों की कुल 3,88,744 जनसंख्या लाभान्वित होगी। परियोजना की कुल लागत

लगभग 140.61 मिलियन यू0एस0 डालर है।

परियोजना के घटक –

- Developing Resilient and GHG Efficient Production Systems.
- Science-Based Development of Resilient Springsheds.
- Enhancing Income Resilience.
- Project Management, Monitoring & Evaluation, and Learning.
- Contingent Emergency Response Component.

परियोजना के Key Performance Indicator (KPI) :-

- परियोजना क्षेत्र के अंतर्गत प्रतिनिधि कृषि क्षेत्रों में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी।
- चयनित फसलों की उत्पादकता में वृद्धि।
- चयनित स्प्रिंगशेड क्षेत्रों के जल उत्सर्जन में वृद्धि।
- परियोजना द्वारा प्रचारित जलवायु दक्ष कृषि प्रौद्योगिकियों तथा प्रथाओं का कृषकों द्वारा अंगीकरण।
- परिवारों की कृषि से आय में वृद्धि।

परियोजना की अद्यतन प्रगति

- वर्तमान में परियोजनान्तर्गत विभिन्न प्री–प्रीपरेशन कार्य यथा क्षेत्रीय/प्रभागीय/इकाई कार्यालयों की स्थापना, Project Appraisal Document (PAD) को अन्तिम रूप प्रदान करना, नियमित पदों के सापेक्ष पदस्थापना, अनुबन्ध पर तैनात किये जाने वाले आवश्यक विषय विशेषज्ञों का चयन, मानव संसाधन (Human Resource) एजेन्सी के चयन इत्यादि हेतु कार्यवाही गतिमान है।
- वित्तीय वर्ष 2024–25 से परियोजना क्रियान्वयन का कार्य प्रारम्भ हो जायेगा।

4. राज्य स्तरीय स्प्रिंग एण्ड रिवर रिजुविनेशन प्राधिकरण (SARRA) (नवीन प्रस्ताव/ योजना)

उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या 169384/2023-07(05)(XIII-A.1)/2023, दिनांक 17 नवम्बर, 2023 के द्वारा राज्य में विशेष रूप से जलागम उपचार अवधारणा से सम्बन्धित योजनाओं के निरूपण, क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु स्थापित एवं इस क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव एवं विशेषज्ञता धारित करने वाले जलागम विभाग के अंतर्गत "स्प्रिंग एण्ड रिवर रिजुविनेशन प्राधिकरण (Spring and River Rejuvenation Authority-SARRA)" को स्थापित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

स्प्रिंग एण्ड रिवर रिजुविनेशन प्राधिकरण का उद्देश्य– "राज्य के प्राकृतिक जल स्रोतों एवं नदियों का चिन्हीकरण, जल उत्सर्जन में वृद्धि, मापन एवं अनुश्रवण तथा वर्षा आधारित नदियों के चिरस्थायी प्रवाह हेतु स्थानीय जनसमुदाय की सहभागिता एवं वैज्ञानिक पद्धतियों से वर्षा जल संग्रहण तकनीकों यथा चैकडैम आदि के माध्यम से उनका उपचार करते हुये सतत् उपयोग सुनिश्चित करना" है। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु जलागम विभाग नोडल विभाग के रूप में समस्त रेखीय विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य करेगा।

कार्य क्षेत्र – राज्यान्तर्गत प्राकृतिक जल स्रोतों एवं नदियों का चिन्हीकरण कर समस्त जनपदों में उपचार/पुनरोद्धार के कार्य किये जायेंगे।

प्रस्तावित महत्वपूर्ण कार्य– वर्षा जल संग्रहण तकनीकों यथा चेक डैम आदि के माध्यम से स्प्रिंग एवं नदियों का प्राथमिकता के आधार पर चरणबद्ध रूप से पुनरोद्धार/उपचार, समुदायिक

सहभागिता से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित जल स्रोतों का सतत् रूप से अनुरक्षण, सहभागी व्यवस्था के अन्तर्गत जल स्रोतों के बहाव एवं जल गुणवत्ता का समय–समय पर मूल्यांकन, जल स्रोतों एवं नदियों के पुनरोद्धार हेतु प्रदेश के समस्त हितभागियों को इस विषय पर जागरूक करने हेतु राज्य, जनपद तथा ग्राम पंचायत स्तर पर विभिन्न प्रशिक्षण, कार्यशालाओं एवं गोष्ठियों का आयोजन आदि गतिविधियां की जायेंगी।

Spring and River Rejuvenation Authority (SARRA) **की अद्यतन प्रगति–**

- SARRA का राज्य स्तरीय कार्यालय स्थापित किया जा चुका है।
- जलागम विभाग के अंतर्गत राज्य के 07 जनपदों (पौढ़ी, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, नैनीताल, टिहरी, रूद्रप्रयाग एवं अल्मोड़ा) में उप निदेशक SARRA के जिला स्तरीय SARRA सेंटर स्थापित किये जा चुके हैं।
- 4 जनपदों में जिला स्तरीय कार्यकारी समिति का गठन किया जा चुका है। (पौढ़ी, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ एवं अल्मोड़ा)
- SARRA हेतु शासन को Sanction वित्त New Demand (SND) का प्रस्ताव प्रेषित किया जा चुका है।
- वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु रू0 15.79 करोड़ एवं वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु धनराशि रू0 154.40 करोड़ का बजट प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जा चुका है।

SARRA का Society Registration Act के अंतर्गत पंजीकरण की कार्यवाही गतिमान है।